एकादश माला, खंड 4, अंक 15

बुधवार, 31 जुलाई, 1996
9 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 15, बुधवार, 31 जुलाई, 1996/9 श्रावण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	281 से 284	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	285 से 300	22—52
अतारांकित प्रश्न संख्या	2551 से 2383	52—216
सभा पटल पर रखे गए पत्र		216—220
राज्य सभा से संदेश		221
नियम 377 के अधीन मामले		242—246
(एक) उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत राजपूताना गांव में रतमऊ नदी से हुए भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता — श्री हरपाल सिंह साथी		242
(दो) अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 243 की परिधि के अंतर्गत लाने की आवश्यकता — श्री के. प्रधानी		242—243
(तीन) बांग्लादेश को अबाध निर्यात व्यापार सुचारू करने और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए हल्दीबारी-चिलाहाली रेलवे लाइन पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता — श्री द्वारका नाथ दास		243
(चार) दक्षिण रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन का पलक्कड़ और कोयम्बटूर डिवीजनों में विभाजन किए जाने की आवश्यकता — श्री वी.पी. षणमुगा सुन्दरम		243
(पांच) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर वरूण एक्सप्रेस को रोके जाने की आवश्यकता — श्री राम सागर		244
(छः) मध्य प्रदेश को जुझार घाट जल आपूर्ति परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता — डा. रामकृष्ण कुसमारिया		244
(सात) सम्बलपुर को पूर्ण रेलवे डिवीजन बनाए जाने और सम्बलपुर-तालचेर रेलवे लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। — डा. कृपासिन्धु भोई		245—246
(आठ) तमिलनाडु के कंगायम तालुक के सिरुकिन्नर गांव में ज्वालामुखीय के हलचल की जांच कराने की आवश्यकता — श्री एस. के. कारवींधन		246
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
सिन्थेटिक दूध की बिक्री — श्री रघुवंश प्रसाद सिंह		250—252

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	252—273
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	252—254
श्री रमाकांत डी. खलप	254—258
श्री बनवारी लाल पुरोहित	258—262
श्री प्रदीप भट्टाचार्य	262—264
श्री तरित वरण तोपदार	264—266
श्री रमेन्द्र कुमार	266—270
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	270—272
श्री बसुदेव आचार्य	272—273
नियम 193 के अधीन चर्चा	274—299
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	274—276
लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	276—281
डा. मल्लिकार्जुन	281—285
श्री रूपचन्द पाल	286—288
श्री जी.जी. स्वैल	289—292
श्री जसवंत सिंह	292
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	292—296
श्री ब्रजभूषण तिवारी	296—298
श्री जार्ज फर्नान्डीज	298—299
दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा की अवमानना के बारे में प्रस्ताव	299—300

लोक सभा

बुधवार, 31 जुलाई, 1996/9, श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बिजली की खपत

***281. श्री नीतीश कुमार :**
प्रो: प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की अधिक खपत होती है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में बिजली की औसत खपत कितनी-कितनी है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत की वसूली दर औसत उत्पादन लागत से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली विद्युत की खपत की वसूली दर कितनी-कितनी है; और

(ङ) घरेलू खपत और वाणिज्यिक खपत हेतु बिजली की संभावित दर क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों विद्युत की खपत क्रमशः 100.3 वि.यू. और 79.8 बि.यू. थी, अर्थात वर्ष के दौरान देश में कुल खपत का क्रमशः 38.46 प्रतिशत और 30.60 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के लिए बिजली की बिक्री से वसूली और लागतों की अखिल भारतीय स्थिति निम्नलिखित थी :—

(1) आपूर्ति की औसत लागत :	156.65 पैसे प्रति कि. वा.घं.।
(2) बिजली की बिक्री से औसत वसूली	: 134.14 पैसे प्रति कि.वा.घं.।
(3) कृषि क्षेत्र से औसत वसूली	: 19.45 पैसे प्रति कि.वा.घं.।
(4) विद्युत क्षेत्र से औसत वसूली	: 221.40 पैसे प्रति कि.वा.घं.।

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक आपूर्ति के संबंध में अखिल भारतीय स्थिति नीचे दी गई है :—

घरेलू क्षेत्र से औसत वसूली	—	90.97 पैसे प्रति कि.वा. घं.।
वाणिज्यिक क्षेत्र से औसत वसूली	—	227.95 पैसे प्रति कि.वा. घं.।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को आपूर्ति की दरें बिजली बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाती है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से आपूर्ति की औसत लागत 156.65 पैसे प्रति कि. वि.घं. और अलग-अलग सैक्टर में जो बिजली की दर है उसको भी इन्होंने इंगित किया है। इस हिसाब से बिजली की दर 19.45 पैसे प्रति कि.वा.घं. और घरेलू क्षेत्र से औसत वसूली 90.87 पैसे प्रति कि.वा. घं. है। इस पूरे जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कृषि सैक्टर में बिजली की टैरीफ को बढ़ाने के लिए केस मेक-आउट करना चाहती है। इस देश की आज जो स्थिति है इस शताब्दी के अंत तक 240 मी. टन खाद्यान्न की जरूरत होगी और अभी हम 180 मी. टन भी उत्पादन के मामले में पार नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में बिजली की दर को बढ़ाने के लिए जो केस मेक-आउट किया जा रहा है, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र के ऊपर इस मुल्क को खिलाने की जवाबदेही जो है तथा कृषि क्षेत्र केवल कृषि क्षेत्र नहीं है बल्कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से सरकार का टैरीफ बढ़ाने का क्या विचार है। क्या सरकार बिजली के क्षेत्र में अभी जो टैरीफ की दर है उसको कई गुना बढ़ाना चाहती है केवल यह दिखाकर कि यह बहुत ज्यादा सब्सिडाइज है। मैं इस बारे में सरकार से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम कृषि क्षेत्र से 19.45 रुपये प्रति किलोवाट घंटा वसूल करते हैं। प्रति किलोवाट घंटा औसत लागत 156.65 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है। हमें कृषि क्षेत्र में प्रति यूनिट 137 पैसे का घाटा होता है। कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत कुल खपत का 30 प्रतिशत है।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, 1991 में मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी और उस समय उन्होंने सर्वसम्मति से

निर्णय लिया था कि कृषि के मामले में न्यूनतम टैरिफ 50 पैसे होनी चाहिये।

इसके बावजूद भी, केवल 28 राज्यों ने 50 पैसे की योजना को कार्यान्वित किया। शेष राज्यों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। विद्युत मंत्रालय समय समय पर सभी राज्य सरकारों के राज्य विद्युत बोर्डों को हिदायतें देता रहा है कि पारेषण और वितरण घाटा जो भी हो उसे पूरा किया जाये। सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां भी राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए धनराशि दे रही हैं। हम कृषि क्षेत्र के चलते जो घाटा हो रहा है उसे पूरा करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के बारे में केन्द्र सरकार को समय-समय पर हिदायतें देते रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और उसके घाटे को दूर करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सैक्टर के चलते जो घाटा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना है? मंत्री जी ने कॉस्ट ऑफ सप्लाई बताया है, उसके अनुसार वह बिजली की दर कृषि के क्षेत्र में कम से कम 50 पैसा करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका पहले से ही ढाई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिजली के क्षेत्र में घाटा बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए केवल एग्रीकल्चर सैक्टर में जो सब्सिडी दी जा रही है, वह जवाबदेह है या दूसरे अवयय भी हैं, मसलन मेनटेनेंस का अभाव। दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ प्लांट के सम्बन्ध में सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। उसने कहा है कि हर साल जो बॉयलर और टरबाइन का मेनटेनेंस होना चाहिए, वह 2-3 साल के बाद हो रहा है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मतलब रखरखाव पर ध्यान नहीं है। दूसरा, हाई ऐश कनटैन्ट का कोयला पावर प्लांट्स को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार है। इसको चैक करने का कोई उपाय नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक सवाल आया था कि हाई ऐश कनटैन्ट कोल के चलते एनवायरनमैंट में पौल्यूशन होता चला जा रहा है। सरकार की तरफ से इसका जवाब भी लीपा-पोती का था। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस है, पावर थैफ्ट है। इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसके चलते कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ता चला जा रहा है। इनएफिशैंसी को दूर करके, कार्य दक्षता को बढ़ा करके और भ्रष्टाचार को दूर करके प्रति यूनिट उत्पादन की जो लागत है, जो जेनरेशन कॉस्ट है, उसको घाटा न करके सरकार ने एग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली के दाम बढ़ा दिए। उदारीकरण के चलते हर क्षेत्र में बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालने की सरकार की नीयत है। वह भ्रष्टाचार को दूर करने की बजाय, इसका बर्डन लोगों पर डालना चाहती है। पावर थैफ्ट का मामला हो, बैड क्वालिटी कोल सप्लाई का मामला हो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई का मामला हो या दूसरे प्रकार के लॉसेज हों, जो कम्प्यूट किया जाता है, जो 3 परसैंट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को अधिकार है, तीन परसैंट रेट ऑफ रिटर्न देकर बिजली की दर तय कीजिए। रेट ऑफ रिटर्न तीन परसैंट देकर जो बिजली की दर तय की जाती है, इसके लिए जो कम्पोनैंट्स हैं, उसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत फिजूलखर्ची है और प्लांट लोड फैक्टर इतना कम चलता जा रहा है, जैसे बिहार जैसे राज्य में 19 परसैंट प्लांट लोड फैक्टर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ब्रीफ कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : इन क्षेत्रों पर ध्यान देकर, तवज्जह देकर, एफिशैंसी बढ़ाकर, कॉस्ट ऑफ एफिशैंसी बढ़ा करके, कॉस्ट आफ जेनरेशन घटाने की दिशा में क्या सरकार कोई कदम उठाना चाहती है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसे सुधार विधेयक हरियाणा में तैयार किये गये हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे अन्य राज्य भी सुधार उपाय कर रहे हैं और वे भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उड़ीसा में पहले ही पुनर्गठन के लिए कई कदम उठाये जा चुके हैं।

उन्होंने शुल्क वसूल करने के लिए एक अलग, स्वतंत्र संस्था बनाई है। उन्होंने वितरण प्रणाली का निजीकरण कर दिया है। उन्होंने विद्युत उत्पादन का काम भी निजी क्षेत्र को सौंप दिया है। इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्र हैं। उड़ीसा में इसे पहले भी क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से छः राज्यों में सुधार लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं।

जहां तक अन्य प्रश्नों को सम्बन्ध है। हम सभी राज्यों को पारेषण और वितरण घाटा नियन्त्रित करने के बारे में समय-समय पर हिदायतें देते रहते हैं। हम शल्क की दरें निर्धारित करने आदि वितरण प्रणाली के निजीकरण के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कह रहे हैं। अतः हम निगरानी रख रहे हैं और समय-समय पर हिदायतें देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, अगस्त के महीने में प्रधान मंत्री जी सभी मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की एक बैठक बुलाने जा रहे हैं जो इस बात पर विचार करेगी कि पारेषण और वितरण घाटे को कैसे पूरा किया जाये, राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कैसे किया जाये और उन्हें अर्थक्षम कैसे बनाया जाये?

जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है, माननीय प्रधानमंत्री सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करना चाहते हैं।

जहां तक राख अंश का सम्बन्ध है, जैसाकि आप जानते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रधान मंत्री जी इस सुझाव से सहमत हो गये हैं कि सम्बन्धित विभाग द्वारा एक धोवनशाला की स्थापना की जानी चाहिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले, उन्हें उत्तर देने दें।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जहां तक रखरखाव के अभाव तथा भ्रष्टाचार के आरोपों का सम्बन्ध है। हम समय-समय पर हिदायतें देते रहते हैं। मुख्य रूप से राज्य विद्युत बोर्ड इस में अंतग्रस्त हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह : चन्दूमाजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो रिप्लाई दिया है, इन्होंने तो यह पूछा था कि एग्रीकल्चर सैक्टर में सरकार की तरफ से जो सब्सिडी बढ़ाई जाती है, क्या उसके टैरिफ का रेट इन्क्रीज करके इस प्राब्लम को सॉल्व करेंगे? मैं समझता हूं कि जो अनयूटिलाईज्ड प्लांट्स हैं, उन पर पूरी तरह लागू किया जाये। पंजाब में रोपड़ थर्मल पॉवर प्लांट के 6 यूनिट्स में से दो यूनिट्स चलते हैं, इसी तरह भटिंडा के सिर्फ दो यूनिट्स चल रहे हैं। कोयले की कमीं और उसकी क्वालिटी खराब आ जाती है तो प्लांट से खराबी आ जाती है। इसी तरह हरियाणा का पानीपत यूनिट खड़ा रहता है। इसलिये अनयूटिलाईज्ड और अंडर-यूटिलाईज्ड पॉवर प्लांट्स की कैपेसिटी में जो खराबी है और जैसा सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2000 मिलियन से ज्यादा खराबी पिछले पांच वर्षों में बढ़ी है तो क्या सरकार इसको दूर करने के लिये तैयार है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि को-जैनेरेशन प्लांट्स के लिये सरकार रुपया फिक्स करती है, वे अनयूटिलाईज्ड रह जाते हैं। सरकार ने 75 प्रतिशत फिक्स किया है लेकिन उसका यूटिलाईजेशन नहीं हुआ है। शुगर मिल में 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है जो सिर्फ 10 मेगावाट पैदा कर रहा है। सरकार इस घाटे को पूरा कर सके या खराबी को दूर कर सके, मैं समझता हूं इसके लिये टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन सरकार फिर भी बढ़ा देती है। इसी तरह पंजाब में तीन साल से बढ़ा तो दिया लेकिन वहां पर 24 घंटों में से 4 घंटे ही बिजली देती है। क्या उसी ऐवरेज पर रेट देंगे? कई बार बॉयलर, टरबाईन और ट्रांसमीशन में खराबी आ जाती है, तारे टूट जाती हैं, 10-10 दिन तक उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, बिजली बोर्ड के बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती हैं। करोड़ों रुपया इसी तरह से नष्ट हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर पॉवर सैक्टर में इन सारी खराबियों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : माननीय सदस्य ने पारेषण के बारे में पूछा है। मैं उनसे सहमत हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, पारेषण घाटा ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, बिजली की चोरी और बिना मीटर के बिजली की सप्लाई से होता है। इन सभी कारणों से घाटा हो रहा है।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, उन्होंने रोपड़ और भटिंडा विद्युत घरों का उल्लेख किया। अब वे 60 प्रतिशत से अधिक पी.एल.एफ. पर चला रहे हैं। कुछ दिन कोयले की सप्लाई कम थी क्योंकि मुगलसराय के निकट एक रेल दुर्घटना हो गई थी। अब हम पी.एल.एफ. बढ़ा रहे हैं और ज्यादा कोयला प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम कोयले का आयात भी कर रहे हैं। हम इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई एन.टी.पी.सी. की पांच प्रतिशत बिजली और औरैया जी.वी.एस. की आवंटित न की गई पूरी बिजली सप्लाई करके अतिरिक्त बिजली की पूर्ति कर रहे हैं। हम इस प्रयोजनार्थ चामेरा एच.पी.एस. को भी पूरी बिजली दे रहे हैं जिसमें 15.3 प्रतिशत आवंटित न की गई बिजली भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में एक तरह से बिजली का क्राइसैंस है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री मुण्डे जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा है कि कोयले पर चलने वाली जो पॉवर हाऊस महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट को दो-तिहाई कोयला मिलता है और वह भी बेकार क्वालिटी का मिलता है। चंद्रपुर थर्मल का टैण्डर मैंने देखा। वहां कोयले में इतने पत्थर मिले होते हैं कि एक पॉवर हाऊस 35 लाख रुपए का टैण्डर एक साल के लिए कोयले में पत्थर चुनने का देता है। विदर्भ में इतना कोयला है कि 50 साल तक आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां जितना कोयला है, वह आप निकालते नहीं हैं। जान-बूझकर शॉर्टेज क्रियेट कर रखी है। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। यह नेशनल क्राइसेंस है, मैन-मेड क्राइसेंस है, वैस्टेड इंटरस्ट्स द्वारा क्रिएट किया हुआ क्राइसेंस है। आप इसका जवाब दीजिए कि आप इसमें क्या सुधार करेंगे? कौल कंपनी पर आपका कंट्रोल है या नहीं? कोल इंडिया भ्रष्टाचार कर रही है। प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स को ब्लैक में कोयला देते हैं। पॉवरहाउस को बिल्कुल बरबाद कर रहे हैं। इस पर हम आपका स्पष्ट जवाब चाहते हैं।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : हम समय-समय पर हिदायतें देते रहते हैं। विद्युत मंत्री भी कोयला और रेल मंत्रियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित करते रहते हैं। अब कोयला मंत्रालय एक धोवनशाला अपने पास रखेगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। पॉवर जनरेशन कम हो रहा है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जनरेशन कम होने के बहुत से कारणों में एक कारण है कि घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई हो रही है। घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई का जवाब माननीय मंत्री नहीं दे सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि कोयले की कमी किसी भी थर्मल पॉवर स्टेशन में नहीं है। किस थर्मल पॉवर स्टेशन को किस ग्रेड के कोयले की जरूरत है, उस हिसाब से उसको सप्लाई किया जाता है। मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। क्या उसके रीस्ट्रक्चरिंग करने से घाटा कम हो जाएगा? क्या जो टैरिफ भरने की बात की जा रही है किसानों पर किसी क्षेत्र में क्या उसको नहीं बढ़ाया जाएगा? मेरी अपनी समझदारी यह है कि राज्य के बिजली बोर्डों को पुनर्गठित करने से और घाटा

बढ़ेगा। यह वर्ल्ड बैंक के इशारे पर ऐसा काम करने जा रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि राज्य के जो बिजली बोर्ड हैं, उसके घाटे को कम करने के लिए क्या नीतिगत निर्णय लेना चाहते हैं इस संबंध में सरकार संबंधित राज्य सरकारों की बैठक बुलाकर, पोलिटिकल पार्टीज की बैठक बुलाकर, ट्रेड यूनियन्स की बैठक बुलाकर, बिजली बोर्ड में मजदूरों की भागीदारी बढ़ाकर घाटा कम करने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी अगले महीने सभी सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुला रहे हैं।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष हमें 1800 लाख टन कोयला मिला जबकि हमारी आवश्यकता 1900 लाख टन थी। इस वर्ष हमें 2100 लाख टन कोयले की जरूरत है और कोल इण्डिया 1900 लाख टन कोयला देने के लिए सहमत हो गया है। अतः हम कोयले का आयात कर रहे हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय भी आयात शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के लिए सहमत हो गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है। यह दो भागों में है।

पहला भाग यह है कि क्या उनके पास कोई अनुमान है? यदि वह बेहतर आदान के जरिये बिजली के उत्पादन में बचत करते हैं और स्थानीय संस्थाओं आदि के जरिये वितरण प्रणाली पर बेहतर नियंत्रण द्वारा वितरण के मामले में बचत करते हैं तो लागत में कितनी कमी लाई जा सकती है? क्या लागत औसत मूल्य से, जिस पर यह बेची जाती है, कम होगी?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। क्या पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि से हुए अनुभव के आधार पर वह महसूस करते हैं कि प्रारम्भिक अर्थात् उत्पादन की बजाय अन्तिम चरण अर्थात् उत्पादन चरण में मूल्य बढ़ाना बेहतर है? अतः यदि मूल्य बढ़ावा बहुत जरूरी हो तो घरेलू क्षेत्र के स्तर पर, जो 90.97 प्रतिशत है। बढ़ाया जाना चाहिये और कृषि उत्पादन के मूल्यों में कोई परिवर्तन किये बिना समृद्ध वर्गों को इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मामले से राज्य सरकारों का ज्यादा सम्बन्ध है। विद्युत मंत्री सभी राज्य सरकारों को बिजली दरें निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था की स्थापना करने की हिदायतें दे रहे हैं।

हम वितरण के बारे में भी हिदायतें देने जा रहे हैं। अब हम इन वर्षों में बिजली के उत्पादन पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे। यदि हमें बिजली के उत्पादन के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की जरूरत होती थी तो वितरण के लिए केवल 25 करोड़ रुपये दिये जाते थे। अब बिजली के उत्पादन के लिए जितनी राशि दी जायेगी उतनी राशि बिजली के लिए भी दी जायेगी। अतः वितरण में कम से कम घाटा होगा और जो बिजली पैदा होगी वह जरूरतमंद उपभोक्ता तक पहुंचेगी।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में बिजली का उत्पादन करने के लिए दुर्लक्ष्य कर दिया गया है और हमारी जितनी क्षमता है उसका दोहन करने के लिए भी हमने कोई कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं बनाया है। चाहे एटोमिक इनर्जी हो, हाइडिल इनर्जी हो, चाहे थर्मल हो या बैस पर आधारित बिजली हो, इन सब से बिजली पैदा करने की दृष्टि से जितनी हमारी मांग है, उसकी पूर्ति तथा उत्पादन करने के लिए हमारी कोई योजना नहीं है और उसके कारण आज देश में बिजली की बहुत कमी होती चली जा रही है। स्थिति यह है कि मांग और पूर्ति का अंतर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो तीन-तीन साल तक किसानों को बिजली के कनेक्शन देने की दृष्टि से कोई योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है और स्थिति यह हो गई है कि इस साल कितने किसानों को बिजली मिलेगी, इसकी भी कोई निश्चित योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को बिजली देने की दृष्टि से सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम या योजना बनाई गई है। कृषि के उत्पादन की दृष्टि से बिजली उत्पादन, बिजली सप्लाई की कोई योजना क्या सरकार बनाने वाली है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : अभी तक सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की है क्योंकि पन, ताप और अणु इकाईयों में सर्वेक्षण के अनुसार अधिक लागत है। हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाती है, कृषि, घरेलू और उद्योग। मैं यह जानना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी बिजली की खपत है और जितनी बिजली की खपत है उतनी मात्रा में वसूली होती है या नहीं और कितनी बिलिंग होती है? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि पावर की चोरी कितने प्रतिशत है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की खपत का सम्बन्ध है। 38 प्रतिशत बिजली कृषि क्षेत्र को जाती है, 38 प्रतिशत बिजली औद्योगिक क्षेत्र को जाती है और 18 प्रतिशत बिजली की खपत घरेलू क्षेत्र में होती है और शेष छः प्रतिशत बिजली

का प्रयोग रेल कर्षण और अन्य व्यय जैसे विविध प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

जहां तक बिजली की चोरी का सम्बन्ध है, यह मुख्य रूप से मीटर न लगाये जाने और अधिकारियों द्वारा अनियामत वसूली किये जाने से होती है और इससे राज्य विद्युत बोर्डों का सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैंने पूछा था कि बिलिंग का प्रतिशत क्या है? माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया

[अनुवाद]

डा. एस. वेणगोपालाचारी : यह 20 प्रतिशत है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक नीति विषयक मामले के बारे में जानना चाहता हूं। चूंकि यह तथ्य है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड लगातार राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं और राज्य सरकारें धनराशि के अभाव में भारत सरकार से धनराशि की मांग करती रही हैं और वे बायलरों आदि की मरम्मत के लिए संयंत्रों और मशीनों को सुधारने और क्षमता बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं और चूंकि यह भी तथ्य है कि ऐनरान, कोजेन्टरिक्स, हाइयुनडाई, मितसूबीशी आदि जैसी विदेशी कम्पनियां पहले ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और सरकार उनको अलग स्वतंत्र रूप से परियोजनाएं आरम्भ करने की अनुमति दे रही है, क्या सरकार राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी क्षमता बढ़ाने, अपने बायलरों की मरम्मत के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ मिल कर काम करने के लिए राजी करेगी? क्या सरकार विदेशी कम्पनियों को यह कहकर बाध्य करेगी कि निविदा हासिल करने के बाद कोई कम्पनी एक राज्य में पूरी परियोजना तभी पा सकेगी जब वे स्वतंत्र परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में सुधार के कार्यक्रम को भी अपनी संयुक्त जिम्मेदारी समझेंगी ताकि राज्य और केन्द्र के कोष पर बोझ कम पड़े और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले उत्पादन कार्यक्रम में सुधार हो? क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और उन बड़ी कम्पनियों को बाध्य करेगी? अन्यथा आप उनका वित्तपोषण नहीं कर सकते और बन्द हो जायेंगे और अन्ततः कम्पनियां आयेंगी और आपसे अधिकाधिक धनराशि की मांग करेंगी और हमारा राज्य क्षेत्र का समूचा प्रयोजन नष्ट हो जायेगा।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, घाटे और शुल्क दरें निर्धारित करने का काम राज्य विद्युत बोर्डों का है और राज्य सरकारों की सहमति कृषि के क्षेत्र में किसानों को आर्थिक सहायता देने जैसे राजनैतिक दृष्टिकोणों तथा राजनैतिक उद्देश्यों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों को उनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। राज्य विद्युत बोर्ड तो बिजली सप्लाई करने के लिए तैयार हैं लेकिन राज्य सरकारें विद्युत बोर्डों को आर्थिक सहायता नहीं दे रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों तथा विश्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है। विदेशी कम्पनियों ने पारेषण और वितरण घाटे को रोकने का प्रस्ताव भी रखा है। छः राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं। हम शेष राज्यों से भी इस पर अमल करने के लिए कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का भयंकर संकट है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से परिचित हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले साल भी तीन-चार घंटे भी किसानों को सरकार बिजली नहीं दे पाई। इस साल की स्थिति तो और भी भयावह है। पिछले साल भी मध्य प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन बिना बोए रह गई थी। अगर इस साल स्थिति नहीं सुधारी गई तो जितनी बिजली पिछले साल हमने दी थी वह भी नहीं दे पाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि आम किसानों के लिए बिजली की इस व्यवस्था में सुधार के लिए और कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली किसानों को दी जा सके।

मेरा दूसरा सवाल यह है जब प्यास लगती है तो हम कुआं खोदते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न पूछिए, बहुत पूछने वाले हैं।

श्री शिवराज सिंह : मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगले 20-25 सालों के लिए देश की बिजली की आवश्यकता कितनी है और उसकी पूर्ति के लिए कोई दीर्घावधि योजना सरकार बनाएगी?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने शुल्क की वसूली के लिए स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए सभी राज्य विद्युत बोर्डों को हिदायतें दी हैं। शुल्क की वसूली के लिए एक बार ऐसी संस्थाओं की स्थापना हो जाने पर पारेषण और वितरण घाटे को रोकने के लिए बेहतर निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य में जितनी भी बिजली पैदा होगी वह किसानों को उपलब्ध कराई जायेगी। हम सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्डों में गैर-सरकारी भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की प्रति मेगावाट उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। तीन वर्ष पूर्व पन बिजली की प्रति मेगावाट उत्पादन लागत करीब 2 करोड़ रुपये थी और अब यह बढ़कर 3 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि दोनों औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में बिजली की खपत 35 और 40 प्रतिशत के बीच कहीं है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने

औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में इस स्तर की खपत की मांग को पूरा करने के लिए और बिजली उत्पादन के परम्परागत तथा गैर-परम्परागत तरीकों से अधिक बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई वृहद योजना बनाई है। बिजली पानी, कोयले, परमाणु आदि जैसे कई तरीकों से पैदा की जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विकसित, अविकसित पिछड़े और उन्नत क्षेत्रों समेत देश के सभी भागों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई वृहद योजना बनाई है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : भारत सरकार ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों पर भी विचार कर रही हैं। यह बहुत जरूरी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में आगे हैं। सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा के बारे में एक वृहद योजना बनाई है।

[हिन्दी]

एनरॉन

***282. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनरॉन परियोजना को रद्द करने का निर्णय कब लिया था;

(ख) केन्द्र सरकार ने किस आधार पर और किन कारणों से इस परियोजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कंपनी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का भी कोई कोशिश की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र सरकार ने 03.8.1995 को डाभोल विद्युत परियोजना के चरण-1 का परित्याग कर दिया गया था और चरण-2 को रद्द कर दिया था।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बातचीत के बाद फरवरी, 1996 में इस परियोजना को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय लिया। भारत सरकार के प्रति गारंटी करार के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षानुसार महाराष्ट्र सरकार के इस परियोजना को पुनरुज्जीवित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में विद्युत क्रय करार मे संशोधनों के संबंध में भारत सरकार ने अपनी अनापत्ति प्रेषित की थी।

(ग) डाभोल विद्युत कंपनी ने 31 जुलाई, 1996 तक की अवधि हेतु परियोजना के लिए वित्त पोषण पुनः आरंभ किए जाने में हुए विलंब के संबंध में विलंभ एवं विघटन लागतों के अपने दावे को छोड़ दिया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस परियोजना का महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 3.8.95 को परित्याग कर दिया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो परित्याग इतनी बड़ी स्कीम का हुआ, इसके क्या कारण थे तथा दिनांक 3.8.95 को इस योजना के परित्याग करने के बाद पुनः फरवरी 1996 को इसको लागू करने का फैसला किया गया, तो इसमें कौन-कौन से आदमी इन्वाल्व हैं जिन्होंने इसमें पैसा खाया? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इसमें सी.बी.आई. की जांच कराने के लिए तैयार है?

[अनुवाद]

डा. वेणुगोपालाचारी : यह महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है। यह राज्य सरकार का विषय है और केन्द्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का रिप्लाई ठीक से नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो परित्याग किया गया है उसमें क्या महाराष्ट्र की सरकार इन्वाल्व है? दूसरी बात यह बताइए कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को चलाने से पहले भारत सरकार से अनुमति ली थी यदि हां तो महाराष्ट्र सरकार से भारत के पास प्रपोजल कब आई और कब आपने किस आधार पर उसको स्वीकृत किया?

मैं अपने अनुपूरक प्रश्न के भाग ख में यह जानना चाहूंगा कि जो परित्याग हुआ है उसमें 4.49 करोड़ रुपये के हिसाब से एक मेगावाट बिजली बनाने में खर्च दिया गया है उसको आपने रिवाइस करके 2.94 बताया है। पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन्स बनायी गयी थी उसमें 4.49 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान दिया था लेकिन उसके बाद आपने इसको रिवाइस किया तो करने में कितना पैसा कम हुआ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पहले 4.49 का जो एग्रीमेंट किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया और आपने 2.94 का रिवाइस किया, वह किस आधार पर किया गया? आप इसके बारे में विस्तार से बताइये क्योंकि आपने मेरे पहले प्रश्न का जवाब ठीक से नहीं दिया है।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, डाभोल पावर कारपोरेशन और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उसके बाद यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। मूल अनुमानों के अनुसार, पहले और दूसरे चरण की पूंजीगत लागत, जिनकी क्षमता 2015 मेगावाट थी, करीब 9051 करोड़ रुपये थी। उसके बाद इसकी लागत में संशोधन किया गया और पुनः यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए आया। केन्द्र सरकार ने संशोधित प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।

प्रारम्भिक लक्ष्य के अनुसार, पहले चरण की क्षमता 695 मेगावाट थी। यह क्षमता बढ़ाकर 740 मेगावाट ही नहीं की गई अपितु पूंजीगत लागत में भी कमी की गई। इसके अतिरिक्त, 30 प्रतिशत इक्विटी महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अथवा इसके मनोनीत को दी गई। इस परियोजना में कच्चे माल के रूप में नाफथा का इस्तेमाल किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध है। राज्य सरकार ने संशोधित पी.पी.ए. केन्द्र सरकार के सामने रखा जिसके लिए 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र दे दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है, उससे मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो एनरॉन की स्कीम लगाई गयी है, उसमें आपकी तरफ से कितने इंजीनियर्स को, कितने लेबरर्स को रोजगार दिया गया है? क्या इसके बारे में आपने कोई प्रावधान किया है या यह भी महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र बिजली बोर्ड से पूछना पड़ेगा। आप हमको डिटेलवाइस बताइये कि इससे महाराष्ट्र सरकार को कितना लाभ हुआ है क्योंकि इसमें काफी घाटा हुआ है। इसमें पहले ही काफी देर हुई व पता नहीं कितने आदमी इसमें घूसखोरी में फंसे हुए हैं जिन्होंने जल्दी-जल्दी इसका एग्रीमेंट कर दिया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ क्योंकि जो अफसरों ने लिखा है, उससे कोई बात नहीं बनती। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने से कोई बात नहीं बनती, यह बहुत अहम मामला है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप यह बतायें कि इस प्रोजेक्ट में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य जो लोग हैं, उनको लगाया गया है। आप इसकी डिटेल हमें बतायें व यह भी बतायें कि पर यूनिट जो खर्चा बैठता है और पर यूनिट मेगावाट के बारे में आपने जो जिक्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : इसमें से जो रिवाइस किया गया है उससे क्या लाभ हुआ? मैं समझता हूं कि इससे लाभ नहीं नुकसान होगा। आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से जवाब दीजिये।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जहां तक इस परियोजना में काम कर रहे इंजीनियरों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक गैर-सरकारी परियोजना है जिसमें महाराष्ट्र सरकार सहयोग दे रही है। इस परियोजना में महाराष्ट्र के कितने स्थानीय इंजीनियर अथवा अन्य इंजीनियर काम करते हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह एक गैर-सरकारी परियोजना है। हमारे पास इस प्रकार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने बिजली की दरें निर्धारित करने के लिए 1996-97 को आधारवर्ष माना है। उस समय क्षमता एक रुपया 22 पैसे थी और कुल शुल्क 1997 के आधार पर 2.40 था 1995 के आधार पर कुल शुल्क 1.90 था।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जब एनरॉन परियोजना को पहली बार लागू किया गया था तो कन्ज्यूमर्स को देने के लिए बिजली के क्या रेट्स थे और उसको कैंसल करने के बाद जब दुबारा पुनर्जीवित किया गया तो उस समय कन्ज्यूमर्स के लिए कौन से रेट्स थे? इसके कारण महाराष्ट्र सरकार को कितने करोड़ रुपये की बचत हुई और कितना लाभ हुआ? यह योजना कब तक पूरी की जाएगी?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जहां तक शुल्क निर्धारित करने का सम्बन्ध है, यह काम महाराष्ट्र सरकार का है। आरम्भ में कुल शुल्क 2 रुपये 40 पैसे निर्धारित किया गया था। अब उन्होंने एक रुपये 90 पैसे का प्रस्ताव भेजा है।

परियोजना बहुत जल्द शुरू हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एनरॉन को क्लीयरैंस मिल गई, युनाइटेड फ्रंट की सरकार है तो कोजैट्रिक्स को मिल जाएगी या मिल गई होगी। लेकिन और भी कई प्रदेश हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि, जहां के बिजली कारखानों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न एनरॉन के बारे में है। जो भी पूछना है, उसी पर पूछिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास और राज्यों के जो प्रपोजल्स हैं, उन सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कब तक क्लीयरैंस देंगे ताकि देश में बिजली का उत्पादन बढ़ सके? देश का आम आदमी बिजली से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए और राज्यों के बिजली कारखानों को कब तक मंजूरी देंगे?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आठ तेजी से पूरी होने वाली परियोजनायें आरम्भ की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार काउंटर गारंटी भी दे रही है।

हाल ही में डाभोल परियोजना को स्वीकृति भी दी गई। शीघ्र ही आंध्र प्रदेश की जी.वी.के. परियोजना और अन्य तेजी से पूरी होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी। उनका पी.पी.ए. अन्तिम चरण में है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृति के लिए भेजे हैं।

जहां तक गैर-सरकारी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी अधिकांश परियोजनायें राज्य स्तर की हैं। हमने गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू होने वाला नियम और विद्युत नीति सरल बना दी है। जहां तक उन्हें मंजूरी देने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने एनरॉन परियोजना किस कारण से रद्द करने का निर्णय लिया था? उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसे दुबारा चालू करने का निर्णय लिया था? उस परियोजना को बन्द करने का क्या कारण था और दुबारा चालू करने का क्या कारण है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इस मामले से महाराष्ट्र सरकार का सम्बन्ध है। पी.पी.ए. को अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव उनकी ओर से ही आता है।

महोदय, जहां तक परियोजनाओं की समीक्षा करने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना की इस उप समिति के लिए 3.5.95 को मंत्रिमंडल की एक उप-समिति का गठन किया। चरण एक को अस्वीकृत कर दिया और परियोजना के चरण दो को इन कारणों से रद्द कर दिया अर्थात् (1) इसके लिये कोई प्रतियोगी निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी, (2) डाभोल पावर कारपोरेशन के साथ गुप्त रूप से सौदा हुआ और इसमें पारदर्शिता नहीं रही, (3) पर्यावरण कारक, (4) अवास्तविक पूंजीगत लागत और (5) उच्च दरें।

वह इन कारणों से परियोजना की समीक्षा करना चाहती थी। परियोजना की समीक्षा के बाद उसने समझौता करने के लिए दल बनाया। इस दल ने विचार-विमर्श के बाद डाभोल परियोजना के चरण एक और चरण दो की स्वीकृति दे दी।

जहां तक निलम्बन के कारणों का सम्बन्ध है, उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिश के पश्चात् ही उसने यह तरीका अपनाया है। उस उच्च शक्ति प्राप्त समिति में तकनीकी कार्मिक भी थे।

विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही उसने इसे मंजूरी दी। समिति में बातचीत के बाद उसने समीक्षा के कारणों, पूंजीगत लागत में कमी, बिजली की दरों में कटौती आदि पर विचार किया और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। एल.एन.ए.जी. का वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर विचार किया। जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, 30 प्रतिशत आवंटित की गई है। वह पर्यावरण सम्बन्धी रक्षोपायों, इसके समिति के रूप में राज्य सरकार द्वारा इक्विटी में भागीदारी तथा डाभोल को प्रोत्साहन देने जैसे पहलुओं की ओर भी ध्यान देता है। इन कारणों से उन्होंने परियोजना की समीक्षा की और काउंटर गारंटी के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पहले जो एनरॉन परियोजना को मंजूरी दी थी, उसमें महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का कितना सहभाग था और अभी जो मंजूरी दी है, उसमें कितना सहभाग है? इसके लिए मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। पहले योजना में सहभाग नहीं था और ज्यादा दर थी, इसके लिए जवाबदार कौन है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यह, महाराष्ट्र की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे : पहले इसमें जो मंजूरी दी थी, उसमें आपने काउंटर गारंटी दी थी, इसलिए उसमें केन्द्र सरकार जवाबदार है, आप बताइये।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

***283. डा. अरुण कुमार शर्मा :**

श्री केशव महन्त :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत असम की जनजातियों को ऋण/रियायतें दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में राज्य के सभी जिले शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरनायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां अर्जित करने हेतु ऋण एवं सब्सिडी दी जाती है।

1995 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए असम के सभी जिलों को कुल 3186.62 लाख रुपये की निधियां (केन्द्रीय एवं राज्य अंश) दी गई थी। बैंकों द्वारा 4117.79 लाख रुपए का ऋण भी दिया गया था।

कुल 59030 लाभर्थी परिवारों से सहायता दी गई थी जिनमें से 14201 परिवार अनुसूचित जनजाति के थे।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मान्य तथ्य है कि पूर्वोत्तर भारत के सभी ग्रामीण लोग बहुत ही निर्धन हैं और उस क्षेत्र के अधिकांश आदिमजाति के और अनुसूचित जाति लोग गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर के हैं। इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के आमदनी जुटाने वाली कुछ आस्तियां देकर उनका उदार करना और उनकी हालत में सुधार लाना था।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि असम से धेमाजी, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों में, जहां जनजातिय लोग रहते हैं, आमदनी जुटाने वाली कौनसी आस्तियां दी गई हैं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने का ऋण से जुड़ा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। अब तक पिछले वर्ष 1995-96 में 59,926 परिवारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिये गये हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाईयां हो रही हैं। कुछ राज्यों में जिला मुख्यालयों में बैंक की सुविधायें नहीं हैं। उन विशेष गैर-बैंककारी इलाकों में हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। पिछले वर्ष उस राज्य में लाभार्थियों के रूप में 14,201 परिवारों की पहचान की गई थी और उन्हें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता तथा बैकों से ऋण की सुविधा प्रदान की गई थी।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 59,000 परिवारों में से 14,000 जनजातीय परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से लाभान्वित होने वाले जनजातिय परिवारों की संख्या अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या से कम है। मैं मंत्री जी से असम राज्यों में इन लाभार्थियों का जिलेवार ब्यौरा भी जानना चाहता हूं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : असम राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अनुसूचित जनजाति लोगों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक है।

पिछले वर्ष हमने 8,000 अनुसूचित जाति के और 14,000 अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता दी थी। इस वर्ष 1996-97 में भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में कुल 2,743 लाख रुपये दिये गये हैं। जनजातियों की संख्या अधिक है। हम जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। बैंककारी ब्लाक न होने पर भी कई जनजाती आगे आये हैं। हम उन विशेष जिलों के जनजातियों को इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सहायता दे रहे हैं।

श्री केशव महन्त : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के निर्धन लोगों की सहायता करने में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि वर्ष 1995-96 के दौरान असम को 3,186.62 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें केन्द्र ने कितनी राशि दी और राज्य ने कितनी राशि दी।

बैंक भी इस योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं और गांवों के गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और यदि हां तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि लोग बिना किसी कठिनाई के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकें।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 41,86,00,000 रुपये की राशि दी गई थी और इस में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का 50:50 हिस्सा था। 41,00,00,000 रुपये की इस राशि में से पचास प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई थी और बाकी पचास प्रतिशत केन्द्र द्वारा दी गई थी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ कठिनाईयां सामने आई हैं। पूर्वोत्तर, राज्यों में जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है वे हैं बैंककारी सुविधाओं का अभाव, विद्रोह तथा संचार सुविधाओं का अभाव। हम उन विशेष खण्डों में कुछ करना चाहते हैं जहां बैंककारी सुविधाओं का अभाव है। हम विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा इन जातियों को राज सहायता दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : असम में वर्ष 1994-95 में आई.आर.डी.पी. के तहत भौतिक और आर्थिक लक्ष्य क्या रखा था और उसके विरूद्ध उपलब्धि क्या रही? क्या शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था की

गई है कि जिन लोगों को आई.आर.डी.पी. के तहत सब्सिडी या ऋण दिया जाता है, जिससे उनकी आय या रोजगार में वृद्धि हो, क्या आप उसका सर्वेक्षण कराते हैं, यदि हां, तो कितने लोगों का परीक्षण कराया गया और उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ?

पूर्वाह्न 11.53 बजे

[अनुवाद]

इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ शोर सुनाई दिया।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीबी दूर करने के लिए ऋण से जुड़ा एक प्रमुख स्वनियोजन कार्यक्रम है। सर्वेक्षण किये जाते हैं काफी सुधार हुआ है। अनेकों लाभार्थी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गये हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा था, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने यह पूछा था कि भौतिक और आर्थिक लक्ष्य क्या था और उसके विरूद्ध उपलब्धि क्या रही? क्या इस बात की सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है कि जिन लोगों को आई.आर.डी.पी. के तहत ऋण सुविधा दी जाती है उससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 1995-96 में असम राज्य को 93.81 प्रतिशत उपलब्धि हुई। उनकी उपलब्धि लगभग 100 प्रतिशत रही। जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का सम्बन्ध है, मंत्रालय ठोस कार्यवाही करने के उद्देश्य से कार्यक्रम की खूबियों तथा कमियों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण करता है। चौथे दौर में 50.4 प्रतिशत परिवार 6,400 रुपये प्रतिवर्ष की गरीबी की रेखा को पार कर सके जबकि 1989 के दौरान केवल 28 प्रतिशत परिवार ही गरीबी की रेखा को पार कर सके थे।

विशेष रूप से असम राज्य में 100 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष भी हम कार्यान्वयन के लिए अधिक धनराशि दे रहे हैं। असम सरकार धनराशि उसी वर्ष खर्च कर रही है।

डा. असीमबाला : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन परियोजनाओं से कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस प्रश्न के भाग क और ख का सम्बन्ध पशुधन परियोजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों से है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्ट उत्तर दें।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : 1980-81 से अब तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 490 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।...**(व्यवधान)**

डा. असीम बाला : मैं जानना चाहता हूं कि पशुधन के माध्यम से कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : 25 प्रतिशत लाभार्थी पशुपालन क्षेत्र के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा

***284. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजसहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). सरकार विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे सब्सिडी, उदार ऋण तथा कर प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना तथा प्रयोग को बढ़ावा देती रही है।

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण ऊर्जा पद्धतियों के क्षेत्र उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। अभी तक कुल 24 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 1600 सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र, 225 लाख सुधरे हुए चुल्हे, 37,000 सौर घरेलू रोशनी यूनिटें, 81000 सौर लालटेनों तथा 1500 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपिग पद्धतियां स्थापित की गई हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 740 मेवा. क्षमता सहित पवन फार्म स्थापित करके उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यक्रमों के लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश

में किन-किन जिलों में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम लागू है? इससे कितने ग्राम लाभान्वित हुए हैं?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, इन दिनों उत्तर प्रदेश सौर पीवी लैंटर्न स्थायी प्रकाशों के मामले में आगे हैं। भारत में कुल लैंटर्न की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक लैंटर्न उत्तर प्रदेश में हैं। इसी प्रकार 75 प्रतिशत से अधिक स्थायी प्रकाश, करीब 13 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र, करीब 12 प्रतिशत सुधरे चूल्हे उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 286 पहाड़ी और आगम्य गांवों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव रखा है जिसका खर्च अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने यह जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों को आपारंपरिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : अठासी ब्लाक लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल में अपारंपरिक ऊर्जा से कितने ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं और सहायता के रूप में इस मंडल को कितना पैसा दिया गया है? यदि पैसा दिया गया है तो इसमें अनुसूचित जाति के कितने परिवार लाभांवित हुए हैं?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, राज्य के प्रायः सभी जिले लाभान्वित हो रहे हैं।

जहां तक झांसी सम्बन्ध है, मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पहले से कार्यक्रम रहे हैं या माननीय सदस्यों की अनुशंसाओं के आलोक में प्रत्येक वर्ष कुछ गांवों को ऊर्जा ग्राम घोषित करके वहां पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता रहा है? मैं बिहार से आता हूं। दसवीं लोक सभा में भी हमने इस पर प्रकाश डाला था और तब से ऊर्जा ग्राम बनाने के लिए जो हमने प्रस्ताव दिया था, अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के सुझावों के आलोक में ऊर्जा ग्राम बनाने संबंधी सरकार का कार्यक्रम कब तक पूरा होगा?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, हम इस वर्ष से इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री जगमोहन : मेरा प्रश्न लद्दाख में ऊर्जा के पुनः स्रोतों के बारे में हैं। एक वर्ष के 365 दिनों में से 328 दिन लद्दाख में सूरज का पूरा प्रकाश होता है। उस क्षेत्र में बिजली बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग करने हेतु कौन-सी परियोजनायें हाथ में ली गई हैं? यदि यह बिजली उपलब्ध की जाये तो लद्दाख में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ऊंचाई काफी होने के कारण यह आसानी से मिल सकती है। वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वहां पर ऐसे उपकरण भी उपलब्ध हैं जिनसे आप उस क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

वास्तव में लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जिसको पूरे विश्व में सौर ऊर्जा प्राप्त करने को बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र समझा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्रोत जिस पर अधिक लागत नहीं आयेगी, का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, लद्दाख में सौर ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसका प्रयोग सौर वाटर हीटरों तथा सौर प्रकाश के लिए किया जा रहा है। हम सौर कुकरों को लिए इनका प्रयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

"कपार्ट"

***285. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कपार्ट" के माध्यम से गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) गुजरात और बिहार के स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध अब तक प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध कापार्ट को मिली शिकायतों के इसने मिले-जुले एवं अलग रिकार्ड नहीं रखे हैं। तथापि, कापार्ट को मिली शिकायतें अन्य बातों के साथ-साथ निधियों के दुरूपयोग, झूठी सूचना देने, दस्तावेजों में हेराफेरी आदि से संबंधित हैं। जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच या तो कापार्ट के अधिकारियों द्वारा कापार्ट द्वारा नियुक्त मानीटरों द्वारा की जाती हैं। यदि प्रथम दृष्टि में कोई मामला बनता है, तो संगठन से अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा जाता है इसके पश्चात् यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है तथा उस पर आगे और अनुदान पाने पर रोक लगा दी जाती है। अन्य जो कार्रवाई की जाती हैं उनमें दोषी संगठनों से निधियों की वसूली कानूनी कार्रवाई आरंभ करना मामलों को पुलिस को सौंपना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना

***286. श्री मोहन रावले :**

श्री बृजमोहन राम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक नेहरू रोजगार योजना के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और इस योजना को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) नेहरू रोजगार योजना शुरू किए जाने के समय से 31 मार्च, 1996 तक कुल आवंटित एवं जारी की गई राशि, उपयोग में लाई गई तथा अप्रयुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि के कम उपयोग किए जाने को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में जारी की जाने वाली धनराशि में उसके अनुरूप कटौती की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इस कटौती के परिणामस्वरूप योजना लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) लक्ष्य की तुलना में 31.3.1996 तक की लब्धियां इस प्रकार हैं :—

		लक्ष्य	लब्धि
(एक)	लघु उद्यम स्थापना में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	7.23 लाख	7.81 लाख
(दो)	उत्पन्न श्रम-दिवस	449.76 लाख	449.17 लाख
(तीन)	नवनिर्मित/नव निर्माणा-धीन मकानों की संख्या	8.00 लाख	3.97 लाख

योजना लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किये गये विभिन्न उपाय इस प्रकार है :—

(एक) शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) के कार्यान्वयन में व्याप्त समस्याओं रुकावटों के निवारण हेतु संस्थागत वित्त पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। समिति की बैठकों का समय-समय पर आयोजन होता है।

(दो) सचिवों के स्तर पर नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(तीन) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अन्तराल पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(चार) योजना के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य शहरी विकास एजेन्सी (सूडा) और जिला शहरी विकास एजेन्सी (हूडा) का गठन करके राज्य/संघ राज्य स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया गया।

(पांच) लाभार्थियों की पहचान के लिए, विभिन्न प्राधिकरणों (बैंकों सहित) युक्त प्रत्येक शहर के लिए कार्यदल का गठन किया गया।

(छः) 20 लाख से कम आबादी वाले सभी नगरों कस्बों में आवास तथा आश्रय सुधार योजना (शासू) लागू की गई।

(सात) समुचित मानिटरिंग के लिए प्रबंन्ध सूचना प्रणाली विकसित की गई।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सूचना विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ). अधिकांश राज्यों ने गत दो-वर्षों में प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया है। धनराशि का उपयोग न कर पाने के मुख्य कारण कुछ राज्यों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंन्सियों का यथोचित समन्वय का अभाव, बैंकों द्वारा परियोजनाओं के लिए कम धन देना, आवास तथा आश्रय सुधार स्कीम के तहत गारंटी देने में राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा आनाकानी करना।

(ङ) और (च). 1992-93 से यह प्रथा चली आ रही है कि चालू वर्ष के लिए धन राशि की अंतिम किस्त की अदायगी पिछले वर्षों में धन उपयोग स्तर के आधार पर की जाती है इस कारण योजना लक्ष्य पकड़ में नहीं आ पाते, क्योंकि जो राशि एक राज्य में खर्च नहीं हो पाती उसे अन्य ऐसे राज्य को दे दिया जाता है जहां इसका इस्तेमाल किया जा सके।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय नियतन*	जारी केन्द्रीय धनराशि*	उपलब्ध कुल राशि**	प्रयुक्त राशि*	अप्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4792.36	4842.04	7414.17	4336.44	3077.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	272.73	224.32	353.57	86.38	267.19
3.	असम	1173.51	1164.17	1781.23	983.58	797.65
4.	बिहार	4836.56	4379.56	6488.11	2734.70	3753.41
5.	गोवा	189.04	178.09	265.57	128.80	136.77
6.	गुजरात	2566.83	2378.30	3480.53	1542.87	1937.66
7.	हरियाणा	945.04	993.10	1519.42	1078.14	441.28
8.	हिमाचल प्रदेश	495.89	469.38	732.80	211.63	521.17
9.	जम्मू और कश्मीर	625.49	618.13	963.51	479.22	484.29
10.	कर्नाटक	4689.45	4244.28	6504.94	2590.77	3914.17
11.	केरल	1896.00	1934.40	2950.96	2314.03	636.93
12.	मध्य प्रदेश	5081.49	5332.70	8230.32	6135.71	2094.61
13.	महाराष्ट्र	5976.97	5697.45	8611.78	3566.17	5145.61
14.	मणिपुर	353.56	369.52	574.99	391.10	183.89
15.	मेघालय	251.64	222.36	345.31	151.11	194.20
16.	मिजोरम	190.83	193.86	297.82	294.34	3.48
17.	नागालैंड	291.67	171.32	277.95	-	277.95
18.	उड़ीसा	1726.27	1739.47	2606.75	1523.09	1083.66
19.	पंजाब	1567.40	1634.69	2464.43	1554.86	909.57
20.	राजस्थान	3248.59	3257.31	4939.55	3041.84	1897.71
21.	सिक्किम	198.69	206.58	320.61	212.80	107.81
22.	तमिलनाडु	5335.01	5488.39	8434.81	5112.30	3322.51
23.	त्रिपुरा	212.10	218.87	330.87	216.14	114.73
24.	उत्तर प्रदेश	12711.98	13187.75	19899.88	12100.97	7798.91
25.	पश्चिम बंगाल	4107.34	3736.22	5641.94	3122.60	2519.34
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	96.95	92.89	92.89	41.69	51.20

1	2	3	4	5	6	7
27.	चण्डीगढ़	140.32	122.65	122.64	53.64	69.00
28.	दादर और नगर हवेली	74.53	65.68	65.68	17.64	48.04
29.	दमन और द्वीव	140.74	119.76	119.76	47.35	72.41
30.	दिल्ली	282.07	210.07	244.23	105.53	138.70
31.	पांडिचेरी	180.78	161.28	340.95	72.33	268.62
	योग	63551.83	63185.21	96417.97	54247.77	42170.20

*1989-90 से 1995-96 तक

** केन्द्र राज्य अंश

कच्चे तेल के उत्पादन

***287. श्री एन.एस.वी. चित्थन :**

डा. साहेबराव सुकराम बामूल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कच्चे तेल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) घरेलू आपूर्ति से कितनी मात्रा में कच्चे तेल की पूर्ति होती है;

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान किस-किस देश से अनुमानतः कितनी-कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जाना है;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य का कच्चा तेल आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में कच्चे तेल की कुल मांग 61.66 एम एम टी है।

(ख) 1996-97 की ओ ई बी के अनुसार संसाधन के लिए घरेलू स्रोतों से उपलब्ध कच्चा तेल लगभग 34.020 एम एम टी है।

(ग) और (घ). 1996-97 की ओ ई बी के अनुसार आवधिकी संविदा और खुले बाजार से खरीद दोनों के अंतर्गत 3411.42 मिलियन अमेरिकी डालर के मूल्य की 26.62 एम एम टी की कुल मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है। 26.62 एम एम टी कच्चे तेल में से 19.75 एम एम टी कच्चा तेल आवधिक संविदा के अंतर्गत और शेष खुले बाजार से आयात करने की योजना है। जबकि खुले बाजार से निविदा के माध्यम से की जाने वाली खरीद विनिर्दिष्ट देशों से नहीं की जाती 1996-97 के दौरान आवधिक संविदा के अंतर्गत कच्चे तेल के आयात का स्रोतवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

देश	मात्रा (एम एम टी)
सऊदी अरब	6.00
कुवैत	4.50
संयुक्त अरब अमीरात	3.00
ईरान	3.50
रूस	0.75
नाइजीरिया	2.00
योग	19.75

(ङ) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कच्चे तेल का आयात मूल्य क्रमशः 10688.52 करोड़ रुपये, 10316.03 करोड़ रुपये और 11517.00 करोड़ रुपये (अनन्तिम) था।

विदेशी मत्स्यन पोतों पर जुर्माना

***288. श्री सौम्य रंजन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समुद्री सीमा में मछली पकड़ने वाले विदेशी मत्स्यन पोतों पर कोई जुर्माना किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी धनराशि एकत्र हुई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) भारत के प्रादेशिक जल/अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अनधिकार शिकार करने वाले विदेशी मत्स्यन जलयानों के मालिक/कर्मीदल के सदस्यों पर सक्षम न्यायालयों द्वारा लगाया गया जुर्माना संबंधित न्यायालय में जमा कराया जाता है। यह सूचना तटवर्ती राज्य सरकारों/सम्बद्ध न्यायालयों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आलू के चिप्स

***289. डा. कृपासिंधु भोई :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आलू चिप्स अत्यंत तेजी से बढ़ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण एककों की संख्या बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इस राज्य तथा अन्य पूर्वी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ङ). संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में आलू चिप्स उद्योग की विकास मांग पर निर्भर है और प्राप्त सूचना के अनुसार देश में इस उत्पाद की मांग बढ़ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उड़ीसा में और अन्य पूर्वी राज्यों (बिहार और पश्चिमी बंगाल) में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कम है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन, चीनी तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य उत्पाद उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना; उत्पाद, पूंजीगत माल और पैकिंग सामग्री के लिए वित्तीय राहतें उपलब्ध कराना; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में घरेलू और विदेश पूंजीनिवेश को बढ़ावा देना शामिल है। आलू के चिप्स समेत सभी प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं।

मंत्रालय अनेक योजना स्कीमें भी चलाता है जिनके तहत फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मांस और पाल्ट्री उद्योग, मछली प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना और उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास, छोटे स्तर के उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना, अध्ययन, सेमिनार आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है और आमतौर पर राज्य की नोडल एजेंसियों की मार्फत सहायता दी जाती है।

पूर्वी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, खुम्बी उत्पादन तथा प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने, विभिन्न अध्ययनों, सेमिनारों और नोडलों एजेन्सियों को,मजबूत करने के लिए सहायता दी है।

[हिन्दी]

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

***290. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) को गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्राप्त हुए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न देशों से कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) प्रत्येक देश में वर्षवार प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ अन्य उपक्रमों को भी उक्त अवधि के दौरान ऐसे क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उपक्रमवार और देशवार प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है तथा भारत को वर्षवार/देशवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(छ) इस संबंध में हुई प्रगति का देशवार ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सीईएल) ने दिनांक 8 अक्तूबर, 1995 को सीरिया की सीरियाई वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (एसएसआरसी) के साथ, एसएसआरसी द्वारा सीईएल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, सीरिया में ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु 5 किस्मों की एसपीवी ऊर्जा प्रणालियों के डिजाइन, व्यवस्था तथा विनिर्माण और सौर फोटोवोल्टिक मोड्यूलों/पैनलों को तैयार करने के लिए एक संयंत्र अधिष्ठापित करने हेतु संविधा संपन्न की है।

(ख) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान सीईएल द्वारा विभिन्न देशों से प्राप्त क्रयादेशों का कुल मूल्य आज तक की स्थिति के अनुसार 1,33,285 अमरीकी डालर है। इसके अलावा, सीईएल ने विभिन्न देशों को एसपीवी प्रणालियों तथा घटकों की आपूर्ति हेतु

विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 263 लाख रुपए मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किए हैं। विभिन्न देशों जैसे क्यूबा, भूटान, माली, ओमान, बंग्लादेश, मिस्र, मारीशस, सीरिया तथा संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त ये क्रयादेश घरेलू तथा स्ट्रीट लाइटिंग, रैफरीरेटर, सौर चाजिंग मोड्यलों, सौर लालटेन, सौर सैल तथा फोल्डेबल चार्जर के लिए एसपीवी प्रणालियों से संबंधित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीईएल ने आज तक की स्थिति के अनुसार 1,33,285 अमरीकी डालरों की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

(ङ) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबद्ध एक मात्र उपक्रम है जिसने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से क्रयादेश प्राप्त किए हैं।

(च) और (छ). एनआरडीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त क्रयादेश, सिन्थैटिक तथा प्राकृतिक रंग सामग्री, राइस हस्क पार्टीकल बोर्ड, एयर वाशर किस्म के सैल (सीटीएडब्ल्यू) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए) द्वारा विकसित ह्यूमीडिफिकेशन प्रणालियों तथा उपकरणों की प्राप्ति हेतु संयंत्रों से संबंधित हैं। इस प्रक्रिया में वियतनाम, मलेशिया तथा फिलीपीन आदि देश शामिल थे। इसके अलावा, एनआरडीसी ने इंडोनेशियां में लघु सीमेंट संयंत्रों, नाइजीरिया में फल प्रक्रमण संयंत्रों, गॅबान में औद्योगिक उद्यान पर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की संविदाएं और मिस्र में 4 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता उद्यान (एसटीईपी) के अधिष्ठापन से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा कार्ययोजना तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी के आधार पर एक बड़ी संविदा प्राप्त की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीसी द्वारा आज तक की स्थिति के अनुसार अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 218 लाख रुपए है। ऊपर इंगित व्यवहार्यता रिपोर्ट के परिणामस्वरूप भारतीय प्रौद्योगिकियों के आधार पर अनेक औद्योगिक संयंत्र अधिष्ठापित किए जाएंगे। उदाहरणार्थ मिस्र में 4 एसटीईपी से संबंधित रिपोर्ट के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों के दौरान वहां लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय प्रौद्योगिकियों के आधार पर लगभग 80 औद्योगिक संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने की आशा है। इसमें से अधिकांश राशि विदेशी मुद्रा में होगी।

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद

***291. श्री पंकज चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु सुरक्षा बलों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). राज्य में आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने तथा डोडा जिले को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करने के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन एवं मांगपत्र, खासतौर से जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले के संदर्भ में, प्राप्त होते रहे हैं।

राज्य और केन्द्र दोनों ही स्तरों पर सरकार ने, डोडा जिले सहित जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की तैनाती और उनके अभियानों की अधिकतम प्रभावकारिता सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश की है। परिणामतः समग्र सुरक्षा स्थिति तथा हिंसा की घटनाओं में प्रत्यक्ष गुणात्मक परिवर्तन एवं सुधार आया है यद्यपि आतंकवादी, आसान लक्ष्यों एवं निर्दोष सिविलियनों पर अचानक हमले करने में सफल होते रहे हैं।

ऐसी घटनाओं की संभावना को रोकने के लिए सुभेदय क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती में बढ़ोत्तरी सहित सघन गश्त और आतंकवादियों को खदेड़ देने के लिए अभियान चलाने तथा इस उद्देश्य हेतु भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों की भर्ती करने के साथ-साथ आंतकवादी विरोधी अभियानों में स्थानीय पुलिस की भागीदारी में वृद्धि, दूर दराज स्थित एवं नाजुक क्षेत्रों में 200 से अधिक ग्राम सुरक्षा समितियां बनाना आदि अनेक उपाय किए गए हैं। इन सभी दिशाओं में प्रयास गंभीरता से जारी रखे जाएंगे।

जहां तक डोडा जिले को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किए जाने का सवाल है, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह मत बनाया है कि इस समय ऐसे किसी उपाय की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई से उत्पादन

***292. श्री अनंत कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने यह सुझाव दिया है कि मुम्बई हाई से आगामी तीन वर्षों में उत्पादन 30 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निगरानी

*293. **श्री सनत मेहता :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और उसके तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वयन/निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में संबंधित राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार की केन्द्र में इस योजना के लिए प्रमुख जिम्मेवारी है। यह विभाग जिला कलेक्टरों से आवधिक प्रगति रिपोर्ट मंगवाता है।

(ग) और (घ). जी, हां। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिला स्तर पर सीधे जिला कलेक्टरों के माध्यम से कार्यान्वित करवाई जाती है। जिला कलेक्टर, सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन जिले में स्थानीय प्राधिकारियों सहित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करवाते हैं। इसके अतिरिक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों के पैरा 3.5 के तहत संबद्ध राज्यों के योजना विभागों को जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन संबंधी सभी अधिकरणों को सामान्य निर्देश जारी करते हैं कि वे जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रेषित कार्यों के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करे।

(ङ) विगत तीन वर्षों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आबंटित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	आबंटित राशि
	(लाख रु. में)
1993-94	3788
1994-95	77100
1995-96	76400
कुल	157288

महासागर विकास

*294. **श्री कचरू भाऊ राउत :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महासागर विकास संबंधी कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्तमान में महासागर विकास विभाग में आठ प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

1. अंटार्कटिक अनुसंधान :

देश की बहुत सी शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी के साथ मौसम-विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जीवविज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अंटार्कटिक को वार्षिक वैज्ञानिक अभियान भेजे जा रहे हैं। अब तक दो विशेष अभियानों के अतिरिक्त 15 अभियान अंटार्कटिक भेजे जा चुके हैं।

2. गहरा समुद्र संस्तर खनन :

बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण एवं विदोहन के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा मध्य हिन्द महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर का खनन स्थल आवंटित किया गया है। वर्तमान में 5000 मीटर एवं इससे भी अधिक गहराई में पाई जाने वाली इन पिण्डिकाओं में वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान कॉपर, कोबाल्ट एवं निकॅल धातुएं पाई जाती हैं। खान स्थल में बहुधात्विक पिण्डिका संसाधनों का मूल्यांकन, पिण्डिकाओं से धातुओं के खनन एवं निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं खनन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

3. समुद्री सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण :

मत्स्य समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, सागर संपदा, समुद्री सजीव संसाधनों के मूल्यांकन पर अध्ययन करता है। समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या बहु विचारात्मक समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान एवं समुद्री निर्जीव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करता है।

4. तटीय क्षेत्र एवं द्वीप कार्यक्रम :

सुदूर संवेदन के माध्यम से समुद्र विज्ञान, समुद्री प्रदूषण का प्रबोधन, समुद्र स्तर वृद्धि का प्रबोधन, तट से नाव संचार प्रणाली का विकास, मत्स्य खोजी युक्त जी.पी.एस. प्रणाली व द्वीपों में झींगा कृषि इसके अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम हैं। 1996-97 में यंत्रयुक्त

प्लवों से समुद्रवैज्ञानिक आंकड़ा प्लव पर एक नई योजना प्रारम्भ की जाएगी। तट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके मुक्तासंवर्धन का प्रारम्भिक पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान तटीय समुद्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

5. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान

समुद्र क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में समुद्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की मद्रास में स्थापना की गई है। यह संस्थान तरंग ऊर्जा के उपयोग, समुद्र संस्तर खनन, समुद्री यंत्रीकरण तथा तटीय अध्ययन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों को एक लक्ष्य के रूप में लेता है।

6. आधारभूत अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास :

समुद्र विज्ञान में आधारभूत अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को परियोजनाएं प्रायोजित की गई है। समुद्र से संबंधित कई कार्यक्रमों में जनशक्ति विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को सहायता तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति दी जाती है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, चिकित्सा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की भागीदारी से समुद्र से औषधियों के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना प्रगति पर है।

7. सूचना एवं जागरूकता

देश में समुद्र से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, भण्डारण एवं विकीर्णन के लिए राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा चलाई जा रही है। प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन, समुद्र एवं समुद्री जीवन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समुद्री जलजीवशाला की स्थापना जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कार्यक्रम

विभाग, जून, 1995 में भारत द्वारा अनुसमर्थित समुद्रविधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एवं समुद्र तथा अंटार्कटिक संधि प्रणाली से संबंधित कई अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. अंटार्कटिक कार्यक्रम

(1) 1981 से अब तक, 15 सफल अभियान सफलतापूर्वक अंटार्कटिक को भेजे गये।

(2) दो अनुसंधान केन्द्र नामतः दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री अंटार्कटिक में स्थापित किए गये। भारतीय केन्द्र "मैत्री" का विदेशी दलों द्वारा निरीक्षण कर इसे पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित प्रमाणित किया गया।

(3) बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिक के साथ टेलिफोन एवं फैकस तथा कंप्यूटरीकृत आंकड़ा स्थानांतरण के लिए उपग्रह संचार स्थापित किया गया। ई-मेल सुविधा भी स्थापित की गई।

(4) मिलीमीटर तरंग एवं लेजर हेट्रोडाइन प्रयोगों जैसी नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा ओजोन छिद्र परिघटना का अध्ययन किया गया।

(5) 1120 वैज्ञानिक एवं संभारतंत्र कर्मिकों ने अंटार्कटिक में विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

(6) अंटार्कटिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए गोवा में अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

(7) उस क्षेत्र की भू वैज्ञानिक जांच की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तेहल सागर क्षेत्र में एक विशेष अभियान भेजा गया।

(8) क्रिल की संसाधन क्षमता का मूल्यांकन एवं क्रिल की खेती तथा संवर्धन से संबंधित प्रौद्योगिकी अध्ययन के लिए मत्स्य एवं समुद्री अनुसंधान जलयान सागर संपदा का उपयोग करते हुए वर्ष 1995 में एक विशेष अभियान भेजा गया।

2. गहरा समुद्र संस्तर खनन

(1) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे पिण्डिकाओं के अन्वेषण एवं विदोहन के लिए मध्य हिन्द महासागर में 150000 वर्ग मिलोमीटर का खान स्थल आवंटित किया गया है। इस का 50 प्रतिशत क्षेत्र प्राधिकरण को लौटा दिया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत क्षेत्र भारत द्वारा विदोहन के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

(2) मध्य हिन्द महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर गहरे समुद्र संस्तर क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण किया गया तथा अनुबंध के अनुसार क्षेत्र का 20 प्रतिशत भाग छोड़ना पड़ेगा।

(3) पिण्डिकाओं के खनन के लिए चरणबद्ध ढंग से प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। प्रारम्भ में, उथला संस्तर खनन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। सुदूर संवेदित वाहन (ओओवी) के आदिप्ररूप की अभिकल्पना, निर्माण एवं परीक्षण, केन्द्रीय यांत्रिक इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सी.एम.ई.आर.आई) दुर्गापुर के अथले जलसंस्तर सुविधा में किया गया। सुदूर संवेदित वाहन (आर.ओ.वी.) का समाशोधन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(4) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर एवं क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर में प्रारंभिक पैमाने पर

मैंगनीज पिण्डिकाओं से कॉपर, निकॅल एवं कोबाल्ट धातुएं निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है।

(5) तटीय सागर के साथ-साथ प्लेसर खनिज निक्षेपों के अन्वेषण एवं विदोहन के लिए नीति तैयार कर ली गई है।

(6) मध्य हिन्द महासागर में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रारम्भ किया गया।

3. समुद्री सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण

(1) मत्स्य समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर संपदा ने 144 समुद्री यात्राएं पूरी की एवं भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अल्प विदोहित एवं अविदोहित मत्स्य संसाधनों के लिए मत्स्य स्थलों का पता लगाया गया।

(2) समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या द्वारा 114 समुद्री यात्राएं पूरी की गई तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव संसाधनों के विदोहन से संबंधित अध्ययनों सहित कई बहु-विधात्मक समुद्रवैज्ञानिक अध्ययन किए गए।

4. तटीय क्षेत्र और द्वीप

(1) उपग्रह से लिए सुदूर संवेदन आंकड़ों के आधार पर संभावित मत्स्य क्षेत्र सूचना तैयार की गई तथा समय-समय पर तटवर्ती मछुआरों में उसका प्रकीर्णन किया गया।

(2) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और तमिलनाडु और गुजरात तटों के लिए पहली बार प्रवाल भित्ति मानचित्र तैयार किए गए। मानचित्र संरक्षण अध्ययनों में सहायक है।

(3) तमिलनाडु और केरल के लिए' तटरेखा परिवर्तन मानचित्र तैयार किए गए हैं और यह कार्यक्रम अन्य तटवर्ती राज्यों में भी चलाने की योजना है।

(4) नैल्लोर से मछलीपत्तनम तक के निम्न क्षेत्रों के लिए आधी मीटर की सम्मोच्च रेखा के साथ 1:25000 पैमाने पर मानचित्र तैयार करना और मछलीपत्तनम से बंगलादेश सीमा तक, इसी प्रकार के मानचित्र तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(5) तट के साथ-साथ तथा द्वीपों में 14 आधुनिक ज्वार प्रमापियों को लगा कर समुद्र स्तर चढ़ाव के प्रबोधन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। मर्मगोवा, पोटेब्लेयर और मद्रास में तीन ज्वार प्रमापी पहले ही लगा लिए गए हैं।

(6) आपात स्थिति में तट केन्द्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए केरल कर्नाटक आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु में दो-दो स्थानों पर और गोवा में एक स्थान पर तटवर्ती मछुआरों को वॉकी-टॉकी सैट उपलब्ध करवाने के लिए प्रायोगिक पैमाने पर एक कार्यक्रम पूरा किया गया। यह कार्यक्रम अन्य तटवर्ती राज्यों में भी चलाया जाएगा।

(7) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह की अम्लीय मृदा में झींगा संवर्धन हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रत्यक्षण परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई है।

(8) 11 संस्थानों के सहयोग से तटीय जल क्षेत्रों के स्वास्थ्य का प्रबोधन करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है और प्रदूषकों के निम्न, मध्यम और उच्च सान्द्रण वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है। तटवर्ती जल क्षेत्रों में प्रदूषकों के स्तरों के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को परामर्श भेजे जाते हैं ताकि जिन क्षेत्रों में उपचारी उपायों की जरूरत हो वहां ऐसे उपाय किए जा सकें।

(9) तेल रिसाव के प्रबोधन, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए एक राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना को अंतिम रूप देकर अनुमोदित किया गया है।

(10) प्रदूषण प्रबोधन कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने हेतु दो तटीय अनुसंधान जलयानों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है।

5. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान

(1) तरंग ऊर्जा, समुद्र संस्तर खनन, समुद्री यंत्रीकरण और तटीय अनुप्रयोग अध्ययन के क्षेत्र में उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए वर्ष 1993 में मद्रास में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई. ओ.टी.) की स्थापना की गई थी।

(2) विझिंजम, केरल में तरंग ऊर्जा के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र अधिष्ठापित किया गया था। प्रयोगों के आधार पर एक नए विद्युत माडयूल को अभिकल्पित एवं अधिष्ठापित किया गया। नए विद्युत माड्यूल के निष्पादन का परीक्षण प्रगति पर है।

(3) 250 मी. तक गहरे समुद्र संस्तर खनन के लिए परख-मस्तूल (टेस्ट रिग) का प्रारंभिक अभिकल्प पूरा किया गया।

(4) स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित और विकसित ध्वानिक ज्वार प्रमापी के परीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(5) तटरेखा परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए गणितीय प्रतिरूप का विकास किया जा रहा है।

6. मौलिक अनुसंधान और जनशक्ति विकास

(1) मौलिक अनुसंधान और सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं की कई अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की जाती हैं।

(2) 10 संस्थाओं की सहभागिता से समुद्री जीवों से जैव सक्रिय पदार्थों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैव सक्रियता हेतु अब तक 134 जीवों की जांच की गई तथा पांच को आगामी विकास के लिए निर्धारित किया गया।

(3) भारतीय विज्ञान केन्द्र, बंगलौर में वायु जल अन्योन्यक्रिया अध्ययनों पर एक विशेष पाठ्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

(4) तटीय जलकृषि और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रारंभ करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय को सहायता दी गई।

(5) समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट जनशक्ति विकास के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को कई अध्येतावृत्तियां और सहयोगवृत्तियां प्रदान की गई है।

7. सूचना और जागरूकता

(1) समुद्र से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, भण्डारण और प्रकीर्णन के लिए 14 राष्ट्रीय समुद्री आंकड़ा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(2) समुद्रविज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

(3) समुद्रविज्ञान पर हिन्दी पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित किया जाता है।

(4) गोवा में निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बूम) के आधार पर एक जलजीवशाला स्थापित करने हेतु एक परियोजना पर विचार किया गया है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कार्यक्रम

(1) भारत ने वर्ष 1995 में समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन का अनुसमर्थन किया और निवेशक श्रेणी के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण की परिषद में एक सदस्य के रूप में चुना गया।

(2) वर्ष 1995 में दक्षिण एशियायी सागर प्रदेश में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंध के लिए एक कार्ययोजना अंगीकार की गई।

(3) अंटार्कटिक जलक्षेत्रों में क्रिल और अन्य समुद्री सजीव संसाधनों के मूल्यांकन से संबंधित अभियान के दौरान विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और समुद्र मत्स्यिकी संस्थान (सी-फिशरीज इंस्टीच्यूट), पोलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर वर्ष 1995 में हस्ताक्षर किए गए।

(4) गहरा समुद्र संस्तर अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, भारत सरकार और रूसी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(5) भारत ने वर्ष 1996 में अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नयाचार का अनुसमर्थन किया तथा अंटार्कटिक के प्राचीन प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा हेतु अपनी बचनबद्धता को बनाए रखा।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा नीति

***295. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक विस्तृत पुनः प्रयोज्य ऊर्जा नीति तैयार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति बनाने का कार्य आरंभ किया है जिसका उद्देश्य देश में अक्षय ऊर्जा की बड़ी संभाव्यता का उपयोग करना है। अक्षय ऊर्जा नीति की मुख्य बातों में अन्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर विनियोगकर्त्ताओं के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन, संसाधनों का उत्पादन, उपयोगकर्त्ताओं द्वारा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की प्राथमिकता खरीद, अनुसंधान तथा विकास, औद्योगिक विकास, मानव संसाधन विकास तथा संस्थागत व्यवस्था शामिल हैं। नीति का उद्देश्य, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना है ताकि गैर अक्षय जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों पर निर्भरता कम हो सके और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा सके।

बंजर भूमि विकास परियोजना

***296. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/अनुमोदित की गई राजस्थान की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/अनुमोदित नहीं की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) लंबित पड़ी सभी परियोजनाओं को कब तक अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जुलाई, 1992 में बंजरभूमि विकास विभाग के सृजन से 25.7.1996 तक राजस्थान से संबंधित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) से (घ). जिन परियोजनाओं को स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किया गया है उसके कारणों सहित, उनके ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं। परियोजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन उनकी व्यवहार्यता संबंधित योजना की मार्गदर्शिका के साथ उनकी अनुरूपता और बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी परियोजना के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए कोई सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण-I

राज्य : राजस्थान

क्र.सं.	जिला	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (लाख रु. में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हैक्टेयर)	जिनको परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7
समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम						
1.	जैसलमेर	1991-92 से 1994-95	170.30	1800	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	बंजरभूमि विकास और जागरूकता पैदा करना
2.	भीलवाड़ा	1992-93 से 1996-97	320.00	1000	वही	वही
3.	टोंक	1992-93 से 1996-97	304.00	3800	वही	वही
4.	सीक्कर	1992-93 से 1995-96	397.19	7500	वही	वही
5.	झालावाड़	1993-94 से 1997-98	273.95	3883	वही	वही
6.	जयपुर (परि.-1)	1993-94 से 1996-97	329.40	3381	वही	वही
7.	जयुपर (परि.-2)	1993-94 से 1997-98	153.32	2780	वही	वही
8.	जयपुर (परि.-3)	1993-94 से 1996-97	414.05	4748	वही	वही
9.	अजमेर (परि.-1)	1993-94 से 1997-98	320.76	5422	वहो	वही

1	2	3	4	5	6	7
10.	अजमेर (परि.-2)	1995-96 से 1998-99	26.00	650	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	बंजरभूमि विकास और जागरूकता पैदा करना
11.	जोधपुर	1993-94 से 1997-98	191.36	2072	वही	वही
12.	उदयपुर	1994-95 से 1997-98	252.41	4600	वही	वही
13.	पाली	1994-95 से 1998-99	320.85	5049	वही	वही
	उप-योग		3473.59	49685		
अनुदान सहायता योजना						
1.	चुरू	1994-95 से 1995-96	7.95	120	भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट	वही
2.	चुरू	1992-93 से 1993-94	4.44	63	नेहरू नयुवक मंडल	वही
3.	चुरू	1994-95 से 1996-97	6.56	99	राजस्थान मानव संस्थान विकास समिति	वही
4.	शवाईमाधोपुर	1993-94 से 1995-96	2.51	33	नवयुवक मंडल	वही
5.	शवाईमाधोपुर	19995-96 से 1999-2000	11.68	135	ग्राम विकास नवयुवक मंडल	वही
6.	झुनझूनू	1994-95 से 1996-97	10.50	150	ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण सोसाइटी	वही
7.	नागौर	1994-95 से 1997-98	7.95	120	पर्यावरण संवर्धन एवं अनुसंधान दल	वही
8.	अजमेर	1995-96 से 1999-2000	18.17	206	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केन्द्र	वही
	उप-योग		69.76	926		

1	2	3	4	5	6	7
प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना						
1.	अजमेर	1991-92 से 1994-95	19.66	200	भारतीय वैज्ञानिक संघ, नई दिल्ली	बंजरभूमि विकास के लिए मल जल का उपयोग
2.	जोधपुर	1991-92 से 1993-94	3.87	30	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।	कृषिवानिकी की क्षेत्रीय जांच
3.	जोधपुर	1993-94 से 1995-96	3.93	50	-वही-	कृषिवानिकी मांडलों की स्थापना।
4.	जोधपुर	1994-95 से 1996-97	21.00	अनुसंधान परियोजना	-वही-	जोजोवा वृक्षारोपण की स्थापना
5.	जोधपुर	1994-95 से 1997-98	14.78	200	-वही-	कृषिवानिका मांडलों की स्थापना
6.	उदयपुर	1993-94 से 1995-96	5.40	5	ज्ञान भारतीय ट्रस्ट उधयपुर	औषधीय वृक्षारोपण का बढ़ावा।
7.	वाड़मेर	1993-94 से 1996-97	22.71	300	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर	बायोमास में वृद्धि करना
8.	जयपुर और सीक्कर	1994-95 से 1999-2000	230.00	124	राजस्थान जोजोवा प्लाटेशन का एशोसियेशन	जोजोवा वृक्षारोपण का प्रदर्शन
9.	बीकानेर	1994-95 से 1998-99	24.30	200	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर	कृषिवानिकी मांडलों की स्थापना
		उप-योग	345.65	1109		

विवरण-II

राज्य राजस्थान

क्र.सं.	परियोजना/जिले का नाम	कारण
1	2	3
समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम		
1.	हाडौती सवाइमाधोपुर में स.व.भू.वि. परि	परियोजना में पाई जाने वाली कमियां राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	शोभावती सीक्कर में स.ब.भू.वि.परि.	-वही-

1	2	3
3.	राजसामंद में कुंभलगढ़, माचिदं और कुरज में स.व.भू.वि.परि.	परियोजना में पाई जाने वाली कमियां राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। उत्तर प्रतीक्षित है।
4.	रबचा, राजसामंद में स.व.भू.वि.परि.	-वही-
5.	पुनेरा, अजमेर में स.ब.भू.वि.परि.	-वही-
6.	सुनेल, झालवाढ़ में स.व.भू.वि.परि.	-वही-
7.	उमर, बुंदी में स.ब.भू.वि.परि.	परियोजना में पाई जाने वाली कमियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को प्रेषित की गई है। उत्तर प्रतीक्षित है।
8.	बेजोर, सीक्कर में स.ब.भू.वि.परि.	-वही-
9.	नाना, पाली में स.ब.भू.वि.परि.	-वही-
10.	नेदाई, जेसलमेर में स.ब.भू.वि.परि.	जांच के अंतर्गत
अनुदान सहायता योजना		
1.	सामाजिक आर्थिक और विकास परामर्श केन्द्र जयपुर ।	परियोजना में पाई जाने वाली कमियां स्वयं-सेवी एजेंसी को प्रेषित की गई, उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	विक्टोरिया मोंटसरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	-वही-
3.	ग्राम सेवा मंडल, जयपुर	-वही-
4.	मेहरानगढ़ मयूजियम ट्रस्ट, जोधपुर	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से पुनरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं
5.	राधा बाल मंदिर विद्यालय एकेडमी, जोधपुर	-वही-
6.	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, सवाईमाधोपुर	-वही-
7.	नवयुवक मंडल, सवाईमाधोपुर	-वही-
8.	सावे दिल्ली कम्पेयन नेटवर्क, टोंक	-वही-
9.	शिव शिक्षा समिति, टोंक	-वही-
10.	सोशल एक्शन फार ह्यूमन, रिसोरस डेवलेपमेंट, अलवर	-वही-
11.	महान सेवा संस्थान, उदयपुर	-वही-
12.	सहयोग विकास, उदयपुर	-वही-
13.	विकास मंडल सीक्कर	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सीकर के सुझाव पर अनुमोदित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

आवंटियों की संचित धनराशि

***297. कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंटियों की लगभग 60 करोड़ रुपये की धनराशि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास संचित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). आवंटियों का कोई धन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा नहीं है। तथापि, डी.डी.ए. द्वारा समय समय पर जारी आवास योजनाओं के तहत पंजीयन धन के रूप में ऐसे आवेदकों द्वारा दी गई 40.78 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास

संचित है, जिनको अभी फ्लैट/प्लाट आवंटित किये जाने हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

योजना का नाम	प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	जमा राशि
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979	31204	8.56 करोड़ रुपये
अम्बेडकर आवास स्कीम, 1989	12190	11.94 करोड़ रुपये
जनता का रजिस्टेशन स्कीम, 1996	20,000	10.00 करोड़ रुपये
स्व-वित्त पोषण स्कीम 1993 6-बी (श्रेणी-II)	278	0.28 करोड़ रुपये
रोहिणी रिहायशी स्कीम (प्लाट) 1981	38342	10.00 करोड़ रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

***298. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत जल क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में कितने जिलों के लिए जल भू-विज्ञान (हाइड्रोजिओमोर्कोलोजिकल) संबंधी मानचित्र प्राप्त किए गए है;

(ख) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) भूमिगत जल क्षेत्र का पता लगाने के लिए इस समय कितने जिलों में अध्ययन कार्य प्रगति पर है; और

(घ) उक्त अध्ययन के क्या परिणाम रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) देश के 447 जिलों के संबंध में संभावित भूमिगत जल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जल भू-विज्ञान (हाइड्रोजिओमोर्कोलोजिकल) संबंधी मानचित्र मार्च, 1990 तक प्राप्त कर लिए गए थे। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय वैज्ञानिक स्त्रोत का पता लगाने संबंधी समिति के मार्गदर्शन में दुर्गम क्षेत्रों के लिए चयनित आधार पर भूजल-विज्ञान संबंधी मानचित्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) भूमिगत जल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य किसी जिले में अध्ययन कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा जिन जिलों के लिए जल भू-विज्ञान संबंधी मानचित्र तैयार किए गए थे उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण.

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	18
4.	बिहार	39
5.	गुजरात	19
6.	गोवा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	12
8.	हरियाणा	12
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	केरल	14
11.	कर्नाटक	20
12.	मेघालय	5
13.	महाराष्ट्र	30
14.	मणिपुर	8
15.	मध्य प्रदेश	45
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	13
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	27
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	20
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	57
25.	पश्चिम बंगाल	17
	संघ शसित क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार	2
2.	चण्डीगढ़	1
3.	दादरा व नागर हवेली	1
4.	दमन व द्वीप	2
5.	दिल्ली	1
6.	लक्षद्वीप	1
7.	पांडिचेरी	4
	कुल	447

जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*299. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी समर्थक उग्रवादियों ने संसदीय चुनावों के दौरान बन्द रखने और सरकारी कर्मचारियों से राज्य में चुनावी डयूटी का बहिष्कार करने का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आह्वानों का क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). चुनाव प्रक्रिया को विफल करने के प्रयास में, पाकिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने "बंद", "बहिष्कार" आदि का आह्वान किया था तथा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों तथा आम जनता को चेतावनियां देते हुए धमकियां दी थी। इन सब के कारण राज्य के कुछ भागों में विभिन्न मौकों पर सरकारी कार्यालयों के काम काज में अस्थाई रूप से कुछ प्रभाव जरूर पड़ा था। तथापि, इन धमकियों और डराने धमकाने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किसी प्रकार का बहिष्कार अथवा हड़ताल नहीं की थी। उन्होंने चुनावों से संबंधित विभिन्न डयूटियां निभाई तथा उनमें से बहुत से संसदीय चुनावों के दौरान वास्तविक मतदान के दिनों को मतदान केन्द्रों में डयूटियां देने के लिए भी आए।

नरोरा परमाणु संयंत्र

*300. **श्री पिनाकी मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मई, 1996 को नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र में एक बड़ी दुर्घटना टल गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र के चालू होने के पश्चात इसमें यह दूसरा अग्निकांड था;

(घ) क्या परमाणु विद्युत स्टेशनों और अन्य नाभिकीय संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्र में रेडियो-धर्मिता स्तर की निगरानी हेतु कोई स्वतंत्र एजेंसी गठित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). नरोरा परमाणु बिजलीघर के यूनिट-2 में टरबाइन के नीचे लगी वाष्प निकास पाइपलाइनों के निकट ही स्थानिक तेल में आग लगने की मामूली सी घटना 12 मई, 1996 को घटी थी। बिजलीघर के स्टाफ ने एकदम से इसका पता लगा लिया था और आधे घंटे के भीतर ही इसे बुझा दिया था। इस घटना का कारण खोजने पर पता चला कि टरबाइन पर चल रहे अनुरक्षण कार्य के दौरान इन पाइप लाइनों के आसपास के उष्मारोधी पदार्थों ने रिसे हुए तेल को सोख लिया था। और बाद में यूनिट के चालू होने पर वह वाष्प से गर्म हो गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए टरबाइन के नीचे लगे उष्मारोधी पदार्थों पर चढ़े ऐलुमिनियम क्लैडिंग के सभी जोड़ों पर एक विशेष सीलबंदी यौगिक की परत चढ़ा दी गई है।

(ग) जी, हां। वर्तमान में हुई इस घटना के अलावा मार्च, 1993 में नरोरा यूनिट-1 में टरबाइन रोटर के ब्लेडों के खराब हो जाने की वजह से टरबाइन में आग लगने की घटना हुई थी।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। प्रत्येक परियोजना स्थल पर पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं जो प्रचालनाधीन परमाणु बिजलीघरों के भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में विकिरण सक्रियता के स्तर की मानीटर करती हैं और नियमित वैकिरणी की सर्वेक्षण करती हैं। पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला हर वर्ष सम्पूर्ण पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं को सम्मिलित करते हुए जल, वायु, मिट्टी, अज अवट ग्रंथि, मछली, दूध आदि के लगभग 2000 नमूने लेती है। भारत में प्रचालन के लगभग 120 पूर्ण विद्युत रिएक्टर वर्षों के साथ पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं ने यह प्रमाणित कर दिया है कि परमाणु विद्युत संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाली विकिरण सक्रियता सामान्य रूप से जन सामान्य और पर्यावरण पर कोई प्रभाव डालने के लिए अत्यंत नगण्य है। ये प्रयोगशालाएं भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इन बिजलीघरों का प्रचालन करता है, से स्वतंत्र हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं

2251. **श्री चित्त बसु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष रूप से आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता और अन्य विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु कोई विस्तृत और सुगठित योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). किसी क्षेत्र की योजना और विकास तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन करना मुख्य रूप से राज्य का दायित्व है। पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी प्रादेशिक असमानता को दूर

करने के उद्देश्य से, उनकी आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते तथा विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता रहा है।

जवाहर रोजगार योजना

2252. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इलाहाबाद जिले में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खण्ड-वार कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) उक्त वर्षों में प्रति वर्ष खण्ड-वार कितने श्रम दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलाहाबाद जिले को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों की वर्षवार रिलीज को नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

वर्ष	राशि
1993-94	2126.45
1994-95	2385.70
1995-96	2402.29

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विकास खंडों को निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विकास खण्डवार रोजगार सृजन की निगरानी नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन

2253. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रयाजनार्थ विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). एक स्वैडिश फर्म से अपना बनाओं तथा चलाओं (बी ओ ओ) आधार पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट पर। मेवा. क्षमता का लहर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसकी अनुमानित लागत तीन मिलियन यू.एस. डालर तथा 6 रु. प्रति किवा. घं. है। प्रस्ताव की उच्च यूनिट लागत को देखते हुए और ब्यौरे मांगे गए हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मांगी है।

दिल्ली की परियोजनाओं के लिए स्वीकृति

2254. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को स्वीकृति के लिए दिल्ली की कितनी परियोजनाएं भेजी गई है;

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजे गये दिल्ली परियोजना के ब्यौरे तथा इस संबंध में प्रगति निम्नानुसार हैं :

(एक) दिल्ली शहर विशेषतया अनधिकृत कालोनियों (लगभग 20 लाख की जनसंख्या वाली 1300) में बढ़ती हुई अस्वच्छता का मुकाबला करने के लिए सफाई तथा कूड़ा करकट हटाना।

(दो) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार यमुना नदी में प्रदूषण में कमी के लिए 14 सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों तथा पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण।

(तीन) वार्षिक योजना 1995-96 में आईटीआई के छात्रों के निःशुल्क डीटीसी पास उपलब्ध कराने का प्रावधान।

(चार) योजना आयोग जिन परियोजनाओं से सिद्धान्ततः सहमत है, वे विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रक परियोजनायें ये हैं : (क) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरू तेग बहादुर अस्पताल तथा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में न्यूरो सर्जरी इकाइयां, (ख) सेन्ट जॉन एम्बुलेन्स ब्रिगेड को अनुदान सहायता, (ग) राज्य ड्रग प्राधिकरण तथा केन्द्रीय प्राक्यूरमेंट एजेन्सी की स्थापना, (घ) राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना, (ङ) 70 डिस्पेन्सरियां/स्वास्थ्य क्लिनीक खोलना, (च) आईएसएम तथा होम्योपैथी निदेशालय की स्थापना, (छ) आयुर्वेद तथा पारम्परिक औषधियों के आधुनिकीकरण हेतु अनुसंधान केन्द्र।

रक्त ट्रान्एक्यूशन सेवा सुधार, राज्य चिकित्सा परिषद की स्थापना, कर्मपुरा में होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना, चल डिस्पेन्सरियों के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी समूहों में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं का आकस्मिक प्रावधान जैसी कुछ अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की अनापत्ति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, और साथ ही व्यापक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(पांच) रुग्ण सरकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक योजना विचार-विमर्श में उपर्युक्त स्कीमों में से उन स्कीमों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें योजना में शामिल किया जा सके।

[अनुवाद]

ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट

2255. श्री चमत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जर्मनी की गैर-सरकारी एजेन्सी, ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का भ्रष्ट राष्ट्रों में सातवां स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में एक गैर सरकारी एजेन्सी "ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल" की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके अनुसार भारत का भ्रष्ट देशों में सातवां स्थान है। अतः सरकार को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

आदम टिला और बाशकंडी विद्युत परियोजनाएं

2256. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी असम में आदम टिला और बाशकंडी में विद्युत उत्पादन के लिए गैस टरबाईन परियोजनाएं अभी भी पूरी की जानी बाकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्रकारों का अपहरण

2257. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कश्मीर में एक उग्रवादी संगठन ने लगभग बीस पत्रकारों को बंधक बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनके अपहरण के क्या कारण हैं और उग्रवादियों की क्या मांग है; और

(घ) उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 8.7.1996 को श्रीनगर से अछबल, अनंतनाग में प्रेस कांफ्रेंस में भाग लेने जा रहे स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के 19 पत्रकारों तथा फोटोग्राफरों को दक्षिणी इख्वान-उल-मुसलमीन ग्रुप द्वारा कथित रूप से रोका गया तथा उन्हें निरूद्ध किया गया। पत्रकारों के नाम नीचे दिए गए हैं।

1. मीराजुद्दीन
2. अरशद
3. ए.एस. चेराव
4. टॉशिफ मुस्तफा
5. अफजल शाह
6. शुजात बुखारी
7. शेख मुस्ताक
8. फैयाज काबली
9. अमिन वार
10. गुलजार
11. फारूख जावेद
12. क्यूम
13. बिलाल भट्ट
14. मशूद तथा चार अन्य

(ग) उपर्युक्त पत्रकारों को निरूद्ध करने के बाद इस ग्रुप ने स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को अनंतनाग पहुंचने की मांग की, बताया जाता है, क्योंकि इस बात से वह खिन्न था कि मीडिया उनके वक्तव्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।

(घ) सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मीडिया के लोगों को उसी दिन बिना हानि पहुंचाये, जाने की अनुमति दे दी गई थी। पुलिस ने इस घटना से संबंधित एक मामला दर्ज किया है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

2258. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस.टी.पी.) स्थापित किए गए हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं।

(ख) इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना के उद्देश्य क्या-क्या हैं और क्या ऐसे पार्कों द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है।

(ग) क्या सरकार के पास चालू वर्ष में अतिरिक्त सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). इस समय देश में 14 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) कार्य कर रहे हैं। दो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क पुणे में और एक-एक पार्क भुवनेश्वर, बंगलौर, हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, जयपुर, तिरूवनन्तपुरम, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, कानपुर तथा मद्रास में स्थित हैं।

निर्यात के प्रयोजन से सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना एक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है। ये सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 730 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए लगभग 300 कम्पनियों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार का नए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के इच्छुक राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश तथा सहायता उपलब्ध कराता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

असम जल आपूर्ति परियोजनाएं

2259. श्री प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असम के लिए स्वीकृत जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय केन्द्र सरकार के पास लम्बित अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटस्वरलू) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असम राज्य से राज्य योजना के तहत शहरी जल आपूर्ति की कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, असम शहरी जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (ए.यू. डब्ल्यू. एस.पी.एवं.एस.बी) ने 1994-95 के दौरान 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत नामरूप कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम भेजी है और 135.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत कर दिया गया था तथा इस स्कीम के लिए 26.06 लाख रुपये की धनराशि रिलीज कर दी गयी थी।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य स्तरीय चयन समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा सिफारिश किये गये 11 कस्बों में से ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी. एण्ड एस.बी. ने केवल 7 कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.एस.) भेजी थी। इन डी.पी. आर एस की जांच की गयी और ए.यू. डब्ल्यू एस.पी. एण्ड एस.बी. को नवम्बर, 95 में तकनीकी टिप्पणियां भेजी गयी। तथापि, बोर्ड ने इन 7 स्कीमों पर स्पष्टीकरण अभी भेजने हैं।

(ग) जैसे ही ए.यू.डब्ल्यू एस.पी. एण्ड एस.बी. ने स्पष्टीकरण प्राप्त होता है उन पर बजट परिव्यय और राज्य शेयर के आलोक में स्वीकृत हेतु स्कीमों पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

2260. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पास प्रति व्यक्ति आय के संबंध में जिला-वार ब्यौरा है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के लिए जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथ कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में जाली नोट

2261. डा.वाई.एस.राजशेखर रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई.एस.आई.पम्पिंग फेक करेंसी इनटू जम्मू एण्ड कश्मीर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). सरकार को, इन प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की जानकारी है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में जाली मुद्रा नोटों की तस्करी करने की कोशिश करने के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट मिली हैं और जाली मुद्रा की जब्ती भी की गयी हैं। हाल ही में, पुच्छ जिले में मन्चर में, नूर मोहम्मद खान नामक एक व्यक्ति से 100 रु. मूल्य के 29 भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए गए। उन्हें राष्ट्रीय अपराधविज्ञान और विधि-विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली को भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा हैं।

सीमा पार से जाली मुद्रा सहित घुसपैठ/तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में किए गए प्रयासों में सम्मिलित है :- सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि, चल गश्त सहित गहन गश्त, नाईट विजन डिवाईस्स और टेलिस्कोप सहित निगरानी डिवाईस्स की व्यवस्था, आसूचना तंत्र को सतत सुव्यस्थित बनाना, और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। घुसपैठ/तस्करी की संभावनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इन सभी प्रयासों की सावधिक पुनरीक्षा की जा रही है।

शहरी विकास संबंधी परियोजनाएं

2262. श्री बी. धर्मभिक्षम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास लम्बित आंध्र प्रदेश की शहरी विकास संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के तहत नगर विकास परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्ति राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों को प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में आई.डी.एस.एम.टी. योजना के लिए स्वीकृति समिति ने 1995-96 के दौरान 9 कस्बों वास्ते केन्द्रीय सहायता रिलीज करने की अनुशंसा की थी। तथापि, देश के ऐसे कस्बों का कुल जनसंख्या में से आंध्र प्रदेश में लघु तथा मध्यम कस्बों में रहने वाली जनसंख्या की मात्रा बाबत मानदण्डों के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को 1995-97 को 2 वर्ष की अवधि के लिए 6 कस्बे आबंटित किये गये थे और 1995-96 के दौरान रिलीज के लिए 1.90 करोड़ रुपये की धनराशि (केन्द्रीय अनुदान) आबंटित की गई थी। इस आबंटन को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सहायता रिलीज करने हेतु आंध्र प्रदेश के 6 कस्बों पर ही विचार किया जा सका और राज्य सरकार को आबंटित धनराशि रिलीज कर दी गई थी। विचार हेतु लम्बित कस्बे तुनी, तिरूपति और भोंगिर हैं।

(ख) योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क कर रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ग्रामीण विकास

2263. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवंटित राशि परियोजना निदेशक के खाते में बेकार पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस बारे में जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). राजस्थान के मामले में जवाहर योजना, इन्दिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना से संबंधित निधियों को सीधे राज्य सरकार को भेजा जाता है जो राज्य के अंश सहित केन्द्रीय निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को देते हैं। किन्तु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को भेजी जाती है। निधियों को बचत बैंक खाते/पी.एस.बैंक या डाकघर में एक विशिष्ट एवं पृथक बैंक खाते में रखा जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्तर पर आबंटित की गयी निधियों के समयानुकुल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा त्रैमासिक बजट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

राजस्थान में 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान इस कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित एवं जारी की गयी निधियां इस प्रकार हैं :-

(लाख रुपयों में)

योजनाएं	आबंटित की गयी राशियां		जारी की गयी राशियां	
	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97
1	2	3	4	
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4388.00	4388.00	3924.24	1045.87
जवाहर रोजगार योजना	18553.85	9146.39	18487.18	3658.56

1	2	3	4	5
सुनिश्चित रोजगार योजना	शून्य	शून्य	17537.50	1790.00
इन्दिरा आवास योजना	6359.36	5837.66	6459.36	2918.84 (जुलाई 96 तक)
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	6608.00	7256.00	6908.00	2418.67

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

2264. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की वर्तमान सूची में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कोई सूची तैयार नहीं करता है। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के घरेलू उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में पंचवार्षिकी सर्वेक्षण में प्रयोग किये जाने वाले आंकड़ों से गरीबों की संख्या व अनुपात का अनुमान लगाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकली शीतल पेय

2265. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षकों द्वारा मालवा एजेंसी, इंदौर (मध्य प्रदेश) के मैसर्स संजीव बॉट्लिंग कंपनी से कैम्पा ब्रांड नाम के अंतर्गत नकली शीतल पेय की 480 बोतलें पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्यवाही की जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं को चुनना

2266. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभियांत्रिकी, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं को चुनने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं के लिए चयनित किए गए और उक्त सेवा में आए;

(ग) उनके तकनीकी/चिकित्सा/व्यावसायिक सेवाओं को छोड़कर सिविल सेवा में आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सेवा में आने का कारण सेवागत ढांचा, वेतनमान और नौकरशाही पदानुक्रम में वर्तमान असंतुलन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). इन इंजीनियरों और डॉक्टरों की संख्या, जिनकी वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है, संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर नीचे दी गई है :-

विषय	परीक्षा का वर्ष		
	1991	1992	1993
डॉक्टर	43	35	38
इंजीनियर	311	313	274

(ग) से (ङ). किसी भी व्यवसाय अथवा रोजगार, ट्रेड या व्यापार को अपनाने का अधिकार संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक है, अतः डॉक्टरों और इंजीनियरों को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है तथा उन्हें अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

2267. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1996 तक दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ख) इन अनधिकृत कालोनियों को कब तक नियमित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31.3.1993 तक मौजूद 1071 अनधिकृत कालोनियों की सूची भेजी है। तथापि, स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 30.6.96 तक कोई सर्वे नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). कॉमन कॉज (रजिस्टर्ड) सोसायटी द्वारा दायर सिविल रिट याचिका 4771/93 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार सहित प्रतिवादियों को आगामी आदेशों तक दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई करने अथवा आगामी निर्णय लेने पर रोक लगाई है। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अमरनाथ की तीर्थयात्रा

2268. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर इस्लामिक हरकत कोमिन नामक उग्रवादी संगठन ने अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या उग्रवादी संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरनाथ की गुफा में जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वयं को "जम्मू एवं कश्मीर इस्लामिक हरकत-उल-मोमिनीन" बताने वाले एक आतंकवादी गुट ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की थी और इसका उल्लंघन करने के प्रति धमकियां जारी की थी। बाद में मिली सूचनाओं, जो स्थानीय समाचार पत्रों में छप चुकी हैं, के अनुसार प्रतिबंध हटा लिया बताया जाता है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा सुकुशल आयोजित हो जाए, व्यापक प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी प्रबंध कर रही है। इनमें शामिल हैं : यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों के पिकेट तैनात करना, सम्पूर्ण मार्ग पर गहन गश्त लगाना, यात्री काफिलों को मार्गरक्षक उपलब्ध कराना तथा यात्रियों के रहने एवं खाने-पीने का प्रबंध करना। यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ावों पर राशन एवं अन्य आपूर्ति पहले ही भेजी जा चुकी है औ विभिन्न प्रबंधों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और प्रबोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

कालेज खोलने की मांग

2269. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की जनता अनेक वर्षों से इन जिलों में पुरूष और महिला महाविद्यालय खोलने की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ये महाविद्यालय कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). बारामूला जिले में बारामूला शहर में एक गर्ल्स डिग्री कालेज और एक ब्यॉज डिग्री कालेज तथा सोपोर में एक डिग्री कालेज पहले से ही हैं। कुपवाड़ा जिले में इस समय कुपवाड़ा और हन्डवाडा में डिग्री कालेज हैं। योजना आबंटन और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर डिग्री कालेजों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। नये कालेज खोलने के लिए कोई सीमा निर्धारित करना, नौवीं योजना में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कालेज शिक्षा हेतु उपलब्ध धन राशि पर निर्भर करेगा।

निवेश राशि

2270. श्री हरिन पाठक : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मंजूर की गई निवेश राशि और पूरी हो चुकी तथा उक्त अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में अनुमोदित निवेश की मात्रा, केन्द्रीय क्षेत्र की पूरी हो गई तथा चल रही परियोजनाओं तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रबोधित की जा

रही परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	अनुमोदित निवेश			व्यय की गई राशि		
	पूरी हो गई परियोजनाएं	चल रही परियोजनाएं	कुल परियोजनाएं	पूरी हो गई परियोजनाएं	चल रही परियोजनाएं	कुल परियोजनाएं
1991-92	6106	68451	74557	5314	26702	32016
1992-93	14455	86000	100455	14001	34810	49611
1993-94	7592	102376	109968	10338	45366	55704

ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी

2271. श्री संदीपान थोरात :
श्री उद्धव बर्मन :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार और योजना-वार कार्यनिष्पादन एवं खर्च की गई राशि तथा निगरानी हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के तहत दी गई राशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है, और जानकारी में लाई गई इस प्रकार की अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या इन योजनाओं का कार्यान्वयन/कार्यनिष्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति और उपयुक्त परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं-(1) समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना और (4) त्वारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत भौतिक निष्पादन और खर्च की गई राशि विवरण I से VI में सलंग्न है। मंत्रालय ने मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, रिलोज प्रक्रियाओं, गहन निरीक्षणों, केन्द्र/राज्य स्तरों पर समन्वयन समितियों द्वारा समीक्षा, क्षेत्र अधिकारी योजना, कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों। ग्रामीण विकास के राज्य प्रभारी सचिवों की बैठकों की मार्फत कार्यक्रमों की निगरानी की ठोस प्रणाली विकसित की है।

(ख) सामान्यतः इन कार्यक्रमों के बारे में निधियों का अन्यत्र प्रयोग नहीं किया गया। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निधियों के अन्यत्र प्रयोग के संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। सरकार ने लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) को इस संबंध में की गई कार्रवाई को टिप्पणियां प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ). कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करने के अतिरिक्त कार्यक्रमों की क्षमताओं तथा कमजोरियों का पता लगाने और उपयुक्त उपचारी उपाय करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों की मार्फत समवर्ती मूल्यांकन भी कराया जाता है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ	लाभान्वित परिवार			किया गया खर्च		
		1993-94*	1994-95*	1995-96*	1993-94*	1994-95*	1995-96*
							(रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	259697	159908	122863	8813.75	11287.12	8624.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	15207	18764	14381	523.65	583.79	583.21

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	63381	62584	59030	2532.34	3292.51	3519.89
4.	बिहार	335908	224736	265525	10873.59	8346.98	10784.51
5.	गोवा	3452	2192	2448	77.48	148.39	97.14
6.	गुजरात	79725	72418	55686	3354.85	3265.37	8077.68
7.	हरियाणा	34026	28285	29771	1318.31	1351.32	1663.74
8.	हिमाचल प्रदेश	9128	7355	6750	378.02	402.56	443.17
9.	जम्मू और कश्मीर	7408	13545	13176	426.67	711.97	728.07
10.	कर्नाटक	132861	125810	119685	4026.36	4354.35	5574.60
11.	केरल	53698	46294	43357	1973.75	2401.23	2268.90
12.	मध्य प्रदेश	242673	210629	210692	10040.21	10237.74	11305.57
13.	महाराष्ट्र	217671	196677	181597	7329.26	7577.04	9837.30
14.	मणिपुर	6333	7658	6077	175.91	315.82	314.46
15.	मेघालय	2635	6020	4534	198.33	352.05	392.03
16.	मिजोरम	4684	3345	5085	282.09	199.12	291.00
17.	नागालैंड	4368	1220	2104	310.79	156.08	182.45
18.	उड़ीसा	160000	139837	120669	6263.38	6034.80	7266.29
19.	पंजाब	33736	22701	11786	1471.24	1216.11	805.43
20.	राजस्थान	116567	107799	92818	4213.30	4626.81	4730.24
21.	सिक्किम	1218	1281	2843	40.96	45.99	146.25
22.	तमिलनाडु	214888	211221	183895	7269.39	8418.21	8515.03
23.	त्रिपुरा	16297	21818	14657	540.29	1049.70	766.73
24.	उत्तर प्रदेश	445403	369725	355916	20197.02	19335.12	19266.98
25.	पश्चिम बंगाल	73818	159722	161724	2959.40	6196.36	6693.99
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1171	1126	832	38.10	48.03	49.92
27.	दादरा और नागर हवेली	372	302	274	14.89	16.21	15.17
28.	दमन व द्वीव	507	97	89	18.74	4.92	6.56
29.	लक्षद्वीप	81	100	18	6.59	9.69	4.38
30.	पॉडिचेरी	1407	1221	1563	36.29	39.89	49.20
	योग	2538320	2214390	2089845	95664.95	102025.31	107913.90

* गहन जवाहर रोजगार योजना शामिल है।

विवरण–II

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार और किया गया खर्च

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित रोजगार			किया गया खर्च		
		1993-94*	1994-95*	1995-96*	1993-94*	1994-95*	1995-96*
		(लाख श्रम दिन)			(रुपये लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1028.90	812.25	701.57	32815.59	36266.38	34556.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.85	5.58	8.24	191.60	222.22	357.12
3.	असम	278.24	263.29	179.08	7911.51	10386.94	9583.33
4.	बिहार	1474.25	986.88	1197.03	68523.99	50731.49	62281.95
5.	गोवा	8.53	6.45	8.38	353.83	372.24	363.47
6.	गुजरात	232.64	258.48	209.42	11715.95	14166.06	12824.42
7.	हरियाणा	33.29	33.96	33.50	2164.35	2583.42	3304.78
8.	हिमाचल प्रदेश	34.54	28.87	21.45	1303.08	1150.10	1001.19
9.	जम्मू और कश्मीर	32.16	88.04	48.23	1406.91	3813.23	2534.38
10.	कर्नाटक	651.30	499.67	524.89	19257.68	23746.02	24908.76
11.	केरल	120.43	101.01	127.75	7788.38	7234.60	8888.24
12.	मध्य प्रदेश	849.24	1075.25	759.46	40178.27	50503.16	42377.25
13.	महाराष्ट्र	1188.50	1100.73	1014.47	27015.01	36760.33	39801.56
14.	मणिपुर	6.68	7.16	9.34	301.82	370.54	506.22
15.	मेघालय	9.55	8.50	4.86	359.46	407.31	200.28
16.	मिजोरम	6.32	5.72	5.20	350.70	336.38	284.56
17.	नागालैंड	16.02	8.47	5.76	668.66	410.70	264.07
18.	उड़ीसा	522.96	604.51	678.31	21493.65	25542.96	28671.48
19.	पंजाब	38.57	24.36	6.44	1922.31	1673.48	498.38
20.	राजस्थान	450.37	545.58	361.72	15875.91	19909.03	18204.39
21.	सिक्किम	10.14	7.03	9.27	273.07	189.21	618.83
22.	तमिलनाडु	881.10	1027.66	1069.75	27324.02	33982.35	39415.70
23.	त्रिपुरा	23.41	29.02	18.43	838.66	1131.61	788.23
24.	उत्तर प्रदेश	1791.16	1395.94	1532.46	71511.16	74606.88	83562.16
25.	पश्चिम बंगाल	554.03	580.82	414.75	25915.32	29856.99	30492.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.81	2.59	2.59	107.20	161.26	161.26
27.	दादरा और नागर हवेली	2.34	2.07	0.64	80.68	91.41	33.18
28.	दमन व द्वीप	0.59	0.55	1.11	25.94	27.36	33.02
29.	लक्षद्वीप	2.21	1.91	1.05	73.58	80.27	40.86
30.	पांडिचेरी	4.27	4.72	3.10	122.53	121.21	199.85
	योग	10258.40	9517.07	8958.25	387870.82	426833.14	446690.62

* गहन जवाहर रोजगार योजना शामिल है।

विवरण–III

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च/रोजगार सृजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	खर्च (रूपए लाख में)			सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2566.02	13787.18	12249.54	62.42	277.24	252.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.17	862.81	1956.55	3.64	20.84	50.67
3.	असम	963.09	4115.31	9822.98	31.75	95.50	181.85
4.	बिहार	1608.36	9639.54	12901.12	31.44	193.72	254.44
5.	गुजरात	146.21	1809.97	5751.65	6.75	35.26	92.45
6.	हरियाणा	993.85	2901.53	3814.72	15.20	34.64	52.11
7.	हिमाचल प्रदेश	2.47	115.02	455.55	0.05	3.20	6.86
8.	जम्मू और कश्मीर	133.75	2338.55	6715.49	3.46	59.85	129.96
9.	कर्नाटक	678.26	8024.38	12144.91	32.12	177.45	268.74
10.	केरल	171.20	1901.38	2241.90	2.60	27.64	32.47
11.	मध्य प्रदेश	2503.49	17959.01	22951.66	51.26	363.78	388.02
12.	महाराष्ट्र	430.10	7617.01	10295.49	31.53	233.89	293.23
13.	मणिपुर	116.89	1327.52	1337.11	3.06	28.60	31.21
14.	मेघालय	0.00	65.88	499.80	0.00	1.39	8.30
15.	मिजोरम	470.98	2206.36	2023.87	8.52	41.71	40.91
16.	नागालैंड	975.15	1124.87	1470.39	33.92	28.81	34.46
17.	उड़ीसा	1280.35	11655.94	13133.80	31.43	281.24	311.06
18.	राजस्थान	926.99	10876.32	14770.06	50.00	273.11	288.02
19.	सिक्किम	20.27	243.04	778.31	0.82	8.50	16.01
20.	तमिलनाडु	319.48	4409.34	7581.23	10.96	141.29	211.35
21.	त्रिपुरा	659.35	2375.65	1321.03	16.14	60.35	28.03
22.	उत्तर प्रदेश	647.68	8908.28	16731.98	15.00	165.63	318.23
23.	पश्चिम बंगाल	2621.00	9220.72	9929.64	52.53	184.79	143.08
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.41	42.11	10.28	0.10	0.57	0.11
25.	दादरा और नागर हवेली	1.51	3.16	20.17	0.04	0.10	0.23
26.	दमन व दीव	0.00	3.46	13.05	0.00	0.12	0.36
27.	लक्षद्वीप	0.00	10.94	44.33	0.00	0.34	1.02
	योग	18375.03	123545.28	170966.61	494.74	2739.56	3435.59

विवरण–IV

वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक निष्पादन और खर्च की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौतिक निष्पादन कवर किए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (त्वरित ग्रा. जल सप्लाई का. + भू.आ.का.)			खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में) (त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम)		
		1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1408	2774	3100	41.240	40.650	48.216
2.	अरुणाचल प्रदेश	149	148	224	5.176	8.081	4.500
3.	असम	751	1536	1233	18.120	20.000	18.450
4.	बिहार	3530	7185	11865	22.217	38.403	22.740
5.	गोवा	56	62	54	0.837	2.061	0.649
6.	गुजरात	458	464	1144	18.584	41.048	20.218
7.	हरियाणा	700	845	825	15.817	21.113	12.398
8.	हिमाचल प्रदेश	570	800	925	8.041	11.262	12.157
9.	जम्मू और कश्मीर	76	107	426	28.686	39.408	27.192
10.	कर्नाटक	5150	4935	8135	36.791	40.584	42.048
11.	केरल	164	214	1173	13.165	10.864	16.866
12.	मध्य प्रदेश	5963	12138	13112	49.730	49.460	32.756
13.	महाराष्ट्र	1373	6828	6350	43.741	59.434	58.806
14.	मणिपुर	155	170	246	2.962	3.745	1.201
15.	मेघालय	743	363	423	5.787	4.126	5.592
16.	मिजोरम	167	222	242	2.100	2.361	3.087
17.	नागालैंड	65	0	59	0.909	0.212	1.488
18.	उड़ीसा	5460	7351	8071	21.625	27.709	24.529
19.	पंजाब	343	426	293	11.306	9.624	6.459
20.	राजस्थान	2328	3054	4554	64.738	83.753	58.107
21.	सिक्किम	70	66	158	3.720	3.720	5.711
22.	तमिलनाडु	3751	3808	2954	30.908	27.771	33.732
23.	त्रिपुरा	215	610	1031	3.944	7.662	10.198
24.	उत्तर प्रदेश	6047	11283	19946	69.652	74.060	83.215
25.	पश्चिम बंगाल	1750	5372	6490	22.344	37.817	34.953
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19	20	27	0.000	0.000	0.000
27.	दादरा और नागर हवेली	0	112	50	0.000	0.000	–

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दमन व द्वीव	2	11	11	1.093	0.000	-
29.	दिल्ली	0	0	0	0.117	0.000	-
30.	लक्षद्वीप	4	2	4	0.350	0.006	0.100
31.	पॉडिचेरी	21	28	28	0.260	0.190	0.358
32.	चण्डीगढ़	-	-	-	0.000	0.000	-
	कुल	41488	70934	93223	543.960	665.121	607.910

अन्तिम

टिप्पणी : सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है। इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)

2272. श्री एन.डेनिस : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) के क्रियान्वयन हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों जिनकी प्रतियां सभी संसद सदस्यों को पहले ही वितरित ही जा चुकी है, के अनुसार लागू की जाती है।

(ख) और (ग). योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विवरण जिला कलेक्टरों से निश्चित अवधि पर मंगाया जाता है और इस संबंध में रूख क्या है, इसका विश्लेषण किया जाता है और उचित कार्रवाई की जाती है। इस योजना का कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य नहीं है।

अधिकतर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक कुल आबंटित 1572.80 करोड़ रुपये की राशि में से 775.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

बहुत सी बातों, जैसे कि चुनावों, धनराशि की निर्मुक्ति में विलम्ब और दिशा-निर्देशों में संशोधन, इस योजना से संबद्ध जिला प्रशासन के साथ शुरू-शुरू का अपरिचय आदि के कारण खर्च धीमी गति से हुआ है। तथापि, देश विभिन्न भागों में समाज द्वारा जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ऐसी टिकाऊ परिसंपतियों का सृजन हुआ है।

सौर प्लेट

2273. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली सौर ऊर्जा का सदुपयोग करने पर विचार करेगी और उद्योगों को घरों तथा कार्यालयों में लगाने हेतु सौर प्लेटों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विद्युत की कम आपूर्ति के सस्ते और बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). सरकार देशभर में सौर प्रकाशवोल्टीय तथा सौर तापीय ऊर्जा उत्पादों को शामिल करते हुए समाजोन्मुख तथा बाजार उन्मुख स्कीमों के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। अभी तक, देश में तापीय अनुप्रयोगों जैसे कि जल गर्म करना, सुखाना तथा अपक्षारीकरण के लिए सौर कलक्टरों का 3.5 लाख स्क्वे. मी. समग्र क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 4.10 लाख सौर कुकर उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध कराए गए हैं। 6 मेवा. से अधिक समग्र क्षमता वाली सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां रोशनी, वाटर पम्पिंग तथा ग्राम विद्युत जैसे अनुप्रयोगों के लिए स्थापित की गई है।

सौर ऊर्जा पद्धतियों के विनिर्माण तथा प्रयोग के लिए बहुत से राजकोषीय तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इनमें हैं-आयकर

प्रयोजनों के लिए 100 प्रतिशत मूल्यहास, उत्पाद शुल्क छूट, सीमा शुल्क की रियायती दरें तथा प्रयोगकर्ताओं के लिए उदार ऋण। सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी यूनिटों, जल पम्पिंग पद्धतियों, और आसवन यंत्रों तथा शोषकों पर सब्सीडी भी दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

2274. श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम कृपाल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों के लोगों को रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल-डीजल के पंपों के आबंटन में आरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग). वर्तमान नीति के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की निम्नानुसार व्यवस्था है :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	7 1/2 प्रतिशत
प्रतिरक्षा	7 1/2 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	3 प्रतिशत
उत्कृष्ट खिलाड़ी	2 प्रतिशत
सामान्य	55 प्रतिशत

पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। वे विद्यमान श्रेणियों के अंतर्गत अवसरों का लाभ उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

दस लाख कुएं योजना

2275. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "दस लाख कुएं योजना" के अन्तर्गत देश, विशेष रूप से गुजरात में प्रति वर्ष कितने कुएं बनाए गए; और

(ख) विशेष रूप से गुजरात में इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	निर्मित कुएं	
	अखिल भारत (गुजरात सहित)	गुजरात
1993-94	151673	5609
1994-95	158780	6407
1995-96	142462	4107

इसके अतिरिक्त 160453 कुएं अखिल भारतीय स्तर पर तथा 6299 कुएं गुजरात में निर्माणाधीन हैं।

(ख) दस लाख कुओं की योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की उप-योजना है को 1.1.1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रगति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है तथा योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु जहां आवश्यक हो अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

धौली गंगा विद्युत परियोजना

2276. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में धौलो गंगा विद्युत परियोजना के लिए स्थानीय ग्रामीण लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहित की है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें रोजगार देने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने लोगों को अभी तक रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या उन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 177.65 हैक्टेयर भूमि में से 24.57 हैक्टेयर कृषि भूमि है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने और जिनकी भूमि अधिगृहित की गयी है, उन लोगों को रोजगार देने सहित प्रतिपूर्ति पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया है और भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रोजगार

2277. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री चित्त बसु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार पाने योग्य लोगों को इस शताब्दी के अन्त तक लाभकारी रोजगार प्रदान करते हेतु कोई रणनीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस रणनीति का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). आठवीं योजना में वर्ष 2002 तक एक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। गहन रोजगार वाले सेक्टरों, उप सेक्टरों तथा कृषि जैसे कार्यकलापों, कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण आधार संरचना, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माणन क्षेत्रक, शहरी अनौपचारिक सेक्टर तथा सेवाओं के तीव्र विकास के आधार पर उत्पादी रोजगार अवसरों की तीव्र संवृद्धि के माध्यम से इस तथ्य को प्राप्त किया जाना है, आईआरडीपी, जेआरवाई तथा एनआरवाई जैसी चालू स्कीमों को जारी रखने के अलावा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) जैसी नई स्कीमें आठवीं योजना अवधि में आरम्भ की गई हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना निरूपण में इन स्कीमों तथा कार्यनीतियों की समीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस के सिलिन्डर

2278. **डा. सत्य नारायण जटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए रसोई गैस का प्रति किलोग्राम अलग-अलग मूल्य क्या है तथा उक्त दोनों प्रकार के सिलिन्डर में कितनी-कितनी गैस होती है;

(ख) क्या निजी गैस एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की जा रही गैस सिलिन्डर का भार तथा न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) घरेलू और वाणिज्यिक एल पी जी का भण्डारण स्थल पर प्रति किलो ग्राम मूल्य क्रमशः 6.90 रुपए और 13.90 रुपए है। इसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय उद्ग्रहण शामिल नहीं हैं। घरेलू सिलेंडर और वाणिज्यिक सिलेंडर में एल पी जी की मात्रा क्रमशः 14.2 किलो ग्राम और 19 किलो ग्राम होती है।

(ख) और (ग). समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी पक्षकारों को अगस्त, 1993 के संशोधित एल पी जी नियंत्रण आदेश के उपबंधों, गैस सिलेंडर नियमावली, 1981 व माप और तोल अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुरूप काम करना होता है। बहरहाल समानांतर विपणनकर्त्ताओं को बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल पी जी का विपणन करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति

2279. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पावरग्रिड को बकाया देय राशि का भुगतान न किए जाने के कारण 14.5.1996 से 14.6.1996 तक पावरग्रिड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत की आपूर्ति विनियमित हो गयी थी। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आंशिक भुगतान किए जाने और शेष राशि का शीघ्र भुगतान करने की वचनबद्धता दिए जाने के तत्काल बाद विद्युत आपूर्ति आरम्भ कर दी गयी थी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बिहार में कहलगांव विद्युत परियोजना

2280. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव विद्युत परियोजना के लिए भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीदी गई भूमि के विस्थापितों के आश्रितों की उक्त परियोजना में रोजगार दिए जाने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त विस्थापितों की संख्या कितनी है तथा इस परियोजना में अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) बिहार सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कहलगांव सुदूर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की है।

(ख) भागलपुर जिले में कुल 3123.915 करोड़ एकड़ भूमि तथा गोदडा जिले में 233.550 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी थी।

(ग) मांग/रिक्तियों और उपयुक्तता के आधार पर परियोजना से प्रभावित लोगों की भर्ती में वरीयता दी जाती है।

(घ) भूमि विस्थापितों की कुल संख्या 3587 है, जिसमें से 300 विस्थापितों/उनके नामितों को परियोजना में रोजगार दिया गया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस की भारी कमी

2281. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में तथा विशेषरूप से नागपुर में रसोई गैस की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा रसोई गैस की कमी को पूरा करने के लिए किसी ठोस उपाय पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत एल पी जी ग्राहकों की वर्तमान मांग कमोवेश पूर्णतः पूरी की जा रही है। अस्थाई रूप से होने वाली बकाया मांग बढ़ाए गए घंटों में और छुट्टी के दिनों में भराई संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से और आसपास के क्षेत्रों में स्थित भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके पूरी की जाती है।

(घ) और (ङ) नए गैस क्षेत्रों के विकास तथा कुछ वर्तमान गैस क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास के माध्यम से लगभग 63 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस का वर्तमान उत्पादन 2001-2002 तक बढ़कर 84 एम एम एस सी एम डी तक हो जाने की संभावना है।

इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम से प्रसारण

2282. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.आई.आर. ने कनाडा के "अहेड परियोजना" के सहयोग से इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम से सूचना इकट्ठा करने और प्रसारित करने के कार्यक्रम विकसित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सीएसआइआर का एक घटक इकाई प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय (अब जिसका नया नाम राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कोम) है अहैड एक्रोनिम फॉर एशियन हेल्थ, एंवायरमेंटल एंड एलाइड (डाटाबेसेस) में अग्रणी संस्थान के रूप में हिस्सा ले रहा है।

अहैड छह एशियाई देशों में फैला आठ एशियाई संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सीडी रोम्स के रूप में एशियाई क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक उत्पादों विषयक सूचना के प्रसार में लगा हुआ है।

प्रत्येक छह माह में तीन सीडी रोम डिस्कों को निकाले जाने का अनुमान है।

वर्तमान में इस परियोजना के लिए निधि अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी) कनाड़ा द्वारा दी गई है।

विटूमन की बिक्री

2283. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन राज्य सरकार को एजेंसियों को रियायती दर पर बिटूमन की बिक्री करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार सरकार को विभिन्न एजेंसियों के नाम पर अनियमित आबंटन क्रयादेश पर इंडियन आयल कारपोरेशन कनकडा द्वारा बिटूमन की कथित बिक्री की ओर गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) राज्य सरकारों की एजेंसियों को रियायती दर पर बिटूमेन नहीं बेचता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). बिहार में कथित बिटूमेन घोटाले से संबंधित प्रैस रिपोर्टों के आधार पर आई ओ सी ने इस मामले को आंतरिक जांच आरंभ कर दी है।

सफाई संबंधी समस्या

2284. श्री के.एस.आर. मूर्ति : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सफाई संबंधी समस्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी गंभीर है;

(ख) इस समस्या के समाधान के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या को किस प्रकार से समाधान करने का है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) संलग्न विवरण-I तथा II क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के तहत कवर की गई जनसंख्या को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्शाते है। शेष अर्थात देश में शहरी क्षेत्रों में 49.74 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 81.53 प्रतिशत जनसंख्या को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग). सफाई और पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान पर विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास हेतु 1994 में संयोजक के रूप में सचिव (स्वास्थ्य) सहित एक कार्यदल गठित किया गया था। दल द्वारा 2025 ई. तक समग्र विकास आवश्यकताओं का विस्तृत अनुमान लगाया गया है। इस मामले पर अन्तिम राय देने से पहले इनकी जांच की जानी है।

विवरण-I

31.3.93 के अनुसार स्वच्छता सुविधा प्राप्त कर रहीं शहरी जनसंख्या

('000' में जनसंख्या)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	सीवरेज प्रणाली से कवर की गई जनसंख्या	कम लागत की स्वच्छता से कवर जनसंख्या	कुल कवर की गई जनसंख्या	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	जोड़ आं.प्र.	1765	2370	4135	26.95
	आंध्र प्र. - पीएचईडी	465	1481	1946	16.07
	हैदराबाद शहर	1300	889	2189	67.62
2.	अरुणाचल प्रदेश एन	67	44	111	100.00
3.	असम *	258	110	368	14.19
4.	बिहार	550	6364	6914	58.13
5.	दिल्ली एन	4500	3000	7500	72.81
6.	गोवा	130	105	235	46.44
7.	गुजरात	8868	5006	13874	91.71
8.	हरियाणा	1382	922	2304	59.62
9.	हिमाचल प्रदेश	104	19	123	25.62
10.	जम्मू और कश्मीर	185	15	200	9.85
11.	जोड़-कर्नाटक	7456	1785	9241	71.27
	कर्नाटक-यूआरबी, बीडी	3640	1560	5200	54.45
	बंगलौर	3816	225	4041	90
12.	केरल	195	5266	5461	66.45
13.	मध्य प्रदेश	965	435	1400	8.83

1	2	3	4	5	6
14.	जोड़-महाराष्ट्र	16090	8424	24514	76.33
	महाराष्ट्र-शहरी	8740	6219	14959	69.20
	बम्बई एन	7350	2205	9555	91
15.	मणिपुर	0	68	68	12.40
16.	मेघालय	20	108	128	42.38
17.	मिजोरम	0	11	11	6.28
18.	नागालैंड	0	9	9	4.34
19.	उड़ीसा	747	1190	1937	44.71
20.	पंजाब	1890	746	2636	42.39
21.	राजस्थान	650	6455	7105	65.39
22.	सिक्किम	35	68	103	52.82
23.	जोड़-तमिलनाडु	6752	974	7726	33.67
	तमिलनाडु-टीडब्लूएडी एन	3190	622	3812	20.03
	मद्रास शहर	3562	352	3914	100.00
24.	त्रिपुरा एन	0	39	39	11.33
25.	उत्तर प्रदेश	5935	3957	9892	33.56
26.	जोड़ पं. बंगाल	5322	2524	7846	40.41
	पश्चिम बंगाल	392	943	1335	17.77
	कलकत्ता-सीएमडीए	4930	1581	6511	54.71
	कुल राज्य	63866	50014	113880	50.06
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह एन	0	77	77	85.55
2.	चण्डीगढ़	617	0	617	100
3.	दादर और नगर हवेली	0	8	8	57.14
4.	दमनल व दीव	0	0	0	0
5.	लक्षद्वीप	0	14	14	48.27
6.	पांडिचेरी	200	186	386	74.66
	जोड़ सं.रा.क्षे.	817	285	1102	85.16
	कुल जोड़	64683	50299	1149882	50.26

आरएसपी ।. डब्लू के ।

एन - इन राज्यों की सूचना पिछले वर्षों की है—अर्थात अरुणाचल प्रदेश-1990, बम्बई-1991, टी डब्ल्यू ए डी बी डी-1991, त्रिपुरा-1986, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह-1991

* - असम राज्य के आंकड़े 1985 में दर्शाए नए आंकड़ों से कम हैं। सफाई के संबंध में निदेशक, एमपीएल प्रशासन विभाग, असम सरकार से आंकड़े देने के लिए कहा गया है।

स्रोत : सी पी एच ई ई ओ, शहरी विकास विभाग।

विवरण–II

1995–96 तक स्वच्छता के तहत कवर की गई ग्रामीण जनसंख्या

(000 में जनसंख्या)

क्र. सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से		निजी पहलों के माध्यम से		जोड़	
		कवर की गई जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का %	कवर की गई जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का %	कवर की गई जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3163.70	6.51	6195.90	12.74	9359.60	19.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.60	5.38	576.60	76.49	617.20	81.87
3.	असम	205.90	1.03	11303.60	56.73	11509.50	57.76
4.	बिहार	2043.00	2.72	5519.90	7.36	7562.90	10.08
5.	गोवा	58.60	8.49	278.20	40.32	336.80	48.81
6.	गुजरात	1095.10	4.05	5145.80	19.01	6240.90	23.06
7.	हरियाणा	1362.90	10.98	1769.30	14.26	3132.20	25.24
8.	हिमाचल प्रदेश	1477.50	31.29	1550.60	32.84	3028.10	64.13
9.	जम्मू और कश्मीर	236.20	4.02	1191.70	20.27	1427.90	24.29
10.	कर्नाटक	941.10	3.03	2729.50	8.79	3670.60	11.82
11.	केरल	1150.70	5.37	10976.00	51.25	12126.70	56.62
12.	मध्य प्रदेश	1890.40	3.72	3194.00	6.28	5084.40	10.00
13.	महाराष्ट्र	1046.70	2.16	3792.30	7.84	4839.00	10.00
14.	मणिपुर	95.00	7.14	1259.30	94.58	1354.30	101.72
15.	मेघालय	81.30	5.63	342.70	23.72	424.00	29.35
16.	मिजोरम	33.00	8.89	357.30	96.09	390.30	104.98
17.	नागालैंड	76.20	7.61	64.80	6.47	141.00	14.08
18.	उड़ीसा	877.50	3.20	1631.50	5.95	2509.00	9.15
19.	पंजाब	486.10	3.40	1550.50	10.85	2036.60	14.25
20.	राजस्थान	1486.90	4.38	4241.60	12.50	5728.50	16.88
21.	सिक्किम	72.70	19.66	194.30	52.59	267.00	72.25
22.	तमिलनाडु	2579.80	7.01	3252.60	8.84	5832.40	15.85
23.	त्रिपुरा	87.20	3.73	1911.90	81.86	1999.10	85.59
24.	उत्तर प्रदेश	5176.30	4.64	11784.00	10.57	16960.30	15.21
25.	पश्चिम बंगाल	1363.90	2.76	6336.40	12.83	7700.30	15.59
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	24.70	12.02	67.10	32.64	91.80	44.66
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.06	5.00	7.50	5.00	7.56

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादर और नगर हवेली	4.80	3.80	23.00	18.11	27.80	21.91
29.	दमन व दीव	1.50	2.81	7.40	13.68	8.90	16.49
30.	दिल्ली	45.90	4.83	20.70	2.18	66.60	7.01
31.	लक्षद्वीप	11.20	49.58	13.30	58.71	24.50	108.29
32.	पांडिचेरी	22.40	7.70	37.30	12.83	59.70	20.53
33.	कापार्ट	878.90		681.40		1560.30	
	जोड़	28117.70	4.47	88005.50	14.00	116123.20	18.47

आरएसपी, डब्लू के।

एन पी : उक्त आंकड़े स्वच्छ शौचालय सुविधा से कवर जनसंख्या है।

स्रोत : राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ग्रामीण विकास विभाग

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड

2285. श्री शरत पटनायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृक्षारोपण में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के दोहरे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, इनके विलय के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड को अलग अलग कार्य सौंपे गये हैं, जिन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को सौंपा गया कार्य

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड बनेतर क्षेत्रों में भूमि के अवक्रमण को रोकथाम के विकास, देश की ऐसी बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने तथा बायोमास की उपलब्धता विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करन, बंजरभूमि विकास की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में लाने के लिए एक मिशन नीति अपनाएगा। इसके लिए यह :-

(क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड के सहयोग से देश में गैर-वन क्षेत्रों में सतत रूप से बंजरभूमि के प्रबंध एवं विकास के लिए एक भावी योजना तैयार करेगा।

(ख) ऐसी बंजरभूमि का पता लगाएगा, एक विश्वसनीय आंकड़ा आधार बनाएगा और गैर-वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए अपेक्षित संसाधन और सहायता जुटाने के लिए केन्द्र और राज्यों के संबंधित विभागों/एजेंसियों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा।

(ग) ऐसी बंजरभूमि के समेकित विकास विशेष रूप से ईंधन और चारे के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक किफायती ढंग से क्रमबद्ध आयोजना और कार्यान्वयन के जरिए कार्य पद्धतियां तैयार करेगा।

(घ) गैर वन और निजी बंजरभूमि पर ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी के वृक्ष उगाना ताकि वन क्षेत्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और उद्योग तथा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ङ) बंजरभूमि विकास के नई एवं उचित प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु अनुसंधान परिणामों के अनुसंधान एवं विस्तार को प्रायोजित करेगा।

(च) अनुसंधान प्रायोजित करेगा और स्वयंसेवी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्यों की सहायता से गैर वन वाले क्षेत्रों में बंजरभूमि विकास के लोगों के आंदोलन को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा और सामुदायिक/सार्वजनिक भूमि तथा अन्य इसकी प्रकार के निम्नकोटि के सामूहिक सम्पति संसाधनों के भागीदारी पूर्ण तथा स्थायी प्रबंध को बढ़ावा देगा।

(छ) ऐसी बंजरभूमि से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य योजनाएं समन्वित करेगा और उनकी निगरानी करेगा

ताकि एक क्रमबद्ध और किफायती ढंग से भूमि की गुणवत्ता को उन्नत बनाया जा सके, और

(ज) देश में गैर वन क्षेत्रों में बंजरभूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी अन्य आवश्यक उपाय करेगा।

नोट : - गैर वन क्षेत्रों से आशय उन क्षेत्रों से है जिनकी देखरेख राष्ट्रीय वनीकरण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा नहीं की जा रही है।

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड को सौंपा गया कार्य

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड देश में वनीकरण, वृक्षारोपण सुधार और पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा। अवक्रमिक वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के आस-पास की भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों का पारिस्थितिकी विकास और पुनरूद्धार तथा पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों जैसे पश्चिमी हिमालय, अरावली की पहाड़ियों और पश्चिमी घाटी के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास के लिए योजना तैयार करते हुए बोर्ड निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगा।

(क) अवक्रमित वन क्षेत्रों और उसके आस-पास की भूमि का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सुधार करने के लिए कार्य नितियां तैयार करना,

(ख) पारिस्थितिकीय सुरक्षा तथा ग्रामीण समुदायों की ईंधन लकड़ी, चारा तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों को बढ़ावा देने हेतु देश में प्राकृतिक पुनरूद्धार अथवा अन्य समुचित उपायों से वनावरण में सुधार लाना।

(ग) अवक्रमित वनों तथा उनके आस पास की भूमि के सुधार तथा विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रचार हेतु अनुसंधान करना तथा ऐसे अनुसंधानों के निष्कर्षों के विस्तार को बढ़ावा देना

(घ) पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरण से संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थानों की सहायता से वनीकरण तथा पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जन-आंदोलन तैयार करने में मदद देना, अवक्रमित वनों तथा आस-पास की भूमि के आपसी तथा सतत प्रबंध को बढ़ावा देना,

(ङ) वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार व पारिस्थितिकी विकास के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय तथा उसकी निगरानी करना,

(च) देश में वनीकरण, वृक्षारोपण पारिस्थितिकी सुधार और पारिस्थितिकी विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य उपाय करना।

सम्पति को फ्रीहोल्ड करना

2286. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लीजहोल्ड सम्पति को फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु संशोधित योजना के अंतर्गत सम्पतिधारकों से अपर्याप्त रियायत देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्पति धारकों के लिए यह योजना और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए लीजहोल्ड सम्पति को फ्रीहोल्ड में बदलने को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ). प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है, लेकिन पहले से घोषित रियायतों के आलोक में, स्कीम को और उदार बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मिट्टी के तेल का आबंटन

2287. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 1995 से राज्यों को प्रति माह समान आधार पर मिट्टी के तेल का आबंटन शुरू कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि परंपरा के अनुसार सर्दी और मानसून के लिए आबंटन में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी कर दी जाती है.

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने आबंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). अप्रैल, 1955 से जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन एक समान आधार पर किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्थान को भी मिट्टी के तेल का आबंटन एक समान आधार पर किया जा रहा है। मिट्टी तेल के समान मासिक आबंटन पद्धति के अंतर्गत हर प्रकार के मौसम में पूरे वर्ष मिट्टी तेल आबंटन का एक ही स्तर रखा जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिलों, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को

कोटा समय पर जारी कर दिया गया है और मिट्टी तेल को इधर उधर करने की कार्रवाई को रोका गया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों से समय समय पर अतिरिक्त मिट्टी तेल के आबंटन के लिए अनुरोध मिलते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ था। किन्तु, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कमी तथा भारी मात्रा में राज सहायता के कारण, राज्यों की संपूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है। तथापि गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश में मिट्टी तेल आबंटन में समग्र रूप से तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसमें अन्तः राज्य असमानता को कम करने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति कम खपत और प्रति व्यक्ति अधिक खपत वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई गई थी। महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 1996-97 में 15275 मी.ट. मिट्टी तेल की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई गई।

कर्नाटक में शहरों का विकास

2288. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत कुल कितने छोटे व मध्यम शहरों के विकास की सिफारिश की गई है;

(ख) उनमें से कितने शहरों को वर्ष 1995-96 के दौरान हाथ में लिया गया;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितने और शहरों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) के वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत कर्नाटक सरकार ने विकास हेतु 16 प्राथमिकता कस्बों की सिफारिश की है।

(ख) प्राथमिकता सूची के 16 कस्बों में से 1995-96 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत 6 कस्बे शामिल किये गये हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 के दौरान आई.डी.एम.एम.टी. के तहत लाभान्वयन हेतु कस्बों की संख्या का नियतन, पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं के लिए राज्य हिस्सेदारी की उपलब्धता, पहले रिलीज की गई निधियों बाबत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने, दिशा-निर्देशों के अनुरूप पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, आदि पर निर्भर करेगा। इस संबंध में कर्नाटक सरकार से कुछ चैकलिस्ट सूचना मांगी गई है। इस सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

दिल्ली में विद्युत का उत्पादन

2289. श्री बी.एल.शर्मा "प्रेम" :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 ई. तक दिल्ली के लिए विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक नई योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) यह योजना दिल्ली में कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) भारत सरकार की विद्युत सर्वेक्षण समिति की 14वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 ई. तक डेसू के प्रणाली की पूर्वानुमानित मांग 3179 मेगावाट हो जाएगी।

(ख) से (ङ). डेसू में वित्तीय तथा कार्यात्मक सुधारों के लिए एक कार्य योजना (1995-2000 ई.) तैयार की है, जिसमें डेसू का ढांचागत-पुनर्गठन तथा उसके विभिन्न स्कन्धों का नवीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई है, ताकि डेसू को एक अतिदक्ष निकाय के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तथा अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें नई क्षमता जोड़ना, विद्यमान यूनिटों से विद्युत का ईष्टतम उत्पादन करना, दिल्ली में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, बेहतर मांग प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्द्धन संबंधी उपाय को अपनाना भी शामिल है।

एनरॉन

2290. श्री अमर रायप्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में एनरॉन परियोजना के लिए एनरॉन कंपनी ने अनुमानतः कितनी लागत की घोषणा की है;

(ख) आज तक कुल कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है;

(ग) क्या इस परियोजना में विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो आज तक कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) 2450 मे.वा. की पुनः आरंभ की गयी डाभोल विद्युत परियोजना की पूंजीगत

लागत, जिस पर डाभोल विद्युत कंपनी (डीपीसी) द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ सहमति प्रकट की गयी है, 2501.2 मिलियन अमरीकी डॉलर (पुनः गैसीकरण सहित) है।

(ख) डाभोल विद्युत कंपनी ने 1.3.95 को वित्तीय समापन होने के पश्चात् परियोजना के चरण-I पर कार्य आरंभ कर दिया था। तथापि, महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने डाभोल विद्युत कंपनी को दिनांक 7.8.95 को तत्काल ही डाभोल कार्य स्थल पर कार्य रोकने का पत्र जारी किया तथा डीपीसी द्वारा कार्य रोक दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निजी उद्यमियों के साथ समझौता

2291. **श्री काशीराम राणा :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियों सहित किन-किन निजी उद्यमियों के साथ समझौता हुआ है;

(ख) योजनावधि के दौरान शुरू की गई तथा पूरी की गई विद्युत परियोजनाओं का परियोजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक 23 निजी उद्यमियों ने उनके विद्युत केन्द्रों से उत्पादित बिजली की खरीद किए जाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के साथ विद्युत क्रय करारों (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान, अब तक निम्नलिखित परियोजनाएं निजी क्षेत्र में लगाई गई व पूरी की गई हैं :-

(1) ट्राम्बे गैस टर्बाइन (यूनिट-I) (100 मेगावाट), महाराष्ट्र,

(2) दहानू ताप विद्युत केन्द्र (चरण-I) (250 मेगावाट), महाराष्ट्र,

(3) दहानू ताप विद्युत केन्द्र (चरण-II) (250 मेगावाट), महाराष्ट्र

(4) ट्राम्बे संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (चरण-I) (60 मेगावाट), महाराष्ट्र

(5) भिड़ा पम्पड़ स्टोरेज स्कीम (150 मेगावाट), महाराष्ट्र,

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जो विद्युत परियोजनाएं इस समय निजी क्षेत्र में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वे परियोजनाएं जिनके लिए विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	वि.क्र.क. पर हस्ताक्षर की तिथि	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	गोदावरी	208	13.7.94	स्पैक्ट्रम बैंक, यू.एस.ए./जया फूड्स एंड एन.टी.पी.सी.
2.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी	216	4.7.94	जीवीके इंडस्ट्रीज लि., यूएसए
3.	कृष्णापट्टनम "ए" टीपीएस	500	23.11.94	जीवीके इंडस्ट्रीज लि.
4.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीएस	500	24.11.94	बेसीकौरप इंटरनेशनल पावर
5.	रामागुंडम	500	31.1094	बी.पी.एल. ग्रुप
6.	विशाखापट्टनम टीपीएस	1000	9.12.94	अशोक लेलैण्ड/नैशनल पावर यू.के.
	अरुणाचल प्रदेश			
7.	खरसांग जीबीपीपी	48	31.3.94	इन्टर कारपो./स्नोवी माउंटेन इंजी., आस्ट्रेलिया
	असम			
8.	अमगुरी जीबीपीपी	280	22.11.94	असम पावर पाटनर्स

1	2	3	4	5
	गुजरात			
9.	हजीरा सीसीपीपी	515		एसएसआर ग्रुप
10.	पगुथन जीबीपीपी	655	3.2.94	गुजरात टॉरेन्ट इनर्जी कारपो. लि.
	कर्नाटक			
11.	मंगलौर टीपीएस	1000	30.9.94	काजैन्ट्रीक्स इन्क, यूएसए
	महाराष्ट्र			
12.	भद्रावती टीपीएस	1072	**	स्पात एलॉयज लि./इसीजीड यू.के./इडीएफ., फ्रांस
13.	डाबौल सीसीजीटी	2015	8.11.95	एन्रौन डेव. कारपो., जी एंड वैकटेल, यूएसए
14.	नागथीन जीबीपीपी	410	**	रिलायन्स पावर
	मध्य प्रदेश			
15.	बन्डेर डुवेल फ्यिूल टीपीएस	330		एसएसआर इनवैस्ट लि., मुंबई
16.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	1000	15.9.95	दायवू कॉरपोरेशन, साउथ कोरिया
17.	कोरबा वैस्ट एक्स.	420	18.4.94	मैसर्स मुकन्द लि.
18.	महेश्वर एचइपी	400	11.11.94	मैसर्स एस.कमारस/वैकटेल, यूएसए
	उड़ीसा			
19.	डुबरी टीपीएस	500	10.7.93	कलिंगा पावर कॉरपो. (पावर, यूएसए)
20.	आईबी वैली टीपीएस	420	5.1.95	एइएस कॉरपो. लि.
21.	लमांगा टीपीएस	500	14.1.94	पायनीयर एंड पांडा इंजी, यूएस
	तमिलनाडु			
22.	पिलैय पेरू मलनलुर	320	22.10.94	डायना विजन ऑफ रेड्डी कॉ.
23.	जीरो यूनिट (एन.एल.सी.	250	28.9.94	पावर सीस्टम इनक

** इस महीने हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

विवरण–II

निजी क्षेत्र में विद्युत की शुरूआत प्रगति एक नजर में
लगभग 3500 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	सम्प्रवर्तक
1	2	3	4	5
1.	जेगुरूपाडु	ए.पी.	216	जीवीके
2.	गोदावरी	ए.पी.	208	स्पैक्ट्रम टैक.
3.	डाबौल	महाराष्ट्र	715	एनरौन
4.	बसप्पा	हि.प्र.	300	जेपी इंडस्ट्रीज
5.	हजीरा	गुजरात	515	एसएसआर
6.	पगुथन	गुजरात	655	टोरेन्ट

1	2	3	4	5
7.	महेश्वर एचइपी	एम.पी	400	एस. कुमारस
8.	तवा एचइपी	एम.पी.	12	एचइजी
9.	जोजोबेरा	बिहार	200	जमशेदपुर पावर कं.
10.	जीआईपीसीएल बड़ौदा	गुजरात	160	जी.आई.पी.सी.एल.
11.	शिपुर एचइपी	कर्नाटक	18	भोरका पावर कं.
12.	मनियार एचइपी	केरला	12	कॉरबोरेन्डम यूनिवर्शल
13.	आदमतिला	असम	9	डी.एल.एफ.
14.	बनमाकान्डी	असम	15.5	डी.एल.एफ.

पेट्रोलियम उत्पादन

2292. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न तेल शोधक कारखानों में प्रति वर्ष कुल कितने पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है;

(ख) देश में पेट्रोलियम की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ग) इस समय तेल शोधक कारखानों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इस क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). 1994-95 और 1995-96 के दौरान सभी रिफाइनरियों के पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, क्षमता उपयोग और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मात्रा एम एम टी में)

	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
वास्तविक क्रूड थ्रुपुट	56.53	58.58
क्षमता उपयोग	105.9%	103.9%
पेट्रोलियम उत्पादों की मांग	65.49	72.54

केरल में बिजली की कमी

2293. श्री सुरेश कोडीकुन्नील :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में विद्युत की कुल खपत और वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में खपत कितनी है;

(ख) राज्य को बिजली की कुल कितनी अतिरिक्त आवश्यकता है;

(ग) क्या राज्य में कुछ नई परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है??

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). 31.3.96 की स्थिति के अनुसार केरल में अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1491.50 मेगावाट थी। वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य की निबल ऊर्जा आवश्यकता 10835 मिलियन यूनिट थी, जिसमें से उसके अपने संसाधनों तथा केन्द्रीय क्षेत्र से उसकी हिस्सेदारी द्वारा केवल 9288 मिलियन यूनिटें ऊर्जा की पूर्ति की जा सकी। इस प्रकार राज्य को 1547 मिलियन यूनिट अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 के दौरान केरल में निम्नलिखित क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है :-

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
लोअर पेरियार (जल विद्युत)	60×3 = 180
ब्रह्मपुरम डी.जी.पी.एस (ताप विद्युत)	5×20 = 100

रोजगार आश्वासन योजना

2294. श्री सुधीर गिरि :
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा" :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के आवंटन व्यय और लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) संभावित लाभार्थियों के नाम दर्ज करने का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की जिलावार संख्या कितनी-कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) केन्द्र और राज्य की रिलीज तथा खर्च के विवरण-I में संलग्न है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कोई आवंटन निर्धारित नहीं किया जाता क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है। योजना के लाभार्थियों का विवरण नहीं रखा जाता है। तथापि, योजना के अंतर्गत सृजित राज्यवार श्रमदिनों को संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

(ख) संभावित लाभार्थियों को रोजगार लेने के लिए स्थानीय पंचायतों में अपना नाम पंजीकृत कराना होता है।

(ग) वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 के अंत तक उत्तर प्रदेश में रोजगार केन्द्रों के वर्तमान रजिस्टर में नौकरी चाहने वालों, जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं है, की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-III संलग्न है। जिलावार सूचना नहीं रख जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(अनन्तिम)

(रुपए लाख में) (9.7.96)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	1.4.95 तक खर्च न की गई निधियां	केन्द्रीय रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल (केन्द्र + राज्य)	उपलब्ध कुल निधियां	खर्च	कुल उपलब्ध निधियां की तुलना में प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1134.30	14550.00	3637.50	18187.50	19321.80	12249.54	63.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	501.02	1859.00	464.75	2323.75	2824.77	1956.55	69.26
3.	असम	3299.10	8020.00	2005.00	10025.00	13324.10	9822.98	73.72
4.	बिहार	7627.10	16230.00	4057.50	20287.50	27914.60	12901.12	46.22
5.	गुजरात	3125.07	6970.00	1742.50	8712.50	11837.57	5751.65	48.59
6.	हरियाणा	1354.62	3320.00	830.00	4150.00	5504.62	3814.72	69.30
7.	हिमाचल प्रदेश	551.26	450.00	112.50	562.50	1113.76	455.55	40.90
8.	जम्मू और कश्मीर	2258.95	6740.00	1685.00	8425.00	10683.95	6715.49	62.86
9.	कर्नाटक	3009.86	10970.00	2742.50	13712.50	16722.36	12144.91	72.63
10.	केरल	352.42	1850.00	462.50	2312.50	2664.92	2241.90	84.13
11.	मध्य प्रदेश	4826.25	22940.00	5735.00	28675.00	33501.25	22951.66	68.51
12.	महाराष्ट्र	4286.64	11460.00	2865.00	14325.00	18611.64	10295.49	55.32
13.	मणिपुर	618.09	900.00	225.00	1125.00	1743.09	1337.11	76.71
14.	मेघालय	934.12	250.00	62.50	312.50	1246.62	499.80	40.09
15.	मिजोरम	72.66	1200.00	3100.00	1500.00	1572.66	2023.87	128.69
16.	नागालैंड	349.98	2080.00	520.00	2600.00	2949.98	1470.39	49.84
17.	उड़ीसा	2253.71	11460.00	2865.00	14325.00	16578.71	13133.80	79.22
18.	राजस्थान	5146.69	14030.00	3507.50	17537.50	22684.19	14770.06	65.11
19.	सिक्किम	81.69	330.00	82.50	412.50	494.19	778.31	157.49
20.	तमिलनाडु	1517.43	8410.00	2102.50	10512.50	12029.93	7581.23	63.02
21.	त्रिपुरा	0.00	1560.00	390.00	1950.00	1950.00	1321.03	67.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	उत्तर प्रदेश	7689.35	15560.00	3890.00	19450.00	27139.35	16731.98	61.65
23.	पश्चिम बंगाल	2849.53	9240.00	2310.00	11550.00	14399.53	9929.64	68.96
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.48	40.00	0.00	40.00	45.48	10.28	22.60
25.	दादर और नगर हवेली	20.33	30.00	0.00	30.00	50.33	20.17	40.08
26.	दमन व द्वीव	1.54	20.00	0.00	20.00	21.54	13.05	60.58
27.	लक्षद्वीप	114.06	100.00	0.00	100.00	214.06	44.33	20.71
	अखिल भारत	53981.25	170569.00	42594.75	213163.75	267145.00	170966.61	64.00

विवरण–II

वर्ष 1995–96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत भौतिक निष्पादन

(अनंतिम)

(लाख श्रमदिन) (9.7.1996 तक)

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का नाम	सृजित श्रमदिन						कार्यों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	महिलाएं	भूमिहीन	पूरे किए	चल रहे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	89.52	55.37	107.53	252.41	97.84	असूचित	1822	8614
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	50.67	0.00	50.67	15.89	0.00	1329	940
3.	असम	32.64	61.08	88.13	181.85	17.69	90.34	2455	2584
4.	बिहार	79.10	86.38	88.96	254.44	153.36	157.16	7451	8558
5.	गुजरात	14.22	41.33	36.90	92.45	25.75	35.40	3146	3853
6.	हरियाणा	35.81	0.00	16.30	52.11	12.15	49.30	7779	841
7.	हिमाचल प्रदेश	2.37	2.95	1.54	6.86	0.90	0.00	471	754
8.	जम्मू और कश्मीर	असूचित	असूचित	असूचित	129.96	असूचित	असूचित	7405	4865
9.	कर्नाटक	69.56	26.26	172.92	268.74	70.38	109.82	17586	6901
10.	केरल	8.79	4.50	19.18	32.47	11.14	2.14	1171	987
11.	मध्य प्रदेश	86.03	187.39	114.60	388.02	151.89	127.08	8230	11054
12.	महाराष्ट्र	74.31	73.65	145.27	293.23	93.38	109.89	13475	12777
13.	मणिपुर	0.00	31.21	0.00	31.21	असूचित	असूचित	495	874
14.	मेघालय	0.02	8.27	0.01	8.30	0.78	1.59	1140	182
15.	मिजोरम	0.00	40.91	0.00	40.91	13.75	0.00	असूचित	असूचित
16.	नागालैंड	0.00	34.46	0.00	34.46	11.11	0.00	236	221
17.	उड़ीसा	74.11	157.45	79.50	311.06	97.72	70.31	13067	11439
18.	राजस्थान	95.44	70.00	122.58	288.02	116.08	51.70	5237	7659
19.	सिक्किम	1.75	4.87	9.39	16.01	3.51	0.00	1057	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	तमिलनाडु	95.08	21.49	94.78	211.35	72.92	176.30	20115	4759
21.	त्रिपुरा	4.84	13.95	9.24	28.03	9.33	13.17	1736	1658
22.	उत्तर प्रदेश	151.91	5.30	161.02	318.23	73.43	68.90	7485	13854
23.	पश्चिम बंगाल	52.04	29.03	62.01	143.08	41.54	88.01	1546	3673
24.	अं. व निको. द्वीपसमूह	0.00	0.09	0.02	0.11	0.01	0.01	0	1
25.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.23	0.00	0.23	0.16	0.00	5	10
26.	दमन व द्वीव	0.00	0.01	0.35	0.36	0.01	0.00	6	2
27.	लक्षद्वीप	0.00	1.02	0.00	1.02	0.26	0.00	993	726
	अखिल भारत	967.54	1007.87	1330.23	3435.59	1090.98	1151.12	125438	107804

विवरण-III

उत्तर प्रदेश में रोजगार केन्द्रों के वर्तमान रजिस्टर में नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

वर्ष (के अंत तक)	वर्तमान रजिस्टर में संख्या
1993	2379.6
1994	2356.6
1995	2514.5
1996 (31 मार्च)	2496.0

टिप्पणी : रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

2295. श्री पिनाकी मिश्र : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी उप-दल ने 1995-2005 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित शहरी परिवहन सहित शहरी विकास संबंधी कार्यदल के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुद्दों पर एक उप-दल गठित किया गया था। उप-दल ने नौवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा सम्बद्ध निवेशों के बारे मे प्रस्ताव तैयार करते समय 1995-2005 के दौरान एनसीआर हेतु समग्र विकास आवश्यकताओं के व्यापक अनुमान भी तैयार किये हैं। इस मामले में अंतिम राय दिए जाने से पूर्व इनकी जांच की जानी है।

(ग) मई, 1996 तक कुल 46 विकास परियोजनायें पूरी कर ली गई हैं, जबकि अन्य 43 परियोजनायें हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के नगरों में और मध्य प्रदेश (ग्वालियर) में अवस्थित काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र, राजस्थान (कोटा), पंजाब (पटियाला) तथा उत्तर प्रदेश (बरेली) में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

कर्मचारी संघों को मान्यता

2296. डा. बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार मंत्रालय के अन्तर्गत कर्मचारी संघों को मान्यता देने हेतु 35 प्रतिशत का मानदंड रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संचार मंत्रालय के अंतर्गत पहले से ही कुछ मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को माना जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 के नियम 5(घ)(i) की शर्तों के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत मान्यता मांगने वाले सेवा संघों की कम से कम 35 प्रतिशत सदस्यता होनी चाहिए। इसमें यह भी व्यवस्था है कि किसी श्रेणी विशेष में यदि किसी एक संघ, बशर्ते उसकी कम से कम 15 प्रतिशत सदस्यता हो, को मान्यता दी जा सकती है। ये नियम रेल मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों तथा रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को छोड़कर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सभी सेवा संघों पर लागू होते हैं। दिनांक 5.11.1993 को उक्त नियमों की अधिसूचना से पूर्व संचार मंत्रालय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघों की सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) और (ङ). सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिनमें मंत्रालय/विभाग ने संगत निर्णय का पालन न किया हो।

विवरण-I

केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 की दिनांक 5.11.93 की अधिसूचना से पूर्व दूर-संचार विभाग में मान्यता प्राप्त स्टाफ फेडरेशन/स्टाफ यूनियन/सेवा संघों (सर्विस एसोसिएशन) की सूची।

1. स्टाफ फेडरेशन :-

(1) नेशनल फेडरेशन आफ टेलीकम एम्पलाईज

(2) फेडरेशन आफ नेशनल टेलीकम आर्गेनाइजेशन

(3) भारतीय टेलीकम एम्पलाईज फेडरेशन

2. नेशनल फेडरेशन आफ टेकनीकल एम्पलाईज से संबद्ध स्टाफ यूनियन

(1) आल इण्डिया टेलीकम एम्पलाईज यूनियन क्लास-III

(2) आल इण्डिया टेलीकम इंजीनियरिंग एम्पलाईज यूनियन लाइन स्टाफ एण्ड ग्रुप डी

(3) आल इण्डिया टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज यूनियन क्लास-III

(4) आल इण्डिया टेली ग्राफ ट्रेफिक एम्पालईज यूनियन क्लास-IV, सीएचक्यू

(5) आल इण्डिया टेलीकम एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसिज एम्पलाईज यूनियन क्लास-III

3. फेडरेशन आफ नेशनल टेलिकम आर्गेनाइजेशन से संबद्ध स्टाफ यूनियन

(1) आल इण्डिया टेलीग्राफ मिनिसट्रियल एम्पलाईज यूनियन

(2) नेशनल यूनियन आफ टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज ग्रुप "डी"

(3) नेशनल यूनियन आफ टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग एम्पलाईज लाइन स्टाफ एण्ड ग्रुप "डी"

(4) आल इण्डिया पी एण्ड टी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसिज एशोसिएशन

(5) नेशनल यूनियन आफ टेलीग्राफ इंजीनियरिंग एम्पलाईज क्लास-III

(6) जूनियर टेलीकम्यूनिकेशन आफिसरस एसोसिएशन (इण्डिया)

(7) नेशनल यूनियन आफ टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज क्लास-III

(8) आल इण्डिया टेलीग्राफ असिस्टेंट सुपरिनटेनडेंट एसोसिएशन

(9) आल इण्डिया टेलीफोन ट्रेफिक एम्पलाईज एसोसिएशन

(10) आल इण्डिया पी एण्ड टी सिविल विंग नोन गजटेड एम्पालईज यूनियन

4. भारतीय टेलीकम एम्पलाईज फेडरेशन से संबद्ध स्टाफ यूनियन

(1) भारतीय टेलीकम एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज एम्पलाईज यूनियन क्लास-III और IV

(2) भारतीय टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज यूनियन क्लास-IV

(3) भारतीय टेलीफोन एम्पलाईज यूनियन क्लास-III

(4) भारतीय टेलीफोन एम्पलाईज यूनियन लाइन स्टाफ एण्ड क्लास-IV

(5) भारतीय टेलीकम टेक्नीशियन यूनियन

5. अन्य यूनियन/एसोसिएशन

(1) पी एण्ड टी मजदूर यूनियन

(2) आल इण्डिया पी एण्ड टी इण्डस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन

(3) टेलीफोन वर्कर्स यूनियन (डिस्ट्रिक्ट एण्ड वर्कशाप)

(4) इण्डियन टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस एसोसिएशन

(5) टेलीग्राफ ट्रेफिक आफिसरस एसोसिएशन

(6) टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन (इण्डिया)

(7) आल इण्डिया पी एण्ड टी एकाउंटस एण्ड फाइनांस सर्विस एसोसिएशन

(8) पी एण्ड टी एकाउंटस एण्ड फाइनांस (ग्रेड ए) डायरेक्ट रिक्रूटस एसोसिएशन

(9) टी आर सी साईंटिफिक आफिसरस (क्लास-I) एसोसिएशन

(10) टेलीकम फैक्ट्रीज इन्जीनियरस एसोसिएशन

(11) आल इण्डिया जूनियर इन्जीनियर (सिविल) एसोसिएशन पी एण्ड टी सिविल विंग

(12) पी एण्ड टी सिविल विंग डायरेक्ट रिक्रूट इन्जीनियरस एसोसिएशन एस डब्ल्यू (सी)

(13) आल इण्डिया पी एण्ड टी इन्जीनियरस एसोसिएशन क्लास-II

(14) पी एण्ड टी डायरेक्ट रिक्रूटस इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरस ऐसासिएशन

(15) इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरस एसोसिएशन पी एण्ड टी सिविल विंग (1)

(16) आल इण्डिया पी एण्ड टी आर्किटेक्टस एसोसिएशन

(17) डब्ल्यू पी सी एण्ड मानीटरिंग नान गजटेड (टेक्नीकल) स्टाफ यूनियन।

विवरण-II

केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 की दिनांक 5.11.93 की अधिसूचना से पूर्व डाक विभाग में मान्यता प्राप्त स्टाफ फेडरेशन/ एसोसिएशन/ यूनियन्स की सूची।

1. नेशनल फेडरेशन आफ पोस्टल एम्पलाईज
2. आल इण्डिया पोस्टल एम्पलाईज यूनियन क्लास-III
3. आल इण्डिया पोस्टल एम्पलाईज यूनियन पोस्टमैन एण्ड क्लास-IV
4. आल इण्डिया आर एम एस एण्ड एम एम एस एम्पलाईज यूनियन क्लास-III
5. आल इण्डिया आर एम एस एण्ड एम एम एस एम्पलाईज यूनियन मेलगार्डस
6. आल इण्डिया पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसिज एम्पलाईज यूनियन (ग्रुप सी एण्ड डी)
7. फेडरेशन आफ नेशनल पोस्टल आर्गेनाइजेसन्स
8. नेशनल यूनियन आफ एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एजेन्टस
9. नेशनल यूनियन आफ पोस्टल एम्पलाईज क्लास-III
10. नेशनल यूनियन आफ पोस्टल एम्पलाईज पोस्टमैन एण्ड क्लास-IV
11. नेशनल यूनियन आफ आर एम एस एण्ड एम एम एस एम्पलाईज क्लास-III
12. नेशनल यूनियन आफ आर एम एस एम्पलाईज मेलगार्डस एण्ड क्लास-IV
13. आल इण्डिया पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसिज एसोसिएशन
14. भारतीय पोस्टल एम्पलाईज फेडरेशन
15. भारतीय पोस्टल एम्पलाईज यूनियन क्लास-III
16. भारतीय पोस्टल एडमिनिप्ट्रेटिव आफिसिज एम्पलाईज यूनियन ग्रुप सी एण्ड डी
17. भारतीय पोस्टल एम्पलाईज यूनियन पोस्टमैन एण्ड क्लास-IV
18. भारतीय एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलाईज यूनियन
19. भारतीय आर एम एस एण्ड एम एम एस एम्पलाईज यूनियन मेल गार्डस एण्ड क्लास-IV
20. भारतीय आर एम एस एण्ड एम एम एस एम्पलाईज यूनियन क्लास-III
21. आल इण्डिया पोस्टल एण्ड आर एम एस एकाउंटस एसोसिएशन
22. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ इन्सपैक्टरस एण्ड ए एस पी ओ
23. आल इण्डिया सेविंगस बैंक कन्ट्रोल एम्पलाई यूनियन
24. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ पोस्टल सुपरवाइजरस (जनरल लाईन)
25. आल इण्डिया पोस्टल एकाउंटस एम्पलाईज एसोसिएशन
26. आल इण्डिया आर एम एस असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट एण्ड इन्सपैक्टरस एसोसिएशन
27. इण्डियन पोस्टल सर्विस एसोसिएशन
28. पोस्टल आफिसरस एसोसिएशन (इण्डिया)
29. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ पोस्टमास्टरस (गजटेड एण्ड एच एस जी)
30. आल इण्डिया पोस्टल आफिसरस (अकाउंटस) एसोसिएशन

[अनुवाद]

आई.आर.डी.पी. सहायता

2297. श्री ई. अहमद : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयनित ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से केरल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आज तक कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों को अभिचिन्ह करने क लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में जिन लोगों को सामन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता मिली है, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि केरल में 1993-94 में 53698 परिवारों, 1994-95 में 46294 परिवारों तथा 1995-96 में 43357 परिवारों को सहायता दी गई थी।

(ग) लक्षित समूह में आठवीं योजना के लिए गरीबी की रेखा के रूप में परिभाषित 11000 रुपए से नीचे की वार्षिक आय वाले छोटे एवं सीमांत किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण कारीगर शामिल हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ऐसे लोगों की सूची प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंत में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के सर्वेक्षण की मार्फत तैयार की जाती हैं तथा सूची को ग्राम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। इस सूची में लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	259697	159908	122863
2.	अरुणाचल प्रदेश	15207	11756	14381
3.	असम	63381	61861	59030
4.	बिहार	335908	224736	265525
5.	गोवा	3452	2137	2448
6.	गुजरात	79725	76498	55686
7.	हरियाणा	34026	28285	29771
8.	हिमाचल प्रदेश	9128	7355	6750
9.	जम्मू और कश्मीर	7408	13545	13176
10.	कर्नाटक	132861	125810	119685
11.	केरल	53698	46294	43357
12.	मध्य प्रदेश	242673	210629	210692
13.	महाराष्ट्र	217671	196677	181597
14.	मणिपुर	6333	7658	6077
15.	मेघालय	2635	6020	4534
16.	मिजोरम	4684	2006	5085
17.	नागालैंड	5489	1220	2104
18.	उड़ीसा	160000	139837	120668
19.	पंजाब	33736	22701	11786
20.	राजस्थान	116567	107799	92818
21.	सिक्किम	1218	1281	2843
22.	तमिलनाडु	214888	201221	183895
23.	त्रिपुरा	16297	2361	14657
24.	उत्तर प्रदेश	445403	369725	355916
25.	पश्चिम बंगाल	73818	159722	161724
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1171	445	832
27.	दादर व नगर हवेली	372	302	274
28.	दमन व दीव	507	136	89
29.	लक्षद्वीप	81	100	18
30.	पांडिचेरी	1407	1221	1563
	अखिल भारत	2539441	2189246	2089845

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर व्यय

2298. श्री राम सागर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** 7 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 861 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसाधन की उपलब्धता के संबंध में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सम्पूर्ण स्थिति का ब्यौरा क्या है और सामाजिक सेवाओं पर मदवार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है तथा सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त प्राथमिकता वाली अन्य मदों पर किये गये व्यय का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान वास्तविक रूप में उपलब्ध संसाधन क्रमशः 3054.80 करोड़ रुपये, 2545.76 करोड़ रुपये तथा 4491.71 करोड़ रुपये (पूर्व अनुमान) रहे। 1995-96 के दौरान 4858.66 करोड़ रुपये (नवीनतम अनुमान) संसाधन उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। उपगत व्यय के सेक्टरवार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दर्शाए गए हैं। आठवीं योजना में विद्युत को पहली प्राथमिकता तथा सामाजिक सेवाओं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन को गौण प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग). वर्ष 1995-96 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय से पता चलता है कि सामाजिक सेवाओं को पहली प्राथमिकता दी गई है। 1995-96 के दौरान सामाजिक सेवाओं के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय 116527 लाख रुपये है, जो अनुमोदित परिव्यय का 28:9 प्रतिशत है।

विवरण

वार्षिक योजनाएं 1992-93 से 1995-96 उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

	विकास के प्रमुख शीर्ष	वार्षिक योजनाएं			
		1992-93 वास्तविक व्यय	1993-94 वास्तविक व्यय	1994-95 वास्तविक व्यय	1995-96 संशोधित अनुमादित परिव्यय
1.	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	30041	31113	34887	36718
2.	ग्रामीण विकास	28758	35196	44266	43742
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4267	5597	5982	6600
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	37905	38417	39577	42848
5.	ऊर्जा	162408	101701	102629	93971
6.	उद्योग एवं खनिज	15847	9722	8673	6720
7.	परिवहन	34769	32957	46990	46499
8.	संचार	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	273	622	577	843
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1128	1395	7205	6232
11.	सामाजिक सेवाएं	54896	66668	95495	116527
12.	सामान्य सेवाएं	1228	1570	750	2040
	कुल जोड़	371520	324958	387031	402740

अवैध निर्माण

2299. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन जे.जे. कालोनी तथा मोची गांव में भवन निर्माताओं द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन भवन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिक्किम में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

2300. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम स्थित अपने कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी-वर्ग से स्थानीय प्रत्याशियों को रोजगार देती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गंगटोक में परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित न करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 16(2) में यह प्रावधान है कि जन्म स्थान के आधार पर अथवा निवास स्थान के आधार पर किसी भी नियुक्ति या राज्य के अधीन कार्यालय में किसी भी नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं किया

जाएगा। तथापि, सरकार की नीति के अनुसार समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों अथवा अन्य अनुज्ञेय माध्यमों द्वारा विकेन्द्रीकृत आधार पर की जाती है जिसमें स्थानीय उम्मीदवारों को पर्याप्त वरीयता दी जाती है। कर्मचारी चयन आयोग जो कि गैर-तकनीकी समूह "ग" पदों पर भर्ती करता है, का, अपनी अधिकतर लिखित परीक्षाओं के लिए गंगटोक में एक केन्द्र है।

जम्मू को बी-2 शहर का दर्जा देना

2301. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों सहित अनेक संगठनों ने जम्मू राजधानी शहर को बी-2 शहर का दर्जा प्रदान करने की मांग की है; और

(ख) ऐसा दर्जा प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और जम्मू को इससे वंचित रखने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकार कर्मचारी यूनियन के साथ-साथ जम्मू शहर स्थित केन्द्र सरकार कर्मचारी यूनियन, जम्मू राजधानी शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है।

(ख) किसी शहर की बी-2 श्रेणी का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसकी आबादी 4 लाख से अधिक हो जाए। 1991 में जम्मू एवं कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई थी। इसलिए, ठीक ठीक जनसंख्या का पता नहीं लग सका। इसीलिए वित्त मंत्रालय (भारत सरकार), जम्मू शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिए जाने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

2302. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण गोवा में पोंडा तालुका के कुडई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की प्रतिदिन क्षमता कितनी है;

(ख) इस संयंत्र से प्रत्यक्ष रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं;

(ग) क्या गोवा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम या भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा एक अतिरिक्त रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). गोवा राज्य में भारत के कुंडाईम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. का एक भरण संयंत्र है। इस भरण संयंत्र की दो पारियों में स्थानीय क्षमता 22 हज़ार मी.टन प्रति वर्ष है। यह संयंत्र फिलहाल एक पानी में 11 हजार मी.टन प्रति वर्ष क्षमता के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है। संयंत्र की प्रति पारी 3600 सिलेन्डर भरने की क्षमता है। संयंत्र में 35 कर्मचारियों को सीधा रोजगार मिला है।

(ग) और (घ). सरकार ने हाल ही में नीचे दिए गए ब्यौरे के मुताबिक गोवा में दो नए एल पी जी भरण संयंत्र स्थापित करने के संबंध में अनुमोदन दे दिया है :—

तेल कंपनी	क्षमता (जहार मी. टन प्रति वर्ष में)
भारत पेट्रोलियम का.लि.	12
इंडियन आयल का.लि.	10

पंचायत के प्रशिक्षण पर व्यय

2303. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान पंचायत और नगर पालिका पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए खर्चों की पूर्ति करने के लिए केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि के आवंटन की मांग की गई;

(ख) 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस योजना के लिए कोई विदेशी निधि उपलब्ध करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान पंचायत तथा नगरपालिका कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के खर्चों को पूरा करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान से नगरपालिका के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए 17.6 लाख रुपए की मंजूरी हेतु एक प्रस्ताव शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रालय में प्राप्त हुआ था, लेकिन 1995-96 के दौरान प्रयोजन हेतु कोई आबंटन नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 के दौरान केरल में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र के आवर्ती खर्चों के लिए 15 लाख रुपए तथा गैर आवर्ती खर्चों के लिए 9,76,800 रुपए रिलीज किए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समझौता ज्ञापन

2304. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 तक विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निजी फर्मों के साथ कितने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) इनमें से कितने समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने निजी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना के लिए 106 में से 18 प्रस्तावों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है, जिनके लिए विभिन्न राज्यों द्वारा 18 फरवरी, 1995 से पूर्व समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय तेल निगम के तेलशोधक कारखाने का विस्तार

2305. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के असम के नूनमती तथा डिगबोई में स्थित तेलशोधक कारखानों का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). फिलहाल नूनमती, असम में गुवाहटी रिफाइनरी के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिगबोई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना मार्च, 1996 में यांत्रिक रूप से पूरी हो चुकी है और इसका स्थिरीकरण किया जा रहा है। 0.50 एम एम टी पी ए की वर्तमान क्षमता की तुलना में इस परियोजना की क्षमता 0.65 एम एम टी पी ए किए जाने की संकल्पना है।

विपणन निदेशालय

2306. श्री शरत पटनायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय को ग्रामीण विकास विभाग से निकालकर कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रोजगार

2307. श्री बृजमोहन राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई रोजगार योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सृजित किए गए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) बिहार राज्य में दो केन्द्र प्रवर्तित रोजगार योजनाएं यथा (1) नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएनआईयूपीईपी) चलाई जा रही है।

(ख) सृजित रोजगार के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एनआरवाई		उपलब्धियां (30.6.96 की स्थिति के अनुसार)
(एक)	लघु उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	21764
(दो)	मजदूरी रोजगार के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या	41.16 लाख
(तीन)	आश्रय उन्नयन के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या	3.78 लाख

पीएमआईयूपीईपी

यह कार्यक्रम नवबंर, 1995 में आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम अधिकांशतः अभी प्रारंभिक स्थिति में है जिसमें सर्वेक्षण कराना, नगर-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

असम की आवास परियोजनाएं

2308. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की कुछ आवास परियोजनाओं का कार्यान्वयन विदेशी सहायता से किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने असम राज्य में शहरी आवास कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली उत्पादन

2309. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ताप विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी भारतीय और विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है;

(घ) दिल्ली राज्य सरकार से किन परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेसू के बिजली केन्द्रों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दर्शायी गयी है :—

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र (ताप विद्यत)	273 (हासित)
2.	राजघाट (ताप विद्युत)	135
3.	कंबाईड साइकिल गैस टरबाईन केन्द्र	180
4.	गैस टरबाईन केन्द्र में वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें (स्थिरीकरणाधीन)	102

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही स्थित बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (720 मे.वा.) का संचालन एन.टी.पी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (ङ). यद्यपि निजी क्षेत्र की दो विद्युत परियोजनाओं (1) बवाना गैस कंबाईन्ड साईकिल विद्युत परियोजना (400/450 मे.वा.) और (2) नई दिल्ली ताप विद्युत परियोजना (300 मे.वा.) के लिए अभिरूचि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, परंतु किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भूमि का आवंटन

2310. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के नाम और संख्या क्या है जिन्हें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आबंटन किया गया है और जिनका विकास किया जा रहा है;

(ख) विकास हेतु प्रति वर्ग मीटर कितनी लागत वसूल की जानी है और विकास कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसी कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां अभी भी भूमि के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) ग्रेटर नोयडा औद्योगिक प्राधिकरण की सूचना के अनुसार 16 सहकारी आवास समितियों को, जिन्होंने प्राधिकरण की स्थापना से पहले ग्रेटर नोयडा के हिस्से के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदी है, प्राधिकरण और उन समितियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर रिहायशी प्लाट आवंटित किए गये हैं। उन समितियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन समितियों के साथ प्राधिकरण द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार विकास अधिभारों की प्रारम्भिक बुनियादी दर 640 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी जिसमें बाद में संशोधन करके अधिक विकास लागत के आधार पर 1.7.95 से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया था। विकास कार्य मार्च, 1997 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ). सहकारी आवास समितियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, दो ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनको आवंटन पत्र जारी नहीं किए गये हैं और एक समिति ऐसी है जिसका आवंटन आंशिक रूप से अधूरा है। मामले की समीक्षा करने के बाद ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुख्य कारणों से इन समितियों के साथ इनके सदस्यों को व्यक्तिगत प्लाट आवंटित करने बाबत नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है;

(एक) प्लाटों के बदले में, प्राधिकरण को दी जाने के लिये प्रस्तावित भूमि पर स्पष्ट मालिकाना हक साबित करने में सहकारी समितियों की असफलता,

(दो) 12.5 एकड़ से अधिक भूमि अर्जित करने वाली समितियों के कारण कई समितियों पर लागू अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के कारण कानूनी प्रतिबंध,

(तीन) प्राधिकरण की विकास योजनायें, समितियों की जमीन तक नहीं पहुंचती इस प्रकार निकट भविष्य में इसके इस्तेमाल की रूपरेखा नहीं है।

विवरण

उन समितियों के नाम जिन्हें भूमि आवंटित की गई है

1. शिव सहकारी आवास समिति लि.
2. जय संतोषी सहकारी आवास समिति लि.
3. पुष्प एन्कलेव सहकारी आवास समिति लि.
4. अलकनन्दा सहकारी आवास समिति लि.
5. सच्चिदानन्द सहकारी आवास समिति लि.
6. गोमुख सहकारी आवास समिति लि.
7. आदित्य विहार सहकारी आवास समिति लि.
8. शिवानी सहकारी आवास समिति लि.
9. देवालय सहकारी आवास समिति लि.
10. संदीप सहकारी आवास समिति लि.
11. उमा सहकारी आवास समिति लि.
12. उत्तरांचल जन कल्याण सहकारी आवास समिति लि.
13. राज्य आवास केन्द्रीय कर्मचारी को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि.
14. हिमानी सहकारी आवास समिति लि.
15. चित्रगुप्त सहकारी आवास समिति लि.
16. विष्णु गार्डन सहकारी आवास समिति लि.

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजना

2311. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 1000 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). बिहार में, 3353.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4×250 मेगावाट क्षमता का मैथान दाहिना किनारा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के अलावा, परियोजना प्राधिकारियों को केन्द्र तथा राज्य की स्वीकृति देने वाली ऐजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक तथा अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा वित्तीय पैकेज सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही परियोजना को चालू किए जाने का अनुमान लगाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन

2312. **श्री बी. धर्म भिक्षम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में भवनों के आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे अब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि नीचे दिए गए विवरणानुसार तीन आवासीय स्कीमों के तहत अभी 63394 पंजीकृत व्यक्ति आवंटन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं :—

श्रेणी	एन पी आर एस-79	ए ए वाई-89	जे एच आर एस-96
एम आई जी	12919	5461	—
एल आई जी	18285	6729	—
जनता	—	—	20000

(ग) भूमि की उपलब्धता और अन्य एजेंसियों द्वारा सेवाओं के प्रावधान में अड़चनों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एन पी आर एस-79 और ए ए वाई-89 के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृतों को लगभग दो वर्ष अवधि के दौरान फ्लैट आवंटित कर दिए जाने की योजना बनाई है। जनता आवास पंजीकरण स्कीम (जेएनआरएस) जो फरवरी, 1996 में आरंभ की गई थी, के तहत पहले चरण में 10000 पंजीकृतों को 2-3 वर्ष में फ्लैट आवंटित किए जाने हैं। इन 10000 में से लगभग 4000 फ्लैट चालू वर्ष में ही आवंटित किए जाने हैं।

गैस की आपूर्ति

2313. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, खुर्जा, गाजियाबाद तथा नौएडा क्षेत्रों के सैकड़ों लघु उद्योगों को गैस की आपूर्ति के संबंध में गैस की वितरण प्रणाली को स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस गैस वितरण प्रणाली के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) गाजियाबाद के आस पास की औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की 0.23 एम एम सी एम·डी मात्रा आबंटित की गई है। आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए 0.6 एमएमएससी एमडी मात्रा का आबंटन किया गया है।

(ख) गाजियाबाद स्थित आबंटित इकाइयों को गैस की आपूर्ति पहले ही की जा रही है। आगरा और फिरोजाबाद के अंतर्गत स्थित उद्योगों को गैस आपूर्तियां 1997 में आरम्भ होने की आशा की जाती है।

(ग) चूंकि उपलब्ध गैस पूर्णतया आबंटित है इसलिए कानपुर, खुर्जा तथा नौएडा में कोई आबंटन नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का कम होना

2314. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से महानगरों में कृषि भूमि घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कम होने की रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). शहरी विकास राज्य का विषय है। शहरी भूमि उपयोग की पद्धतियां और परिवर्तन हर राज्य और शहर में तथा समय विशेष में अलग-अलग रहे हैं। इस कारण, राष्ट्रीय स्तर पर शहरी भूमि उपयोग में परिवर्तनों बाबत आंकड़े नहीं रखे जाते। आर्थिक विकास और शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए कृषि भूमि की कमी का मुख्य कारण है और यह कारण शहर दर शहर और समय दर समय के हिसाब से अलग-अलग है। इस कमी को दूर करने के लिए शहरी और ग्रामीण नियोजन को जोड़ना अति आवश्यक है। इस बारे में संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम 1992 में जिला और महानगर स्तरों पर क्रमशः जिला और महानगर समितियां गठन करना राज्यों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

विद्युत उत्पादन

2315. श्री नीतीश कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए 1995-96 में अनेक योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवंटित धनराशि का 75 प्रतिशत भाग अप्रयुक्त रहा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1995-96 के दौरान कितने प्रतिशत आवंटित धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया; और

(च) ऐसी धनराशि के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). देश में उत्पादन में सुधार लाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में (संघ राज्य क्षेत्र समेत) विभिन्न स्कीमों के लिए अनुमोदित किया गया परिव्यय निम्नवत है :—

	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
विद्युत उत्पादन स्कीमें	11073.78
नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	488.46
पारेषण एवं वितरण	6025.23
विविध	856.07
ग्रामीण विद्युतीकरण	1193.90
जोड़	19637.44

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 1994-95 तक का उपलब्ध वर्षवार व्यय निम्नवत है :—

	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च
1992-93	14943.90	12157.37
1993-94	16419.91	14773.08
1994-95	18455.45	15671.81(आर.ई.)

नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना

2316. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकड़ी परियोजना (एन.जे.पी.सी.) के लिए किन-किन सीमेंट विनिर्माताओं से सीमेंट खरीदे जा रहे हैं;

(ख) इसके कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए किन-किन फर्मों को ठेके दिए गए हैं;

(ग) किस-किस टाइप के कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है तथा इस पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई अग्रिम भुगतान किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए नाथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन (एनजेपीसी) द्वारा निम्नलिखित सीमेंट विनिर्माताओं से सीमेंट खरीदी जा रही है :—

1. मैसर्स एच.पी. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, शिमला (हि.प्र.)
2. मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, चण्डीगढ़।
3. मैसर्स रेनुका सीमेंट लिमिटेड, पौंटा साहिब (हि.प्र.)
4. मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट, चण्डीगढ़ और
5. मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रिज लि., यूनिट विक्रम सीमेंट, चण्डीगढ़।

(ख) से (घ). क्वार्टरों की संख्या, टाईप, उन पर होने वाले व्यय और अपने कर्मचारियों के लिए निर्माण किए जाने वाले आवासीय क्वार्टरों के लिए जिन फर्मों को एन.जे.पी.सी. द्वारा ठेके प्रदान किए गए हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्वार्टरों का टाईप	क्वार्टरों की संख्या	शामिल व्यय (लाख रुपये)
टाईप-ए	276	1823.02
टाईप-बी	54	
टाईप-सी	92	
टाईप-डी	8	
गैर-परिवार (टाईप-ए, बी, सी, और डी)	306	
शेल्टर हट्स	144	221.00
श्रमिक शेड्स	20	13.00

फर्म का नाम

1. मैसर्स यूटिलिटि इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली;
2. मैसर्स अस्त्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली;
3. मैसर्स यूनाईटेड इंटरप्राइसेस, नई दिल्ली;
4. मैसर्स हीथ्रो पावर कार्पोरेशन, नई दिल्ली
5. मैसर्स टिम्बर ट्रेल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड परवानू;
6. मैसर्स चन्द्र शेखर एंड कंपनी, कैम्प झाकड़ी;
7. मैसर्स एस.आर. महाजन, सरकारी ठेकेदार, नायर चौक, जिला मंडी (हि.प्र.)
8. मैसर्स कुन्दन लाल हरी राम एंड कंपनी, कैम्प झाकड़ी;
9. मैसर्स अशोक कुमार भट्ट, सरकारी ठेकेदार, कैम्प झाकड़ी;
10. मैसर्स रोशन लाल पण्डित, सरकारी ठेकेदार, कैम्प झाकड़ी;
11. मैसर्स श्री ओ.पी. मेहरा, सरकारी ठेकेदार, कैम्प झाकड़ी;
12. मैसर्स शिक्का कोआपरेटिव लिमिटेड एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी, शिमला;
13. मैसर्स श्री अजय सूद, सरकारी ठेकेदार, शिमला;
14. मैसर्स श्री मोहिन्दर लाल, सरकारी ठेकेदार, कैम्प झाकड़ी; और
15. मैसर्स पी.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैम्प झाकड़ी।

संविदा में निर्धारित अनुसार संचालन अग्रिम के रूप में इन ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीरी प्रवासियों की सम्पत्ति सूची बनाना

2317. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उन कश्मीरी लोगों, जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपनी सम्पत्ति कश्मीर घाटी में छोड़कर देश के अन्य भागों में जाकर बसना पड़ा था, की सम्पत्ति सूची तैयार करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सूची बनाने का कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). प्रवासियों की सम्पत्तियों का सत्यापन करने के उद्देश्य से उनकी सम्पत्तियों की वस्तुसूचि बनाने की

प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी ताकि उग्रवादी या कोई अन्य निहित स्वार्थी तत्व धोखाधड़ी और हेराफेरी न कर सकें। एक प्रोफार्मा बनाया गया तथा प्रवासियों को अपनी स्थाई सम्पत्ति के ब्यौरों को निर्धारित फार्मेट में भर कर देने को कहा गया। प्रारम्भिक जांच के बाद, प्रवासियों से प्राप्त हुए दावों को आगे सत्यापन के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, कश्मीर को भेजे दिया गया। इन दावों की, संबंधित उपायुक्तों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है तथा राहत आयुक्त, जम्मू के अधीन दावों के सत्यापन की प्रक्रिया का प्रबोधन करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है। क्षेत्र की आम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा, स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकारी भी प्रवासियों की स्थाई सम्पत्ति पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

इंदिरा आवास योजना

2318. डा. कृपासिंधु भोई :
श्री केशव महन्त :
श्री पी.एस. गढ़वी :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में किया गया धनराशि का आवंटन, व्यय और इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवास के निर्माण हेतु अनुमानित लागत में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने को स्वीकार किया गया है और अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन, खर्च और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी हां। इंदिरा आवास योजना के एक मकान के विभिन्न घटकों के निर्माण हेतु सहायता की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है और यह 1.8.1996 से लागू होगी। प्रति आवास इकाई संशोधित सहायता निम्नानुसार है :—

	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय/ दुर्गम क्षेत्र
1. स्वच्छता शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हों सहित मकानों का निर्माण	17,500 रुपये	19,500 रुपये
2. आधारभूत ढांचा तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की लागत	2,500 रुपये	2,500 रुपये
	20,000 रुपये	22,000 रुपये

(घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों से कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। तथापि, इंदिरा आवास योजना के लिए निधियां 80:20 के अनुपात में वर्ष दर वर्ष आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा आबंटित की जाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 142460.58 लाख रुपये (राज्य अंश सहित) की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित, उपयोग किए गए संसाधनों तथा निर्मित मकान

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आंवटन (केन्द्र + राज्य)			उपयोग			निर्मित मकान		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
		(लाख रु. में)						इकाइ संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2462.01	3334.38	10955.26	5956.77	6610.08	6317.95	44897	57483	69086
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.25	32.25	99.64	26.88	26.16	56.00	120	219	420
3.	असम	810.49	892.12	3194.94	573.08	934.47	3381.70	4304	6862	24871
4.	बिहार	4829.14	7038.69	21349.01	13664.86	7121.09	19168.71	88960	59216	114506
5.	गोवा	34.85	34.85	107.65	32.22	30.07	31.51	358	329	967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	903.75	1383.54	4312.61	937.63	1137.37	3669.26	7117	7895	31770
7.	हरियाणा	217.09	238.96	1355.79	217.55	507.68	1233.81	1552	3536	9024
8.	हिमाचल प्रदेश	110.73	110.73	342.06	84.37	126.24	244.55	629	853	1727
9.	जम्मू और कश्मीर	157.17	310.38	1320.09	45.02	245.74	374.84	390	1697	2900
10.	कर्नाटक	1653.13	2291.14	6516.66	1221.87	2060.40	5812.80	8820	13831	37460
11.	केरल	623.83	662.01	2370.85	2349.73	2687.74	4864.14	16999	18549	29368
12.	मध्य प्रदेश	3119.72	4958.34	14172.99	2931.17	3246.09	11807.75	48108	48967	125757
13.	महाराष्ट्र	2683.93	3976.02	11330.08	3189.84	3219.14	10606.35	18870	22812	66348
14.	मणिपुर	41.34	41.34	127.70	24.15	32.13	141.18	208	197	784
15.	मेघालय	48.36	48.37	149.43	44.20	39.59	30.01	353	283	207
16.	मिजोरम	20.38	20.38	62.95	33.21	48.01	61.98	240	368	470
17.	नागालैंड	51.85	51.85	160.16	222.72	141.41	74.26	1536	895	470
18.	उड़ीसा	1997.26	2912.82	7873.25	1434.83	1942.02	7494.88	10588	13297	51033
19.	पंजाब	163.43	169.93	608.56	704.33	527.34	96.50	2739	3849	1121
20.	राजस्थान	1296.13	1883.57	6359.36	2287.96	2989.27	4701.44	19958	28934	41756
21.	सिक्किम	18.88	18.88	208.31	20.37	19.81	163.76	142	108	1065
22.	तमिलनाडु	2225.62	2775.29	9335.91	4526.95	7619.52	14398.41	33758	33176	56885
23.	त्रिपुरा	53.69	53.69	165.86	108.42	95.65	144.77	636	567	1348
24.	उत्तर प्रदेश	5999.84	7437.68	25500.18	5585.68	6412.97	17039.77	47722	50908	159073
25.	पश्चिम बंगाल	2206.32	3041.05	8697.34	1843.68	2170.54	4468.87	13389	15526	34278
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	15.27	15.27	47.17	15.57	15.98	15.98	21	21	21
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	8.29	8.29	25.61	8.60	8.64	1.19	60	59	13
29.	दमन और द्वीव	4.88	4.88	15.08	1.64	5.06	9.25	13	45	62
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	7.66	7.66	23.65	0.00	0.00	5.18	0	0	10
32.	पांडिचेरी	14.95	14.95	46.18	6.65	18.17	25.74	48	0	36
	योग	31812.24	43769.31	136834.33	48099.95	50038.38	116442.54	372535	390482	862836

पेय जल हेतु आवंटन

2319. श्री आर.बी. राई : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के पेयजल योजनाओं के लिए राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) वास्तव में राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गयी है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना व्यय किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन, रिलीज और खर्च के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(1993-94)			(1994-95)			(1995-96)		
	आवंटन	रिलीज	खर्च	आवंटन	रिलीज	खर्च	आवंटन	रिलीज	खर्च
आंध्र प्रदेश	41.240	46.240	41.240	46.440	46.440	40.650	60.27	63.80	48.22
अरुणाचल प्रदेश	7.460	7.460	5.176	8.420	8.420	8.081	10.92	10.92	6.98
असम	13.700	13.700	18.120	14.220	19.492	20.000	18.45	22.45	18.45
बिहार	48.560	48.560	22.217	54.690	28.045	38.403	70.99	35.50	22.74
गोवा	0.840	1.340	0.837	1.290	1.290	2.061	1.70	2.55	0.85
गुजरात	26.560	29.560	18.584	30.390	30.390	41.048	35.35	37.35	29.76
हरियाणा	16.520	18.310	15.817	20.080	20.398	21.113	13.22	15.22	12.40
हिमाचल प्रदेश	8.330	10.330	8.041	9.420	9.585	11.262	11.87	16.33	16.94
जम्मू व कश्मीर	23.030	18.888	28.686	25.990	36.390	39.408	33.26	38.15	27.17
कर्नाटक	35.120	37.120	34.791	42.720	44.077	40.584	55.44	65.44	58.79
केरल	19.280	21.270	13.165	21.720	21.720	10.864	28.19	29.19	31.83
मध्य प्रदेश	45.640	48.000	49.730	51.420	50.335	49.460	66.73	66.73	40.86
महाराष्ट्र	54.880	54.880	43.741	61.820	61.820	59.434	80.23	74.75	588.81
मणिपुर	3.080	3.080	2.962	3.090	3.090	3.745	4.01	4.01	3.31
मेघालय	4.200	4.200	5.787	4.200	5.328	4.126	4.30	2.21	5.59
मिजोरम	2.100	2.100	2.100	2.360	2.464	2.361	3.07	3.40	3.09
नागालैंड	4.220	3.890	0.909	4.220	0.000	0.237	4.22	2.11	1.80
उड़ीसा	21.600	23.600	21.625	24.340	24.832	27.709	31.59	33.76	32.48
पंजाब	6.880	8.880	11.306	7.750	8.750	9.624	10.06	15.06	9.49
राजस्थान	68.860	71.290	84.738	82.220	82.310	83.753	66.08	69.08	73.72
सिक्किम	3.720	3.720	3.720	3.720	4.650	4.650	3.72	5.72	5.71
तमिलनाडु	32.680	34.700	30.908	36.820	42.356	37.191	47.79	52.62	33.74
त्रिपुरा	3.500	3.500	3.944	3.500	8.990	7.662	3.80	7.60	10.20
उत्तर प्रदेश	76.480	76.472	69.652	86.160	86.160	74.060	111.82	113.34	109.44
पश्चिम बंगाल	29.520	29.520	22 344	33.260	28.245	37.817	43.17	34.96	34.95
अ.नि.द्वीप समूह	0.400	0.000	0.000	0.380	0.000	0.000	0.44		0.00
चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.25		
दादरा और नागर हवेली	0.200	0.300	0.000	0.220	0.250	0.000	0.15		
दिल्ली	0.220	0.197	0.117	0.250	0.000	0.000	0.29		
लक्षद्वीप	0.100	0.400	0.350	0.100	0.000	0.006	0.12		
पांडिचेरी	0.400	0.260	0.260	0.260	0.130	0.190	0.30		0:10
दमन और द्वीव	0.950	0.965	1.093	0.130	0.000	0.000		0.60	0.40
योग	600.270	622.732	543.960	681.600	675.957	674.566	821.80	822.85	697.79

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

2320. श्री केशव महन्त : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रख-रखाब के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें इस प्रयोजनार्थ पंचायतों और उपभोक्ता समितियों सहित व्यापक व्यवस्थाओं की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम में यह व्यवस्थाएं कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी उपलब्धि क्या रही; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) परिपत्र में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं संचलन तथा रख-रखाव, पेयजल स्रोतों (हैण्ड पम्पों/स्टैंड पोस्टों) के आस-पास सफाई रखने, वर्तमान स्रोतों को वांछित मानक स्रोतों में परिवर्तन करने पर प्रमुख बल दिया गया है। परिपत्र में हैण्डपम्पों और स्टैंडपोस्टों का उचित संचलन और रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए बसावट (पंचायत/विकास खण्ड/जिला/राज्य स्तर पर संस्थागत प्रबंधों का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) से (ङ). राज्य के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने हैंडपम्पों और स्टैंडपोस्टों के संचलन और रख-रखाव के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

विद्युत की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट

2321. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान विद्युत प्रणाली के संबंध में हाल ही में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और कुनाडियल ऊर्जा अनुसंधान द्वारा एक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विद्युत प्रणाली में सुधार करके 1996-97 में ही 6.29 प्रतिशत विद्युत बचाई जा सकती है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). विद्युत क्षेत्र का प्रणाली सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। बॉयलरों की पूरी तरह से मरम्मत एवं अनुरक्षण, क्षेत्रीय ग्रिड के ईष्टतम प्रचालन, संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि, ताप विद्युत केन्द्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम), जल विद्युत परियोजनाओं का प्रचालन, एमोर्फ कोर वितरण ट्रांसफार्मरों की अधिष्ठापना, एल.टी. स्विच्ड कैपेसिटर्स, कार्यक्षम ऊर्जा मीटर, भार प्रबंध, कृषि पंपसेटों का सुधार, ताप विद्युत केन्द्रों एवं पारेषण तथा वितरण प्रणाली आदि की ऊर्जा लेखा परीक्षा के साथ-साथ कई स्कीमें/कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं।

[हिन्दी]

याचिका दायर करने वालों को उत्तर

2322. श्री राम टहल चौधरी :
श्री कांशीराम राणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नियमों के अनुसार याचिका दायर करने वाले को याचिका का उत्तर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह में कार्मिक मंत्रालय में ऐसे कितने मामले हुए जिनमें उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया गया; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) गृह मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-25/34/68-स्था(क) में यथा अन्तर्विष्ट, सरकारी कर्मचारियों से सेवा संबंधी मामलों पर प्राप्त प्रतिवेदनों/याचिकाओं पर कार्यवाही संबंधी संगत अनुदेश विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग). कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में पृथक-पृथक विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों/याचिकाओं को विभिन्न स्तरों पर निपटाया जाता है। इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं की जाती।

विवरण-I

सेवा मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर कार्रवाई

मुझे उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 30.4.1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 118/52-स्था. (तत्काल संदर्भ के लिए प्रति

संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है। गृह मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि सेवा अधिकारों अथवा शर्तों से संबंधित मामलों पर सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के निपटान में कभी-कभी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है जिससे संबंधित व्यक्तियों को कठिनाई होती है।

2. सेवा मामलों के बारे में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(1) वेतन/भत्ते अथवा अन्य देय राशि के भुगतान न होने के संबंध में अभ्यावेदन/शिकायतें;

(2) अन्य सेवा मामलों के संबंध में अभ्यावेदन;

(3) तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन; तथा

(4) सांविधिक नियमों तथा आदेशों (अर्थात् वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों और याचिका अनुदेशों) के अधीन अपीलें तथा याचिका

3. उपर्युक्त (1) तथा (2) पर उल्लिखित स्वरूप के अभ्यावेदनों के संबंध मे, यदि संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए मास के भीतर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अपनी शिकायत दूर कराने के लिए अगले उच्च अधिकारी को लिख सकता है अथवा उससे मुलाकात का समय मांग सकता है। ऐसा वरिष्ठ अधिकारी कागजात तत्काल मंगायेगा और बिना कोई विलम्ब किए अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

4. उपर्युक्त (3) पर उल्लिखित स्वरूप के अभ्यावेदन सामान्यतः उन्हीं मामलों में किए जाएंगे जबकि सांविधिक नियमों तथा आदेशों के अधीन अपील तथा याचिकायें करने का उपबन्ध न हो। ऐसे अभ्यावेदन पर भी यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती पैरे के उपबन्ध ऐसे अभ्यावेदनों पर भी लागू होंगे किन्तु उसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसी विषय पर किए गये बाद के ऐसे अभ्यावेदनों पर लागू नहीं होंगे जो उसके पहले अभ्यावेदन पर उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के बाद दिए जाते हैं।

5. उपर्युक्त (4) पर उल्लिखित स्वरूप के अभ्यावेदनों के संबंध में, यद्यपि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलें तथा याचिकाएँ निपटाये जाने के लिए संबंधित नियमों अथवा आदेशों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी सभी अपीलों तथा याचिकाओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए और उन्हें उचित समय के भीतर निपटा दिया जाए। यदि यह प्रत्याशी हो कि किसी अपील अथवा याचिका को इसके प्रस्तुत किए जाने से एक मास के भीतर नहीं निपटाया जा सकता तो संबंधित व्यक्ति को एक मास के भीतर पावती अथवा अंतरिम उत्तर भेजा जाना चाहिये।

6. इस मंत्रालय के दिनांक 30.4.1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 118/52-स्था. के पैरा 2 में दिए गए अनुदेश ऊपर के पैरा 3, 4 तथा 5 में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित हो जाएंगे।

विवरण-II

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 अप्रैल, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 118/52-स्थापना की प्रतिलिपि।

सेवा संबंधी मामलों पर सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन-अग्रिम प्रतियां।

इस मंत्रालय में प्राय : ऐसे पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनमें यह पूछा जाता है कि क्या उच्चतर प्राधिकारियों को सम्बोधित अभ्यावेदनों की अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत की जानी अनुज्ञेय हैं और यह कि ऐसी प्रगतियों के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और सभी संबंधित व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए निम्न अनुदेश जारी किए जाते हैं।

2. जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित अधिकारों या शर्तों के बारे में कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का निवारण करना चाहता है तो उसके लिए सही तरीका तो यह है कि उसे अपने निकटतम उच्चाधिकारी या अपने कार्यालय अध्यक्ष अथवा निम्नतर स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी को अभ्यावेदन करना चाहिए जो कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो। उच्चतर प्राधिकारी को कोई भी अपील या अभ्यावेदन तब तक बिलकुल नहीं करना चाहिए जब तक कि समुचित निम्नतर प्राधिकारी ने उसके दावे को पहले ही नामंजूर न कर दिया हो या राहत देने से इन्कार न किया हो या उसके दावे को अनदेखा न किया हो या मामले के निपटाने में अत्यधिक देरी न लगाई हो। और भी उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन (जैसे कि राष्ट्रपति, सरकार या माननीय मंत्रियों को संबोधित) अनिवार्यतः उचित माध्यम से (अर्थात् संबंधित कार्यालय अध्यक्ष आदि) भेजे जाने चाहिए। उस स्थिति में और उस स्थिति में भी अभ्यावेदन की केवल अग्रिम प्रति सीधे भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. अभ्यावेदनों की इस प्रकार प्राप्त हुई अग्रिम प्रतियों के बारे में उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों से शासित होनी चाहिए :—

(क) यदि अग्रिम प्रति से यह बात स्पष्टतः पता नहीं चलती कि निम्नतर प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने या क्षतिपूर्ति पाने के सभी साधम विधिवत रूप से आजमा लिए गए हैं तो अभ्यावेदन को उसी आधार पर अनदेखा या सरसरी तौर पर नामंजूर कर देना चाहिए और कारणों के बारे में सरकारी कर्मचारियों को संक्षेप में अवगत करा दिया जाना चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी फिर भी उच्चतर प्राधिकारियों को इस प्रकार समयपूर्व अभ्यावेदन भेजने में लगा रहता है तो उसके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ख) यदि अग्रिम प्रति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समुचित निम्नतर प्राधिकारियों को विधवत् रूप से अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं और वे असफल रह हैं तो यह पता लगाने के लिए जांच की जानी चहिए कि क्या

बताए गए तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेप किए जाने या और आगे विचार किए जाने के कोई आधार प्रथम दृष्टया बनते हैं या नहीं। जिन मामलों में ऐसे कोई आधार प्रतीत नहीं होते उनमें अभ्यावेदन अनदेखा या सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाए और ऐसा किए जाने के कारणों से सरकारी कर्मचारी को संक्षेप में अवगत करा दिया जाए।

(ग) ऐसे मामलों में भी जिनमें हस्तक्षेप किए जाने या और आगे विचार किए जाने के कुछ आधार प्रतीत होते है, समुचित निम्नतर प्राधिकारी से एक उचित समय के भीतर यह कहना चाहिए कि वह उठाए गए बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट और टिप्पणियों सहित मूल अभ्यावेदन भेज दे। इस प्रकार समुचित निम्नतर प्राधिकारी की टिप्पणियों की जानकारी प्राप्त किए बिना किसी अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित करने का सामान्यतः कोई औचित्य नहीं है।

4. कुछ सरकारी कर्मचारियों की यह आदत होती है कि वे अपने अभ्यावेदनों की प्रतियां असंबद्ध प्राधिकारियों को जैसे कि ऐसे प्राधिकारियों को जो कि उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सीधे संबंधित नहीं है (उदाहरण के लिए अन्य माननीय मंत्री, सचिव, संसद सदस्य आदि) भेजते रहते हैं। यह एक अत्यन्त आपत्तिजनक परिपाटी है जो कि सरकारी मर्यादा के प्रतिकूल है और श्रेष्ठ अनुशासन की विरोधी है और सभी सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी ईमानदारी से इस प्रवृत्ति से दूर रहेंगे।

5. अखिल भारत सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में अलग से अनुदेश विद्यमान हैं और ये अनुदेश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होते।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश सभी सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में ला दिए जाएं।

[अनुवाद]

गुजरात में आवास समस्याएं

2323. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तथा विशेषरूप से सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में आवास समस्याओं के समाधान हेतु शरू की गई योजनाओं/विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरी की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख). 31.5.96 तक हडको ने 500127 रिहायशी एककों के निर्माण/उन्नयन हेतु 570.93 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली 1007 आवासीय स्कीमें स्वीकृत की है। इनमें से, 202 स्कीमें राज्य के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से संबंधित हैं जिनमें 94,338 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 104.89 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृति की गई है। इन 202 स्कीमों में से 138 स्कीमें पूरी की जा चुकी है जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ओर (घ). राज्य के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र से संबंधित एक ग्रामीण आवास स्कीम हडको में प्रक्रियाधीन हैं। यह राजकोट जिले से संबंधित हैं जिसके लिए 1.98 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मांगी गई है।

विवरण

कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए हडको द्वारा स्वीकृत आवासीय स्कीमों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिले/शहर का नाम	स्कीम सं.	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	रिहायशी एकक	पूर्ण की गई स्कीमें
1	2	3	4	5	6	7
1.	जूनागढ़	14	9.91	6.98	2,498	10
2.	जूनागढ़ जिला	16	11.45	4.81	22,241	6
3.	जामनगर	24	35.65	21.10	4,641	17
4.	जामनगर जिला	1	0.50	0.25*	1,000	4
5.	भावनगर	42	35.83	25.26	7,861	27
6.	भावनगर जिला	17	8.75	3.35	14,916	12

1	2	3	4	5	6	7
7.	कच्छ जिला	6	3.62	1.42	2,925	1
8.	राजकोट	42	70.74	29.90	9,722	31
9.	राजकोट जिला	11	6.54	3.11	11,852	8
10.	अमरेली	5	4.81	3.50	1,006	1
11.	अमरेली जिला	9	2.35	1.08	5,725	9
12.	सुरेन्दर नगर	7	2.99	2.09	1,307	6
13.	सुरेन्दर नगर जिला	8	4.38	2.04	8,644	6
	योग :	202	197.52	104.89	94,338	138

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण

2324. कुमारी उमा भारती :
डा. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :
श्री पंकज चौधरी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान पारेषण और वितरण में विद्युत की क्षति का किसी भी चरण पर आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमानतः विद्युत की कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या विद्युत की क्षति प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पारेषण और वितरण में विद्युत की अधिकांश क्षति विद्युत की चोरी के कारण होती है;

(च) यदि हां, तो पारेषण और वितरण में क्षति को रोकने के लिए पूरे देश में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1989-90 से 1994-95 के दौरान विद्युत के पारेषण एवं वितरण की प्रक्रिया में हुई ऊर्जा हानियां जी डब्ल्यूएच में तथा देश में आपूर्ति के लिए उपलब्ध ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में निम्नवत है :—

वर्ष	पारेषण एवं वितरण हानियां		पिछले वर्ष की तुलना में हानियों में कमी
	(जी डब्ल्यूएच)	%	(प्रतिशत बिन्दु)
1	2	3	4
1989-90	53260	23.28	
1990-91	56521	22.89	0.39
1991-92	61439	22.83	0.06
1992-93	61565	21.80	1.03
1993-94	65010	21.41	0.39
1994-95	68729	20.85 (अनंतिम)	0.56

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए देश में पारेषण एवं वितरण हानियों का आंकलन करने हेतु अपेक्षित आंकड़े अभी तक सभी रा.बि. बोर्डों/बिजली विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। आठवीं योजना प्रथम 3 वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों में लगभग 2% की कमी प्राप्त की गयी है।

(ङ) बिजली की चोरी, मीटर प्रणाली से संबंधित गलतियों तथा गैर-मीटरीकृत आपूर्ति आदि के कारण होने वाली हानियों संबंधी वाणिज्यिक घटक का यूटिलिटियों द्वारा अलग से आंकलन नहीं किया जा रहा है।

(च) विद्युत वितरण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और हानियों में कमी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी रा.बि. बोर्डों/बिजली विभागों की है। तथापि, सरकार ने विभिन्न अल्प व दीर्घकालीन उपाय करने, रिएक्टिव क्षतिपूर्ति हेतु केपेसिटरों की अधिष्ठापना करने, अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेदार प्रणाली-घटकों का सही-सही पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने, चोरी नियंत्रण तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए उपयुक्त अन्य उपाय करने आदि के माध्यम से यूटिलिटीयों को अपने पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाने की सलाह प्रदान की है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत ऊर्जा की चोरी को भी एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है तथा अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अधिकतम उपयोग करने के लिए यूटिलिटीयों को सलाह दी गयी है।

[अनुवाद]

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

2325. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण विकास के संबंध में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तथा उसमें कुछ निर्णय भी लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) इस पर कितना खर्च होने की आशा है;

(ङ) इनके संबंध में जनता प्रेस, राज्यों तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इसमें भाग लेने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(छ) इन राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (छ). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर 4-5 जुलाई, 1996 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था मंत्रालयों/विभागों ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सम्मेलन की चर्चाओं को प्रचार मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर चर्चा के उपरान्त सम्मेलन ने कई सिफारिशों को अपनाया। सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य/संघ शासित सरकारों ने इन सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य/संघ शासित सरकारों से भी इन सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए एक नोडीय विभाग का पता लगाने का अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्रीय योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उनके साथ पत्राचार कर सके।

विवरण

बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बारे में 4-5 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अपनाई गई सिफारिश

सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर इस चर्चा का आयोजन कराने में की गई पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया जो कि राष्ट्रीय महत्व एवं उच्च प्राथमिकता वाला विषय है।

2. सम्मेलन में कार्य सूची में शामिल सर्वाधिक महत्व के सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का अनुमोदन किया गया ताकि हमारे देश के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों, के बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके। यह देश के सर्वाधिक हित में होगा यदि समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार की जाएं ताकि 2000 ई. तक इन सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की पूर्ण कवरेज हासिल की जा सके।

3. ऐसी समयबद्ध और परिणाम उन्मुख उपलब्धि तीव्र आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। ये बुनियादी सेवाएं हमारे सामाजिक क्षेत्र और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण मांग होनी चाहिए। इन क्षेत्रों और कार्यक्रमों में प्राथमिकताएं संशोधित की जानी चाहिए जिससे इन सेवाओं पर हमारे प्रयास और संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता परिलक्षित हो सके।

4. सम्मेलन ने नोट किया है कि दो मुद्दे (क) केन्द्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करना और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना की समीक्षा जो सामान्य न्यूनतम कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखती हैं को आगामी राष्ट्रीय विकास परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषदों आदि की बैठकों में उठाया जाएगा और मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

5. सम्मेलन उद्देश्यों को 2000 ई. तक प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने की सिफारिश करता है :-

(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान की 100 प्रतिशत कवरेज।

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की 100 प्रतिशत कवरेज।

(3) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

(4) सभी बेघर गरीब परिवारों को आवास सहायता की व्यवस्था करना।

(5) प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सभी ग्रामीण खंडों और शहरी तंग बस्तियों तथा समाज के अपेक्षित वर्गों के लिए लागू करना।

(6) सड़कों से नहीं जुड़े हुए सभी गांवों और बसावटों को सड़कों से जोड़ना।

(7) गरीबों को अधिक तरजीह देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

6. केन्द्र और राज्य के बीच हुई सहमति के इन मोटे-मोटे उद्देश्यों के अधीन निधियों के केन्द्रीय अंश की सुपुर्दगी राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कार्यान्वयन में लोचशीलता देते हुए की जाएगी और चुनी हुई पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की मार्फत लोगों को शामिल करने पर बल दिया जाएगा।

7. विभिन्न मंत्रालयों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं काफी सफल हुई हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय चिंता के कुछेक क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए इन मंत्रालयों द्वारा की गई पहल को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ योजनाएं बड़ी हैं जबकि अन्य कुछ योजनाओं में थोड़ा प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के संचलन में काफी हद तक केन्द्रीयकरण, कठोरता, कार्य में विलंब और असमानताएं हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं

की ओर सही ध्यान देने और इन प्राथमिकताओं पर अपने प्रयासों तथा संसाधनों को केन्द्रित करने के उद्देश्य से सम्मेलन में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सुव्यवस्थित बनाने का सुझाव दिया है।

8. उपरोक्त पैरा-5 में वर्णित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से संबंधित सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को जारी रखा जाए। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के दायरे में (क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान में 100 प्रतिशत कवरेज (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में 100 प्रतिशत कवरेज और (ग) अगले 2-3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। तथापि, जिन राज्यों ने इन क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्य घटकों की अगले 2-3 वर्षों में पूर्ण कवरेज के लिए प्राथमिकताओं का चयन कर सकते हैं।

9. राज्यों और केन्द्र द्वारा इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए आबंटनों के निर्धारण में राष्ट्रीय औसत से नीचे के राज्यों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार किया जा सकता है।

10. इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण गरीबी उपशमन और रोजगार, मरूस्थल तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास, पोषाहार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्प संख्यकों तथा समाज के विकलांग लोगों के कल्याण के क्षेत्रों चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को इसी प्रकार जारी रखा जाए और इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राज्यों की अधिक भागीदारी हो तथा उन्हें अधिक स्वतंत्रता और लोचशीलता दी जाए।

11. उपर्युक्त पैरा 8 और 10 में वर्णित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अलावा दूसरे प्रावधानों को समेकित किया जाए और राज्यों को 1995-96 के दौरान किए गए आवंटनों के आधार पर राज्य पात्रता अनुपात तैयार किए जाएं। केन्द्र द्वारा परिचालित इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची में से राज्यों को अपनी वार्षिक पात्रता का उपयोग करने हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल कार्यान्वयन हेतु चयन की छूट दी जानी चाहिए।

12. सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य की वार्षिक पात्रता को प्रति वर्ष 15-20 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए।

13. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन प्रावधानों के ब्यौरों को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की मार्गदर्शिकाओं और प्रक्रियाओं के मद्देनजर तथा मुख्य मंत्रियों के एक समूह से परामर्श करके तैयार करेगा। यह कार्य एक माह में पूरा किया जाना चाहिए जिससे संशोधन और परिवर्तन इसी वर्ष में प्राप्त हो जाएं।

14. सम्मेलन ने केन्द्र और राज्य द्वारा संयुक्त निगरानी और समीक्षा की सिफारिश की है।

15. सम्मेलन ने सहमति दी है कि इन बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राज्य और केन्द्रीय योजना में आबंटित निधियों का अन्यथा उपयोग न किया जाए और इन निधियों को राज्यों से विचार विमर्श करके कार्यान्वयन एजेंसियों को दो किस्तों में जारी किया जाए। पहली किस्त को बिना किसी शर्त के अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाए और दूसरी किस्त को उपलब्ध निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत उपयोग करने तथा उपयोगिता ब्यौरे/प्रमाण पत्रों के पेश करने पर रिलीज किया जाए।

[हिन्दी]

बिहारी मजदूरों की हत्या

2326. श्री चुन चुन प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों के हमले में बिहारी मजदूरों के मारे जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने मजदूर मारे गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). 6-7 जुलाई, 1996 की रात को जम्मू और कश्मीर के कूपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के निकट बाटकोटे में उग्रवादियों द्वारा जिन 11 मजदूरों की हत्या की गई थी, वे बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली में आवास समस्या

2327. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1996 के 'स्टेरसमैन' में "कैपिटल फेसिंग एकयुट हाऊसिंग शार्टेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली में आवास की विद्यमान कमी बाबत कोई वैज्ञानिक अनुमान तैयार नहीं किया गया है। तथापि, 1991 के लिए राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा तैयार किए गये एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में आवास की कमी 2.39 लाख रिहायशी एककों के होने का अनुमान था। जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का संबंध है, उसने समय-समय पर उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी विभिन्न

आवासीय स्कीमों के तहत लगभग 2.55 लाख फ्लैटों का आबंटन किया है। अभी उनके पास 63,394 पंजीकृत व्यक्तियों का पिछला बकाया है जिन्हें अभी फ्लैट आवंटित किए जाने हैं।

	स्कीम	प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
(एक)	एन पी आर एस, 1979	31,204
(दो)	ए ए वाई, 1989	12,190
(तीन)	जे एच आर एस, 1996	20,000
	योग	63,394

दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि, अवस्थापना और जल सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर अगले 2 वर्षों में एन पी आर एंस 1979 और ए ए वाई 1989 के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने की योजना बना रहा है। जनता आवास पंजीकरण स्कीम 1996 के तहत, चालू वर्ष में 4000 फ्लैटों की पेशकश की जानी है, 6000 फ्लैट अगले 2-3 वर्षों में आवंटित किए जाने हैं और शेष 10,000 फ्लैट 1998 से आवंटित किये जायेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण 33000 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु सहकारी समूह आवास समितियों को द्वारका और नरेला में 400 भूखण्ड आवंटित करने की भी योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त 15,000 प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को रोहिणी रिहायशी स्कीम के तहत 1998 के अंत तक भूखण्ड आवंटित करने की भी आशा है।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

2328. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के किन-किन क्षेत्रों में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के संबंध में आयातित संघटकों का प्रतिशत क्या है और किन क्षेत्रों में आयात संबंधी प्रतिबंध लागू हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे उद्योगों के साथ जोड़ने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) उपग्रहों, प्रमोचक राकेटों, संबद्ध भू-प्रणालियों तथा अंतरिक्ष उपयोगों के क्षेत्र में डिजाइन, विकास, संविरचन और जांच कार्य सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोगों के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वदेशीकरण प्राप्त किया गया है।

(ख) इनके कुल मूल्य के संदर्भ में उपग्रहों के लिए लगभग 50 प्रतिशत तथा प्रमोचक राकेटों के लिए 25 प्रतिशत संघटकों और सामग्रियों का आयात किया जाता है।

जिन क्षेत्रों में आयात संबंधी प्रतिबन्ध लागू हैं, उनमें कुछ विशेष द्रव्य, रसायन, कुछ विशेष गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिकी संघटक और जांच उपस्कर शामिल हैं, जिन्हें "दोहरे उपयोग" का समझा जाता है।

(ग) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभ से ही सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी परामर्शिता को प्रदान करना, तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम जरूरतों को निरन्तर रूप से पूरा करने के लिए संघटकों, प्रणालियों और सेवाओं के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ठेके प्रदान करके भारतीय उद्योग के साथ सशक्त संबंधों को स्थापित और प्रोत्साहित किया है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक वृहत, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

जबरदस्ती विवाह कराया जाना

2329. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित डोडा जिले में भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा जोर जबरदस्ती विवाह करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई विशिष्ट दृष्टांत ध्यान में नहीं आया है।

सूखा निवारण योजना

2330. श्री शरत पटनायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों को सूखा निवारण मध्यावधि योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) क्या इस संबंध में किए गए क्रियाकलापों की कोई समीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) मध्यमावधि सूखा परीक्षण योजना नामक किसी योजना का वित्तपोषण एवं संचालन इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि, दीर्घावधि में सूखे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरूभूमि विकास कार्यक्रम नामक दो कार्यक्रमों का वित्तपोषण एवं संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए 1995-96 के दौरान प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ). सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरूभूमि विकास कार्यक्रम दोनों की समग्र रूप में प्रोफेसर सी.एच.हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली एक तकनीकी समिति द्वारा 1993-94 के दौरान समीक्षा की गयी थी। इस समिति के अप्रैल, 1994 में अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था।

इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी :-

(1) कार्यक्रम में शामिल करने हेतु विकास खण्डों एवं जिलों का पता लगाने के लिए मानदण्डों में परिवर्तन।

(2) मात्र वाटरशेड आधार पर ही क्षेत्र का विकास। एक वाटरशेड परियोजना में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और जहां तक संभव हो एक गांव को कवर किया जाना चाहिए।

(3) एक वाटरशेड संबंधी उपचारी योजनाओं में निजी, ग्रामीण समुदाय, राजस्व एवं अवक्रमित वन भूमि जैसी सभी श्रेणियों की भूमि को शामिल किया जाना चाहिए।

(4) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी नामक उपयुक्त मंजूरी स्तर पर आयोजना चरण पर संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय।

(5) वाटरशेड में समस्त क्षेत्रों को कवर करने के क्रम में, हरेक लाभार्थी को उनके द्वारा घटित भूमि को ध्यान में रखे बिना कार्यक्रम के कार्यों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए।

(6) वाटरशेड परियोजना के घटकों को पहले से ही नियमित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में पूर्ण लोचता होनी चाहिए तथा घटकों का वास्तविक चयन लाभार्थियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की गयी वाटरशेड योजनाओं से किया जाना चाहिए।

(7) सुव्यवस्थित प्रबंध, भूमि का विकास एवं उपयोग, वाटरशेड आधार पर जल एवं वनस्पति स्त्रोत तथा पूरक अवसरों के सृजन को ऐसे क्षेत्रों में उत्पादित मूल्य वर्धित सामग्रियों की प्रक्रिया एवं विपणन के लिए इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का सार बनाया जाना चाहिए।

(8) वाटरशेड कार्यक्रम को इसकी आयोजना के चरण से इसके क्रियान्वयन कुछ लाभार्थियों की पूर्ण भागीदारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्हें वाटरशेड परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परिसम्पतियों के रख रखाव में भी शामिल किया जाना चाहिए।

(9) वाटरशेड विकास योजनाओं की तैयारी एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण।

(10) यदि जवाहर रोजगार योजना द्वितीय चरण तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार विकास कार्य को शुरू किया जाता है, तो उपचार एवं विकास के लिए वाटरशेडों के अन्तर्गत कवरेज में महत्वपूर्ण विस्तार आसानी से किया जा सकता है।

(11) कार्यक्रमों को शुरू एवं क्रियान्वित करने में स्वयंसेवियों को बढ़ावा देना।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	1995-96 के दौरान रिलीज की गयी राशि
सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	
1. आंध्र प्रदेश	2106.55
2. बिहार	724.71
3. गुजरात	1013.96
4. हिमाचल प्रदेश	66.50
5. जम्मू और कश्मीर	260.29
6. कर्नाटक	1159.04
7. मध्य प्रदेश	2938.704
8. महाराष्ट्र	1721.31
9. उड़ीसा	403.84
10. राजस्थान	643.77
11. तमिलनाडु	532.49
12. उत्तर प्रदेश	1093.16
13. पश्चिम बंगाल	230.33
14. हरियाणा	15.41
योग	11910.064
मरूभूमि विकास कार्यक्रम	
1. आंध्र प्रदेश	405.00
2. गुजरात	1860.88
3. हरियाणा	449.76
4. हिमाचल प्रदेश	636.43
5. जम्मू और कश्मीर	1000.00
6. राजस्थान	5358.00
7. कर्नाटक	389.93
योग	10100.00

पेयजल

2331. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान इलाहाबाद जिले में पेय जल के लिए प्रखंडवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इलाहाबाद जिले में कितनी बस्तियों/गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश जल निगम ने सूचित किया है कि पेयजल आपूर्ति के लिए निधियों का आबंटन केवल जिला-वार आधार पर किया है। इलाहाबाद जिले के संबंध में संबद्ध सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	आबंटित की गई (रु. लाख में)	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)	पेयजल आपूर्ति के साथ केवर किए गए गांवों/बसावटों की संख्या
1994-95	284.00	206.92	208
1995-96	414.03	397.33	354
1996-97	653.28	202.50 (जून, 96 तक)	असूचित

रसोई गैस

2332. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति पाईप लाइन के माध्यम से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कहां-कहां उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सुविधा कर्नाटक में बंगलौर और मैसूर में उपलब्ध करायी जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक यह सुविधा इन नगरों में उपलब्ध करा दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). फिलहाल कर्नाटक में बंगलौर और मैसूर में यह सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

विश्व बैंक सहायता

2333. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के संबंध में किए जा रहे सुधारों ओर पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए किसी मिशन का गठन किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को दिए जाने का लक्षण और अन्य सहायता उक्त मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक मिशन के निर्देश पद क्या है; और

(घ) मूल्यांकन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). विश्व बैंक रा. वि. बोर्ड के सुधार/पुनर्गठन में भारत सरकार की सहायता करता रहा है। समय-समय पर यह देश और विभिन्न रा.बि. बो. में प्रतिनिधि मंडल भेजता रहा है। उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में रा.बि.बो. को निदानात्मक अध्ययन करवाए जाने हेतु विश्व बैंक द्वारा "परियोजना तैयारी संबंधी सुविधा" के जरिए सहायता प्रदान की जाती रही है। उड़ीसा को "उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना" पर कार्य किए जाने हेतु 350 मिलियन अमरीकी डोलर का एक ऋण भी स्वीकृत किया गया है। जिन राज्यों में निदानात्मक अध्ययन करवाए गए हैं, उन राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन

2334. लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कांडला-भटिंडा एवं मथुरा-अम्बाला-जालंधर पाइप-लाइनों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). 12 कि.मी. लम्बी एक पाइपलाइन बिछाकर तथा पानीपत में संबद्ध सुविधाएं जुटाकर कांडला-भटिंडा पाइपलाइन को मथुरा दिल्ली अंबाला जालंधर पाइपलाइन से मिलाने के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन का प्रस्ताव है। यह परियोजना 17.49 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने जा रही है।

पाइपलाइनों के मिलान से प्रचालनगत लोच उपलब्ध होगी साथ ही इससे कांडला से अंबाला तथा जालंधर टर्मिनलों के अन्तर्गत एच एस डी तथा एस के ओ जैसे अधिक मात्रा वाले उत्पादों से संबंधित निवेश में भी वृद्धि होगी।

पी.एस.एल.वी.डी.-3 का प्रक्षेपण

2335. डा. साहेबराम सुकराम बागूल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान पी.एस.एल.वी.डी.-3 के प्रक्षेपण से विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विश्व बैंक सहायता

2336. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में एक बिलियन डॉलर की धनराशि प्राप्त करने हेतु वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत वित्त निगम ने कर मुक्त बॉण्डों और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से 25 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने हेतु भी सरकार की स्वीकृति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक, प्रत्येक से ऋण के रूप में 500 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि प्राप्त किए जाने के लिए विद्युत वित्त निगम से प्राप्त प्रारम्भिक प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, ताकि विश्व बैंक और ए.डी.बी. के साथ कार्रवाई की जा सके।

(ख) और (ग). कर-मुक्त बॉण्डों के रूप में 250 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव पी.एफ.सी. से प्राप्त हो गया है। कर-मुक्त बॉण्डों का आबंटन, वर्ष 1996-97 हेतु पी.एफ.सी. के योजना आबंटन में शामिल नहीं है। सरकार को निगम से विदेशी वाणिज्यिक उधार के जरिए निधियां एकत्रित किए जाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पंजीकरण अधिनियम

2337. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण अधिनियम की धारा 30 (2) को हटाने तथा धारा 28 में संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त धाराओं को कब तक हटाया/संशोधित किया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30(2) को हटाने तथा धारा 28 में संशोधन का प्रावधान करने के लिए पंजीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1994 उत्तर प्रदेश सरकार से मई, 1994 में प्राप्त हुआ था तथा उक्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति 16 सितम्बर, 1934 को दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

भारत में विद्युत परियोजनाएं

2338. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कनाडा सरकार से भारत में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई आश्वासन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). केरल में अवसंरचनात्मक सेवा परियोजना के लिए कनाड़ाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सी.आई.डी.ए.) से हाल ही में एक समझौता ज्ञापन प्राप्त हुआ है। कोई वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने के लिए इस समय कोई वचनबद्धता नहीं की गई है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्र

2339. डा. बलिराम :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मऊ और जालौन जिलों में स्थित दोहारीघाट ताप विद्युत संबंध स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजना

2340. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ में 160 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). रामगढ़ में स्थापित की जा रही 160 मेगावाट क्षमता की संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना की 4 यूनिटों (3×35.5 मेगावाट जी.टी. 1×53.5 मेगावाट एस.टी.) में से 35.5 मेगावाट गैस टर्बाइन (जी.टी.) क्षमता की पहली यूनिट के लिए 0.55 एम.एम.एस. सी.डी. (मीट्रिक मिलियन स्टैन्डर्ड क्यूबिक पर डे) गैस का आबंटन कर दिया गया है।

35.5 मेगावाट क्षमता की एक गैस टर्बाइन 12.1.96 को चालू कर दी गई है, जिसके लिए गैस उपलब्ध न हो पाने के कारण इसमें हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) का उपयोग किया गया है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि ऑयल इंडिया लि. के कुओं से 5.7.96 से गैस की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, परन्तु जी.टी. का प्रचालन करना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि नाइट्रोजन तथा अन्य अक्रिय गैसों के अवयवों की अधिकता के कारण उपलब्ध गैस का उष्मीय परिमाण न्यून है।

(ग) प्रत्येक 35.5 मेगावाट क्षमता की दो जी.टी. यूनिटों तथा 53.5 मेगावाट क्षमता की एक भाप टर्बाइन यूनिट को स्थापित किया जाना, अतिरिक्त गैस का आबंटन किए जाने, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने तथा योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने पर निर्भर करेगा।

रावी नदी पर पुल का निर्माण

2341. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध को ध्यान में रखते हुए बसोहली क्षेत्र में रावी नदी पर पुल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत और निर्माण पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) बसोहली क्षेत्र की कितनी एकड़ भूमि (कृषि एवं गैर कृषि भूमि) इसके परिणामस्वरूप जलमग्न हो जाएगी और रणजीत सागर बांध (थीन) परियोजना द्वारा विस्थापित होने वाले परिवारों को कितना मुआवजा दिया जायेगा और इस संबंध में कितने मामले अभी भी लम्बित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 6100 लाख रुपये की लागत से केबल आधारित पुल के निर्माण हेतु एक प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है तथा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार का राजस्व विभाग सूचना के ब्यौरे एकत्र कर रहा है।

सरकारी भूमि का अतिक्रमण

2342. श्री राम सागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग पर निर्माणाधीन भवन के फोटोग्राफ की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके किया जा रहा है जैसा कि समाचार-पत्र में कहा गया है और यदि हां, तो सरकारी भूमि के अतिक्रमण को न रोकने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त भूमि को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सैनिक फार्म में भी सरकारी भूमि का अत्यधिक अतिक्रमण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी भूमि और सैनिक फार्म में कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है और इस प्रकार के अप्राधिकृत भवनों की संख्या क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि उनके द्वारा देखरेख की जा रही सड़कों के क्षेत्राधिकार पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तथापि, जब कभी भी ऐसे अतिक्रमणों का पता चलता है उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। जहां तक सैनिक फार्म में अवैध निर्माण का संबंध है, 1.1.1996 से दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम, अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु अवैध निर्माणों के 22 मामले दर्ज किए हैं।

पेट्रोल पम्प

2343. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में कुल कितने पेट्रोल पम्प चल रहे हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे के अंतर्गत पेट्रोल पम्प हेतु कितने लाइसेंस दिए गए हैं और ये पेट्रोल पम्प कहां-कहां चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान गोवा में पेट्रोल पम्प को और लाइसेंस देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार गोवा में 69 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप प्रचालनरत थी। उपर्युक्त में से 4 डीलरशिप अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

(ग) और (घ). नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार गोवा के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में सात नए खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल किए गए हैं:

	स्थान	जिला
1.	कुंदाइम	उत्तरी गोवा
2.	तिविम	उत्तरी गोवा
3.	कुनकोलिम	दक्षिणी गोवा
4.	फ्रादिलेम	दक्षिणी गोवा
5.	मारगोवा	दक्षिणी गोवा
6.	नूवेम	दक्षिणी गोवा
7.	पाटी	दक्षिणी गोवा

हुडको द्वारा अग्रिम राशि

2344. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने कन्नौर केरल स्थित परियाराम मेडिकल कालेज को ऋण के रूप में कोई अग्रिम राशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस मेडिकल कालेज द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई और हुडको द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृति की गई;

(ग) इस ऋण की स्वीकृत की गई धनराशि व शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे ऋण के लिए केरल सरकार द्वारा कोई शपथ पत्र/गारण्टी प्रदान की गई है;

(ङ) क्या वर्तमान केरल सरकार ने यह गारण्टी वापस ले ली है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख). परियाराम, कन्नूर, केरल में एक मेडिकल कालेज तथा सुपर-स्पेशियालिटी हास्पिटल परिसर (चरण-1) के निर्माण के लिए हडको ने केरल स्टेट कोओपरेटिव हॉस्पिटल कम्प्लैक्स एण्ड सेन्टर फार एडवान्सड मेडिकल सर्विसिज लि., परियोजना हेतु आरम्भ में 100 करोड़ रु. की ऋण सहायता मांगी गई थी।

(ग) ऋण स्वीकृत की शर्तें तथा निबंधन इस प्रकार हैं :—

(एक) ब्याज की दर 19% जिसमें मूलधन तथा ब्याज का शीघ्र पुनर्भुगतान करने पर 0.5% की छूट दी जाएगी।

(दो) ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी आवश्यक है।

(तीन) ऋण की पुनर्भुगतान अवधि - 10 वर्ष।

(घ) से (च). प्रारम्भ में केरल सरकार ने ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी गारंटी देना स्वीकार किया था। परन्तु बाद में बिना कोई कारण बताए गारंटी देने से मनाकर दिया। तथापि, अभिकरण के अनुरोध पर, हडको ने प्रतिभूति के रूप में भूमि तथा मरम्मत को बंधक रखने की अनुमति दे दी है।

पानी की कमी

2345. श्री सनत मेहता : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों और कस्बों में पानी की कमी की समस्या पर काबू पाने के लिए चालू वर्ष में केन्द्र द्वारा गुजरात को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में ऐसे गांवों की अद्यतन संख्या कितनी है जहां पर कोई जल स्त्रोत नहीं है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). 1996-97 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य को रिलीज की गई राशि 1451.50 लाख रुपये है। शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए चालू वर्ष में कोई राशि रिलीज नहीं की गई है।

(ग) 31.5.1996 के अनुसार, गुजरात में 697 "कवर न की गई" बसावटें/गांव थे।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

2346. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान असम सरकार द्वारा कितने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों की अब तक मौके पर जाकर समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) असम में चलाई जा रही प्रमुख गरीबी उन्मूलन स्कीमें हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी)। पिछले दो वर्षों के अर्थात् 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां विवरण-I में दी गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष (अर्थात् 1996-97) के दौरान इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ). असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जनवरी 1994 तथा अक्तूबर 1994 में उच्च स्तरीय अन-द-स्पष्ट समीक्षा की गई है। इस बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय ये हैं : (1) एन.आई.आर.डी. के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र की ओर अधिक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन पर विशेष जोर देना। (2) उत्तर पूर्व में विकास हेतु तथा कार्यक्रमों की तैयारी एवं कार्यान्वयन में सुधार हेतु कार्यनीतियों पर कार्यशालाएं आयोजित करना तथा (3) क्षेत्र में विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों पर पर्याप्त रियायत हेतु विचार करना।

इन समीक्षाओं के अनुसरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऋण प्रवाह से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु तत्कालीन अपर सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालोय दल गठित किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय हिस्सा एक किस्त में जारी करने का निर्णय लिया है। ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निधियों की बाधा न आए। इसके अलावा आईआरडीपी आधारभूत संरचना पर व्यय की उच्चतम सीमा उत्तर पूर्व राज्यों में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। अन्य सिफारिशें/सुझाव ये हैं : ऋण से संबंधित समस्याओं में कमी लाने के लिए वैकल्पिक ऋण व्यवस्था का उपाय करना, ग्राम स्तरीय निकायों के माध्यम से आईआरडीपी लाभग्रहियों को उधार देने हेतु डीआरडीए को कम से कम सब्सिडी के बराबर चक्रीय (रिवाल्विंग) निधियां उपलब्ध कराना तथा निजी सेक्टर कार्यकलापों पर और अधीन ध्यान देना। कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जेआरवाई हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों में समान रियायतें भी दी गई है।

नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) नामक प्रमुख शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शहरी तथा रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा असम सहित विभिन्न राज्यों में फील्ड निरीक्षण के माध्यम से समीक्षा की जाती है। ऐसे निरीक्षणों के दौरान ध्यान में लाई गई विभिन्नताओं/कमियों को राज्य सरकार की जानकारी में लाया जाता है ताकि उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें। यूबीएसपी कार्यक्रम के तहत निष्पादन की आवधिक बैठकों में समीक्षा की जाती हैं और अभिज्ञात कमियों को राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर सकें।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों (अर्थात् 1994-95 तथा 1995-96) के दौरान प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां-असम

कार्यक्रम	यूनिट	1994-95		1995-96	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1. आईआरडीपी	(परिवारों की संख्या)	54938	61861	S	58547
	(क्रेडिट डिस्बर्स्ड लाख रुपये)	S	3562.54	4389.60	4117.79

1	2	3	4	5	6
2. जेआरवाई	(लाख मानव दिवस)	211.97	263.29	178.63	179.08
3. ईएएस	(लाख मानव दिवस)	*	95.50	*	181.85

S आई आर डी पी के तहत 1995-96 से विच्छिन्न वास्तविक लक्ष्य; और इसके अलावा ऋण वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

* ई ए एस के लिए कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है।

नेहरू रोजगार योजना वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

कार्यक्रम	1994-95		1995-96	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. एसयूएमई के तहत माइक्रो उद्यम गठित करने में सहायता प्राप्त लाभाग्राहियों की संख्या	1320	675	1278	1842
2. एसयूएमआई के तहत सृजित मानव कार्य दिवस (लाख में)	1.46	1.37	1.13	1.36
3. एसएचएएसयू के तहत उन्नत किए गए/किए जा रहे आवास एककों की संख्या	2828	शून्य	—	—

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी) : 31.3.1996 के अनुसार यूबीएसपी के प्रमुख पैरामीटरों की संचयी उपलब्धियां

1.	चयनित नगरों की सं.	4
2.	कवरेज के लिए चयनित शहरी गंदी बस्ती पाकेटों की सं.	40
3.	इन स्लम पाकेटों में कवर किए गए लाभग्राहियों की सं. (लाख में)	1.74
4.	चयनित निवासी सामुदायिक स्वयं सेवियों की सं.	6463
5.	संस्थापित अड़ोस पड़ोस समितियों की सं.	40
6.	गठित सामुदायिक विकास समितियों की सं.	40

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1996-97) के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य
आईआरडीपी	(ऋण वितरित लाख रु.)	4389.60
जेआरवाई	(लाख मानव दिवस)	98.77
एनआरवाई		
(1) एसयूएमई	(लाभग्राहियों की सं.)	1278
(2) एसयूडब्ल्यूई	(लाख मानव दिवस)	1.13
(3) एसएचएएसयू	(आवास यूनिटों की सं.)	2875

एसयूएमई : शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम

एसयूडब्ल्यूई : शहरी दैनिक मजदूरी रोजगार स्कीम

एसएचएएसयू : आवास तथा शेल्टर उन्नयन स्कीम

ईएएस : ईएएस के लिए कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित स्कीम है।

यूबीएसपी : शहरी गरीबों के लिए यह एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है। क्षेत्रकीय कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सेवाओं में अन्तराल को पाटने के लिए इसे सामुदायिक भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास

2347. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने अपनी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली को कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम) (आई आर डी पी) (2) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (3) सुनिश्चित रोजगार योजना (ईएएस तथा (4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम डीपीएपी तथा डीडीपी (कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को चालू तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों, रिलीज तथा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरों को नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

	केन्द्रीय क्षेत्र (त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम)			राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	
वर्ष	आवंटन	रिलीज	खर्च	प्रावधान	खर्च
1993-94	22.0	19.7	10.82	450.0	493.63
1994-95	25.0	0.0*	0.00*	400.0	485.05
1995-96	29.0	0.0*	0.00	500.00	581.39
1996-97	30.0	—*	—	500.00	—

* निधियों की रिलीज हेतु दिल्ली की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर व्यय

2348. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दसवीं लोक सभा के सदस्यों की अनुशंसा पर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) आबंटित राशि में से प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) उक्त शीर्ष के अन्तर्गत संसदीय चुनाव क्षेत्रवार कितनी राशि अभी तक उपयुक्त पड़ी है;

(घ) दसवीं लोक सभा के सदस्यों की अनुशंसा पर उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिहार के विभिन्न जिलों में कितना कार्य शुरू किया गया तथा उसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान 10वीं लोकसभा के संसद सदस्यों के बारे में देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) को कार्यान्वित करने के लिए जिला कलेक्टरों को 1886.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(ख) और (ग). अधिकांश कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र वार किया गया व्यय तथा उपयोग किए जाने हेतु अभी तक अधिशेष राशि का ब्यौरा संकलित कर लिया गया है तथा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). बिहार राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार दसवीं लोक सभा के सदस्यों की सिफारिश पर बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 8828 निर्माण कार्यों को शुरू किया गया है जिनमें से 5540 निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र	1993-94 से 1995-96		
		भा.स. द्वारा आवंटन	किया गया व्यय	शेष अव्यय राशि
1	2	3	4	5
राज्य : आंध्र प्रदेश (लोक सभा)				
1.	नांदयाल	205.0	164.0	41.0
2.	कुरनूल	200.0	146.9	53.1
3.	निजामाबाद	205.0	107.0	98.0
4.	तिरूपति (अ.जा.)	205.0	203.0	2.0
5.	विशाखापटनम	205.0	36.5	168.5
6.	हैदराबाद	205.0	170.1	34.9
7.	नैल्लौर (अ.जा.)	205.0	165.6	39.4
8.	गुंटूर	205.0	125.4	79.6
9.	करीमनगर	205.0	45.8	159.2

1	2	3	4	5
10.	खम्माम	205.0	92.9	112.1
11.	मछलीपट्नम	205.0	205.0	0.0
12.	मिरलालगुडा	205.0	189.0	16.0
13.	सिकन्दाबाद	205.0	141.9	63.1
14.	हनमकोडा	205.0	182.2	22.8
15.	बापातला	205.0	11.3	193.7
16.	हिन्दूपुर	205.0	32.7	172.3
17.	राजामुद्री	205.0	94.2	110.8
18.	श्रीकाकूलम	205.0	24.3	180.7
19.	भद्राचलम (अ.ज.जा.)	205.0	44.8	160.2
20.	बोबिली	205.0	185.7	19.3
21.	ईलूरू	205.0	108.1	96.9
22.	अमलापुरम् (अ.जा.)	205.0	111.6	93.4
23.	महबूबनगर	205.5	102.5	102.5
24.	ओंगोले	155.0	5.0	150.0
25.	काकीनाड़ा	205.0	115.1	89.9
26.	अंकापल्ली	205.0	56.9	148.1
27.	अनंतपुर	205.0	33.2	171.8
28.	मेडक	205.0	204.1	0.9
29.	चित्तुर	205.0	139.7	65.3
30.	नारसारा ओपेट	205.0	183.9	21.1
31.	आदिलाबाद	205.0	203.9	1.1
32.	वारंगल	205.0	166.5	38.5
33.	राजामपेट	205.0	133.6	71.4
34.	पार्वतीपुरम (अ.ज.जा.)	205.0	21.7	183.3
35.	तेनाली	205.0	201.8	3.2
36.	नालगोडा	205.0	199.0	6.0
37.	पेड्डापल्ली (अ.जा.)	205.0	98.5	106.5
38.	विजयवाड़ा	205.0	205.0	0.0
39.	सीदीपेट (अ.जा.)	205.0	181.5	23.5
40.	नगरकूरनूल (अ.जा.)	205.0	140.4	64.6
41.	कुडप्पा	205.0	151.9	53.1
42.	नरसापुर	105.0	96.1	8.9
	कुल राज्य	8455.0	5228.3	3226.7

1	2	3	4	5
राज्य : अरूणाचल प्रदेश (लोक सभा)				
1.	अरुणाचल पश्चिम	205.0	9.9	195.1
2.	अरुणाचल पूर्व	205.0	73.0	132.0
	कुल राज्य	410.0	82.9	327.1
राज्य : असम (लोक सभा)				
1.	स्वशासी जिला (अ.ज.जा.)	205.0	79.6	125.4
2.	करीमगंज (अ.जा.)	205.0	121.0	84.0
3.	सिलचर	205.0	79.3	125.7
4.	धुरबी	205.0	92.8	112.2
5.	कोकराझार (अ.ज.जा.)	205.0	13.4	191.6
6.	बारपेटा	205.0	39.1	165.9
7.	मंगलदाई	205.0	56.2	148.8
8.	तेजपुर	205.0	113.5	91.5
9.	नौगांव	205.0	78.7	126.3
10.	जोरहाट	205.0	172.3	32.7
11.	लखीमपुर	205.0	88.1	116.9
12.	गुवाहाटी	205.0	85.1	119.9
13.	कालियाबोर	205.0	22.3	182.7
14.	डीब्रूगढ़	205.0	144.5	60.5
	कुल राज्य	2870.0	1185.9	1684.1
राज्य : बिहार (लोक सभा)				
1.	हाजीपुर (अ.ज.जा.)	205.0	157.9	47.1
2.	वैशाली	200.0	144.7	55.3
3.	सिंहभूम (अ.ज.जा.)	205.0	156.7	48.3
4.	लोहरदगा (अ.ज.जा.)	205.0	137.7	67.3
5.	जहानाबाद	205.0	117.0	88.0
6.	महाराजगंज	205.0	143.1	61.9
7.	सीतामढ़ी	205.0	150.7	54.3
8.	पटना	205.0	144.9	60.1
9.	किशनगंज	205.0	94.8	110.2
10.	बगहा (अ.जा.)	205.0	155.3	49.7
11.	रोसड़ा (अ.जा.)	205.0	139.7	65.3
12.	मुंगेर	205.0	84.3	120.7
13.	मुजफ्फरपुर	205.0	97.6	107.4

1	2	3	4	5
14.	मधुबनी	205.0	80.9	124.1
15.	पलामू (अ.जा.)	205.0	105.5	99.5
16.	जमशेदपुर	205.0	135.8	69.2
17.	समस्तीपुर	205.0	106.2	98.8
18.	राजमहल (अ.ज.जा.)	205.0	91.4	113.6
19.	गोपालगंज	205.0	113.6	91.4
20.	खूंटी (अ.ज.जा.)	205.0	140.7	64.3
21.	हजारीबाग	205.0	96.7	108.3
22.	सासाराम (अ.जा.)	205.0	124.0	81.0
23.	अररिया (अ.जा.)	205.0	99.0	106.0
24.	बांका	205.0	187.0	18.0
25.	नवाड़ा (अ.जा.)	205.0	71.1	133.9
26.	आरा	205.0	122.5	82.5
27.	नालंदा	205.0	134.0	71.0
28.	धनबाद	205.0	95.1	109.9
29.	रांची	205.0	105.9	99.1
30.	शिवहर	205.0	134.0	71.0
31.	बेंगूसराय	205.0	155.1	49.9
32.	मोतीहारी	205.0	183.2	21.8
33.	विक्रमगंज	205.0	109.8	95.5
34.	बलिया	205.0	113.1	91.9
35.	बक्सर	205.0	178.4	26.6
36.	दुमका (अ.ज.जा.)	205.0	74.5	130.5
37.	बेतिया	205.0	136.0	69.0
38.	कोडरमा	205.0	71.4	133.6
39.	चतरा	205.0	118.8	86.2
40.	भागलपुर	205.0	97.0	108.0
41.	झंझारपुर	205.0	154.9	50.1
42.	खगड़िया	205.0	119.8	85.2
43.	सहरसा	205.0	75.8	129.2
44.	कटिहार	205.0	72.6	132.4
45.	सीवान	205.0	104.4	100.6
46.	छपरा	205.0	140.2	64.8
47.	दरभंगा	205.0	154.8	50.2
48.	औरंगाबाद	205.0	83.6	121.4
49.	गोड्डा	205.0	72.4	132.6
50.	मधेपुरा	205.0	59.2	145.8
51.	बाढ़	205.0	88.8	116.2
52.	गया (अ.जा.)	205.0	176.5	28.5
53.	गिरीडीह	205.0	102.5	102.5
54.	पूर्णिया	100.0	53.6	46.4
55.	रांची	100.0	20.1	79.9
	कुल राज्य	11060.0	6384.3	4675.7
राज्य : गोवा (लोक सभा)				
1.	गोवा, पपाजी	205.0	71.6	133.4
2.	मर्मूगाओ	205.0,	83.0	122.0
	कुल राज्य	410.0	154.6	255.4
राज्य : गुजरात (लोक सभा)				
1.	दोहद (अ.ज.जा.)	205.0	52.8	152.2
2.	मांडवी (अ.ज.जा.)	205.0	59.8	145.2
3.	मेहसाना	205.0	94.0	111.0
4.	गोधरा	205.0	94.0	111.0
5.	बड़ौदा	205.0	150.8	54.2
6.	जामनगर	205.0	41.1	163.9
7.	केड़ा	205.0	52.0	153.0
8.	पाटन (अ.जा.)	205.0	121.3	83.7
9.	भरूच	205.0	86.5	118.5
10.	अमरेली	205.0	181.4	23.6
11.	पोरबन्दर	205.0	20.4	184.6
12.	बलसाड़ (अ.ज.जा.)	205.0	68.8	136.2
13.	सुरेन्द्रनगर	205.0	28.6	176.4
14.	साबरकांठा	205.0	41.7	163.3
15.	आनन्द	205.0	76.8	128.2
16.	अहमदाबाद	205.0	58.4	146.6
17.	सूरत	205.0	31.5	173.5
18.	छोटा उदयपुर (अ.ज.जा.)	205.0	131.9	73.1
19.	बनासकंठा	205.0	62.3	142.7
20.	कपड़वंज	205.0	45.4	159.6
21.	गांधीनगर	205.0	50.0	155.0
22.	धनधुका (अ.जा.)	205.0	49.1	155.9

1	2	3	4	5
23.	राजकोट	205.0	30.6	174.4
24.	जूनागढ़	205.0	8.1	196.9
25.	भावनगर	205.0	41.5	163.5
26.	कच्छ	205.0	43.6	161.4
	कुल राज्य	5330.0	1722.4	3607.6
राज्य : हरियाणा (लोक सभा)				
1.	भिवानी	205.0	106.9	98.1
2.	करनाल	205.0	160.5	44.5
3.	महेन्द्रगढ़	205.0	131.3	73.7
4.	सिरसा (अ.जा.)	205.0	99.8	105.7
5.	फरीदाबाद	205.0	152.2	52.8
6.	हिसार	205.0	111.7	93.3
7.	सोनीपत	205.0	140.9	65.0
8.	कुरूक्षेत्र	205.0	142.9	62.6
9.	रोहतक	205.0	142.4	62.6
10.	अंबाला	5.0	1.6	3.4
	कुल राज्य	1850.0	1189.3	660.7
राज्य : हिमाचल प्रदेश (लोक सभा)				
1.	शिमला (अ.जा.)	205.0	8.5	196.5
2.	मंडी	205.0	0.0	205.0
3.	हमीरपुर	205.0	34.0	171.0
4.	कांगड़ा	205.0	158.4	46.6
	कुल राज्य	820.0	200.9	619.1
राज्य : कर्नाटक (लोक सभा)				
1.	बेलगांव	205.0	106.5	98.5
2.	वेल्लरी	205.0	191.0	14.0
3.	तुमकर	205.0	100.0	105.0
4.	शिमोगा	205.0	38.0	167.0
5.	उदीपी	205.0	86.3	118.7
6.	बंगलौर उत्तरी	205.0	151.2	53.8
7.	धारवाड़ उत्तर	205.0	75.5	129.5
8.	कनाराय	205.0	128.0	77.0
9.	मंगलौर	205.0	78.4	126.6
10.	चिक्वल्लापुर	205.0	21.9	183.1
11.	चिकोड़ी (अ.जा.)	205.0	67.7	137.3
12.	चामराजनगर (अ.जा.)	205.0	92.5	112.5
13.	मैसूर	205.0	105.1	99.9
14.	रायचुर	205.0	83.6	121.4
15.	कनकपुरा	205.0	54.5	150.5
16.	बीजापुर	205.0	152.6	52.4
17.	बंगलौर दक्षिण	205.0	116.9	88.1
18.	गुलबर्गा	205.0	0.8	204.2
19.	माण्डया	205.0	84.5	120.5
20.	चित्रदुर्ग	205.0	127.6	77.4
21.	बागलकोट	205.0	173.6	31.4
22.	चिकमंगलूर	205.0	126.6	78.4
23.	कोलार (अ.जा.)	205.0	154.6	50.4
24.	हसन	105.0	65.0	40.0
25.	बीदर (अ.जा.)	205.0	166.9	38.1
26.	कोप्पल	205.0	110.9	94.1
27.	दवेनगरे	205.0	84.6	120.4
28.	धारवाड़ दक्षिण	205.0	86.2	118.8
	कुल राज्य	5640.0	2831.0	2809.0
राज्य : केरल (लोक सभा)				
1.	ओट्टाप्पलम	205.0	50.8	154.2
2.	विस्सूर (त्रिचूर)	205.0	46.8	158.2
3.	पोचानी	205.0	59.2	145.8
4.	चरघिंकील	205.0	106.1	98.9
5.	त्रिवेन्द्रम	205.0	62.1	142.9
6.	क्विलोन (कोल्लम)	205.0	94.1	110.9
7.	मवेलीकारा	205.0	90.7	114.3
8.	अलपपूजना	205.0	87.7	117.3
9.	कन्ननोर (कच्चूर)	205.0	42.9	162.1
10.	मंजेरी	205.0	66.1	138.9
11.	एरनाकुलम	205.0	73.3	131.7
12.	बदामड़ा	205.0	21.9	183.1
13.	कोट्टायम	205.0	67.9	137.1
14.	अडूर (अ.जा.)	205.0	62.4	142.6
15.	मुकुंदपुरम	205.0	73.9	131.1

1	2	3	4	5
16.	ईंदुक्की	205.0	84.9	120.1
17.	कालीकट (कोझीकोडे)	205.0	30.8	174.2
18.	कासरगौड़ा	205.0	65.4	139.6
19.	मुवतापूजा	205.0	56.2	148.8
20.	पालघा (पल्ककड)	205.0	112.0	93.0
	कुल राज्य	4100.0	1355.2	2744.8

राज्य मध्य प्रदेश (लोक सभा)

1.	राजगढ़	200.0	171.8	28.2
2.	सारनगढ़ (अ.जा.)	205.0	153.3	51.7
3.	झाबुआ (अ.ज.जा.)	205.0	122.2	82.8
4.	छिंदवाड़ा	205.0	193.0	12.0
5.	मांडला (अ.ज.जा.)	205.0	181.2	23.8
6.	कांकरे (अ.ज.जा.)	205.0	93.6	111.4
7.	ग्वालियर	205.0	96.0	109.0
8.	बस्तर (अ.ज.जा.)	205.0	86.2	118.8
9.	गुना	205.0	201.7	3.3
10.	रायपुर	205.0	114.9	90.1
11.	बेतूल	205.0	104.4	100.6
12.	मुरैना (अ.जा.)	205.0	115.0	90.0
13.	भिंड	205.0	94.2	110.8
14.	राजनंदगांव	205.0	205.0	0.0
15.	बिलासपुर (अ.जा.)	205.0	150.9	54.1
16.	उज्जैन (अ.जा.)	205.0	103.2	101.8
17.	जांजगीर	205.0	113.9	91.1
18.	दुर्ग	105.0	104.2	0.8
19.	दमोह	205.0	170.4	34.6
20.	इंदौर	205.0	11.0	194.0
21.	बालघाट	205.0	151.9	53.1
22.	मंदसौर	205.0	164.3	40.7
23.	जबलपुर	205.0	131.8	73.2
24.	सीधोनी	205.0	167.6	37.4
25.	खारगौन	205.0	116.4	88.6
26.	सरगुजा (अ.ज.जा.)	205.0	142.0	63.0
27.	रायगढ़ (अ.ज.जा.)	205.0	161.0	44.0
28.	होशंगाबाट	205.0	142.0	63.0
29.	सागर (अ.जा.)	205.0	68.0	137.0
30.	रीवा	205.0	146.0	59.0
31.	सीधी (अ.ज.जा.)	205.0	67.7	137.3
32.	सतना	205.0	130.5	74.5
33.	धार (अ.ज.जा.)	205.0	135.6	69.4
34.	खंडवा	205.0	156.6	48.4
35.	खजुराहो	205.0	95.7	109.3
36.	भोपाल	205.0	156.6	48.4
37.	शाहजापुर (अ.जा.)	205.0	122.6	82.4
38.	महासमुन्द	205.0	203.2	1.8
39.	विदिशा	205.0	121.6	83.4
40.	शाहडोल (अ.ज.जा.)	205.0	109.8	95.2
	कुल राज्य	8095.0	5277.0	2818.0

राज्य : महाराष्ट्र (लोक सभा)

1.	बारामती	200.0	16.2	183.8
2.	अहमद नगर	200.0	180.8	19.2
3.	सतारा	205.0	71.3	133.7
4.	धुले (अ.ज.जा.)	205.0	65.4	139.6
5.	करड़	205.0	69.4	135.6
6.	राजापुर	205.0	32.6	172.4
7.	बम्बई दक्षिण	205.0	204.5	0.5
8.	बम्बई उत्तर पश्चिम	205.0	7.0	198.0
9.	पुणे	205.0	13.2	191.8
10.	कोल्हापुर	205.0	91.7	113.3
11.	नन्दरबार (अ.ज.जा.)	205.0	138.6	66.4
12.	उस्मानाबाद (अ.जा.)	205.0	205.0	0.0
13.	जलगांव	205.0	66.1	138.9
14.	इचलकराजी	205.0	69.6	135.4
15.	रामतेक	105.0	101.5	3.5
16.	सांगली	205.0	65.1	139.9
17.	लाटूर	205.0	60.0	145.0
18.	यवतमाल	205.0	23.2	181.8
19.	चन्दरापुर	205.0	0.0	205.0
20.	हिनगोली	205.0	106.6	98.4
21.	वर्धा	205.0	112.7	92.3

1	2	3	4	5
22.	दहानू (अ.ज.जा.)	205.0	142.0	63.0
23.	पंढरपुर (अ.जा.)	205.0	57.6	147.4
24.	कोपरगांव	205.0	189.0	16.0
25.	नागपुर	205.0	205.0	0.0
26.	नान्देड	205.0	149.6	55.4
27.	नासिक	205.0	116.7	88.3
28.	कोलाबा	205.0	204.0	1.0
29.	खेड़	205.0	20.9	184.1
30.	भंदा	205.0	157.0	48.0
31.	जालना	205.0	128.2	76.8
32.	वाशिम	205.0	180.7	24.3
33.	परभानी	205.0	146.9	58.1
34.	अमरावती	205.0	65.1	139.9
35.	बम्बई उत्तर पूर्व	205.0	201.0	4.0
36.	बुलढ़ाना (अ.जा.)	205.0	129.7	75.3
37.	ठाणे	205.0	83.0	122.0
38.	मालेगांव (अ.ज.जा.)	205.0	59.4	145.6
39.	बम्बई उत्तर पूर्व	205.0	42.3	162.7
40.	शोलापुर	205.0	74.4	130.6
41.	बम्बई उत्तर	205.0	200.0	5.0
42.	रत्नागिरी	205.0	70.0	135.0
43.	इरन्डोल	205.0	193.9	11.1
44.	अकोला	205.0	198.9	6.1
45.	ओरंगाबाद	205.0	122.0	83.0
46.	चिमुर	205.0	10.0	195.0
47.	बम्बई दक्षिण मध्य	205.0	200.0	5.0
48.	बीड	205.0	61.1	143.9
	कुल राज्य	9730.0	5108.9	4621.1
	राज्य : मणिपुर (लोक सभा)			
1.	बाहय मणिपुर (अ.ज.जा.)	205.0	151.9	53.1
2.	आंतरिक मणिपुर	205.0	143.5	61.5
	कुल राज्य	410.0	295.4	114.6
	राज्य : मेघालय (लोक सभा)			
1.	तुरा	205.0	108.3	96.7
2.	शिलांग	205.0	0.0	205.0
	कुल राज्य	410.0	108.3	301.7
	राज्य मिजोरम (लोक सभा)			
1.	मिजोरम	205.0	120.0	85.0
	कुल राज्य	205.0	120.0	85.0
	राज्य : नागालैंड (लोक सभा)			
1	नागालैंड	205.0	105.0	100.0
	कुल राज्य	205.0	105.0	100.0
	राज्य : उड़ीसा (लोक सभा)			
1.	क्योझर (अ.ज.जा.)	205.0	205.0	0.0
2.	मयूरभंज (अ.ज.जा.)	200.0	131.4	68.6
3.	जाजपुर (अ.जा.)	205.0	75.3	129.7
4.	कोरापुट (अ.ज.जा.)	205.0	99.8	105.2
5.	नवरंगपुर (अ.ज.जा.)	205.0	20.3	184.7
6.	कालाहांडी	205.0	0.0	205.0
7.	जगतसिंहपुर	205.0	9.9	195.1
8.	संबलपुर	205.0	165.0	40.0
9.	कटक	205.0	63.3	141.7
10.	बालसौर	205.0	146.0	59.0
11.	बोलनगिर	205.0	33.3	171.7
12.	बरहामपुर	205.0	204.8	0.2
13.	फूलबानी (अ.जा.)	205.0	27.2	177.8
14.	देवगढ़	205.0	0.0	205.0
15.	भुवनेश्वर	205.0	45.7	159.7
16.	पुरी	205.0	13.3	191.7
17.	आसका	205.0	205.0	0.0
18.	सुंदरगढ़ (अ.ज.जा.)	205.0	61.5	143.5
19.	केन्द्रपाड़ा	205.0	68.5	136.5
20.	टेंकनाल	205.0	116.3	88.7
21.	भद्रक (अ.जा.)	105.0	68.7	36.3
	कुल राज्य	4200.0	1760.3	2439.7

1	2	3	4	5
राज्य पंजाब (लोक सभा)				
1.	जलन्धर	205.0	190.7	14.3
2.	अमृतसर	205.0	199.9	5.1
3.	तरनतारन	205.0	205.0	0.0
4.	संगरूर	205.0	91.3	113.7
5.	गुरदासपुर	205.0	205.0	0.0
6.	फरीदकोट	205.0	204.5	0.5
7.	भटिंडा (अ.जा.)	205.0	152.8	52.2
8.	लुधियाना	205.0	153.2	51.8
9.	फिरोजपुर	205.0	205.0	0.0
10.	फिरोजपुर (अ.जा.)	205.0	174.5	30.5
11.	होशियारपुर	205.0	103.8	101.2
12.	रोपड़ (अ.जा.)	205.0	101.2	103.8
13.	पटियाला	205.0	29.3	175.70
	कुल राज्य	2665.0	2016.2	648.8
राज्य : राजस्थान (लोक सभा)				
1.	जोधपुर	205.0	70.8	134.2
2.	गंगानगर (अ.जा.)	205.0	169.4	35.6
3.	जयपुर	205.0	41.3	163.7
4.	सीकर	205.0	62.8	142.2
5.	झुंझुनू	205.0	96.6	108.4
6.	बांसवाडा (अ.ज.जा.)	205.0	97.2	107.8
7.	ब्याना (अ.जा.)	205.0	60.3	144.7
8.	कोटा	205.0	103.6	101.4
9.	बाडमेर	205.0	104.0	101.0
10.	उदयपुर	205.0	131.5	73.5
11.	सवाई माधोपुर (अ.ज.जा.)	205.0	60.5	144.5
12.	पाली	205.0	107.7	97.3
13.	सलुम्बर (अ.ज.जा.)	205.0	73.0	132.0
14.	जालौर (अ.जा.)	205.0	118.8	86.2
15.	नागपुर	205.0	115.6	89.4
16.	ढांसा	205.0	34.6	170.4
17.	टोंक (अ.जा.)	205.0	127.2	77.9
18.	झालावाड़	205.0	94.7	110.3
19.	अजमेर	205.0	132.8	72.2
20.	चुरू	205.0	117.9	87.1
21.	बीकानेर	205.0	152.0	53.0
22.	अलवर	205.0	132.0	72.2
23.	चित्तौडगढ़	205.0	76.2	128.8
24.	भरतपुर	205.0	130.6	74.4
25.	भीलवाड़ा	205.0	126.5	78.5
	कुल राज्य	5125.0	2538.3	2586.7
राज्य : सिक्किम (लोक सभा)				
1.	सिक्किम	205.0	155.5	49.5
	कुल राज्य	205.0	155.5	49.5
राज्य : तमिलनाडु (लोक सभा)				
1.	वैल्लौर	205.0	111.5	93.5
2.	पलानी	205.0	76.4	128.6
3.	तिरूचिरापल्ली	205.0	80.3	124.7
4.	टेनकासी (अ.जा.)	205.0	41.3	163.7
5.	वान्डिवाश	205.0	113.7	91.3
6.	श्रीपेरम्बडूर (अ.जा.)	205.0	90.9	114.1
7.	शिवगंगा	205.0	119.6	85.4
8.	नगरकोइल	205.0	174.4	30.6
9.	रसिपुरम् (अ.जा.)	205.0	100.0	105.0
10.	तिरूनेलवेली	205.0	137.7	67.3
11.	तिरूपत्तुर	205.0	88.2	116.8
12.	अर्कोनम	205.0	109.6	95.4
13.	सलेम	205.0	100.0	105.4
14.	कोयमबटूर	205.0	153.6	51.4
15.	नीलगिरी	205.0	108.6	96.4
16.	रामनाथपुरम्	205.0	46.3	158.7
17.	कृष्णागिरी	205.0	102.5	102.5
18.	तेजावूर	205.0	64.3	140.7
19.	करूर	205.0	70.0	135.0
20.	चिदम्बरम (अ.जा.)	205.0	54.1	150.9
21.	कुड्डालोर	205.0	48.6	156.4
22.	मद्रास दक्षिण	205.0	143.0	62.0
23.	तिरूचेनडुर	205.0	31.5	173.5

1	2	3	4	5
24.	मद्रास मध्य	205.0	0.0	205.0
25.	थेरूमबुडूर (अ.जा.)	205.0	78.1	126.9
26.	चेंगलपट्टू	205.0	116.4	88.6
27.	टिंडीवनम्	205.0	105.9	99.1
28.	शिवकाशी	205.0	154.0	51.0
29.	नोबीचेट्टीपलायम	205.0	175.3	29.7
30.	तिरूचेन्गाडे	205.0	184.5	20.5
31.	मद्रास उत्तर	205.0	48.9	156.1
32.	मदुरैई	205.0	106.3	98.7
33.	धर्मपुरी	205.0	28.7	176.3
34.	नागापट्टीनम (अ.जा.)	205.0	105.0	100.0
35.	डिन्डिगुल	205.0	26.0	179.0
36.	पोल्लाची (अ.जा.)	205.0	146.5	58.5
37.	पुडुकोट्टाई	5.0	5.0	0.0
38.	पेरियाकुलम	205.0	115.5	89.5
39.	मईलादुतुराई	205.0	94.0	111.0
40.	मद्रास मध्य	100.0	0.0	100.0
	कुल राज्य	7895.0	3656.2	4238.8
राज्य : त्रिपुरा (लोक सभा)				
1.	त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	205.0	60.9	144.1
2.	त्रिपुरा पश्चिम	205.0	56.6	148.4
	कुल राज्य	410.0	117.5	292.5
राज्य : उत्तर प्रदेश (लोक सभा)				
1.	रामपुर	205.0	98.1	106.9
2.	मुरादाबाद	205.0	111.2	93.8
3.	लालगंज	205.0	89.6	115.4
4.	मेरठ	200.0	169.4	30.6
5.	सीतापुर	205.0	93.2	111.8
6.	गौंडा	205.0	128.7	76.3
7.	टीहरी गढ़वाल	205.0	56.4	148.6
8.	रायबरेली	155.0	100.5	54.5
9.	बहराइच	205.0	104.4	100.6
10.	बांसगांव (अ.जा.)	205.0	146.9	58.1
11.	बिल्डीर	205.0	162.7	42.3
12.	देवरिया	205.0	89.7	115.3
13.	फूलपुर	205.0	151.9	53.1
14.	खलीलाबाद	205.0	66.7	138.3
15.	गढ़वाल	205.0	78.2	126.8
16.	प्रतापगढ़	205.0	162.7	42.3
17.	अल्मोड़ा	205.3	161.6	43.3
18.	मथुरा	205.0	186.8	18.2
19.	खीरी	205.0	124.4	80.6
20.	अलीगढ़	205.0	168.7	36.3
21.	गोधी	205.0	104.9	100.1
22.	फतेहपुर	105.0	77.2	27.8
23.	बदांयू	205.0	174.2	30.8
24.	सहारनपुर	205.0	162.4	42.6
25.	बागपत	205.0	184.0	21.0
26.	मुजफ्फरनगर	205.0	110.0	95.0
27.	अमेठी	205.0	116.6	88.4
28.	गोरखपुर	205.0	173.8	31.2
29.	झांसी	205.0	135.6	69.4
30.	आगरा	205.0	170.8	34.2
31.	उन्नाव	205.0	137.6	67.4
32.	पडरौना	205.0	62.0	143.0
33.	मिर्जापुर	205.0	132.4	72.6
34.	खुर्जा (अ.जा.)	205.0	77.1	127.9
35.	फर्रूखाबाद	205.0	131.6	73.4
36.	जालोन (अ.जा.)	105.0	44.2	60.8
37.	बलिया	205.0	127.5	77.5
38.	केसरगंज	205.0	93.1	111.9
39.	जौनपुर	205.0	97.4	107.6
40.	पीलीभीत	205.0	170.9	34.1
41.	बरेली	205.0	204.3	0.7
42.	अमरोहा	205.0	118.5	86.5
43.	सेलमपुर	205.0	114.2	90.8
44.	गाजीपुर	205.0	95.0	110.0
45.	हरिद्वार (अ.जा.)	205.0	156.1	48.9
46.	गोतमपुर (अ.जा.)	205.0	156.5	48.5
47.	बलरामपुर	205.0	142.7	62.3
48.	एटा	205.0	87.2	117.8

1	2	3	4	5
49.	लखनऊ	205.0	140.4	64.6
50.	बिजनौर (अ.जा.)	205.0	143.8	61.2
51.	इलाहबाद	205.0	153.1	51.9
52.	नैनीताल	205.0	169.1	35.9
53.	मिसरिख (अ.जा.)	205.0	113.9	91.1
54.	आंवला	205.0	204.4	0.6
55.	चैल (अ.जा.)	205.0	124.8	80.2
56.	आजमगढ़	205.0	87.7	117.3
57.	सुल्तानपुर	205.0	138.5	66.5
58.	बाराबंकी (अ.जा.)	205.0	64.6	140.4
59.	बांदा	205.0	115.3	89.7
60.	मोहनलालगंज (अ.जा.)	205.0	159.7	45.3
61.	वाराणसी	205.0	205.0	0.0
62.	मछलीशहर	205.0	132.2	72.8
63.	शाहजहांपुर	205.0	177.8	27.2
64.	मैनपुरी	205.0	149.4	55.6
65.	बस्ती (अ.जा.)	205.0	67.9	137.1
66.	राबर्टसगंज (अ.जा.)	205.0	164.6	40.4
67.	कानपुर	205.0	110.1	94.9
68.	फिरोजाबाद (अ.जा.)	205.0	142.6	62.4
69.	डुमरियांगज	205.0	87.5	117.5
70.	हापुड	205.0	111.9	93.1
71.	कन्नौज	205.0	141.3	63.7
72.	फैजाबाद	205.0	106.2	98.8
73.	संभल	205.0	125.4	79.6
74.	सैदपुर (अ.जा.)	205.0	51.7	153.3
75.	कैराना	205.0	105.6	99.4
76.	चंदौली	205.0	205.0	0.0
77.	अकबरपुर (अ.जा.)	205.0	116.5	88.5
78.	हरदोई (अ.जा.)	205.0	78.7	126.3
79.	हमीरपुर	205.0	55.9	149.1
80.	जलेसर	205.0	92.0	113.0
81.	हाथरस (अ.जा.)	205.0	181.7	23.3
82.	शाहबाद	205.0	103.6	101.4
83.	महाराजगंज	205.0	135.4	69.6
84.	बुलन्दशहर	205.0	115.1	89.9
85.	इटावा	205.0	137.5	67.5
	कुल राज्य	17170.0	10725.5	6444.5

राज्य : पश्चिम बंगाल (लोक सभा)

1.	बहरामपुर	205.0	107.5	97.5
2.	बालूरघाट (अ.जा.)	205.0	166.7	38.3
3.	बांकुरा	205.0	32.4	172.6
4.	रामबाग	205.0	21.9	183.1
5.	माल्दा	205.0	84.3	120.7
6.	कटवा	205.0	50.5	154.4
7.	डायमंड हार्बर	205.0	66.9	138.1
8.	मिदनपुर	205.0	139.8	65.2
9.	झाड़याम (अ.ज.जा.)	205.0	119.8	85.2
10.	मुर्शिदाबाद	205.0	76.9	128.1
11.	जयनगर (अ.जा.)	205.0	96.9	108.1
12.	तामलुक	205.0	114.8	90.2
13.	उलुबेरिया	205.0	65.7	139.3
14.	एंसकुरा	205.0	141.2	63.8
15.	कलकत्ता एन.ई.	205.0	0.0	205.0
16.	कूच बिहार (अ.जा.)	205.0	63.3	141.7
17.	बर्दवान	205.0	65.8	139.2
18.	जलपाईगुड़ी	205.0	120.8	84.2
19.	अलीपुरद्वार (अ.ज.जा.)	205.0	115.0	90.0
20.	रायगंज	205.0	181.0	24.0
21.	जंगीपुर	205.0	78.2	126.8
22.	बारासाठ	205.0	195.2	9.8
23.	बोलपुर	205.0	122.2	82.8
24.	डम डम	205.0	172.0	33.0
25.	नवद्वीप (अ.जा.)	205.0	0.0	205.0
26.	जादवपुर	205.0	85.5	199.5
27.	हावड़ा	205.0	103.5	101.5
28.	कलकत्ता दक्षिण	205.0	0.0	205.0
29.	बीरभूम (अ.जा.)	205.0	87.6	117.4
30.	कोनटाई	205.0	120.9	84.1
31.	दार्जिलिंग	205.0	160.0	45.0
32.	विष्णुपुर (अ.जा.)	205.0	101.8	103.2

1	2	3	4	5
33.	कृष्नगर	205.0	0.0	205.0
34.	हुगली (प.बं.)	205.0	40.8	164.2
35.	कलकत्ता एन. डब्ल्यू.	200.0	0.0	200.0
36.	मथुरापुर (अ.जा.)	205.0	100.2	104.8
37.	सेरमपुर	205.0	73.8	131.2
38.	आसनसोल	205.0	17.3	187.7
39.	बसीरपुर	205.0	146.9	58.1
40.	बैरकहाट	205.0	135.3	69.7
41.	दुर्गापुर (अ.जा.)	205.0	40.5	164.5
42.	पुरूलिया	205.0	45.3	159.7
43.	कलकत्ता दक्षिण	100.0	0.0	100.0
	कुल राज्य	8705.0	3658.2	5046.8
राज्य : अंड. एवं निको. दी. स (लोक सभा)				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	205.0	103.3	101.7
	कुल राज्य	205.0	103.3	101.7
राज्य : चंडीगढ़ (लोक सभा)				
1.	चण्डीगढ़	205.0	109.2	95.8
	कुल राज्य	205.0	109.2	95.8
राज्य : दा. एवं ना. हवेली (लोक सभा)				
1.	दादरा व नागर हवेली	205.0	67.7	137.3
	कुल राज्य	205.0	67.7	137.3
राज्य : दमन एवं दीव (लोक सभा)				
1.	दमन और द्वीव	205.0	95.0	110.0
	कुल राज्य	205.0	95.0	110.0
राज्य : दिल्ली (लोक सभा)				
1.	पूर्वी दिल्ली	205.0	32.4	172.6
2.	करोल बाग (अ.जा.)	205.0	70.9	134.1
3.	दिल्ली सदर	205.0	24.2	180.8
4.	बाहरी दिल्ली	205.0	105.0	100.0
5.	नई दिल्ली	205.0	0.0	205.0
6.	दक्षिणी दिल्ली	5.0	0.0	5.0
	कुल राज्य	1030.0	232.5	797.5
राज्य लक्षद्वीप (लोक सभा)				
1.	लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)	205.0	2.1	202.9
	कुल राज्य	205.0	2.1	202.9
राज्य : पांडिचेरी (लोक सभा)				
1.	पांडिचेरी	205.0	4.7	200.3
	कुल राज्य	205.0	4.7	200.3

[अनुवाद]

रोजगार के अवसर

2349. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत कितने नये रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाने थे और इस अवधि के दौरान वास्तव में कितने रोजगार के अवसर सृजित किये गये;

(ख) क्या ये आंकड़े प्रस्तावित आंकड़ों के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). आठवीं योजना की रोजगार कार्यनीति में उच्च रोजगार की क्षमता वाले क्षेत्रकों और उप-क्षेत्रकों के तीव्रतर-विकास द्वारा औसतन 8.5 मिलियन प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है।

रोजगार और बेरोजगारी का आंकलन एन एस एस ओ द्वारा संचालित रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। हाल का सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 से संबंधित है तथा इसके आधार पर किये गये आंकलन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। क्रमिक पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के बीच के वर्षों के संबंध में वार्षिक आंकलन तथा वर्ष 1994-95 के लिए पूर्वानुमान निश्चित पूर्वानुमान प्रणाली के आधार पर तैयार किये गये हैं। फिर भी, यह महसूस किया गया है कि विगत अवधि की रोजगार सृजन में वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए ये आंकलन पूर्वानुमान के प्रयोग में पर्याप्त रूप से विश्वनीय नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली की मांग और आपूर्ति

2350. श्री नीतीश कुमार :
श्री पिनाकी मिश्र :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान दिल्ली में वर्षवार बिजली की अनुमानतः कितनी मांग थी और आठवीं योजना के अंत तक दिल्ली में कितना बिजली का उत्पादन होगा;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए दिल्ली से संबंधित कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन है और प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) दिल्ली में जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) उसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होगा; और

(ङ) दिल्ली में बिजली के संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) दिल्ली में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अप्रैल से जून, 1996) वर्षों के दौरान बिजली की आवश्यकता तथा उपलब्धता निम्नवत थी :—

	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)
1994-95	12205	12076
1995-96	13280	13145
1996-97 (अप्रैल से जून, 1996)	3585	3508

(ख) यद्यपि, निजी क्षेत्र की दो विद्युत परियोजनाओं (1) बवाना गैस संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (400/450 मेगावाट) तथा (2) नई दिल्ली ताप विद्युत परियोजना (300 मेगावाट) के लिए अभिरूचि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, परंतु किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

(ग) दिल्ली में जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) दिल्ली में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए डेसू को परामर्श दिया गया है कि वह अपने केन्द्रों से विद्युत का इष्टतम उत्पादन करे, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाए, बिजली की चोरी को रोके, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाए, बेहतर मांग/भार प्रबंधन को अपनाए तथा ऊर्जा संवर्द्धन संबंधी उपायों को लागू करे। गरमी के महीनों में बढ़ी हुई भार संबंधी मांग का पूरा करने के लिए दिल्ली को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से भी अतिरिक्त विद्युत का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्पूर्ण प्रयोजनीय सेवा केन्द्र

2351. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के नार्थ एवेन्यू इलाके में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्पूर्ण प्रयोजनीय सेवा केन्द्र के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि नार्थ एवेन्यू और उसके आस-पास के इलाके में रहनेवाले संसद सदस्य आवश्यकता पड़ने पर एक ही स्थान पर सिविल, फर्नीचर और विद्युत विभागों के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और विभाग के अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से सम्पर्क कर सकें।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) यदि इस प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक सम्पूर्ण प्रयोजनीय (कम्पैक्ट) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र और अनिवार्य अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए नार्थ एवेन्यू में क्वार्टरों के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ल्यूटिन्स बंगलों जोन जिसके भीतर नार्थ एवेन्यू आता है, को शामिल करते हुए वर्तमान दिशानिर्देशों में इस जोन में किसी नव निर्माण की अनुमति नहीं है। यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना है, तो इन दिशानिर्देशों में छूट देना अपेक्षित होगा। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब तक लिया जायेगा।

माडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड

2352. श्री के. प्रधानी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने माडर्न फूड इंडस्ट्री लि. में किसी मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों के नाम क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर किया था और जांच के बाद कथित रूप से 5000/- रु. की रिश्वत लेने के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया (लि.) के एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी। जांच में, अधिकारी के खिलाफ लगाया गया आरोप सिद्ध होने के परिणामस्वरूप उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से बरखास्त कर दिया गया था।

[हिन्दी]

डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2353. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 से आज तक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में डीजल के कुल कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों को लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) सामान्य तथा अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ये लाइसेंस क्रमश : कितने-कित व्यक्तियों को जारी किए गए;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार लाइसेंस जारी किए गए;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) लाइसेंस का कोटा कब तक पूरा किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप खोलने के संबंध में अप्रैल, 1995 से आज की तारीख तक तेल कंपनी द्वारा केवल एक आशय पत्र जारी किया गया है। यह "सामान्य" श्रेणी के तहत है।

(घ) से (ङ). समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित आरक्षण कोटे का रख रखाव राज्य आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

बकाया किराया माफ किया जाना

2354. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी बंगलों में रह रहे कुछ अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के बकाया किराए को माफ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग) 1 जून, 1996 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली में रह रहे अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों पर किराए की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख). गत एक वर्ष की सम्बद्ध सूचना विवरण में संलग्न है।

(ग) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध किराये के रूप में बकाया धनराशि 1.7 करोड़ रुपये है।

(घ) जिन विशिष्ट व्यक्तियों, के विरूद्ध किराया बकाया है, तो समय-समय पर मांग पत्र जारी किए जाते हैं। लोक परिसर अधिनियम के तहत देयताओं की वसूली कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

विवरण

सरकारी बंगलों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों के किराया माफी के मामले

क्र.सं.	नाम व आवास सं.	किराया माफी के कारण और औचित्य
1	2	3
1.	श्री वी.एन. पाण्डेय 1, लोधी एस्टेट	बंगला सं. 1, लोधी एस्टेट का आवंटन क्षतिपूर्ति प्रभारों के बजाय साधारण लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर 24.12.94 से नियमित कर दिया गया है क्योंकि श्री पाण्डेय, स्वतंत्रता सेनानी हैं और दिल्ली में उनका कोई मकान नहीं है।
2.	श्री डी.एन. द्विवेदी 1-बी, मौलाना आजाद रोड,	श्री द्विवेदी भारत के अपर सोलिसिटर जनरल के पद से त्यागपत्र देने के बाद निजी कारणों से निर्धारित समय के दौरान मकान खाली नहीं कर सके। उनको पूर्व प्रधान मंत्री की सिफारिश पर निर्धारित अवधि से आगे मकान रखने की अनुमति दी गयी।

1	2	3
3.	पं. रवि शंकर 95, लोधी एस्टेट	पं. रवि शंकर ने 11.5.92 को सांसद (राज्य सभा) का पद छोड़ दिया। उन्हें 11.6.92 तक मकान खाली करना था। उन्होंने उत्कृष्ट कलाकार के रूप में मकान रखे रहने की अनुमति हेतु अनुरोध किया था। सक्षम प्राधिकारी ने 11.6.92 से 6.10. 95 तक क्षति पूर्ति प्रभारों के बजाए सामान्य लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर मकान रखे रहने की अनुमति दी थी।
4.	डा. (श्रीमति) आर.के. वाजपेयी, डी-1/17, भारती नगर	स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनके आवास को जीवन भर के लिए नियमित कर दिया गया है।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.)

2355. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) ने हाल ही में भारत सरकार की विभिन्न राज्यों में सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और छोटी पन-विद्युत प्रणालियों के लिए ऋण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी क्या-क्या शर्तें हैं;

(घ) क्या भारत सरकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ओ.ई.सी.एफ. के ब्याज की तुलना में लाभार्थी राज्यों/एजेंसियों पर अधिक ब्याज दर लगाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने, जिसे विदेशी मुद्रा संबंधी खतरों को भी अमिलित करना है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की पहली ऐसी परियोजना के लिए ओ.ई.सी.एफ. का पूर्व ऋण 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया है, जिसे 15 वर्षों में वापस किया जाना है और जिसमें 5 वर्षों को स्थगन अवधि भी शामिल है।

ओ.ई.सी.एफ. ऋण के अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों तथा सहकारी सोसायटियों को सहकारिताओं, दलित बस्तियों, ग्राम विद्युतीकरण तथा पंपसेटों के अर्जन के तहत ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी ऋण उपलब्ध कराता है। इन कार्यक्रमों के लिए ऋण का दिया जाना परिवर्तनीय ब्याज दर पर निर्भर करता है जिनमें पारम्परिक आर्थिक सहायता दिया जाना भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अतिन्यून अतिरिक्त राशि पर प्रचालन करता है। इसके अलावा ग्रा.वि. निगम द्वारा ऋणों की वसूली में जोखिम और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऋण वापसी की अवधि काफी लंबी है तथा इसमें समय पर ऋण वापसी किए जाने के संबंध में कोई प्रभावकारी गारण्टी भी नहीं होती है।

बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना

2356. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के लिए कुल कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) 1 जनवरी, 1990 को परियोजना की कुल लागत कितनी थी और वर्तमान संशोधित लागत कितनी है; और

(ग) बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना से संबद्ध परामर्शदात्री दल के सदस्यों के नाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) बक्रेश्वर ताप-विद्युत परियोजना की यूनिट-1, 2 और 3(3×210 मे.वा.) के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए ओवरसीज इकनॉमिक कोर्पोरेशन फंड (ओईसीएफ), जापान, कुल 35,728 मिलियन येन की ऋण सहायता (यूनिट 1 और 2 के लिए 27,069 मिलियन येन तथा यूनिट-3 हेतु 8659 मिलियन येन) प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

(ख) बक्रेश्वर परियोजना को, जिसमें 5×210 मे.वा. की यूनिटें शामिल है, योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1993 में 3052.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दिया गया था। यूनिट-1,2 और 3 के लिए अद्यतन अनुमानित लागत क्रमशः 2754.55 करोड़ रुपये तथा 911.32 करोड़ रुपये है।

(ग) मैसर्स डेवलेपमेंट कंसलर्टेंट लिमिटेड, कलकत्ता, भारत और मैसर्स ईपीडीसी इंटरनेशनल जापान, इस परियोजना को यूनिट-1, 2 और 3 के लिए क्रमशः भारतीय परामर्शदाता तथा समीक्षा परामर्शदाता है।

पेट्रोलियम गैस बाटलिंग संयंत्र

2357. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने दक्षिणी राज्यों में चार एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आएगा;

(ग) किन-किन स्थानों पर ये संयंत्र लगाए जाएंगे; और

(घ) इन संयंत्रों में कार्य कब तक शुरू होगा?

पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). दक्षिणी राज्यों में आई ओ सी द्वारा स्थापित किए जा रहे एल पी जी भरण संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है। इन संयंत्रों की परियोजना लागत लगभग 163.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

राज्य		स्थान	तारीख जब तक कार्य आरंभ हो गया था/होगा
आंध्र प्रदेश	1.	कुडप्पा	अगस्त, 1994
आंध्र प्रदेश	2.	चेरलापल्ली (सिकन्दराबाद)	अप्रैल, 1996
केरल	3.	क्विलोन	फरवरी, 1995
तमिलनाडु	4.	मद्रास (एन्नूर)	भूमि अधिग्रहण/बोर्ड द्वारा अनुमोदन के समय से 30 महीने
तमिलनाडु	5.	मदुरै	अप्रैल, 1996
तमिलनाडु	6.	त्रिचि	फरवरी, 1994
तमिलनाडु	7.	मायिलादुथुरै	जुलाई, 1996

विद्युत परियोजना की मंजूरी

2358. श्री पिनाकी मिश्र :
श्री पी.आर.दासमुंशी :
श्री बी. धर्मलिंगम :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार तथा परियोजनावार कितनी विद्युत परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं राज्य के स्वामित्व में है, कितनी केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त हैं तथा कितनी संयुक्त उपक्रम हैं;

(ग) इनमें से विदेशी सहयोग पर आधारित होने वाली परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र की 15 परियोजनाओं और निजी क्षेत्र की 14 परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). इन परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए के.वि.प्रा. ने अन्य स्वीकृतियों/निवेशों से संबंधित ब्यौरे मांगे हैं। इनमें ये शामिल हैं, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों से सांविधिक व अन्य स्वीकृतियां, वित्तीय पैकेज एवं परियोजना लागतों के संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं, ईंधन एवं अन्य लिंकेज तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियां आदि।

विवरण

तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
जल विद्युत	**राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (30.6.1996 की स्थिति के अनुसार)**	
जम्मू और कश्मीर		
1.	न्यू गंडेरबल एचईपी	3×15
2.	पारखाचिक पानीखार चरण-1 और चरण-2 एचईपी	5×12
3.	उड़ी एचईपी चरण-2 (फेज-1) (पी.डी.सी. जम्मू और कश्मीर सरकार)	4×70

1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	चिकलदारा एचईपी (पम्पड स्टोरेज स्कीम)	2×200
उड़ीसा		
1.	सिंदोल एचईपी	320
ताप विद्युत		
गुजरात		
1.	घोघा लिग्नाइट टीपीएस (जीपीसीएल)	2×120
2.	पिपाव जीटीपीपी (जीपीसीएल)	615
3.	कोस्टल टीपीएस (जीपीसोएल)	1000
महाराष्ट्र		
1.	उरान जीटीपीपी विस्तार (एमएसईबी)	400
आंध्र प्रदेश		
1.	सिम्हाद्री टीपीएस (एनटीपीसी)	2×500
2.	हैदराबाद मैट्रो सीसीजीटी चरण-1 (एनटीपीसी)	650
कर्नाटक		
1.	येलाहंका डीजीपीपी विस्तार (केईबी)	2×23.4
पूर्वी क्षेत्र		
1.	मैथोन आर/बी टीपीएस (डीवीसी)	4×250
2.	मेजिया टीपीएस-2 (डीवीसी)	2×210
3.	तलचेर एसटीपीपी-2 (एनटीपीसी)	4×500

निजी क्षेत्र की स्कीमें जिनके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई (30.6.96 की स्थिति के अनुसार)

हिमाचल प्रदेश		
1.	कारचाम वांग्टू एचईपी (मै.जय प्रकाश इंडस्ट्रिज लि.)	4×250
2.	मालाना एचईपी (मै. राजस्थान स्पोनिंग एंड वीविंग मिल)	2×43
उत्तर प्रदेश		
1.	विष्णु प्रयाग एचईपी (मै. जेआईएल)	4×100
2.	श्री नगर एचईपी (मै. डंकन्स इंडस्ट्रिज लि.)	5×66
ताप विद्युत		
हरियाणा		
1.	यमुना नगर टीपीएस मै. यमुना नगर पावर कंपनी लि. विदेशी भागीदारी	2×350
उत्तर प्रदेश		
1.	रोसा टीपीपी (फेस-1) (मै. इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल कार्पोरेशन लि.)	2×250
गुजरात		
1.	जामनगर (नियर सिक्का) टीपीपी फेस-1 (मै. रिलायंस पावर लि.)	2×250
2.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. जीआईपीसीएल)	2×125

1	2	3
मध्य प्रदेश		
1.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी विस्तार (मै. इंडिया थर्मल पावर लि., मै. मुकुंद इंडिया लि. द्वारा प्रवर्तित)	2×210
2.	कोरबा (पूर्व) टीपीएस (मै.डिबू पावर (इंडिया) लि.) (विदेशी भागीदारी)	2×525
महाराष्ट्र		
1.	पाताल गंगा सीसीपीपी (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर प्रा.लि.)	410
आंध्र प्रदेश		
1.	विजाग टीपीएस (हिंदुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि., मै. अशोक लीलैंड लि. इंडिया और मै. नेशनल पावर पीएलसीयूके द्वारा प्रवर्तित) (संयुक्त उद्यम)	2×520
2.	रामागुंडम विस्तार (मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स(एपी) लि.)	2×260
उड़ीसा		
1.	डुबुरी टीपीपी (मै. कलिंगा पावर कार्पोरेशन लि.) (संयुक्त उद्यम)	2×250

मांस का उत्पादन

2359. जस्टिस गुमानमल लोढ़ा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष मांस के उत्पादन में वृद्धि हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोमांस, बकरे का मांस एवं भेड़ के मांस का कितना उत्पादन किया गया;

(ग) वध किए/मारे गए प्रत्येक प्रजाति के पशु किन-किन आयु समूहों के थे;

(घ) विश्व औसत की तुलना में वध किए गए इन पशुओं का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मनुष्य की तुलना में पशुओं का अनुपात कितना होना चाहिए?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1992 से 1994 के दौरान विभिन्न किस्मों के मांस उत्पादन के अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वध किए जाने वाले पशुओं की आयु विभिन्न राज्यों के पशु परिरक्षण अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होती है।

(घ) खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमानों के अनुसार विश्व औसत और भारत में वध किए जाने वाले पशुओं का प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मनुष्य की तुलना में पशुओं के अनुपात के बारे में कोई निर्धारित मानदंड नहीं है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (1992-94) के दौरान मांस उत्पादन की श्रेणी-वार मात्रा

(000 मी.टन. में मात्रा)

मांस की श्रेणी	1992	1993	1994
गोमांस	1216	1276	1292
भैंसमांस	1182	1182	1204
मटन तथा लैम्ब	167	169	171
बकरी मांस	456	466	470
सूअर मांस	160	149	166
कुक्कुट मांस	382	406	440

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन ईयरबुक-वॉल्यूम. 48 (1994)

विवरण-II

विश्व औसत की तुलना में भारत में पशुओं के वध का प्रतिशत

प्रजाति	वध भारत	प्रतिशत विश्व औसत
मवेशी	6.50	18.52
भैंसे	11.07	12.42
भेड़	31.80	42.42
बकरी	39.72	41.52
सूअर	98.90	115.74

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन ईयरबुक-उत्पादन वॉल्यूम. 48 (1994)

[हिन्दी]

मलवों का जमाव

2360. डा. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की कॉलोनियों विशेषकर लक्ष्मीबाई नगर नगर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों/कर्मचारियों द्वारा मलवा जमा किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मलवे के ढेरों की सफाई सुनिश्चित किए बिना ही संबद्ध ठेकेदारों के बकाया बिलों को पास किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मलवे के ढेरों को अभी तक साफ न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दोषी ठेकेदारों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि ठेकेदारों को सौंपे गये मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों से निकले मलवे को निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसी ठेकेदार से हटवाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली की सरकारी कालोनियों में विशेष रूप से लक्ष्मी बाई नगर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा मलवे का कोई ढेर नहीं लगाया गया है।

(ख) ठेकेदारों के बकाया बिल, ठेकेदार द्वारा निर्माण स्थल से मलवा हटाने तथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र रिकार्ड बद्ध किये जाने के बाद ही पास किये जाते हैं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

2361. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच हिमाचल प्रदेश स्थित नदी बेसिन में जल विद्युत क्षमता का परस्पर लाभ हेतु उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे प्रत्येक राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). जी, हां। हिमाचल प्रदेश स्थित नदी बेसिन में जल विद्युत शक्यता का परस्पर लाभ उठाने के लिए सितम्बर, 1981 में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया गया था। कोल बांध जल विद्युत परियोजना के जांच कार्य व क्रियान्वयन के लिए दोनों राज्य सरकारों के बीच वर्ष 1984 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य के लाभों और निवेश में हिस्सेदारी का निम्नवत् प्रावधान किया गया है :—

	पूंजी	लाभ
राजस्थान	75 प्रतिशत	63 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	25 प्रतिशत	37 प्रतिशत

हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राजस्थान के स्रोतों से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में राजस्थान से प्रत्युत्तर न मिलने के कारण समझौता रद्द हो गया। कोल बांध जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा अब निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने की इच्छा प्रकट की गई है।

डोडा में अपहरण और हत्या

2362. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोडा जिले में वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान, विशेषकर 1996 के जून माह में उग्रवादियों द्वारा कितने लोगों को मारा/घायल किया गया तथा अपहरण किया गया;

(ख) इनमें से कितने उग्रवादी, असैनिक और सुरक्षाकर्मी थे;

(ग) उक्त अवधि में इस क्षेत्र में कितनी बार हमले और जवाबी हमले हुए;

(घ) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितने मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट किया गया/लूटा गया;

(ङ) क्या इस प्रकार की निर्दयता के मामलों को मानवाधिकार संगठनों के समक्ष उठाया गया है;

(च) इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार डोडा को अशांत जिला घोषित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, डोडा जिले में मारे

गए/जख्मी/अपहृत व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	1993	1994	1995	1996 (जून तक)
मारे गए				
उग्रवादी	46	74	82	44
सिविलियन	84	109	129	85
सुरक्षा बल कार्मिक	21	30	28	10
जख्मी				
सिविलियन	88	112	24	87
सुरक्षा बल कार्मिक	56	61	27	19
अपहृत व्यक्तियों की संख्या				
	79	101	99	55

जून 1996 के महीने में 11 सिविलियनों की हत्या की गयी और पांच का अपहरण किया।

(ग) इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा की घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

1993	1994	1995	1996	(जून तक)
386	663	398	217	

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च). विदेशी राष्ट्रिकों/भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित आतंकवादियों द्वारा की जा रही पाशविकता की पोल खोलने के लिए राजनयिक और अन्य माध्यमों से सतत आधार पर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से, अलगाववादी हिंसा पैदा करने और राज्य में अस्थिरता के लिए जिस प्रकार से बाहर से प्रायोजित आतंकवाद का प्रयोग किया जा रहा है, उस बारे में और राज्य की स्थिति के बारे में राज्य में विभिन्न मंचों में बेहतर जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है।

(छ) और (ज). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस समय इस प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

मिट्टी के तेल का कोटा आवंटन

2363. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा राज्य को प्रति माह कितने लीटर मिट्टी के तेल का कुल कोटा आवंटित किया जाता है;

(ख) इस कोटे में से कितना मिट्टी का तेल उचित दर की दुकानों से और कितना खुले बाजार में बेचा जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों से और खुले बाजार से बेचे जाने वाले तेल की क्या-क्या दरें निर्धारित की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान गोवा राज्य के लिए मिट्टी तेल का मासिक कोटा 2306 मी.ट. है।

(ख) केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का थोक आबंटन करती हैं। राज्य के अन्दर इसके खुदरा वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित मिट्टी का तेल खुले बाजार में बिक्री के लिए नहीं है।

(ग) उद्योगों और उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी तेल की कीमतों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। नियत तारीख तक उत्पाद शुल्क को छोड़कर तेल कंपनियों द्वारा प्रभारित घरेलू और औद्योगिक मिट्टी तेल को भंडारण पूर्व कीमतें निम्नवत् हैं :—

घरेलू मिट्टी तेल रु. 2001.40 प्रति कि.ली.

औद्योगिक मिट्टी तेल रु. 6518.63 प्रति कि. ली.

समानान्तर विपणन योजना के तहत, निजी पक्षकारों को बाजार निर्धारित कीमतों पर मिट्टी तेल का आयात करने और उसे बेचने की इजाजत है।

अतिक्रमण

2364. श्री पी.एस. मढ़वी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दिये जाने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित भूमि पर आवास निर्माण समितियों द्वारा विकसित मॉलानी में अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) क्या भवन निर्माताओं ने इन क्षेत्रों में दिल्ली नगर निगम से सांठ-गांठ कर भवन निर्माण के सभी उप-नियमों संबंधी मानकों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राधिकारियों द्वारा अब तक किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों और पट्टा समझौते के उल्लंघन को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटश्वरलू) : (क) से (ङ). भवन उप नियमों के उल्लंघन बावत प्राप्त शिकायतों पर दि.वि.प्रा. अधिनियम 1957 की संगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाती है। जनवरी से जुलाई, 96 के दौरान, रिहायशी क्षेत्रों में भवन उप नियमों के उल्लंघनों के प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण को 90 मामलों की सूचना मिली थी। इनमें से 23 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे और 18 मामलों को निपटा दिया गया है क्योंकि भू-खण्डों के मालिकों ने उनमें सुधार कर दिया है।

46 मामलों में सील करने/गिराने के आदेश पारित किए गये हैं और शेष मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अनुसार प्रक्रियाधीन हैं।

योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाना

2365. श्री बृजमोहन राम : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को समय पर क्रियान्वित नहीं करने और उसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होने के लिए किस व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है;

(ग) क्या दसवीं लोकसभा में बिहार के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य ने पलामू तथा गढ़वा जिला प्रशासन के पास योजनाओं को उनके पूर्ण ब्यौरे, धनराशि तथा अनुशंसा की तिथि सहित क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किया है;

(घ) माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भाग 'ग' में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं को चुनाव की आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व ही क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैंड्स) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक संसद सदस्य संबंधित जिला कलेक्टर को निर्माण कार्यों की पसंद बता सकता है जो स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए, जिले में सरकारी अभिकरणों के माध्यम से उन्हें पूरा करवा सकता है। जिला कलेक्टर तथा कार्यान्वयन अभिकरण योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के सफल कार्यान्वयन तथा निधियों के समुचित प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(ग) पलामू निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के संसद सदस्य श्री राम देव राम ने पलामू और गढ़वा जिलों में योजनाओं को कार्यान्वित करने की सिफारिश की थी। पलामू जिले के जिला कलेक्टर को सांसद से संबंधित कुल 285 लाख रु. की राशि जारी की गई थी जिसमें से 65 लाख रु. की राशि सांसद की सिफारिश पर गढ़वा जिला कलेक्टर को स्थानांतरित कर दी गयी थी। सांसद द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पलामू जिला के लिए 140 लाख रु. की राशि अधिशेष है। इन दोनों जिलों में सांसद द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों तथा सिफारिश की तारीख को दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

जिला का नाम	अनुशंसित निर्माण कार्यों की संख्या	तारीख
पलामू	77	28.1.96 से पूर्व
	62	28.1.96,
	2	30.1.96
	2	15.3.96
गढ़वा	5	14.1.95
	1	27.1.95
	2	9.8.95
	1	10.9.95
	2	28.12.95
	24	10.1.96
	1	14.1.96
	1	24.1.96
	5	27.1.96
	1	23.2.96

पलामू जिला के कलेक्टर ने सूचित किया है कि 28.1.96 से पूर्व अनुशंसित सभी 77 योजनाओं में से 76 योजनाएं स्वीकृत एवं निष्पादित की गई। एक योजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि इसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत अनुमत योग्य नहीं पाया गया। 28.1.96 के बाद अनुशंसित 66 योजनाओं, की जांच पड़ताल की गई थी किन्तु आदर्श आचार संहिता लागू करने के कारण इन्हें आरंभ नहीं किया जा सका।

(घ) गढ़वा जिला के कलेक्टर ने सूचित किया है कि सांसद द्वारा प्रस्तुत की गई 43 योजनाओं में से, 13 योजनाओं को कार्यान्वित किया जा चुका है और शेष 29 योजनाओं की जांच पड़ताल की गई किन्तु चुनाव संबंधी आचार संहिता लागू होने के कारण उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका। उनमें से एक योजना की सिफारिशों को संसद सदस्य द्वारा स्वयं ही रोक दिया गया था।

(ङ) उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई कारण नजर नहीं आता।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क में वृद्धि

2366. **श्री नीतीश कुमार :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई राज्य विद्युत बोर्डों ने विद्युत प्रभार में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक बोर्ड द्वारा अलग-अलग कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है;

(ग) क्या यह वृद्धि विद्युत क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश पर 3 प्रतिशत लाभांश प्राप्त करने के लिए की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन बोर्डों में चल रहे भ्रष्टाचार और उनकी अक्षमता के कारण भविष्य में ये 3 प्रतिशत लाभांश का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायेंगे; और

(ङ) क्या पारेषण एवं वितरण के दौरान होने वाली क्षति तथा चोरी के कारण 40 प्रतिशत विद्युत की तुलना में संयंत्र भार क्षमता 30 प्रतिशत कम है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वर्ष 1995-96 के दौरान जिन राज्यों में विद्युत प्रभारों में संशोधित किया गया, उन विभिन्न राज्यों में बिजली की कीमत में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। शुल्क दरों में संशोधन करने के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ समस्त प्रचालानात्मक खर्चों को पूरा करने के पश्चात् 3% लाभांश की दर प्राप्त करना, ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान करना तथा अवमूल्यन संबंधी प्रावधान शामिल है।

तथापि, कुछ बोर्डों के लिए 3% लाभांश की दर प्राप्त करने के लिए शुल्क दरों में संशोधन की सीमा अपर्याप्त हो सकती है।

(घ) जी, नहीं, बोर्डों के लिए 3% की निर्धारित लाभांश दर प्राप्त नहीं कर पाने के प्रमुख कारणों में, शुल्क दरों में अपर्याप्त संशोधन किया जाना, राज्य सरकारों द्वारा कृषि में निम्न शुल्क दरों पर कृषि संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान न किया जाना, पारेषण एवं वितरण हानियां अधिक होना संयंत्रों के पुराने पड़ जाने व उनका अपर्याप्त रूप से अनुरक्षण किए जाने के कारण पी.एल.एफ. न्यूनतम होना आदि शामिल है।

(ङ) जिन राज्य बिजली बोर्डों का पी.एल.एफ. वर्ष 1995-96 के दौरान एन.टी.पी.सी. के 76% की तुलना में 30% कम रहा है, उनके नाम विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में यूटिलिटियों के लिए पारेषण एवं वितरण हानियां 20.85% के समकक्ष थीं। 40 प्रतिशत से अधिक पारेषण एवं वितरण हानियों वाले राज्य जम्मू एवं कश्मीर (42.9%) और अरूणाचल प्रदेश (41%) हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान टैरिफ संशोधन के कारण दरों में प्रतिशत वृद्धि सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	टैरिफ में संशोधन की तारीख	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि	छोटे उद्योग	बड़े उद्योग
1.	आंध्र प्रदेश	2.08.1995	21.98	25.18	(-) 75.25	18.91	19.64
2.	हिमाचल	1.11.1995	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	18.88
3.	मध्य प्रदेश	1.07.1995	शून्य	19.66	33.32	27.59	13.10
4.	उड़ीसा	5.11.1995	शून्य	13.51	शून्य	16.94	18.14
5.	पंजाब	20.8.1995	शून्य	0.94	शून्य	1.23	1.06
6.	राजस्थान	1.10.1995	शून्य	4.49	शून्य	9.89	9.91
7.	गोवा	1.04.1995	शून्य	26.25	शून्य	शून्य	4.44
8.	नागालैंड	1.12.1995	81.82	100.00	36.36	108.33	शून्य
9.	सिक्किम	1.04.1995	6.67	63.16	28.46	33.29	22.97

विवरण–II

उन राज्यों बिजली बोर्डों/यूटिलिटिज के नाम, जिनका पी.एल.एफ.एन.टी.पी.सी. के 76% पी.एल.एफ. की तुलना में 30% कम है।

बोर्ड	वर्ष 1995–96 के दौरान पीएलएफ (%)
एसएसईबी	42.8
यूपीएसईबी	47.4
बीएसईबी	17.4
ओएसईबी	21.2
डब्ल्यूबीआईबी	34.5
डी.पी.एल.	26.5
एएसईबी	28.6
सभी राज्य बिजली बोर्डों का औसत	58.1

[अनुवाद]

पेयजल

2367. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री केशव महन्त :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से असम में प्रत्येक बस्ती में 1.6 कि.मी. दूरी के भीतर प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल.पी.जी. कनेक्शन

2368. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता द्वारा 4000 रुपये जमा कराने पर रसोई गैस कनेक्शन तत्काल जारी करने की कोई नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1996 तक इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए एक योजना (तत्काल एल पी जी कनेक्शन) आरंभ की है। आवेदकों की निम्नलिखित श्रेणियों को मांग पर (तत्काल) एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाते हैं :

1. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।
2. चिकित्सा पेशे के अंतर्गत डाक्टर।
3. अनिवासी भारतीय।
4. राजदूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, व्यापार आयुक्तों में कार्यरत विदेशी नागरिकता वाले कर्मचारी।
5. वैध वीसा के तहत भारत में रह रहे विदेशी नागरिक।
6. आवास स्थानांतरण के आधार पर भारत में वापस आने वाले व्यक्ति।
7. सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक (उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर)।
8. पेशेवर लोग अर्थात् वकील, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट चार्टर्ड इंजीनियर, लागत लेखाकार और वास्तुविद्।
9. कोई अन्य व्यक्ति जिसने एक वर्ष से अधिक समय स अपना एल पी जी कनेक्श बुक करा रखा हो।

तत्काल कनेक्शन 4,000/– रुपये की अप्रतिदेय एकमुश्त राशि के एकबारगी भुगतान पर जारी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उधार लिए गए उपकरण के लिए सामान्य/लागू प्रतिभूति जमा का उपभोक्ताओं को उसी प्रकार भुगतान करना होगा, जैसा अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू है। सभी तत्काल कनेक्शन केवल व्यक्तियों के नाम पर ही जारी किए जाते हैं। तत्काल कनेक्शन, दोहरे सिलेंडर के कनेक्शन की सुविधा के साथ जारी किए जाते हैं।

(ग) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार तत्काल योजना के अंतर्गत एल पी जी कनेक्शन जारी किया जाना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2991
2.	असम	6
3.	बिहार	63

1	2	3
4.	गोवा	312
5.	गुजरात	6700
6.	हरियाणा	154
7.	कर्नाटक	2000
8.	केरल	15940
9.	मध्य प्रदेश	2866
10.	महाराष्ट्र	8949
11.	उड़ीसा	7
12.	पंजाब	1813
13.	राजस्थान	3176
14.	तमिलनाडु	7820
15.	उत्तर प्रदेश	192
16.	पश्चिम बंगाल	3057
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	82
2.	दादरा और नगर हवेली	1
3.	दिल्ली	460
4.	दमन एवं दीव	2
5.	पांडिचेरी	180
	योग	56771

पशुपालन

2369. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान की है/आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या धनराशि के उचित उपयोग की सरकार की निगरानी की जाती है;

(घ) क्या सरकार को बिहार के पशुपालन विभाग में कुप्रबंध तथा दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने के योग्य बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित समूह को उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां तथा निवेश उपलब्ध कराना है। परिसम्पत्तियों जो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में हो सकती है, को सरकार द्वारा सब्सिडी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की मार्फत दिया जाता है। इस प्रकार, कार्यक्रम में पशु पालन और दुग्ध क्षेत्र सहित कई गतिविधियों को शामिल किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे रिलीज की जाती हैं न कि राज्य सरकार अथवा अन्य किसी विशेष विभाग की मार्फत। इसके अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई अलग से निधियों का आंबटन नहीं किया जाता है।

(ख) से (च). उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में ग्रामीण विकास योजनाएं

2370. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने जिले रोजगार गारण्टी योजना, जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य ऐसी योजनाओं में सम्मिलित हैं;

(ख) इन योजनाओं को लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, कितनी धनराशि का सदुपयोग किया गया और परिसम्पत्तियां जुटाने के मामले में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए और अन्य क्या लाभ प्राप्त हुए; और

(घ) इस समय कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और इन्हें अस्वीकृत/लम्बित रखने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे व प्रमुख रोजगार कार्यक्रम हैं। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण की योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यान्वित किया जा रहा है। यद्यपि 1995-96 के दौरान क्रमशः त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा ग्रामीण

स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये आबंटित किए गये, लेकिन आवंटित राशि को रिलीज नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई, भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत 1995-96 के दौरान निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना रोजगार सृजन योजना नहीं है। किसी योजना के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

2371. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक से अनुभाग अधिकारी पद पर प्रोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के दो प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिए जाने के संबंध में कब तक छूट दिए जाने की संभावना है; और

(ख) उक्त परीक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को जारी रखने का क्या औचित्य है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). विभागीय परीक्षा में पांच प्रश्न-पत्रों में से तीन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखे जाने का विकल्प पहले से ही विद्यमान है। संबंधित मंत्रालयों और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके आगे यह निर्णय लिया गया है कि विदेश मंत्रालय के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी को, एक और प्रश्न-पत्र अर्थात् टिप्पण, आलेखनतथा सार-लेखन का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लिखे जाने का विकल्प दिया जाए। विदेश मंत्रालय के उम्मीदवारों को विकल्प दिया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि विदेश मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों के कुल पदों में से आधे पद दूसरे देशों के मिशनों में हैं तथा अंग्रेजी में संप्रेषित करने की योग्यता उनके लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। जहां तक सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियमों पर बचे शेष प्रश्न-पत्र का संबंध है, इसके उत्तर हिन्दी में लिखे जाने का विकल्प दिया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि इनसे संबंधित कुछ संदर्भ पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसी

2372. श्री दिलीप संघानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस वितरक/एजेंसी द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति के लिए कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या देश में कार्यरत रसोई गैस एजेंसियां उन्हें आवंटित उपभोक्ताओं से अधिक संख्या में रसोई गैस की आपूर्ति कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों द्वारा कदाचार को रोकने और इस स्थिति से उबरने के लिए और विक्रय केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में गुजरात राज्य में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) विभिन्न नगरों/कस्बों में एल.पी.जी. वितरकों के लिए वर्तमान रीफिल बिक्री सीमा निम्नानुसार है :—

1991 की जनगणना के आधार पर नगरों/कस्बों की जनसंख्या	संशोधित अधिकतम सीमा प्रतिमास
1. बम्बई	10,000
2. दिल्ली	9,000
3. मद्रास, कलकत्ता और 40 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर	8,000
4. 20 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर	7,000
5. 10 से 20 लाख जनसंख्या वाले नगर	6,000
6. 10 लाख तक जनसंख्या वाले नगर	5,000

(ख) से (ङ). ऐसे वितरक कुछ ही हैं जो विभिन्न बाजारों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा प्रचालन कर रहे हैं। ऐसे बाजारों का पुनर्गठन किया जाता है और उत्पादों की उपलब्धता के अध्यधीन इन बाजारों में अतिरिक्त एल पी जी वितरण केन्द्र खोलने का प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने पूरे देश में 1191 एल पी जी वितरण केन्द्रों वाली एल पी जी विपणन योजना 1994-96 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें गुजरात के लिए 64 वितरण केन्द्रों का प्रस्ताव शामिल हैं।

वृद्धि दर

2373. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 तथा 1995-96 के लिए देश में विशेष रूप से गुजरात राज्य में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान औद्योगिक तथा कृषि दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्वान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). अर्थव्यवस्था के बारे में परिणाम सम्बन्धी समनुरूप क्षेत्रक विकास दरों के लक्ष्य योजना आयोग द्वारा योजना की पंचवर्षीय अवधि के सम्बन्ध में औसत तौर पर पूरे देश के लिए निर्धारित किए जाते हैं, न कि राज्य-वार अथवा वर्ष-वार। कृषि क्षेत्रक के सम्बन्ध में आठवीं योजना अवधि (1992-97) के हेतु सकल मूल्य वर्द्धित की दृष्टि से मापित अनुमानित विकास दर 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है। ऐसी दरें "उद्योग" क्षेत्रक के सम्बन्ध में, जिसमें (1) खनन और उत्खनन, (2) निर्माण शामिल हैं, 7.0 प्रतिशत प्रति वर्ष है। कृषि के सकल मूल्य संवर्धन में तुरत अनुमानों के अनुसार 1994-95 में 4.9 प्रतिशत और संशोधित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1995-96 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। "उद्योग" क्षेत्रक के सम्बन्ध में तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत हैं।

इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन

2374. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाउस्टन एनर्जी द्वारा 95 मिलियन डालर लागत से एक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दीर्घावधिक वित्त पोषण उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन के साथ इस योजना को अंतिम रूप दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना का वार्षिक अनुमानित उत्पादन कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

2375. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गैस सिलेंडरों में कम गैस होने और इनकी काला-बाजारी के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिलों में जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है :

जिला	1993-94	1994-95	1995-96
बांदा	684	2519	560
फतेहपुर	600	871	203

(ख) से (घ). भराई संयंत्रों में एल पी जी सिलेंडरों के सही भार को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। सभी एल पी जी डीलरों को भी यह हिदायतें दी गई है कि ग्राहक के परिसर में सिलेंडर की सुपुर्दगी करने से पूर्व प्रत्येक सिलेंडर के सही भार की जांच करें। एल पी जी विपणन कंपनियों द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार संबंधित अवधि में इन जिलों से उन्हें सिलेण्डरों में कम गैस होने तथा इनकी कालाबाजारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। जब कोई विशेष शिकायत मिलती है तो एल पी जी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मैथेन गैस

2376. श्री सुनील खान : क्या क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने दुर्गापुर में कोल बेड मैथेन गैस की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके खनन के लिए कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाएं

2377. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी ग्रामीण विकास योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गयी योजनाओं/परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष बची हुई योजनाओं/परियोजनाओं के स्वीकृति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). केरल और महाराष्ट्र के लिए जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं तथा की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के बारे में केरल और महाराष्ट्र सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा।

क्रमांक	परियोजनाओं का नाम	कुल लागत (रुपए लाख में)	परियोजना की स्थिति/उपलब्ध कराई गई सहायता
जवाहर रोजगार योजना			
(क)	**केरल**		
1.	बायंड जिले की प्रियदर्शिनी चाय बागान के संबंध सूखा नियंत्रण, बंजर भूमि विकास एवं भूमि संरक्षण उपाय करना	81.85	स्वीकृत 2370 लाख रुपए की समग्र केन्द्रीय अनुमोदित रिलीज की जा चुकी है।
2.	अल्लापुजा जिलों के हरीयद विकास खण्डों में दो आदर्श धान के खेतों का विकास	87.86	स्वीकृत। 35.15 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रथम किश्त रिलीज की जा चुकी है।
3.	पथामनस्थित्ता जिले में पंपामनीमाला लिंक केनाल परियोजना	273.88	जांच की जा रही है।
(ख)	**महाराष्ट्र :**		
1.	सददुराल्ली जिले में मछली पालन में सुधार हेतु धान के किसानों की बाडिज को गहरा करना।	300.00	स्वीकृत तथा 240.00 लाख रुपए की समग्र केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है।
2.	पुणे जिले में जैव-विविधता संरक्षण	21.56	स्वीकृत तथा 5.75 लाख रुपए की प्रथम किश्त रिलीज की जा चुकी है।
3.	भंडारा जिले में रेशम उत्पादन परियोजना	17.50	स्वीकृत तथा 1.75 लाख रुपए रिलीज किए जा चुके हैं।
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम			
(क)	**केरल**		
1.	त्रिचूर जिले में लावणता से प्रभावित बसावटों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	400.00	प्रस्ताव की जांच की गई तथा राज्य सरकारों को परियोजना में संशोधन करने के लिए विचारों से अवगत कराया गया है।
2.	त्रिचूर जिले में खारेपन से प्रभावित बसावटों के लिए ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	308.0	-वही-
3.	पालघाट जिले में फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (दो योजनाएं)	273.0 182.50	-वही-
4.	वायपेइन द्वीप (एरणाकुलन जिला) में ग्रामीण जल सप्लाई	21.11	जांच की गई। राज्य से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
(ख)	**महाराष्ट्र**		
	शून्य	—	—

स्वच्छ पेयजल

2378. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश से स्वच्छ पेयजल संबंधी प्रस्तावों को संशोधित कर इन्हें दो चरणों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है और क्या इस आशय के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों को अंतिम रूप कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आंध्र प्रदेश से प्राप्त परियोजनाओं पर की गई कार्रवाई की स्थिति

राज्य–आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजनाओं की संख्या	बसावटों की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	प्राप्ति की तारीख	परियोजना की अब तक की स्थिति
1.	खम्मम जिले के कुनावरम क्षेत्र में 30 बसावटों को पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव	1 संख्या (सी.पी.डब्ल्यू.एस.)	30	239.00	12/95	उप-मिशन कार्यक्रम प्रस्ताव को संवीक्षा, संस्वीकृति और समीक्षा समिति के समक्ष रखा जा रहा है।
2.	खम्मम जिले के नांगलीगोडां क्षेत्र में 11 बसावटों को पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव	1 संख्या (सी.पी.डब्ल्यू.एस.)	11	298.00	12/95	-वही-
3.	महबूब नगर जिले में 450 बसावटों के लिए पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव	1 संख्या (सी.पी.डब्ल्यू.एस.)	450 7.68 लाख	24600.00	10/95	प्रधान सचिव पी.आर.ई. डी. के साथ परियोजना पर चर्चा की गई और परियोजना को परिवर्तित करने का अनुरोध किया क्योंकि प्रति व्यक्ति लागत काफी अधिक (3000/-) थी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा जल गुणवत्ता उपलब्ध नहीं थी। उप मिशन कार्यक्रम संशोधित/ परिवर्तित परियोजना को अभी प्राप्त किया जाना है।
4.	प्रकाशम जिले के कानीगिरी और कोंनडीपी क्षेत्र में 274 बसावटों को पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव	—	274	7100.00	12/95	प्रस्ताव की जांच जा रही हैं। राज्य सरकार को प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित प्रस्ताव को राज्य सरकार से अभी प्राप्त किया जाना हैं।

पेयजल संबंधी प्रस्ताव

2379. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास लंबित उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी;

(ग) इन योजनाओं में कितनी धनराशि लगी है;

(घ) क्या विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार के पास उड़ीसा में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की कोई योजना लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम

2380. श्री सत्यदेव सिंह :
लेफ्टी. जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार अपने प्रशासनिक ढांचे को और अधिक बहुआयामी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुनर्गठन प्रक्रिया को कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). आई ओ सी ने अपनी प्रतिस्पर्धी योग्यताओं में और अधिक वृद्धि करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(एक) बाजार और उपभोक्ताओं की मांगों के संबंध में सक्रिय रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रचालन स्तरों को शक्ति संपन्न बनाने के उद्देश्य से शक्तियों का प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण।

(दो) नई परियोजनाओं/सुविधाओं में वर्तमान कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करके जनशक्ति को तर्कसम्मत बनाना।

(तीन) उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया समय में कमी करने हेतु मंडल कार्यालयों को शक्ति संपन्न बनाना।

(ग) नीतियों, प्रणालियों और कार्यविधियों में सुधार सतत् प्रक्रिया है तथा संगठन को और अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश को आवंटन

2381. श्री थावरचंद गेहलोत : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश को वार्षिक योजना हेतु कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को वर्षवार मंजूर की गई धनराशि से कम धनराशि दी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत वार्षिक योजना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है और यदि हां, तो कौन-कौन सी शर्तों का पालन नहीं किया है; और

(ङ) उक्त दो वर्षों की स्वीकृत वार्षिक योजना का कितने प्रतिशत कार्यान्वयन किया गया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की वार्षिक योजनाओं वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए मंजूर की गई राशि क्रमशः 275। करोड़ रुपये तथा 290। करोड़ रुपये है।

(ख) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पूर्व अनुमानों तथा नवीनतम अनुमानों के अनुसार क्रमशः 2578.26 करोड़ रुपये तथा 2098.21 करोड़ रुपये है।

(ग) 1994-95 तथा 1995-96 के लिए वास्तविक संसाधन संबंधी सूचना के अभाव में मंजूर की गई राशि की उपलब्ध कराई गई राशि से तुलना नहीं की जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 1994-95 के दौरान परिव्यय की तुलना में व्यय 97.। प्रतिशत रहा। वर्ष 1995-96 के लिए 88.7 प्रतिशत व्यय का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

2382. डा. कृपासिंधु भोई :
डा. साहेबराव सुकराम बागूल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी. के मूल्यों में तिथिवार कितनी बार तथा कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) इन उत्पादों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा एल पी जी के मूल्य वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केवल एक बार ही बढ़ाए गए हैं इन उत्पादों के मूल्य 2/3 जुलाई, 1996 से बढ़ाए गए थे जो उसी मध्य-रात्रि से प्रभावी हो गए। डीजल मूल्य की प्रतिशत बढ़ोत्तरी को कम करके आधा कर दिया गया था और यह 6/7 जुलाई, 1996 मध्य रात्रि से प्रभावी हुई थी। इन उत्पादों के मूल्य में प्रतिशत बढ़ोत्तरी निम्नवत है :—

उत्पाद	प्रतिशत बढ़ोत्तरी
डीजल (7 जुलाई, 1996 से)	15 प्रतिशत
पेट्रोल (3 जुलाई, 1996 से)	25 प्रतिशत
मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	शून्य
मिट्टी तेल (औद्योगिक) (3 जुलाई, 1996 से)	30 प्रतिशत
एल पी जी-डिब्बाबंद (घरेलू) (3 जुलाई, 1996 से)	30 प्रतिशत

(ख) तेल पूल लेखे की कमी को नियंत्रित करने और इस प्रकार देश के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति कायम रखने हेतु तेल कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता हुई है।

ग्रामीण विकास हेतु विशिष्ट कार्यक्रम

2383. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए गए हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर हों;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास हेतु विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों और पंचायत राजमंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह बैठक कब बुलाए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार एवं तमिलनाडु में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। उड़ीसा में पंचायतों को भंग कर दिया गया है और नई पंचायतों का गठन करने के लिए चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। मणिपुर एवं गोवा में भी जिला परिषद स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना है संघ शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी में पंचायत के चुनाव होने हैं

(ख) पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग की है। उन्हें पंचायतों के संबंध में चुनाव की प्रक्रिया उतने ही समय में पूरी करनी है, जितनी कि इसे पूरा करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भी संबंधित राज्य सरकार के समक्ष इस मामले को उठा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.00 बजे

सभापटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1996-97 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए विदेश मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 206/96]

वर्ष 1996-97 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों और वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम् की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1996-97 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संस्था एल.टी. 207/96]

(2) वर्ष 1996-97 के लिए वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 208/96]

वर्ष 1996-97 के लिए खान मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए खान मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 209/96]

[हिन्दी]

वर्ष 1996-97 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : मैं वर्ष 1996-97 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 210/96]

वर्ष 1996-97 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि की विस्तृत अनुदानों की मांगें और वर्ष 1994-95 के लिए इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. आदि के कार्यकरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1996-97 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 211/96]

(2) वर्ष 1996-97 के लिए योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 212/96]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए अंतरिक्ष विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 213/96]

(4) वर्ष 1996-97 के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 214/96]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) :—

(एक) इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 215/96]

(6) वर्ष 1996-97 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 216/96]

वर्ष 1996-97 के लिए विद्युत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस.वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए विद्युत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 217/96]

अखिल भारतीय सेवा, अधिनियम 1951 और 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचनायें आदि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 27 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1996, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1996, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 234 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1996, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 218/96]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 204, जो 18 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 5 फरवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 231, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 5 फरवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 219/96]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 220/96]

(एक) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत, संघ लोक सेवा अयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1996, जो 18 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 221/96]

वर्ष 1996-97 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुन्नीराम सैकिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

वर्ष 1996-97 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 222/96]

वर्ष 1996-97 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें और वर्ष 1994-95 के लिए आयल इण्डिया लि., डिब्रूगढ़, आदि के कार्यकरण और वार्षिक प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1996-97 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 223/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 224/96]

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{2}$

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 30 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1996 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 30 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1996 को यथापारित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे एतदद्वारा विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1996, जो लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को लौटाने तथा यह बताने की निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे एतदद्वारा विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1996, जो लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को लौटाने तथा यह बताने की निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

[हिन्दी]

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 35 नामों की सूची है, मैं एक-एक करके बुलाने की कोशिश करूंगा।

श्रीमती सुभावती देवी (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान मेरे पति की दस हजार भीड़ में हत्या हुई है साथ ही 14 लोग मारे गए हैं तथा 50 लोग घायल हुए हैं। मैं जब 27 तारीख को अपने घर पर गई, तो वहां पर बदमाश घर में घुस गए। हमारे प्रमुख ने थाने में इत्तिला की, तो उनको भी मार गए। उनके साथ एक और आदमी को भी मार गए। हमारे एक कार्यकर्ता को भी मार गए हैं। इस मामले की सुनवाई नहीं होती है। डी.आई.जी. और आई.जी. नहीं सुनते हैं। हमारी जान को खतरा है और हमारे बच्चों के ऊपर भी खतरा है। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अहम मसला है। इनकी जान को खतरा है। इस बारे में पूरी डिटेल आनी चाहिए। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन मार रहा है और किस जिले में मार रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जैसा माननीय सुभावती देवी जी ने यहां पर बताया, चुनाव के दौरान इनके पति की, जो तीन बार एम.एल.ए. और ब्लाक प्रमुख थे, जब वे 10 हजार लोगों की सभा को सम्बोधित कर रहे थे, 14 साथियों सहित उनकी हत्या कर दी गई तथा सैंकड़ों लोग घायल हुए। इस हत्या के बाद आज तक केवल दो अपराधी पकड़े गए हैं और किसी भी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष : यह कब हुआ था?

श्री रामसागर : उसके बाद जब माननीय सदस्य चुनाव जीत गई और स्थानीय डी.आई.जी. से मिलने गई कि अपराधी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, इनके परिवार के लोगों को खतरा है तो उन्होंने माननीय सदस्य से कहा कि हत्या तो तुम्हारी भी हो सकती है...**(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि 27 तारीख को, आज से तीन दिन पहले, इनके पूरे परिवार का सफाया करने के उद्देश्य से कुछ अपराधी आए थे। जैसे ही माननीय सदस्य को इसकी जानकारी मिली, इन्होंने 12.00 बजे दिन में अर्जुन निषाद नाम के व्यक्ति को, जो ब्लाक प्रमुख था, अधिकारियों को इत्तला करने के लिए भेजा। जैसे ही अर्जुन निषाद घर के बाहर निकला तो घर से मात्र 50 कदम दूर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें दो लोग मारे गए और अर्जुन निषाद घायल होकर अस्पताल में हैं।

मेरा कहना है कि वहां के आई.जी. और डी.आई.जी. इतना सब होते हुए, जबकि इनके परिवार के तमाम लोग मारे जा चुके हैं, दूसरे

कई लोग मारे गए, अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाए हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है बल्कि एक सांसद का इससे बड़ा अपमान या नुकसान और क्या हो सकता है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और सरकार से चाहता हूं कि उसे सदन में घोषणा करनी चाहिए कि इस हत्याकांड में जो लोग अपराधी हैं, उन्हें तत्काल पकड़ा जाएगा। सरकार को आज ही हाउस में घोषणा करनी चाहिए कि वहां के आई.जी. और डी.आई.जी. को तुरन्त बदला जाएगा और सम्पूर्ण घटना की जांच सी.बी.आई. से कराई जाएगी क्योंकि इस सदन के एक माननीय सदस्य से संबंधित यह मामला है, माननीय सदस्य इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनके परिवार की खातिर है, अनेक लोग मारे जा चुके हैं। चुन चुनकर लोगों को मारा जा रहा है।

प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे हैं, जैना साहब बैठे हैं। इस घटना के सिलसिले में, हम गृह मंत्री से भी मिलने गए थे और वहां के राज्यपाल से भी मिले थे। इतनी बातें होने के बावजूद, घटना के एक दिन पहले जब हम लोगों ने माननीय सदस्य की जान की खतरा बताया, सुभावती देवी जी भी साथ गई थीं, अगर इन अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया होता, प्रशासन चुस्ती से काम करता तो शायद 27 तारीख वाली घटना न घटती। लेकिन वहां के राज्यपाल इस घटना के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां से जो निर्देश दिए गए, उन पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए सदन में सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मिलकर इस मामले को उठाने का निश्चय किया है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे सदन में उठकर बताएं कि सरकार क्या इरादा रखती है, क्या करना चाहती है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका पॉइंट हो गया।

श्री रामसागर : सरकार स्पष्ट तौर से बताए...(व्यवधान) हम सदन में आपके जरिए मांग करना चाहते हैं। हम गोरखपुर की घटना के संबंध में सरकार की जवाबदेही मांगते हैं, सरकार को अपनी प्रतिक्रिया सदन में घोषित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। जो कुछ कहा जा चुका है, उसी रिपीट मत करिए।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री रामसागर : ...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक तरफ तो आप इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्रीमती सुभावती देवी सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गई।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस में बैठना मैं एलाव नहीं करूंगा। इनके विषय पर चर्चा हो रही है। मैं इसे एलाव नहीं करूंगा।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : यह सदन का दुरूपयोग हो रहा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए। दूसरों की बात सुना कीजिए।

जैना साहब क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय श्रीमती सुभावती देवी अपनी सीट पर वापिस चली गईं

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय महोदय, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इसमें कोई शक नहीं है कि गोरखपुर के अंदर पिछले 25-30 सालों से गुंडों के गैंग घूमते हैं और पूरा गोरखपुर जिला निरंतर 30 सालों से हत्या, कत्ल एवं डकैती आदि घटनाओं का शिकार है।. ..(व्यवधान) वहां पर छात्रसंघ के अध्यक्ष श्री रविन्द्र सिंह को गोली मारी गई।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस इंसीडेंट के बारे में कुछ ऐड करना हो तो बताइए।

श्री मुख्तार अनीस : मान्यवर, चुनाव के पहले उनकी हत्या की गई तथा 14 और लोगों की हत्या की गई। उसके बाद इन्होंने एसएसपी को जाकर कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। इनका एक छोटा लड़का है उस पर भी गोली चलाने की कोशिश की गई और इनको सुरक्षा नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ इन्होंने बता दिया है। अब आप नयी चीज क्या बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस : मेरी आपसे यह मांग है कि इस मामले की आप गंभीरता पूर्वक जांच करवाएं और प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें। ...(व्यवधान) इस पर पूरी कार्यवाही की जाए।...(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल चटर्जी (दमदम) : महोदय, जब एक संसद सदस्य की जान को खतरा होने का आरोप लगाया जाता है तो यह मामला अन्य सभी चीजों से वरीय हो जाता है। माननीय गृह मंत्री को सभा में आकर एक वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में कुछ कहने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी इसी इंसीडेंट के बारे में कह रहे हैं। यह मामला गंभीर है इसलिए इसको ले रहे हैं। मुझे सब की बात सुननी पड़ेगी।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, गोरखपुर में जो घटनाएं हुई हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

आप बोल चुके हैं, अब आप क्या बोलना चाहते हैं। यह मामला गंभीर है इसलिए मैं इस इशू को छोड़ नहीं रहा हूं। इसके बाद मैं सरकार से पूछूंगा कि उन्होंने क्या किया है।

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसी सीधी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर आती है। मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं, मेरा कहना यह है कि किसी की भी हत्या हो यह ठीक नहीं है, यह अनुचित है। यह इस सदन की माननीय सदस्या हैं। इनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वह निश्चित रूप से करे और अगर वे उसका अश्वासन देते हैं तो उसका स्वागत है। महोदय, हरेक सदस्य की सुरक्षा का दायित्व सरकार को होना चाहिए और आज यह दायित्व सीधे केन्द्र सरकार का बनता है। मैं कुछ सच्चाई कहने जा रहा हूं, ये जो पिछले इतने दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही हैं उसकी पृष्ठभूमि में कौन है, कौन लोग इसका पोषण कर रहे हैं, उसका राजनीतिक संरक्षण कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम सागर : वे आपके लोग हो सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : उत्तर प्रदेश के अंदर जो यह माफिया तंत्र पनपा है, जिस प्रकार से वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ...**(व्यवधान)** उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। सैकड़ों निरपराध लोगों की हत्याएं हुई हैं। उनका शोषण इन लोगों ने किया है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया उनकी बात सुनिये।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : हम सही कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार (करोलबाग-दिल्ली) **:** महोदय, इनकी सुरक्षा की यहां पर घोषणा हो कि इनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि यह पूरी संसद के लिए और पूरे देश के लिए शर्म की बात है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) **:** महोदय, गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह देखा गया है कि किसी न किसी कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संसद सदस्यों की बात नहीं सुनना चाहते चाहे वे किसी भी दल से सम्बद्ध हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि कर्त्तव्यों के निर्वहन के मामले में उनमें काफी पतन आया है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें एक माननीय संसद सदस्य के पति की हत्या की गई है।

वह एक उम्मीदवार है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय अध्यक्ष उप-महानिदेशक पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को सभा की समिति के समक्ष बुलायें और वे बतायें कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हुआ है। कई बार हम राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें इसके बारे में प्रशासन की बात भी सुननी चाहिये। केवल वक्तव्य पर्याप्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, जैना जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

[अनुवाद]

संसदीय मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : सरकार इस मामले के बारे में एक वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कब देना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना : आज या कल।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) **:** उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : बात खत्म हो गयी है, अब आप इसे मत छेड़िये। मैं बाद में आपको चांस दूंगा।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान लोक सभा के एक सांसद की सुरक्षा और बचाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है और इस चिन्ता में सभा के सभी सदस्य शरीक हुए हैं। पहले भी हम ऐसी चीजों का उल्लेख करते रहे हैं। संसद सदस्यों

को इस प्रकार की धमकियां मिलती रहेंगी तो यह एक ऐसा मसला बन जाता है जिस पर सभा को निश्चित रूप से विचार करना चाहिये।

मैं संसद-सदस्यों के प्रश्न से अधिक व्यापक प्रश्न की ओर आता हूं क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो बहुत ही जिम्मेदार और सदस्यों ने हाल ही में वक्तव्य दिया है। उनमें से एक माननीय रक्षा मंत्री ने ऐसी भाषा में दिया बताते हैं जिसे संतुलित नहीं कहा जा सकता और जिसमें समाचार-पत्रों और प्रचार माध्यमों न्यायपालिका और कार्यपालिकी को भी धमकी दी गई है। हमें एक केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक और सदस्य के बारे में भी जानकारी मिली है जिनका वास्तव में सूचना और प्रसारण से सम्बन्ध है। उन्होंने प्रेस का गला घोंटने के लिए एक प्रकार का मानहानि विधेयक लाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि अभिव्यक्ति के स्वातंत्रय पर एक प्रकार से रोक लगाई जा सके प्रेस के अनुसार पवित्र है। यदि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के वक्तव्यों से गणतंत्र के इन अंगों अर्थात् न्यायपालिका, कार्यपलिका और प्रेस को डराने-धमकाने का प्रयास किया गया तो लोकतंत्र का यह भाषण भाषण न रहकर भयभीतक्रारी और धमकी भरा हो जायेगा और ये संस्थायें, जो संसद का समर्थन करती हैं और जिनका संसद के कारण विकास होता है, दुर्बल हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। मुझे अपने उन मित्रों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है जो इस समय सत्ता में बैठे हैं और जो आपातकाल के दौरान बिल्कुल इसी प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला दबाये जाने के शिकार हुए हैं। संभवतया उनकी आत्मा अब उनको उद्वेलित करेगी और वे आवाज उठायेंगे क्योंकि जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्य सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। बार-बार बोलते हैं और जो कुछ वे कहते हैं उसका खण्डन नहीं करते और ऐसी भाषा में बोलते हैं जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस आदि के लिए भयभीत करने वाली और धमकी भरी है तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अवसर है कि प्रधान मंत्री उठें और सभा को बतायें कि लोकतंत्र के अबाध कार्यकरण के इस आवश्यक अवयव के बारे में सरकार का क्या रवैया है। यह बहुत गम्भीर मसला है और सरकार को चाहिये कि वह संसद, जनता तथा पूरे राष्ट्र को इसके बारे में स्पष्टीकरण दे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत गंभीर मसला है। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैं आपको चांस दूंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें देखीं हैं जहां समाचार पत्रों के...**(व्यवधान)** सम्पादकों के घरों पर हमले हुए, समाचार पत्र बचेने वालों को मारा गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऊंचा नहीं सुनता है, आप बैठ जाइये, आप प्लीज बैठ जाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जसवंत सिंह जी ने अभी जो कहा है...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के कमरे को रैनसैंक किया गया। वहां हाई कोर्ट को बचाने के लिए आर्मी बुलाने की जरूरत पड़ी थी।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : कब हुआ था?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जिस समय वर्तमान रक्षा मंत्री वहां मुख्यमंत्री थे...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी बैठिए। मैंने सुकदेव पासवान को बुलाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मसला बहुत गम्भीर है। उस समय मैंने देखा कि न्यायालय पर हमला हुआ, हमने देखा कि अखबारों पर हमला हुआ, हमने देखा कि कार्यपालिका पर हमला हुआ। केन्द्र के रक्षा मंत्री उस समय वहां मुख्यमंत्री थे। रक्षा मंत्री होकर ऐसा बयान देते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जो हो गया। अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सुखदेव पासवान को बालने के लिए पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप व्यवहार ठीक करें। आप बार-बार ऐसा कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये। मैंने उन्हें पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उस समय श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उच्च न्यायालय में शपथपत्र भरा और आश्वासन दिया कि वह बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए सभी कदम उठायेंगे। लेकिन वह उस वायदे को नहीं निभा सके। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : वह उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उच्च न्यायालय पर प्रहार किया गया। मुख्य न्यायाधीश की रक्षा के लिए सेना बुलाई गई।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जिसका नाम लिया है, उसके अलावा कोई बोलता है तो कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुखदेव पासवान को बोलने के लिए पुकारा है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह ने मानहानि विधेयक का उल्लेख किया है। मैं इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं। कोई किसी प्रकार का मानहानि विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार दोहराती है कि जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है तथा मानहानि विधेयक लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : प्रेस, न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो धमकियां दी गई हैं उनके बारे में आप का क्या कहना है।. ..**(व्यवधान)** क्या आप यहां आश्वासन देंगे?

श्री श्रीकान्त जेना : किसके बारे में?

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपको यह आश्वासन देना चाहिये कि इस वक्तव्य को वापस ले लिया जायेगा। आपके रक्षा मंत्री ने कुछ कहा है।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : अगर अखबार में कुछ आ जाता है और उसको लेकर रैफर करेंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैंने मानहानि विधेयक के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : केवल अखबार में नहीं आया है. ..**(व्यवधान)**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप इस मामले के बारे में हमें बताएं। रक्षा मंत्री के बयान पर आपको क्या कहना है?...**(व्यवधान)** मैं सरकार से पूछ रहा हूं। जहां तक मंत्री महोदय ने यह बात कही कि डिफमेशन बिल सरकार नहीं ला रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उसके ऊपर वह क्या कहना चाहते हैं। क्या वह प्रेस को थ्रैट करते रहेंगे, क्या जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को थ्रैट करते रहेंगे? सार्वजनिक तौर पर रक्षा मंत्री यह कहते रहेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने श्री सुखदेव पासवान को पुकारा ?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जो आज स्थिति है, उससे माननीय सदस्य परिचित हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सब्जेक्ट दिया है, उस पर बोल रहे हैं।

श्री सुकदेव पासवान : जी हां। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हरिद्वार और अन्य जगहों पर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से महिलाओं को नंगा करके अपमानित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो घटनायें हो रही हैं और खासकर महिलाओं पर जो हो रहा है, मैं चाहूंगा कि सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिये कि सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है? ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, एम.पीज लोकल ऐरिया डेवलपमेंट स्कीम लगभग खटाई में पड़ गयी है। इस योजना के लिये हर एक एम.पी. के लिये एक करोड़ रुपया दिया जाता रहा है लेकिन अब पहले की योजनाओं को रोकने के आदेश दिये गये हैं और दो दिन पहले ही दो सरकुलर आये हैं। उनमें कहा गया है कि जो योजनायें मंजूर हुई हैं, यदि प्रशासन ने उनका काम शुरू नहीं किया है तो वह सारा अमाऊंट लैप्स हो जायेगा। जब यह योजना मंजूर की गयी थी तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस योजना के लिये पैसा दिया जायेगा, वह लैप्स नहीं होगा। पूर्व स्पीकर श्री शिवराज पाटिल ने यह सारी योजना बनायी थी, इसलिये जो पहले का पैसा है, वह लैप्स नहीं होना चाहिये। जो दो सरकूलर ईश्यू किये गये हैं, उन्हें विदड्रा करना चाहिये। साथ ही नया पैसा तुरंत भेजकर पहले की तरह योजना को चालू रखने की व्यवस्था करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया गया था कि जो नये सदस्य चुनकर आये हैं, उनको गाईडलाइन्स पुस्तिका दी जायेगी लेकिन वह अभी तक नहीं दी गयी है। इस कारण से कोई काम शुरू नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी यहां बयान दें कि इस योजना के बारे में सरकार क्या करना चाहती है। बजट में वित्त

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मंत्री बोल रहे थे वे स्पीकर साहब से चर्चा करके बतायेंगे कि कुछ और पैसा दिया जा सकता है। अब उस चर्चा का क्या हुआ है? यह योजना खटाई में पड़ रही है। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस योजना के बारे में बताये। मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात से सभी माननीय सदस्य और सदन सहमत होगा...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने नोटिस दिये हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है। मैं पहले सब्जैक्ट को पढ़ता हूं, नाम बाद में पढ़ता हूं। सब्जैक्ट इम्पार्टेंट है, यह नहीं देखता कि किस मैम्बर की तरफ से आया है, जिसने नोटिस नहीं दिया, उसके लिये

[अनुवाद]

मुझे खेद है

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जैना जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) वह मान गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के संबंध में जो सवाल श्री राम नाईक जी ने उठाया है और सरकार ने अभी पिछले दिनों दो सर्कुलर भेजे हैं, वह हमें मिले हैं। उस सर्कुलर के बाद जो जिला प्रशासन की अकर्मण्यता थी, शिथिलता थी, उस पर पर्दा पड़ गया। हमने यह जाना था कि हमने जो स्कीम रैकमंड कर दी, ऐस्टिमेट बन गया, पैसा लैप्स नहीं होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते वह काम रुका हुआ है। बाद में उसका काम होगा, लेकिन जिसके बारे में हम लोगों ने अनुशंसा दे दी, ऐस्टिमेंट बन गया, लोगों को जानकारी मिल गई, उस पर अगर जिला प्रशासन ने काम प्रारंभ नहीं किया तो जिला प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए था कि काम शुरू क्यों नहीं किया? उनसे शुरू नहीं हुआ इसलिए अब स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते थे कि हम प्लानिंग मिनिस्टर से मिलेंगे और अगर वहां भी ग्रीवियांस का रिड्रेसल नहीं होगा तो ऑनरेबल स्पीकर हाइएस्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं। हमने उस समय ऑनरेबल स्पीकर को परेशान इसलिए नहीं किया कि चुनाव आने वाला है, हर कोई चुनाव में व्यस्त है। उस समय हम अपनी व्यथा कैसे रोएं? जब चुनाव हो जाएंगे तो नयी स्थिति में हम सारी बात कहेंगे, लेकिन नयी व्यवस्था के बाद आज हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय शिवराज पाटिल जी यहां मौजूद हैं और वह ऐनलाइटन करेंगे और बताऐंगे कि उन्हीं की प्रेरणा से सदस्यों की मांग पर यह योजना ली गई है। लेकिन नये सर्कुलर के बाद शायद सरकार में जो लोग बैठे हैं, वह नहीं चाहते हैं कि एम.पी. की रैकमंडेशन पर स्कीम ली जाए। हमारी राय है कि इस स्कीम को आप बंद कर दीजिए ताकि हम लोग बदनामी से भी बच जाएं, लेकिन अगर इस स्कीम को चलाना है तो इसके बारे में जो पुरानी धारणा थी, हम लोगों ने जो स्कीम दे दी, किसी कारण से रुकी है तो यहां से पूछना चाहिए। एक 8 पाइंट का फॉरमेट कंप्यूटर के लिए बनकर आया था आप बताइए कि किस दिन सदस्य ने अपनी अनुशंसा दी, किस दिन टैक्निकल सैक्शन हुआ, किस दिन ऐडमिनिसट्रेटिव अप्रूवल हुआ, किस दिन काम शुरू हुआ, क्या डेट ऑफ कंप्लीशन है और अभी क्या स्थिति है, यह रिपोर्ट हर तीन महीने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मजिस्ट्रेट को यहां भेजनी है। हम लोगों को यहां बताया गया कि यहां पर जो कंप्यूटर लगा है उस पर बटन दबाकर आप पूरी योजना की स्थिति जान सकते हैं और आज स्थिति यह है कि हम अपनी योजनाओं के बारे में कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता है। अब यह सर्कुलर आ गया है कि काम शुरू नहीं हुआ है इसलिए अब काम शुरू ही नहीं होगा। तो इस अकर्मण्यता पर कार्रवाई होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मामले में श्रीमती रीता वर्मा जी ने एक शिकायत की थी तो उसके संबंध में प्रिविलेज भी ऐडमिट हुआ था। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतेगा तो उससे निपटने के इंतजाम भी किये गए थे लेकिन अब नये सर्कुलर के बाद कोई निपटने का इंतजाम नहीं है। हम कहीं दुखड़ा नहीं रो सकते हैं। काम शुरू नहीं हुआ तो काम बंद हो गया, पैसा लैप्स कर दिया। एक विचित्र स्थिति हो गई है। इसलिए इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए और काम में जो कोताही हुई है उसको दूर करने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा सुझाव है और पहले भी हम सुझाव दे चुके हैं कि इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए सदन की एक संयुक्त स्थायी समिति बन जानी चाहिए। जिसको जो शिकायत हो, वह यहां आकर अपनी ग्रीवियांस को रख सके ताकि उसका समाधान हो सके।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी. पाटिल. (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम बनी थी, श्री नाईक साहब के कहने पर और दूसरे सदस्यों के कहने पर बनी थी। अंतुले साहब की कमेटी ने और अंतुले साहब ने दो करोड़ रुपया इसके लिए रैकमंड किया था पर एक करोड़ रुपया दिया गया था। सरकार ने उस समय बताया था कि जो पैसा सदस्यों को दिया जाएगा वह पैसा सदस्यों के कहने पर वहां के कलेक्टर उपयोग करेंगे मगर किसी वजह से अगर सदस्य ने कोई स्कीम कलेक्टर के पास नहीं दी है या एक करोड़ के बजाय 50 लाख रुपये की दी है और 50 लाख रुपए बच गए हैं तो वह पैसा वही सदस्य दूसरे वर्ष भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

वह फंड नॉन-लैप्सिबल है, यह स्पष्ट रूप से बताया गया था। उसके बाद यह भी बताया गया था कि चुनाव होने के बाद जो दूसरे नये सदस्य आयेंगे, वे उस पैसे को उपयोग में ले सकेंगे, जो पैसा पहले के सदस्यों ने उपयोग में नहीं लिया है। इलैक्शन के बाद वह लैप्स नहीं होगा यह उसमें कहा गया था। उसके लिए रूल्स बनाये गये थे, उसमें लैप्स के बारे में थोड़ा सा संदर्भ है कि लैप्स होगा कि नहीं होगा। मगर, यह कहा गया था कि यह स्कीम ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं। मगर इस प्रकार के जो निश्चय, या डिसीजंस हुए थे, उनको अगर चेंज करना है तो स्पीकर साहब से कंसल्ट किये बगैर नहीं किये जा सकते, यह भी कहा गया था और पिछले तीन-चार सालों में शासन ने स्पीकर से पूछे बगैर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। हमारे पास सदस्य आते थे, चर्चा करते थे, अगर उनकी बात सही है तो हम लोग मानते थे, अगर नहीं है तो हम बताते थे कि इसमें बदलाव नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो स्कीम हमने बनाई है, उससे अलग-अलग हिस्सों के जो लोग हैं उनको बड़ी राहत मिल रही है। इस स्कीम को इसी प्रकार से चलाना चाहिए। इसमें अगर कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है तो सरकार स्पीकर साहब और दूसरे सदस्यों से पूछकर उसमें कर सकती है, मगर लैप्स होने का जो मुद्दा है वह सदस्यों ने नहीं बताया था, स्पीकर साहब ने भी नहीं बताया था। सरकार ने खुद कहा था कि यह पैसा लैप्स नहीं होगा। पैसा अगर कुछ बचा हुआ है तो आज जो सदस्य चुनकर आये हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए वह पैसा मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)** इसमें अगर कहीं कुछ गलतफहमी है तो मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये बैठकर के देख सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय इसमें स्पीकर साहब का ही होगा। उसको अगर चेंज करना है तो हाउस के कहने पर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिये। अगर करना है तो कुछ यहां के सदस्यों को साथ लेकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : भूतपूर्व स्पीकर श्री शिवराज पाटील ने जो सुझाव दिया है इसमें एक मीटिंग स्पीकर साहब बुलाकर उसका फैसला कर सकते हैं।

[अनुवाद]

उसके पश्चात सरकार सभा में उत्तर देगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो सर्कुलर इश्यू हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है।

श्री श्रीकान्त जेना : उसके बारे में भी अगर आप एक मीटिंग बुला लें जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी आयेंगे और लीडर्स भी रहेंगे, वे सब बात करके इसका फैसला कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : श्री शिवराज पाटील को भी इसमें शामिल करना चाहिए...**(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : श्री राम नाइक को भी बुलाया जाए।. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : निर्णय स्वीकार कर लिया गया है ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन पहले वह परिपत्र वापस लिया जाये।...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक (कटक) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि परिपत्र वापस लिया जाये। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने यह विचार रखा था और यह योजना उनके तत्वावधान में तैयार की गई थी। इस योजना को कार्यान्वित किया जाये। ...**(व्यवधान)** सभा को इस पर विचार करना चाहिये और तत्पश्चात् एक नया परिपत्र जारी किया जाना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रहमान अंतुले : महोदय, सरकार के परामर्श से तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। सभी दलों के शीर्ष नेता इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया जिसमें, जैसा कि अभी माननीय शिवराज जी ने कहा है, 2 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई लेकिन सरकार एक करोड़ रुपये के लिए तैयार हुई। जीवन के हर पहलू पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा है। अतः मैं कहूंगा कि राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाए। समिति के सभी सदस्यों ने इस पर विचार किया और एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया। ये सिफारिशें इसलिए की गई थी कि संसद-सदस्य काम में अधिक रुचि लें और अधिक प्रभावी हों। यह राशि सदस्यों को विशेष सुविधाओं या अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में नहीं दी गई है। समिति ने यह सिफारिस सदस्यों को अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की थी ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें और संसद-सदस्य के रूप में सेवा करते हुए अपने चुनाव क्षेत्र के सम्पर्क में रह सकें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सिफारिशें की गई थीं। उस समय अन्तरिम प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया होता तो हमने उसके बाद निश्चित रूप से अन्तिरिम प्रतिवेदन दे दिया होता। दुर्भाग्यवश, अन्तरिम प्रतिवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और यद्यपि 2 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी, केवल एक करोड़ रुपये की राशि दी गई। केवल यही किया गया। कोई दूसरी सिफारिस स्वीकार नहीं की गई। फिर भी काफी आलोचना हुई। मैं समझता हूं कि ऐसी आलोचना नहीं होनी चाहिये थी। आलोचना मुख्य रूप से समझकर की गई कि यह सुविधा समिति के सदस्यों को दी गई है जिनमें मैं भी शामिल था। लेकिन सदस्यों को अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया हैं। मैंने उस समय अध्यक्ष को मुझसे में कहा था कि "मैं तो थक गया हूं। सरकार कुछ नहीं कर कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है। मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं

त्यागपत्र दे दूं।" अब समय आ गया है जब सरकार को समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर लेनी चाहिये। जैसाकि मैंने कहा है। समिति में सभी बड़े नेता शामिल थे। न्यायाधीश लोढा भी इसमें शामिल थे। किसी दल को नहीं छोड़ा गया था। इस समिति में श्री सोमनाथ चटर्जी भी थे। श्री इन्द्रजीत गुप्त भी इसके एक सदस्य थे। समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि थे और समिति ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया। और क्या चाहिये। आज के अवसर का लाभ उठाते हुए जबकि अनेक माननीय सदस्यों ने मुझे हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, मैं सरकार से अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार करने का सरकार से आग्रह करता हूं। जब तक अन्तरिम प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाता तब तक अन्तिम प्रतिवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रुकिए। पहली बात है कि अंतुले जी, आप कमेटी से इस्तीफा न दें और जैसा वह कह रहे हैं, इस मामले में नाराज न हों, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप कमेटी में रहें। दूसरी बात यह है कि जैसा कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, सभी पार्टियों के लीडर्स, स्पीकर साहब, प्लानिंग मिनिस्टर साहब, सब बैठकर तय कर लेंगे

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पाटिल साहब भी उसमें होंगे। वे सब बैठकर तय कर लेंगे।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले : इस मामले में और कोई परिहार्य तथा अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे चर्चा से का मतलब अभिप्रेत है और अधिक विलम्ब। कृपया अन्तरिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह यथासंभव शीघ्र किया जायेगा। बेहतर होगा कि हम इसी सप्ताह इस पर चर्चा कर लें।

[हिन्दी]

इसी हफ्ते में हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अंतुले : महोदय, मुझे सूचना मिली है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष इसे स्वीकार करने जा रहे हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष के साथ इस बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था इसे नियमों के अनुसार किया जायेगा। नियमों के अनुसार जो भी संभव होगा उसे करने के लिए तौर-तरीके तैयार किये जायेंगे। संसद द्वारा विधान के रूप में जो कुछ किया जाना जरूरी हो वह अगले दो सप्ताहों में पूरा कर लिया जाना चाहिये।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट रूकिए। आप बहुत देर से कह रहे हैं, क्या आपने लिखकर दिया है। आपने कुछ लिखकर नहीं दिया। लिस्ट में आपका नाम नहीं है-मुझे खेद है जब आपका नोटिस आएगा तो देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं जो महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं और जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह दूरदर्शन और आकाशवाणी के इंजीनियरी और प्रोग्राम स्टाफ के बीच सौहार्द बनाये रखे अन्यथा कार्यक्रम ठीक ढंग से चलाना और इस महत्वपूर्ण संचार माध्यम के जरिये लोगों तक संदेश पहुंचाना कठिन हो जायेगा। दुर्भाग्यवश प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन आज से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने के लिए बाध्य हो गई है। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। वे पूरे भारत में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : उन्हें हड़ताल करने दें।

श्री पी.आर दासमुंशी : कृपया मेरी बात सुनिये। यह कहने की बात नहीं है कि उन्हें हड़ताल करने दें। हमें समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिये। टी.वी. ओपरेटर जो वहां हैं वे भी अपना काम नहीं कर सकते। और इंजीनियरी या प्रोग्राम स्टाफ के बिना कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप माननीय मंत्री ने इंजीनियरी स्टाफ का वेतनमान 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है और प्रोग्राम स्टाफ जिनको इंजीनियरी स्टाफ के बराबर वेतनमान मिलता था की मांग की अनदेखी कर दी है सरकार ने यह मामला इस बिना पर पांचवें वेतन आयोग को सुपुर्द कर दिया कि वे इस पर विचार करेंगे। अभी हाल ही में पांचवें वेतन आयोग ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वेतन आयोग पिछली असंगतियों पर विचार नहीं करेगा क्योंकि वे उनके निर्देश पदों के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अब प्रोग्राम स्टाफ कहां जायेगा? वे भी इंजीनियरी स्टाफ की तरह सक्षम हैं। वे भी आवाज रिकार्ड करते हैं। कल से समूचे देश में प्रोग्राम स्टाफ का मनोबल गिरा है। अब कार्यक्रम की गुणवत्ता में ह्रास होगा। मंत्री जी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और विसंगतियों को समाप्त करने का शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी की पूरी व्यवस्था चरमरा जायेगी। सरकार के लिए इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे प्रोग्राम स्टाफ अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर न जाये। मैं सरकार से इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं।

हम सभी इंजीनियरी स्टाफ के वेतनमान में वृद्धि करने का स्वागत करते है। दूरदर्शन को उनकी भी उतनी जरूरत है। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टुडियो में चुपचाप और कारगर ढंग से काम करते हैं लेकिन प्रोग्राम स्टाफ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। उनको विश्वास में लिया जाना चाहिये और उनकी विसंगतियों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। अन्यथा प्रोग्राम स्टाफ का मनोबल गिरना सरकार को बहुत मंहगा पड़ेगा। यह स्थिति जारी रही तो एक ऐसा समय आयेगा जब हम टी.वी. चलायेंगे तो कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेगा।

श्री रूप चन्दपाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोग्राम स्टाफ को दूसरों को दिये गये लाभ से वंचित रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय है, इस मसले पर गौर-करने को तैयार नहीं है। यह मामला तुरन्त वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिये और वित्त मंत्रालय को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पांचवें वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। भारत सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, का यह कर्तव्य है कि वह इन लोगों की मांगों के प्रति अनुकूल रवैया अपनाये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाया है उसके साथ मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए केवल इतना ही कहना चहूंगी कि हम सब यह जानते हैं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्राण उसके प्रोग्राम आर्टिस्ट होते हैं। यदि प्रोग्राम आर्टिस्ट हड़ताल पर चले जाएं, काम न करें तो तकनीकी ताम-झाम तो रह जाएगा और ब्लैक आउट हो जाएगा। लेकिन उनके साथ पक्षपात बरता गया। जब वेतन की बात आई तो उनको जो पे-स्केल है वह नहीं दिए गए। इसलिए आज उन लोगों ने पूरे देश में हड़ताल करने का तय किया है। इस बात के विश्व में गलत संकेत जाएंगे कि सारा सरकारी इलैक्ट्रोनिक मीडिया, दूरदर्शन और ए.आई.आर. के सारे प्रोग्राम आर्टिस्ट हड़ताल पर चले गए हैं सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि सूचना और प्रसारण मंत्री कान में तेल डालकर बैठे हैं, कतई सुनने को तैयार नहीं है। वे न उनसे मिलने के लिए तैयार है और न ही उनके वेतन बढ़ाने को तैयार हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि वह उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं और उनसे बात करें तथा उनकी जो जायज मांगे है उनको वह स्वीकार करें, ताकि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लोग हड़ताल पर न जाएं, यह अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह विषय उठाया है। सूचना और प्रसारण सम्बन्धी सलाहकार समिति में काफी समय तक रहने के कारण हम स्थिति के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम स्टाफ के साथ यह घोर अन्याय हुआ है। यदि इस मामले में शीघ्र ही हस्तक्षेप न किया गया तो हमारा दूरदर्शन कोई भी नहीं देखेगा। केवल विदेशी टेलीविजन चैनल देखे जायेंगे और हमारे चैनलों को कोई भी नहीं देखेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दासमुंशी द्वारा उठाये गये मामले का मैं भी समर्थन करता हूं।

दूरदर्शन के मामले में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। यह अच्छा बात है कि सरकार ने इंजीनियरी स्टाफ के वेतन में वृद्धि की है लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें प्रोग्राम स्टाफ, समाचार स्टाफ, आदि के वैध दावों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये थी। अब असंतुलन पैदा हो गया है जिसे शीघ्र ही ठीक किया जाना चाहिये अन्यथा, जैसाकि माननीय सदस्यों ने पहले कहा है, एक अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है इसके अलावा, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे दूसरे मुद्दे को भी समझें। सैकड़ों एल.पी.टी. स्थापित की गई है लेकिन वे काम नहीं कर रही हैं। पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करके इनको चालू किया जाना चाहिये। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में पर्याप्त असंतोष हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में तालमेल का कुछ अभाव है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी एल.टी.पी. को चालू करने के लिए उद्देश्य से वहां पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाकर इस समस्या का समाधान करें।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गत वर्षों में राजस्थान के 15 से अधिक व्यापारियों की हत्याएं न्यूयार्क, बैंकाक, हांगकांग और ब्राजील में हो चुकी हैं। इन 15 हत्याओं में अभी तक उन देशों की पुलिस अपहर्ताओं और हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है।

गत दिनों 12 जून को फिर ब्राजील के रियो शहर में जयपुर के रत्न व्यवसायी 42 वर्षीय पदमचन्द काला का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के दो घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अपहर्ताओं ने पदमचन्द काला को रिहा करने के बदले पांच लाख अमरीकी डालर की फिरौती मांगी गई बतलाई है।

खेद का विषय है कि भारत सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीयों की कोई सुरक्षा की रक्षा नहीं कर पा रही है व न उन्हें कोई न्याय ही दिलवा रही है।

आज उसकी पत्नी और उसका भाई रियो शहर में पड़े हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट और भारतीय दूतावास कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे भारतीय दूतावास को इंगित करें कि श्री पदमचन्द काला को, जैसा भी स्थिति हो, मरा या जिन्दा, पता लगाया जाकर उसके घर वालों को सौपें, ताकि वे उसका संस्कार कर सकें।

मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि यदि विदेशों में बसे भारतीयों की भारत सरकार और वहां पर भारत सरकार के बने हुए दूतावास कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे और भारतीय लोग इसी प्रकार से मरते रहेंगे। तो इन दूतावासों के वहां होने का क्या फायदा है? मेरी मांग है कि विदेशों में बसे भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (इडुक्की) : महोदय, बजट में हाल की इस घोषणा से केरल में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है कि रबड़ और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम कर दिया जायेगा। इस कारण रबड़ की कीमतें बढ़ गई हैं। केरल के रबड़ उत्पादकों को इससे लगभग 250 करोड़ रुपये का घाटा होगा।...**(व्यवधान)** केरल नारियल के उत्पादन में समृद्ध है। आयात शुल्क में कटौती से नारियल, रबड़, इलायची, लाल मिर्च आदि के मूल्य कम कर दिये गये हैं। यह बजट केरल-विरोधी बजट है। इस कारण नारियल उत्पादकों, लाल मिर्च के उत्पादकों, इलायची उत्पादकों, रबड़ उत्पादकों तथा अन्य को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केरल राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो जायेगी। यह बहुत गम्भीर स्थिति है।

कैप्टालैक्टम पर भी शुल्क कम कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इन चीजों पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इन चीजों पर निर्यात शुल्क बढ़ जायेगा। माननीय प्रधान मंत्री, जो यह कहते हैं कि वह केरल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इस समय यहां नहीं हैं। थोड़ी देर पहले वह यहां थे। महोदय, एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। रबड़ उत्पादक, सभी नकदी फसलों के उत्पादक तथा नारियल उत्पादक केरल में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बजट में उनके लिए कुछ करना होगा। यह मेरा निवेदन है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं सरकार तथा सभा का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे सिख समुदाय की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक ऐसा कैलेंडर है जिस पर श्री हरमिन्दर साहब की फोटो डिसप्ले की गयी है। दुलियन ट्रेडिंग कम्पनी के द्वारा लैला मजनूं बीड़ी की एडवरटाइजिंग की गयी है। इससे सिख कम्युनिटी के सेनटीमेंटस को हिट हुआ है। पहले भी ऐसे ही षडयंत्र कांग्रेस-राजीव के समय में रचे गये हैं। आप जानते हैं कि पंजाब में मंदिरों में गायों की पूंछें फिकवाई गयी व गुरूद्वारों में बीड़ियां फिकवाई गयीं। यह बड़ी चिन्ता की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा षडयंत्र जो कि सिख कम्युनिटी को हिट करता हो, उनके इमोशन्स को बरगलाता हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए दुलियन ट्रेडिंग कम्पनी और बी. लाल मैनुफेक्चर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शर्मनाक भरा कैलेंडर है, उसको मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा।...**(व्यवधान)** यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले दिखाना चाहिये था।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर पी.सी.एस. अधिकारियों ने दो अगस्त को सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय लिया है। सामूहिक अवकाश का निर्णय इसलिए लिया गया कि जो 1257 पी.सी.एस. अधिकारी हैं, उनको श्री मोती लाल वोहरा ने जो उस समय गवर्नर थे, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन जब से नयी सरकार आयी है तब से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं उनके अध्यक्ष और महामंत्री ने अब यह कहा कि यदि उनकी मांगे स्वीकार नहीं हुई तो वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मुझे इसमें षडयंत्र नजर आता है। केन्द्र की सरकार उत्तर प्रदेश के चुनावों को टालना चाहती है और इसलिए प्रदेश के अधिकारियों में रिसैंटमैंट पैदा करके, उनकी मांगों को स्वीकार न करके उत्तर प्रदेश में चुनावों को टालने का षडयंत्र किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आई.ए.एस. अधिकारियों में भी बड़ा भारी रिसैंटमैंट है। इस बात को लेकर उनके अंदर जो करप्शन पैदा किया गया है, उसमें वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं और वरिष्ठ आई.ए.एस. प्रशासनिक अधिकारियों का नेक्सस बना हुआ है। यंग आई.ए.एस. आफिसर्स बड़े क्षुब्ध हैं। उनको सेवा का प्रॉपर प्लेसमैंट नहीं दिया जाता। दूसरी ओर वे चार अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं जिसमें वे तीन भ्रष्टतम आई.ए.एस. अधिकारियों का चयन करेंगे और यह मोडेलिटी तय की गयी है कि कम से कम 100 वोटर्स वोट देंगे तब उसे विभूषित किया जायेगा कि वह वरिष्ठतम, भ्रष्टतम प्रशासनिक अधिकारी है।

मान्यवर, इसमें 340 आई.ए.एस. अधिकारी भाग लेंगे। एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर एसोसियेशन से इस्तीफा दिया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नेताओं और भ्रष्ट आई.ए.एस. अधिकारियों का गठजोड़ हो गया है। इसी संबंध में वर्तमान रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने सचिवालय में बैठकर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे उनकी इच्छा के अनुरूप काम करें और जो

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अधिकारी काम नहीं करेगा, उसका प्रॉपर प्लेसमैंट व उचित रूप से पदासीन नहीं किया जायेगा और उनको प्रताड़ित किया जायेगा। इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के लोग आई.ए.एस. अधिकारियों से चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिये।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, श्री मुलायम सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि डंडे-लाठी लेकर चलें।... **(व्यवधान)** इस तरह से उत्तर प्रदेश में आतंक का शासन लागू करके उन अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे उनके अनुरूप कार्य करें।...**(व्यवधान)**

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, कनक्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

श्री भगवार शंकर रावत (आगरा) : इस तरह से आतंक का शासन चलाया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने विधान परिषद चुनावों के लिए निर्वाचन मंडल से ग्राम पंचायत के 80,627 सदस्यों को हटाने की सिफारिश की है। यह प्रतिगामी कदम है और संयुक्त मोर्चे के दस्तावेज जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों को निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र देने की अपनी नीति को दोहराया गया है प्रतिकूल है।

इसमें जो लोग भाग ले सकते हैं, वे हैं जिला पंचायत के सदस्य, निगम और परिषद के सदस्य, तालुका पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के सदस्य।

मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पंचायत के सदस्यों को शामिल किया गया है। 5,640 ग्राम पंचायतों के 80,627 सदस्यों का हटाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा उठाया गया कदम प्रतिगामी है।

मेरा यह भी निवेदन है कि मतदाओं की संख्या घटकर 8,319 रह जायेगी। वहां पर 17,918 अनुसूचित जाति, 7,5 75 अनुसूचित जनजाति और 28,000 महिलायें हैं। अतः मुझे आशा है कि यह कदम वापस ले लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश की हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत राजपूताना गांव में रतमऊ नदी से हुए भमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : उत्तर प्रदेश में हरिद्वार जनपद के अंतर्गत रुड़की-बहादराबाद के मध्य बटेड़ी राजपूताना गांव के पास बहने वाली रतमऊ नदी ने जमीन का कटाव इस प्रकार से कर दिया है जिसके कारण पुल एवम् सड़क के कटान का बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी समय सड़क टूट सकती है और नदी के पानी के बहाव से इलाके के 50 से अधिक गांव प्रभावित होंगे और जान-माल की बहुत हानि होगी तथा हरिद्वार से सम्पर्क टूट जाएगा। हरिद्वार-ऋषिकेश आने-जाने वाले यात्रियों का रास्ता बंद हो जाएगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उक्त नदी के कटाव को रोकने के लिए बांध बनवाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि बहुत बड़ी जान-माल की हानि को समय रहते रोका जा सके।

[अनुवाद]

(दो) अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 243 के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, संसद ने तेहत्तरवां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक दिसम्बर, 1992 में पारित किये थे ताकि देश में एक समान पंचायती राज और नगरपालिका संस्थायें स्थापित की जा सकें और उनके लिए नियमित रूप से चुनाव कराये जा सकें। अनुच्छेद 243 (3) के अनुसार 244(1) और 244(2) अनुच्छेद में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य सरकारें पंचायत राज और नगरपालिका कानून लागू नहीं कर सकतीं। किन्तु संविधान के अन्तर्गत संसद को साधारण बहुमत से संसद में कानून बनाकर उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि साढ़े-तीन वर्ष बीत गये हैं। संसद ने अनुच्छेद 243(4) (ख) के अनुसार कुछ परिवर्तनों के साथ इस प्रावधान को लागू नहीं किया है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनुच्छेद 244(2) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुच्छेद 243 लागू करने

के लिए अविलम्ब एक विधेयक लाये ताकि राज्य सरकारें वहां पर संविधान के अनुसार चुनाव करा सके।

(तीन) बंगलादेश को अबाध निर्यात सुनिश्चित करने और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए हल्दीबारी-चिलाहाटी रेलवे लाइन पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य को ओर दिलाना चाहता हूं कि कूचबिहार जिले में भोटपट्टी और चंग्रबांध के बीच से गुजरने वाली सड़क से बांगलादेश को निर्यात से इस क्षेत्र में समस्या पैदा हो गई हैं। निर्यात माल ले जाने वाले सैंकड़ों ट्रक वहां खड़े रहते हैं जिससे सड़क महीनों के लिए बंद हो जाती है। इससे उस क्षेत्र के लोगों के सामान्य जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को इसका कोई दूसरा उपाय सोचना होगा।

इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा अनुरोध है कि मौजूदा हल्दीवारी-चिलाहाटी रेलवे लाईन को पुनः चालू किया जाये। इससे सड़क पर भीड़भाड़ भी खत्म हो जायेगी।

(चार) दक्षिण रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन का पलक्कड़ और कोयम्बटूर डिवीजनों में विभाजन करने की आवश्यकता

श्री वी.पी. षणमुगा सुन्दरम (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, दक्षिण रेलवे के पलक्कड़ प्रभाग में 18,000 से अधिक होनी चाहिये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि पलक्कड़ डिवीजन का विभाजन किया जाये।

दूसरे, अराकोनम से कोयम्बतूर के बीच, 400 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन तमिलनाडू में हैं जबकि 60 किलोमीटर से अनधिक पलक्कड़ में है। इस कारण कटपदी के जो लोग आरक्षण कराना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पलक्कड़ डिवीजन से अनुमति लेनी पड़ती है।

तीसरे, पलक्कड़ डिवीजन में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी तमिलनाडू के रहने वाले हैं।

अन्तिम बात यह है कि यदि कोई आदमी किसी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान बनाना चाहता है तो उसे पलक्कड़ डिवीजन से अनुमति लेनी पड़ती है जो हमारे लोगों के लिए बहुत ही असुविधाजनक है। किसी संसद सदस्य के भी आरक्षण करवाना हो तो उसे पलक्कड़ डिवीजन से ही इजाजत लेनी पड़ती है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह डिवीजन का पलक्कड़ और कोयम्बतूर डिवीजनों में विभाजन करके हमारी सहायता करें, धन्यवाद।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर वरूणा एक्सप्रेस को रोके जाने की आवश्यकता

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, वरूणा एक्सप्रेस बनारस से चलकर जौनपुर के दो स्टेशन बाराबंकी की सीमा का पार करते हुए सीधे लखनऊ पहुंच कर अपनी यात्रा समाप्त करती है। इस प्रकार से वरूणा एक्सप्रेस जिन-जिन जनपदों में रुकती है केवल बाराबंकी जनपद में इसका ठहराव नहीं है। जनपद बाराबंकी का हैदरगढ़ स्टेशन तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। इस गाड़ी को बाराबंकी के हैदरगढ़ स्टेशन पर रोकने के लिए जनता ने कई प्रार्थना पत्र रेल मंत्रालय को भेजने के साथ-साथ रेल पटरी जाम करने का कार्यक्रम भी किया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक एवं सांसद बराबर भाग लेते रहे हैं किन्तु रेल मंत्रालय ने इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं इस जनहित की समस्या को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए माननीय रेल मंत्री जी से बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर वरूणा एक्सप्रैस को रोकने की मांग करता हूं।

(छः) मध्य प्रदेश की जुझार घाट जल आपूर्ति परियोजना को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

डा. रामकृष्ण कुसमारिया (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह के दमोह नगर में हर वर्ष पेयजल का संकट मई, जून व जुलाई तक भीषण रूप धारण कर लेता है। जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरसती है। इस वर्ष भी पांच दिनों के अंतर से पानी प्राप्त हो रहा है। इसके निवारण हेतु जुझार घाट पर व्यारया नदी से जल सप्लाई योजना बनी है जो कि वर्षों से लंबित पड़ी हुई है और राजनगर तालाब जो कि स्वाभाविक रूप से झील है दमोह नगर के लिए पानी सप्लाई का एक मात्र स्रोत है। चार हजार एकड़ में फैले हुए विस्तृत तालाब में लगभग एक-एक हजार एकड़ भूमि पर लोग अवैधानिक रूप से खेती कर रहे हैं। लगभग 1200 एकड़ भूमि में बेशर्म (आईपोमिया) लगी हुई है जिसके कारण तालाब में सिल्टिंग हो गई है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस तालाब की मरम्मत, गहरीकरण ओर विस्तार का कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतः मेरी केन्द्र से मांग है कि जुझार घाट जलप्रदाय योजना तथा तालाब गहरीकरण का कार्य एवं सफाई का प्रबंध तथा अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य जिसका प्राक्कलन लंबित पड़ा हुआ है, शासन द्वारा तत्काल स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे दमोह नगर का पेयजल संकट हल हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. कृपासिंधु भोई।

डा. कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के समय कुछ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कल और

आज भी बैलट के बाद सूची में मेरा नाम क्रमांक 6 पर था। मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में हड़ताल का मसला उठाना चाहता था। मैंने अपना हाथ कम से कम बीस बार उठाया है। चूंकि मैं चिल्ला नहीं सका, न तो आपका मेरी ओर ध्यान गया ओर न ही आप मेरी आवाज सुन सके। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक शून्यकाल का सम्बन्ध है। वह अब समाप्त हो गया है।

डा. कृपासिंधु भोई : मैं पुनः वह मामला नहीं उठा रहा हूं। मैं नियम जानता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, मैंने ताजमहल के धंसने के बारे में चार बार नोटिस दिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : ताज महल का मसला एक महत्वपूर्ण मामला है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मसले हमारे सामने हैं और मुझे उनकी प्राथमिकता निर्धारित करनी है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, कल शून्यकाल के दौरान आप मुझे कम से कम यह मामला उठाने के लिए कुछ समय जरूर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कल मैं पीठ पर आसीन न होऊं। अध्यक्ष महोदय पीठ पर आसीन हो सकते हैं।

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, मेरा नाम सूची में था और मैं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में हड़ताल का मामला उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आयें।

डा. कृपा सिंधु भोई : जब नामों का बैलट हुआ तो मेरा नाम सूची में क्रमांक एक पर आया। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं लेकिन बड़े दुख ओर रंजिश के साथ अपनी बात कह रहा हूं। मैं चिल्ला नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दूसरे चिल्लाना बंद कर देंगे तो आपको आसानी से अवसर मिल जायेगा।

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, यह बात नहीं है। अब मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का मामला उठा रहा हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(सात) सम्बलपुर को पूर्ण रेलवे डिवीजन बनाये जाने और सम्बलपुर-तालचेर रेलवे लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डा. कृपा सिंधु भोई : रेलवे के मामले में उड़ीसा राज्य उपेक्षित है। पश्चिमी उड़ीसा के लिए उपलब्ध रेल सुविधायें बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं हैं। पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक अलग रेलवे डिवीजन बनाई गई थी ताकि उस क्षेत्र में रेलवे का जाल बिछाया जा सके और चल रही रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। लेकिन यह खेद की बात है कि सम्बल रेल डिवीजन को अभी तक एक पूर्ण रेलवे डिवीजन नहीं बनाया गया है। सम्बलपुर रेलवे डिवीजन के कार्यालय की इमारतों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उस डिवीजन में जो लोग भर्ती किये गये हैं उनमें से अधिकांश दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं। रोजगार के मामले में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद भी सम्बलपुर जिले से बाहर के उम्मीदवारों द्वारा भरे जा रहे हैं।

सम्बलपुर-तालचेर रेलवे परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस परियोजना के पूरा होने में असाधारण विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस रेलवे परियोजना के पूरा होने पर राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर तथा तालचेर कोयला क्षेत्रों से लगे अन्य तटीय क्षेत्रों का सम्बलपुर के भीतरी भाग से सम्पर्क हो जायेगा। अतः नई लाइन के बनने से पश्चिमी और तटीय उड़ीसा के बीच भावात्मक एकता आयोगी। इससे पश्चिमी उड़ीसा में रोजगार के भी काफी अवसर उपलब्ध होंगे और भुवनेश्वर तथा सम्बलपुर के बीच सीधी रेल लाइन की व्यवस्था करने में काफी सहायता मिलेगी। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 1996-97 में सम्बलपुर-तालचेर रेलवे लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाये और सभी औपचारिकतायें पूरी की जायें ताकि सम्बलपुर रेलवे डिवीजन एक पूर्ण रेलवे डिवीजन के रूप में काम कर सके।

(आठ) तमिलनाडु के कंगायम तालुक के सिरुकिनार गांव में ज्वालामुखीय हलचल की जांच करने की आवश्यकता

श्री एस.के. करावींधन (पलानी) : कंगायम पलानी संसदीय चुनाव क्षेत्र का एक विधान सभा क्षेत्र है। कंगायम में सिरुकिनार नामक एक गांव है। उपरोक्त क्षेत्र में 5 जून को ज्वालामुखीय हलचल हुई थी। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की भूमि कुछ टुकड़ों में विभाजित हो गई। सुराखों से विशाल काले रंग की वस्तुएं बाहर आई। एक चिकना तरल पदार्थ बाहर आया और क्षेत्र के आसपास फैल गया जिससे पेड़ जल गये। निकटवर्ती एक बिजली का खम्भा भी क्षतिग्रस्त हो गया। निकटवर्ती नलकूप। जल पम्प से भी यह गर्म चिकना जलबाहर आया। जमीन के मालिक ने उसी दिन तत्काल इस मामले की सूचना उथीपुर पुलिस को भी तुरन्त दी गई। इस बीच, घटना देखने के पश्चात बहुत से लोग, एक बड़ी भीड़ इस स्थल पर आई और सभी काले धनिज पदार्थ और वस्तुएं उठाकर ले गई।

यद्यपि यह एक ज्वालामुखीय हलचल है, इस भूमि से बाहर आई सामग्री की रक्षा करने और इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये।

मैं सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने दसवीं लोकसभा में बटेश्वर को पर्यटन केन्द्र घोषित कराने के लिए कहा था। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दसवीं लोकसभा में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया था और वहां के लिए 44 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया था। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी करिए, इस समय जीरो ऑवर नहीं है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं संक्षेप में दो शब्द कहना चाहता हूं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट लम्बित हैं, वह आज इस हाउस में इस बात को कहें। इससे इस क्षेत्र की जनता भी इनका जय-जयकार करेगी। आगरा से 55 किलोमीटर दूर बटेश्वर है, जिस प्रकार से आगरा में सारे विश्व के पर्यटक आते हैं उसी प्रकार से बटेश्वर को भी पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए तो इससे भारत सरकार के लिए आय का भी साधन बढ़ेगा और बटेश्वर जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें भी सुधार होगा, यही मेरा निवेदन है।

संसदीय कार्य मंत्री पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांन्त जेना) : मुझे कठेरिया साहब का पत्र मिला है और मैंने उनसे बात भी की है। उसमें जो कुछ करना है वह जरूर किया जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप दो शब्द कह दीजिए कि इसको पर्यटन केन्द्र घोषित किया गया।

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे आपका पत्र मिला है, वहां जो कुछ भी करना है मैं आपसे बात करके जरूर करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने जो कहा है उसमें आपका प्वाइंट कवर हो जाता है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप दो शब्द कह दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो सुझाव है उसमें सरकार विचार करके जरूर निर्णय लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। उन्होंने जो कुछ कहना है, कह दिया है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप दो शब्द कह दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : कठेरिया साहब मेरे मित्र हैं। इनका जो पत्र मुझे मिला है उस पर जो कुछ करना है वह जरूर किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हू।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप दो शब्द कह दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर जो कुछ करना है वह जरूर किया जाएगा।...**(व्यवधान)** पर्यटन केन्द्र की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश चाहिए। उसमें 44 लाख रुपया दिया गया है। अगर और भी पैसे लगेंगे तो वे भी दिए जाएंगे और उसमें जो टैक्नीकल प्रोबलम है उसके लिए मैं उनसे बात करके तय कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं अब शून्यकाल वापस नहीं ला सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही अहम मसला इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने कई मर्तबा कोशिश की लेकिन आज बड़ी मुश्किल से वक्त मिला। मैंने आपको नोटिस भी दिया था कि ताजमहल को पहले मथुरा रिफायनरी से खतरा था। अब ताजमहल जमीन के अंदर सिंक कर रहा है और ऐसा संकेत प्रो. रामनाथ ने दिया है जो ताजमहल के बारे में जानते हैं।

महोदय, मुझे यह कहना है कि हिन्दुस्तान ताजमहल के नाम से जाना जाता है और ताजमहल से हिन्दुस्तान जाना जाता है। दुनिया में चंद ही जगह ऐसी होंगी जो पुराने जमाने की बनी हुई हैं और जिसकी वजह से आज ताजमहल को देखने तकरीबन 25 लाख लोग आगरा जाते हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इसकी आरक्यालोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख-रेख करती है उसने भी सिंकिंग और गुम्बद के लिए कहा है।

वे भी टिल्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। यमुना जब भरी होती थी तो उसकी वजह से वहां पानी आता था। पानी में जो लहरें होती थी उनको वह एबजोर्ब करता था। लेकिन आज जो प्रैशर बन रहा है उसको वह एबजोर्ब नहीं कर पा रहा है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज जो खबरें अखबार में आ रही हैं या जो रिसर्च हुई हैं वे संकेत देती हैं कि आज ताजमहल खतरे में है। दुनिया के लिए मौहब्बत की निशानी खतरे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार उनको ताजमहल दिखाने के लिए बुला लीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं आपसे दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला तो यह कि आप इस बात की जांच करवा लीजिए कि क्या ताजमहल वास्तव में सिंक कर रहा है। उसके जो बुर्ज हैं जो गुम्बद हैं क्या वे झुक रहे हैं? अगर यह सही है तो मेरा निवेदन यह है कि ताजमहल के लिए एक एटोनोमस बॉडी बनायी जाए। उस बॉडी को आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अलग रखा

जाए। ताजमहल से काफी आमदनी होती है, उस आमदनी का बड़ा हिस्सा ताजमहल और उसके ईर्द-गिर्द रख-रखाव में खर्च किया जाए। भारत सरकार उसके संरक्षण के लिए जो कुछ भी कर सकती है वह करे। वहां पर पानी की उपलब्धता के लिए चाहे वह जलफाटक बनाए चाहे और किसी तरह से करे। अगर यमुना के पानी में फिशरीज हैं तो पानी का मुहैया होना बहुत जरूरी है। ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और हिंदुस्तान के लिए एक इज्जत की चीज है। इसलिए भारत सरकार इसके संरक्षण के लिए जो कुछ भी कर सकती है, वह करे।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या कदम उठाएंगे। मंत्री जी भी शायद इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वह इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : ताजमहल के रख-रखाव का काम आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रही है। ताजमहल के बारे में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको सरकार ध्यानपूर्वक देखेगी और उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, वह किया जाएगा। जहां तक एटीनोमस बॉडी बनाने का सवाल है, माननीय सदस्य के इस सुझाव को मैं आर्किलोजी विभाग को भेज दूंगा। यह ठीक है कि ताजमहल को देखने के लिए करीब 25 लाख लोग जाते हैं, और गर उसका रख-रखाव ठीक से किया जाए तथा आगरा शहर और उसके ईर्द-गिर्द के इलाके को ठीक से संवारा जाए तो और ज्यादा लोग उसे देखने आएंगे। इससे उसकी आय भी अधिक होगी। यह सुझाव बिल्कुल ठीक है। ताजमहल और आगरा शहर को थीम-पार्क बनाने के सुझाव बाहर से भी आए हैं ताकि इसकी जो बैकग्राउंड है उसको भी लोग जानें और समझें। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा टूरिज्म मिनिस्टरी से मिलकर विचार किया जाएगा और माननीय सदस्य से भी कंसल्ट किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : इस पर चर्चा तो बहुत होती है लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है।

श्री श्रीकांत जेना : यह बिल्कुल सही है कि ताजमहल पर जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए वह धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन अब आगे यह सब कैसे ठीक से चले इस पर सरकार ध्यान देगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने एक निवेदन करना है। मेरा निवेदन इस विषय के बारे में नहीं है...**(व्यवधान)** कृपया धैर्य रखिये। हम सभा में बहुत से महत्वपूर्ण मामले उठाते हैं। उनमें से सभी जरूरी नहीं होते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मामले में तुरन्त प्रतिक्रिया दिखाने के लिए मंत्री से कहना हमारे लिए उचित नहीं है। यदि मामला अविलम्ब और महत्वपूर्ण न हो तो हमें मंत्री से तुरन्त प्रतिक्रिया दिखाने के लिए नहीं करना चाहिये। पहले यही प्रथा थी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस प्रथा का पालन किया जाये। ताजमहल की हालत पर विचार करने का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पहले, प्रदूषण समस्या थी। उसकी ओर ध्यान दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है लेकिन यह इतनी अविलम्ब नहीं है कि आपके कल ही इस पर कार्यवाही करनी पड़े। ऐसी बात नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा था कि मगर वे कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंत्री एक सदस्य के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मंत्री ने इसका उत्तर दिया है। ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि मंत्री उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रघुवंश प्रसाद सिंह वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब शून्यकाल पुनः आरम्भ नहीं किया जा सकता। बहुत हो गया। अब उन्हें सुनिये।

अपराह्न 2.30 बजे

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सिन्थेटिक दूध की बिक्री

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग से राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा माननीय सदस्य रमेश चेन्नित्तला द्वारा इस सदन में उठाए गए दूध की बिक्री के बारे में रिपोर्टों का विवरण सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक है तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली, 1955 के उपबंधों के अधीन यह एक दंडनीय अपराध है। समाचार पत्रों में विशेषकर उत्तरी राज्यों में वनस्पति वसा, यूरिया, रसायनिक डिटर्जेंट, सामान्य नमक, चीनी आदि के सहयोग से बने दूध में कथित मिलावट का उल्लेख किया है जिसे सिंथेटिक दूध कहा जा रहा है।

भारत सरकार ने इन रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दूध में मिलावट करने के मामलो में जांच-पड़ताल एवं पता लगाने में

नेटवर्क का विस्तार करने और अभियोजन उपायों का सहारा लेने के लिए बार-बार अनुदेश जारी किए हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने अपनी जांच-पड़ताल करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है तथा इस प्रकार की मिलावट का पता लगाने के लिए अभियोजन के मामले आरंभ कर दिए हैं। केन्द्रीय खाद्य अपमिश्रण निवारक दल ने भी उत्तरी क्षेत्र के पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों का दौरा किया है जहां यह समस्या अधिक होने की बात कही गई। इस दौरे का उद्देश्य राज्यों के खाद्य अपमिश्रण निवारक कार्यान्वयन को निपटाने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना था।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डेयरी विभागों के प्रभारी से इस संबंध में और अधिक सतर्क रहने तथा सार्वजनिक सहकारी तथा निजी क्षेत्र के डेयरी संयंत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार का मिलावटी सिंथेटिक दूध प्राप्त न करें और यदि इस प्रकार का कोई मामला उनके ध्यान में आता है तो इसकी जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को तत्काल दी जाए ताकि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के बाद मिलावटी दूध को नष्ट करने तथा अपराधियों के विरूद्ध मामला दर्ज करने की बात सुनिश्चित की जा सके। गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा हर प्रकार के परीक्षण कार्य पूरा करने तथा डेयरी संयंत्रों में सिंथेटिक दूध के प्रवेश को रोकने के लिए दूध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के अधीन केन्द्रीय पंजीयक प्राधिकारी द्वारा भी सभी पंजीकृत डेयरियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

सिंथेटिक दूध के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 11 अप्रैल, 1996 को उत्तरी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया। बैठक में दूध के विभिन्न नमूने लेने तथा मिलावट करने के सभी मामलों में मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही को और तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसरण करने के लिए 11.7.96 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में सिंथेटिक दूध का पता लगाने के मामले में राज्य सरकारों के सार्वजनिक विश्लेषकों के लिए एक प्रशिक्षण सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिल्ली में कुल दूध के लगभग 40 प्रतिशत की आपूर्ति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित मदर डेयरी तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा की जाती है। इन दोनों ही डेयरियों ने उन्हें बेचे जा रहे सिंथेटिक दूध की संभावना के बारे में पहले से ही एहतियाती कदम उठा लिए थे तथा इन डेयरियों द्वारा प्राप्त दूध की आपूर्ति के जांच-पड़ताल के बारे में विशेषज्ञों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना में सुसज्जित प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं तथा इन डेयरियों द्वारा प्राप्त दूध की प्रत्येक खेप की बारीकी से जांच की जा रही है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा बेचा जा रहा दूध एकदम सुरक्षित है तथा उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है।

मैं इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार सिंथेटिक दूध की सभी समस्याओं के बारे में अवगत है तथा इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। पहले से आरंभ किए गए प्रयासों को और तेज किया जाएगा और सरकार इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए कृत संकल्प है। मैं सदन को फिर से आश्वासन देता हूं कि इस देश में उपभोक्ता को प्रदान किए जा रहे दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सरकार अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं रख छोड़ेगी।

अपराह्न 2.35 बजे

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

और

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 13 और 14 पर एक साथ विचार करेगी। इसके लिए एक घंटा समय निर्धारित किया गया है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 23) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल के लिए जो आर्डिनेन्स निकाला गया, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। नाम बदल देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल फाइनान्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन एअर कार्पोरेशन या नैचुरल गैस कमीशन का नाम बदलने से न तो लेबर को फायदा होगा और न ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा। इंडस्ट्रियल फाइन्स कार्पोरेशन का लोन देने का जो प्रोसीजर है, वह ठीक नहीं है। वे इंडस्ट्री को सिक जोन घोषित करके फाइनान्स का मिसयूज करते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां करोड़ों रुपए लगाकर मजदूर खाली बैठे हुए हैं। हजूरी में एक ओसवाल मिल है। 60-70 करोड़ रुपया मिल की तरफ बकाया है लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही डी.सी.आई. मिल राजपुरा में है, उसका भी यही हाल है। राजपुरा में एक डालमिया मिल है। उसको भी सिक मिल डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया है। इससे लेबर बेकार हो गई। इंडस्ट्रियल फाइनान्स का सही इस्तेमाल हो सके।

आज 50 परसैंट इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि लेबर डिसप्यूट में फंसी हुई हैं। इसका कारण यह है कि जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उनमें लेबर

का कोई रिप्रेजेंटिव नहीं है। ट्रिब्यूनल जो डिसिजन लेते हैं, उनके इम्प्लिमैंटेशन के लिए और उनको फोर्स में लाने के लिए कोई प्रावीजन होना चाहिए जिससे उनमें लेबर का भी रिप्रेजेंटिव हो। आज जो नया तरीका इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने निकाला है, उनसे मजदूरों को बहुत नुकसान होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि लेबर को एम्पलाई करते हैं, वे उनको न तो प्रावीडैंट फंड देते हैं, न बोनस देते हैं, न मिनिमम वेजिस देते हैं। वे दो नम्बर रजिस्टर हाजरी के लिए रख देते हैं। अगर सरकार लेबर को फायदा पहुंचाना चाहती है तो वह ऐसा एक्ट लाए जिससे लेबर को फायदा हो। लेबर को बोनस देने के लिए भी एक्ट में प्रावधान होना चाहिए। जो एग्रीमेंट लेबरर्स के साथ होते हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया है जिससे लेबरर्स को प्रावीडैंट फंड और बोनस मिल सके।

भारत सरकार आज जो बिल लेकर आई है, उससे मैं समझता हूं कि न तो लेबरर्स को कोई लाभ पहुंचेगा और न ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे। उसमें ऐसे अमेंडमैंट्स और प्रावीजन्स होने चाहिए जिनसे लेबर को लाभ हो सके और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को पॉसफुल तरीके से आगे डेवलप कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 23) का निरनुमोदन करती है।"

> "कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। जो प्रतियां सरकुलेट की गयी हैं, उसमें न उद्देश्य दिया गया है और न उपबंध ही दिया गया है। यह नियम 69 का उल्लंघन है। इसको जानकारी सदस्यों को होनी चाहिये ताकि वे पूरी तैयारी के साथ इस बिल पर बोल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सभा से पास होकर आ गया है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह नियम और परम्परा है कि कोई भी संशोधन विधेयक में आता है तो उसके साथ वर्तमान में उपबंध होता है कि किन उद्देश्यों से लाया गया है, यह उद्देश्य होना चाहिये और उसमें यदि किसी प्रकार का कोई खर्च का भार सरकार पर आ रहा हो तो आड़े-तिरछे या मोटे अक्षरों में दिखाया जाना चाहिये। और अगर कोई खर्च नहीं आये तो भी जानकारी दी जानी चाहिये। नियमों में भी प्रावधान किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जानकारी उपलब्ध कराई जाये ताकि सदस्य तैयारी के साथ आयें।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें है। और जो बिल सरकुलेट हुआ है, उसमें है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मेरे पास जो सरकुलेट किया हुआ बिल है, उसमें नहीं है। मैं यह आपको देना चाहता हूं। हिन्दी वाले बिल में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो बिल पास हुआ है, उसमें दिया हुआ है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह हिन्दी-अंग्रेजी वर्सन मेरे पास है, उसमें कहीं भी नहीं है। अगर हो तो बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा से जो बिल पास हुआ है, उसमें है। आपको क्या सरकुलेट हुआ है, मुझे मालूम नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्योंकि राज्य सभा से पास हुआ है, इसलिये उसमें नहीं है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैंने यहां पर ढूंढ़कर प्राप्त करने की कोशिश की है, संबंधित स्टाफ से जानकारी भी ली लेकिन मुझे जो कापी मिली है, उसमें नहीं है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : वित्तीय ज्ञापन में यह आवश्यक है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आसन से व्यवस्था चाहिये। सरकार जबाव दे। ये लोग बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि जो कॉपी मुझे मिली है, उसमें कहीं भी नहीं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी आपकी तरह अपनी बात कह रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह मामले को स्पष्ट करने के लिए मुझे कुछ मिनट दें। यह विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया था। मेरे पास विधेयक की मूल प्रति है जो राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। मूल विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा एक अनुबन्ध लगा हुआ है। इससे वे सभी अपेक्षतायें पूरी हो जाती हैं जो एक विधेयक को पूरी करनी चाहिये। यह राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में लोक सभा के समक्ष आया है।

[अनुवाद]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय मंत्री जी, आपके पास तो कापी होगी। तो उसी प्रकार की कॉपी हमें दी जानी चाहिये। वह नहीं है जिसमें उद्देश्य या सरकार पर भार आयेगा कि नहीं, यह नहीं है।... **(व्यवधान)** मैंने घर पर देखा है, वह कहीं नहीं हैं। यदि इसमें नहीं है तो फिर किसलिये सरकुलेट किया गया है और यह जो कॉपी मिली है; उसमें नहीं है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिये इसे यहां भी सरकुलेट किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो कॉपी है उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्टेस एंड रीजन्स लिखा हुआ है। जब राज्य सभा से पास होने के बाद सरकुलेट किया गया है तो कहीं आपके घर पर इधर-उधर हो गया होगा। आपको घर पर देखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह राज्य सभा में पास हुआ है लेकिन अब इसमें उद्देश्य नहीं हों तो कैसे डिसकस करेंगे?

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पांइट ऑफ ऑर्डर को हल्के-फुल्के स्तर से लेकर ये गलती बता रहे हैं। मैं आपको यह कॉपी दे रहा हूं जो मुझे यहां से मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पढ़कर सुना दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारे के तंत्र और प्रक्रिया का प्रावधान है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 का खंड (क)...**(व्यवधान)**

मुंशीजो, कृपया बैठ जाइये और मेरी बात सुनिये। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, आपने केवल यह जांच करनी है कि क्या विधेयक पुरःस्थापित करने के पश्चात् सही विधेयक, वित्तीय ज्ञापन और उद्देश्यों तथा कारणों के कथन सहित सभी सदस्यों को भेजा गया है या नहीं और क्या इस सभा के सभी सदस्यों को वही प्रति उपलब्ध की गई थी अथवा नहीं जिसका अब माननीय मंत्री जी उल्लेख कर रहे हैं। मेरा यह प्रश्न है। यदि ऐसा किया गया था तो इसका पता सचिवालय से लगाया जा सकता है और मामला सही हो जायेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया था तो माननीय सदस्य की बात बाजिब है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी जानकारी नहीं दी गयी है। हिन्दी में भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : 16 जुलाई को राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय लोकसभा मैम्बर्स को सरकुलेट किया गया था आप कनफर्म कर लें। उसका कारण यह है कि मेरे पास जो कॉपी है उसमें लिखा है

"लोकसभा के सभी सदस्यों को भी"
अभी एक्चुअली सरकुलेट हो गया या नहीं?

श्री रमाकांत डी. खलप : यह विधेयक दोनों राज्य सभा और लोक सभा में परिचालित किया गया था और यह उसको एक प्रति है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये और मंत्री का सुनिये

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, पहले उन्हें विधेयक को ठोक ढंग से सदस्यों में परिचालित करने दें, फिर उसके बाद हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। हम तभी संतुष्ट होंगे। महोदय...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय मंत्री जी, इसमें आप जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ने जा रहे हैं, यदि हमारे पास भी यह होता तो कोई नई बात न होती।

उपाध्यक्ष महोदय : 16 तारीख को लोक सभा सचिवालय से यह सरकुलेट हुआ है। उस में लिस्ट ऑफ पेपर्स सब एम.पीज को दिये गये हैं जिनमें एप्रोपरिएशन बिल, इंडस्ट्रियल

[अनुवाद]

डिस्प्यूट्स एक्ट "लोक सभा के सभी सदस्यों को भी"

[हिन्दी]

अब आपके पास कौन सा पेपर है, मुझे पता नहीं। अब दो सैट्स तो नहीं हो सकते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : आप मेरी बात सुनें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए।...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : आप हमारी बात तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : आप कृपया पहले मेरी बात सुनिये। ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : दो अलग विधयेक है, एक है लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक और दूसरा है राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक।

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना : आप ऐक्सपीरिएंस्ड मेम्बर हैं। आप हमारी बात सुन लीजिए...**(व्यवधान)**

श्री थावरचंद गेहलोत : इसमें नयी बात यह है कि आपने पढ़कर बताया कि 16 तारीख को इस प्रकार से यह विधेयक सर्कुलेट किया। राज्य सभा में 22 तारीख को पास हुआ। राज्य सभा में जो विधेयक पास हुआ है, उसकी कॉपी भी है। तो उसके बाद 16 तारीख वाली कॉपी का कोई महत्व नहीं है। जो राज्य सभा ने पास किया है, उसको सर्कुलेट करना चाहिए और उसके उपबंध तथा उद्देश्य और कारण होने चाहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। आपकी बात हो गई है।

श्री थावरचंद गेहलोत : क्या यह कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा? ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : यह बिल दोनों सदनों में सर्कुलेट हुआ है। राज्य सभा में भी यह इंट्राड्यूस हुआ था। राज्य सभा ने इसे पास किया। राज्य सभा और लोक सभा के लिए एक ही बिल था। जब राज्य सभा में बिल पास हुआ तो जो बिल पास हुआ वही बिल आपके पास आया है और जो ऐनेक्सर था, वह पुराना वाला ही 16 तारीख को सर्कुलेट होकर आपके पास गया था। अभी कनफ्यूजन हो रहा है कि जो बिल पास होकर आया है केवल वहीं देखने को मिला है। ऐसा ही होता है कि अगर राज्य सभा बिल पास करती है तो वही बिल आता है जो पास होकर आया है।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम नयी बात कौन सी पढ़ेंगे इसमें? हमारे पास इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स तक नहीं आया।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले सर्कुलेट हो चुका है। आप खलप जी क्या कहना चाहते हैं, कहिए।

श्री श्रीकांत जेना : उद्देश्यों ओर कारणों का कथन विधेयक के साथ सदस्यों को 16 तारीख को ही परिचालित कर दिया गया था।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : लगता है इस बीच में कबाड़ी वाला आ गया होगा। उसको चला गया होगा।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठिए।

संसदीय कार्य मंत्री ने दो बातें कहीं हैं। यह जो बिल पहले सर्कुलेट हुआ, दोनों सदनों में हुआ और उसमें सब कुछ था, स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स भी था। दूसरी बार जो मिला वह केवल वह पोर्शन मिला है जो राज्य सभा से पास होकर आया है। पूरे डाक्यूमेंट्स पहले ही लोकसभा और राज्य सभा में सर्कुलेट हो चुके हैं। सेंकंड टाइम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पोर्शन सर्कुलेट

[अनुवाद]

किया है जो राज्यसभा से पास हुआ है। विवाद समाप्त। हां, श्री पुरोहित।

श्री रमाकांत डी. खलप : क्या मैं इस पढं?

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

अपराह्न 2.55 बजे

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स अमेंडमेंट बिल आया है, उस पर अपने विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल का विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जो मशीनरी है वह उसको डील करे या केन्द्र सरकार की मशीनरी डील करे, उससे हमारे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता पर जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए आज भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। एक तरफ कुंआ है और दूसरी तरफ खाई है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसका विरोध करके क्या करे? चाहे आप राज्य सरकार को दे दें, वहां 15-20 वर्ष लगते हैं, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है। केन्द्र को दे दें तो यहां भी कोई चमत्कारी उदाहरण हमें देखने को नहीं मिला कि यदि डिसप्यूट गया हों तो उसका कोई सेटलमेंट हुआ हो। इसलिए हम इसका विरोध नहीं करते। परंतु इस अवसर पर यह जो बिल आया है, इस पर मजदूर वर्ग की आज की परिस्थिति, मजदूर आंदोलन की भूमिका के बारे में चर्चा इस सदन में होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक हो गया है। इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया का प्रश्न ही लीजिए। साल में कई दिन इनकी हड़तालें हो जाती हैं। आप भी इसके विकटिम बने होंगे। हवाई जहाज बंद हो जाते हैं, लोग बेहाल हो जाते हैं, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है और उनको संघर्ष करना पड़ता है। उनको न्याय मिलने में देरी होती है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : पत्रकारों को भी ठीक से तनख्वाह नहीं दी जाती है। बछावत आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं आपकी बात से ऐग्री करता हूं और उस पर भो गंभीरता से विचार होना चाहिए। दासमुंशी जी जो भी सुझाव देते हैं, उनको सदन को मानना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कालचक्र है, यह कभी रुकता नहीं है।

श्री अनिल बसु : यह जनता दल का है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आपका भी है। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मई का दिन एक उत्सव का दिन होता है। मजदूर एकता का दिन

होता है, मजदूरों को दिन होता है, परंतु इस बार क्या हुआ? रशिया के लाल चौक पर जहां जबर्दस्त रैली हुआ करती थी, वहां पर सर्वोच्च नेता मजदूरों का अभिनन्दन किया करते थे, इस वर्ष । मई को लाल चौक पर पाबंदी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : लाल चौक पर नहीं हुई लेकिन बगल में तो रैली हुई।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : वह ठीक है, लेकिन वस्तुस्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है कि कालचक्र के परिवर्तन को मानना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : इस परिवर्तन को आप मानते हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तभी तो आप वहां पहुंच गए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : लाल चौक की बात हम नहीं करें तो दिल्ली में भी । मई को रैली पर माननीय शेषन साहब ने पाबंदी लगा दी। इसका कारण नहीं था। चुनाव अभियान अलग है। मजदूरों की जो रैली है, इस पर पाबंदी लगाने का क्या कारण था? परंतु आप में से जितने भी नेता इस सदन में बैठे हैं, मजदूरों के लिए किसी का डैलीगेशन भी शेषन साहब से मिलने नहीं गया। मजदूरों का शोषण आज भी चल रहा है। मजदूर की आवाज आज भी सुनी नहीं जाती। आज भी उसको न्याय नहीं मिलता है। 50 वर्षों से दासमुंशी जी के पश्चिम बंगाल में और हमारे महाराष्ट्र की मुंबई की कपड़ा मिलों के डेढ़ लाख मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

डेढ़ लाख मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको इस देश में आज भी न्याय नहीं मिला। वही हालत उनके जूट मिलों की है। इन कारखानों के जो मालिक हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए, शुरू से आखिर तक 1947 से पहले जो मालिक पहले थे, वही मालिक आज भी हैं, वही घराने आज भी हैं। उनकी जमीन, जायदाद, दौलत आदि बढ़ गई। उनके शेयर की कीमत बढ़ गई, इकोनोमिक टाइम्स में लिस्ट देख लीजिए। आज हमारे मजदूर की क्या हालत है। हमारे मजदूर की किसी को कोई फिक्र नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि रशिया में जो नया परिवर्तन आया, वह हिंदुस्तान में भी हो गया और आप लोगों की भी आवाज बंद हो गई। मजदूरों की जो लड़ाई लड़ा करते थे, आज वह धार कहां है। इस मजदूर आंदोलन को जो सबसे बड़ा आघात लगा है वह उदारीकरण की नीति से लगा है और उदारीकरण की नीति आने से यहां पर मजदूरों का हक खत्म हो गया।

अपराह्न 3.02 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए।)

परंतु यह बड़े विचार की बात है कि आप बेबस होकर देख रहे हैं। इस गठजोड़, उदारीकरण की नीति और इस बजट के समर्थन करने का कोई कारण नहीं है, जो कि मजदूरों के खिलाफ है। इस उदारीकरण की नीति ने मजदूरों के हकों के ऊपर बहुत जबर्दस्त आघात किया है और आपने उसी उदारीकरण की नीति का समर्थन किया है। आप भी पाप के भागीदार हो।...**(व्यवधान)** बचोगे नहीं, आप भी भागीदार हो।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं इस पर आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि आप बिल पर ही कहिये। मैंने इस बिल को खूब पढ़ा है और आप इस पर जितनी टीका-टिप्पणी करनी है वह करिये।

(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु (राजपुर) : यह दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के साथ बिल की बात कर रहे हैं।

बनवारी लाल पुरोहित : मैं बिल के ऊपर बोल रहा था, हमारे माननीय मित्र ने मुझे बाधक कर दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उत्तेजित न हों। पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय सभापति महोदय, आज इस पर गंभीरता से विचार हो यह सदन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मजदूरों को हकों की रक्षा करने की आज जरूरत है क्योंकि उनके हकों की रक्षा नहीं होती है। आज जितने भी कोर्ट्स हैं, उनमें भी जाना पड़ता है। आज जो कंसीलिएशन होते हैं व प्रासीडिंग्स एक तरह से फेल हैं। हमारा अनुभव ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के जो अफसर बैठते हैं, त्रिपक्षीय बातचीत जो होती है उनमें मजदूरों की नहीं चलती है। अल्टीमेटली मालिक प्रीवेल कर जाते हैं। यह जो सरकार की एक्जीक्यूटिव्ज की मशीनरी है, यह भरोसमंद नहीं है। आज तक इनमें मजदूरों को न्याय नहीं मिला। आज भी परिस्थिति वही है। मुंबई में तो हमारा अनुभव है वहां मिल बंद हुई, बेचारे भूखे पेट मजदूरों ने जरा आंदोलन किया तो उनके ऊपर गोलियां चली। यह हमारे मजदूर आंदोलन का रक्त-रंजित इतिहास है। सभापति महोदय, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा इस बिल का विरोध करने का तो कोई कारण नहीं है। बिल में कुछ भी नहीं है और मैंने कहा कि इसमें केन्द्र सरकार मजदूरों के हक को संभाले या इसको जूरिसडिक्शन राज्य सरकार को हो। मैंने पहले ही कहा कि दोनों ही तरफ एक है। दोनों में कहीं एफीशिएंसी नहीं है। इसमें एफीशिएंसी लाने की जरूरत है। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स खोलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जज अपाइंट करने चाहिए। मैंने देखा है कि यह जो न्यायालय है वह सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हैं। देश में ये मजदूरों के हक को सुनते हैं। इनकी हालत सबसे रद्दी है। सबसे ज्यादा रद्दी मकान में ये हाल हैं। मैंने देखा कि नागपुर में एक न्यायालय में पानी टपक रहा है और जज अपना बस्ता इधर से उधर उठा रहा है। ऐसी इनकी हालत है, क्योंकि इनकी तरफ कोई परवाह नहीं करता है।

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि एल.आई.सी. को मर्ज करके आप क्या करेंगे। इसी सदन में सरकार ने कहा है कि मल्टी-नेशनल्स के लिए एल.आई.सी. के दरवाजे खोलने वाले हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि दूसरों का भी हम इनके कम्पटीशन में आने देंगे फिर मजदूरों का क्या होगा। जिस तरह से टैक्नोलॉजी बदल रही है, एकदम नई टैक्नोलॉजी आ रही है, नये-नये यंत्र आ रहे हैं, नई कपड़ा मिलें आ रही हैं, नई मशीनें आ रही हैं, कम्प्यूटर आ रहे हैं उससे हमारे मजदूरों का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार ने मजदूरों के हित की संरक्षा के लिये कोई उपाय नहीं किया। मजदूरों को नई टैक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की ताकि नई टैक्नोलॉजी के लिए पहले से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, मजदूरों को दो-तीन साल का कोर्स देकर तैयार किया जा सकता। यह जिम्मेदारी सरकार के अलावा किसी दूसरे की नहीं है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार इस मामले में मिसरेबली फेल हो गई। हमारे मजदूर जो नई टैक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहे हैं, वे सब फेल्योर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

ईंडियन एअरलाइन्स और एअर ईंडिया के अंतर्गत अब जितनी प्राईवेट टैक्सियां चलेंगी, उनके अलावा जो भी परिवहन से संबंधित दूसरे मजदूर हैं, बस ऑपरेटर हैं, मैं मानता हूं कि ओ.एन.जी.सी. में लोग कुछ वैल-पेड हैं, लेकिन उनके इंटरैस्ट के अलावा जो अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूर हैं, दूसरे कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका बहुत बुरी तरह शोषण हो रहा है। आप देखिए कि यहां मल्टी-नेशनल्स क्यों आ रहे हैं, वे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां मजदूर बहुत सस्ता मिलता है। यहां आकर, कारखाना खोलकर वे लालच देते हैं कि हम मजदूरों का अच्छा रख-रखाव करेंगे, अच्छी पे देंगे, उन्हें प्रोटैक्ट करेंगे परन्तु उनकी नीयत में बदी है। हम इतिहास को फिर से दोहराने जा रहे हैं। पहले हमारे देश में ईस्ट ईंडिया कम्पनी आई थी, अब फिर से कुछ विदेशी कम्पनियां दूसरे देशों से आ रही हैं। पिछली सरकार ने सबको निमंत्रण दे दिया और यह सरकार भी उन्हीं पदचिन्हों पर चल रही है। जापान, जर्मनी, अमेरिका से यहां आकर वे लूट मचाएंगे, जैसे यूरोप से ईस्ट ईंडिया कम्पनी आई थी और उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया था। अब ये लोग भी यहां आकर हमारा शोषण करेंगे। आप हमें इससे बचाईए। यह गम्भीर मामला है।

इसलिए इस बिल का न तो मैं समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं। इसमें मजदूरों के लिये कुछ नहीं है, कोई क्लाज नहीं है ...**(व्यवधान)** आप तो मजदूरों को ले डूबोगे और इस देश को भी ले डूबोगे...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पुरोहित जी, इसे सपोर्ट कर चुके हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही समझ लो।

सभापति महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सरकार यदि कोई अच्छा बिल लाती तो हम उसका समर्थन करते और आपका अभिनन्दन करते, अगर इससे मजदूरों का शोषण खत्म होता, मगर ऐसी कोई क्लॉज और इसमें नहीं है।

सभापति महोदय : पुरोहित जी, आप इस बिल पर अपनी बात कहिए। यहां बजट स्पीच नहीं हो रही है। इस कानून पर बोलिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह कानून भी नहीं है...**(व्यवधान)** इसमें खाली यही है कि एक प्राईवेट कम्पनी स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आएगी, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जूरिस्डिक्शन में आयेगी जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : ठीक है। इसी के बारे में बोलिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे यहां इलैबोरेट करने की जरूरत है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मंत्री जी बताएं कि मजदूरों को क्या देने वाले हैं। जब मंत्री जी बहस का रिप्लाई देंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय करेंगे।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है

[अनुवाद]

यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : बी.जे.पी. के मैनीफैस्टो में, उदारीकरण की नीति, मल्टी नेशनल्स का कन्ज्यूमर्स गुड्स में आने का हमने समर्थन नहीं किया, इस बारे में हमारा मैनिफैस्टो स्पष्ट है। इन्हें पढ़ना चाहिए। हम अपने मैनिफैस्टो की एक कॉपी इन्हें भिजवा देंगे. ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इस बिल में मजदूरों के हक में कुछ करते तो इसका अभिनन्दन करते, लेकिन मजदूरों के हक में कुछ नहीं बताया गया है। अब भी मौका है कि मंत्री महोदय अपने जवाब में यह कहें कि वे मजदूरों के लिए कुछ विशेष योजनाएं ऐड करेंगे तो हमें आनन्द होगा तथा हम इसका अभिनन्दन करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर लम्बी चर्चा हो सकती है लेकिन मंत्री ने इसमें नाममात्र मामले ही शामिल किये हैं। मैंने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का अध्ययन किया है जो हमारे पास भेजा गया है। इसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें दो महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित नहीं की गई

हैं। एक है सुलह तंत्र में अथवा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, एयर इंडिया और अन्य के न्यायाधिकरणों में लम्बित विवादों की संख्या। दूसरा है इन संगठनों से जुड़े कर्मकारों की संख्या।

सभापति महोदय, आज कल आर्थिक-नीतियों के उदारीकरण के बाद विशेष रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में गैर-सरकारी अंशधारिता की अनुमति दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस गैर-सरकारी व्यवस्था में कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी। उत्तर देते समय मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना होगा।

एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण बात प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी है और मेरा विचार था कि मंत्री महोदय इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट करेंगे। मंत्री महोदय इस विधेयक के प्रावधानों को बदलते समय प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के बारे में आश्वासन देते तो बेहतर होता। वह विधेयक में इन व्यवस्थाओं का आसानी से प्रावधान कर सकते थे।

एक अन्य बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, ठेका मजदूरों के बारे में है। मैंने हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों को काम करते देखा है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री के पास उनके बारे में कोई आंकड़े हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य क्षेत्रों के साथ उठायें ताकि ठेका मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। कोई ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिये कि उनको स्थायी तौर पर वहीं रखा जा सके। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री का ध्यान ठेका श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार काम स्थायी किस्म का हो तो इन सभी कर्मकारों की नियुक्ति स्थायी तौर पर की जा सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री अनिल बसु : क्या यह बात केन्द्रीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होती है?

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : वह आप की सोच है।

सभापति महोदय, आपको मालूम होगा और जैसा कि हम काफी समय से कहते आ रहे हैं, सुलह तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है जिससे कर्मकार प्रायः न्यायाधिकरणों के पास जाते हैं। लेकिन न्यायाधिकरणों में बहुत से मामले लम्बित हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे न्यायाधिकरणों में इन कर्मकारों के लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

अन्त में मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित किया जाये क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम बहुत पुराना है और वर्ष 1947-48 में इसके अस्तित्व में आने के बाद देश में कई परिवर्तन हुए हैं। श्रमिकों के स्वभाव, उद्योगों के पैटर्न आदि में कुछ परिवर्तन हुए हैं।

अब इस सभा में यथा संभव शीघ्र एक व्यापक विधेयक पुर-स्थापित किया जाये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायें कर्मकारों को ठीक ढंग से रक्षा की जा सके।

श्री तरितवरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था उस समय यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है।

इसमें मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती जिसके कारण इस अध्यादेश को प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया। तथापि, कुछ कम्पनियों ने आपने नाम बदल लिये हैं। औद्योगिक वित्त निगम ने अपना नाम बदल कर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. कर लिया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जो 1959 के अधिनियम के अन्तर्गत आता था, अपना नाम बदल कर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लि. कर लिया है और अधिनियम का क्षेत्राधिकार भी बदल गया है। कुछ निगम 1956 के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आ गये हैं। अतः यह केवल नाम बदलने का मामला है। नाम में परिवर्तन के कारण कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। जिससे इन कम्पनियों या निगमों के औद्योगिक विवादों को उठाना सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो गई है। अतः इस सुधारात्मक दस्तावेज पर, जो हमारे सामने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1996, के रूप में आया है, विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है।

यहां पर चर्चा के दौरान, जिसके आधार पर यह विधेयक पारित किया जाना है और अध्यादेश रद्द किया जाना है। मैं सरकार के समक्ष एक या दो बातें शीघ्र ही विचार करने के लिए रखूंगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार बी.आई.एफ.आर. की पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। उस समय मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह पुनर्गठन, पुनर्रचना या पुनर्निर्माण या पुनः नामकरण का मामला है या बी.आई.एफ.आर. के सम्बन्ध में कोई नया विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

मेरा दुःखद अनुभव यह रहा है कि बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत पहला मामला टीटागढ़ पेपर मिल के बारे में था। यह बी.आई.एफ.आर. का पहला मामला था और यह 1995 में निपटाया गया।

मेरा अन्य सबसे कटु अनुभव यह है कि इसे पहले 1993 में निपटाया गया था और इसमें सभी पक्षकार बी.आई.एफ.आर. के समक्ष सहमत हो गये थे और इसमें पक्षकारों की एक ही वित्तीय संस्था थी अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सब कुछ करने के पश्चात निर्णय दिया गया जो बैंच न्यायपीठ के समक्ष सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया। यद्यपि अठारह से अधिक महीने बीत गये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने फैसले के किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया है। तत्कालीन सरकार ने अपनी जिम्मदारियों से बचने के लिए बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की थी ताकि कर्मकार न्यायालय से राहत न ले सकें।

बी.आई.एफ.आर. की स्थापना पथभ्रष्ट और बाकीदार उद्यमियों, प्रमोटरों या मालिकों की रक्षा करने और कर्मकारों को न्यायालयों से राहत प्राप्त करने से वंचित करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से की गई थी।

यह चिरकाल तक विदित स्वार्थों द्वारा कर्मकारों की लूटमार के प्रति उनकी रक्षा करने का एक उपाय था। इसके बावजूद मजदूर संघों और कर्मकारों ने बी.आई.एफ.आर. में भाग लिया। कुछ सम्मत प्रस्ताव स्वीकार किये गये लेकिन वास्तव में यह पाया गया कि सरकार की या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वित्तीय संस्थायें और कई बार सरकार स्वयं तथा उद्योग विभाग एवम् बी.आई.एफ.आर. के फैसले का पालन नहीं करते अथवा उससे सहमत नहीं होते। यह उल्लेखनीय है कि यह एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है। इसमें काम करने वाले कुछ सचिव सेवानिवृत होने वाले हैं। इन लोगों को बी.आई.एफ.आर. में अर्द्ध-न्यायिक काम सौंपा गया है। यह परिकल्पना आसानी से की जा सकती है कि सरकार इन पीठों पर काफी प्रभाव डाल सकती है। इसके बावजूद कई बार बी.आई.एफ.आर. पीठों की हिचकिचाहट, कई बार बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्णय दे दिये जाने के बाद भी सरकारी विभाग निर्णयों का अनुसरण नहीं करते हैं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

जहां तक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा ऐसी अन्य संस्थायें बी.आई.एफ.आर. के निर्णयों की जरा भी परवाह नहीं करती है।

दसवीं लोक सभा के दौरान यहां पर प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्षपीठ ने सरकार की विशेष रूप से उद्योग विभाग को सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा निर्णय और कार्यवाहो का पालन करने का निदेश दिया था। अध्यक्षपीठ ने मंत्रियों को यह सुनिश्चित करन का भी निदेश दिया था कि वित्तीय संस्थायें सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के साथ एक-सा व्यवहार करें। हम वास्तव में यह देखते हैं कि वित्तीय संस्थायें गैर-सरकारी उद्योगों को धनराशि देने में तत्पर रहती हैं लेकिन उन्हीं मानदण्डों के आधार पर वे सरकारी उपक्रमों की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। संसद में भी यह मामला उठाया गया था। इस पर चर्चा हुई थी और अध्यक्षपीठ ने सरकार को निदेश भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, अपितु विदेश के प्रतिकूल आचरण किया गया। इस विधेयक का विरोध करने में कोई लाभ नहीं है क्योंकि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। हम कर्मकारों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों, हमारे देश की उत्पादन प्रणाली के सम्बन्ध उद्योगों के क्षेत्र में जो असंगतियां अनुभव करते हैं उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उत्पादन साधन बदल रहे हैं। इससे उत्पादन सम्बन्धों में भी परिवर्तन आयेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार, देश, समाज, मजदूर संघों तथा सभी वर्गों को इसके अनुसार आचरण करना होगा। पुराने विचारों से श्रमजीवी वर्गों और देश के लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। अतः एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाये और एक ऐसा कानून बनाया जाये जिससे पूरी अर्थव्यवस्था और कर्मकारों विशेष रूप से हमारे देश के पीड़ित वर्गों, जो बहुत ही कमजोर हैं। के हितों को बरकरार रखा जा सके।

चूंकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सभा और देश को आश्वासन दिया है कि वह बी.आई.एफ.आर. के बारे में कुछ नये विचार रखेंगे अतः इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव कि बी.आई.एफ.आर. को बदला नहीं जा सकता और न हीं इसमें सुधार किया जा सकता है क्योंकि इसकी स्थापना पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मकारों से उद्यमियों तथा निहित स्वार्थों की रक्षा करने के लिए की थी। अतः उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे मामले पर वर्तमान स्थिति और हमारे समक्ष परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मूल बिन्दु पर आने से पहले में एक चीज की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उद्योग में बदली वर्कर की परिभाषा है लेकिन यहां पता चला कि सदन में भी बदली मंत्री की परिपाटी है।

यह बिल तो श्रम मंत्री से सम्बन्धित है, लेकिन श्रम के बदले विधि मंत्री चले आये। यहां सदन में बदली मंत्री का भी प्रोवीजन हो गया है। यह एक अच्छी बात है।...**(व्यवधान)** इसका विधि से कोई रिलेशन नहीं है। यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इसका 16 आना सम्बन्ध, 100 परसेंट रिलेशन लेबर डिपार्टमेंट से है और इसीलिए लेबर मिनिस्टर को यहां रहने की आवश्यकता थी, जो आज यहां नहीं हैं। लॉ मिनिस्टर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, खाली सुनकर अपनी बात बोल देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, मैं मानता हूं। लेकिन वह यहां उठाये जा रहे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। यह नई चीज है।

सभापति महोदय : आप इसे उनके विवेक पर छोड़ दें।

[हिन्दी]

आप अपनी बात कहिए।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ चेयर का ध्यान इस ओर खींचा है कि बदली मंत्री का ही प्रोवीजन हुआ है, यह नई चीज है।

इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है, जिसका कोई भी माननीय सदस्य विरोध करे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सैक्शन दो में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो परिभाषा है, उसमें संशोधन किया गया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इसमें समर्थन करने लायक क्या है?

श्री रमेन्द्र कुमार : वहीं तो मैं बता रहा हूं। यदि आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पढ़ा हो और यदि आपने इस पर कभी कुछ प्रैक्टिस की हो, यदि आपका सम्बन्ध ट्रेड यूनियन से रहा हो या मजदूर आन्दोलन से रहा हो आप सैक्शन 2(ए) में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा को जानते होंगे। इसलिए आप कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें।

एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो परिभाषा है, उसमें संशोधन किया गया है, इसलिए इसका समर्थन नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह मजदूरों से सम्बन्धित है और इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि सदन के बाकी माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में एक दो बातों की ओर सरकार का, खास तौर से श्रम मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे उद्योगों में जो डिस्प्यूट्स उठ रहे हैं, एक तो औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक ऐसा कानून है, जिसके हर शब्द पर विवाद उठते चले गये। इंडस्ट्री किसे कहते हैं, यह झगड़ा होते-होते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वर्कमैन किसे कहते हैं, इसको क्या परिभाषा है इसका फैसला होते-होते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। डिस्प्यूट किसे कहते हैं, इसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एप्रूवल और परमीशन में क्या डिफरेंस है, इसको कौन डैफिनीशन देगा, सुप्रीम कोर्ट डैफिनीशन देगा। सैटिलमेंट और एग्रीमेंट में क्या अन्तर है, इसको कौन डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। इसलिए इस एक्ट के ऐसे ज्यादातर शब्द हैं, जो अपने आपमें लिटिगेट है और जिसका फायदा इस देश के मालिकों ने उठाया है।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे उद्योगों में ज्यादातर डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल अनरैस्ट हुआ कर रहे हैं। जो ट्रेड यूनियन रीकगनीशन को लेकर मेरा अपना अनुभव है, मैं बिहार से आता हूं, हमारे बिहार में यह है कि जो ट्रेड यूनियन रीकगनाइज है, उसे ही सैटिलमेंट या एग्रीमेंट करने का अधिकार है। दूसरी यूनियन, जो बहुमत में है, परन्तु वह यूनियन रिकगनाइज नहीं है, मालिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वह कोई भी सैटिलमेंट या एग्रीमेंट नहीं कर सकती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लंबी-लंबी हड़तालें हुई हैं, 100 दिन की हड़ताल, 75 दिन की हड़ताल 50 दिन की हड़ताल और तब बैकडोर निगोसिएशन करते हैं, जो यूनियन स्ट्राइक कराती है, स्ट्राइक को लीड करती है, वही यूनियन बैकडोर निगोसिएशन करती है, परन्तु कौन करेगा, दस्तखत कौन करेगा, वह जो रीकगनाइज यूनियन है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश के सैण्ट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि प्रधान मंत्री से मिलने गये थे तो प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहा है कि ट्रेड यूनियन रीकगनीशन के सम्बन्ध में वह एक कानून बनाएंगे, एक बिल लाएंगे ताकि सीक्रेट बैलेट के जरिये देश में ट्रेड यूनियन को मान्यता मिले, इसके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को रीकगनीशन आफ ट्रेड यूनियंस थ्रू सीक्रेट बैलेट के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है।

इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अब जो कानून बना रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं सही नहीं हूं, तो वर्कमैन की परिभाषा में जिसे 1600 रुपये तनख्वाह, मजदूरी मिलती है, उसे ही हम वर्कमैन कहेंगे। मैं समझता हूं कि आजकल तो 1600 रुपये तनख्वाह बहुत से उद्योगों में अनस्किल्ड मजदूरों की भी हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है, इसलिए यदि आप संशोधन कर रहे थे तो संशोधन वर्कमैन की परिभाषा का भी करते। 1600 रुपये को बढ़ाकर सरकार 5000 रुपये तक ले जाय, यह मेरा सुझाव है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि इस औद्योगिक विवाद अधिनियम ...**(व्यवधान)** यह बौनस एक्ट नहीं है, यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है। इसलिए मैं एक दूसरी बात कहना चाहता था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जो एथॉरिटी है, जैसे वर्क्स कमेटी, कंसीलिएशन आफिसर, बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन, लेबर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स, जितनी इस एक्ट के अंडर एथॉरिटी हैं, इन सब को पावर नहीं है। कंसीलिएशन आफिसर को क्या पावर है?

सभापति जी, आप तो अनुभवी है, कंसीलिएशन आफिसर दोनों पक्षों को बुलाता है, मालिक कहता है, हम नहीं जाएंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आउंगा, मैं परसों आउंगा। कंसीलिएशन आफिसर ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ कर सकते हैं? कंसीलिएशन आफिसर को कानून के अन्तर्गत कोई डायरैक्शन, कोई निर्णय देने का अधिकार है क्या? मेरी जानकारी में, मेरी समझ में कंसीलिएशन ऑफिसर को कोई अधिकार नहीं है, सिवा इसके कि दोनों पक्षों को बुलाये। आम तौर से उसकी बात को कोई मानता नहीं है और इसलिए वह फैल्यर रिपोर्ट सम्बन्धित सरकार को भेज देता है। ऐसी हालत में यह हौल एक्ट ही टीथलैस है। यदि मैं यह कहूं कि हमारे देश के श्रम विभाग के दांत नहीं है और इसलिए वह ऐसा मुंह करके टुकर टुकर देखता रहता है।

हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हड़तालें हो रही हैं, लॉक आउट्स हो रहे हैं, तालाबंदी हो रही हैं, छंटनी हो रही है, बन्दी हो रही है और यह कुछ नहीं कर सकता है। यह बेचारा असहाय है, जो खुद असहाय हो, वह दूसरों को क्या सहायता दे सकता है, यह प्रश्न हमारे देश में है। मैं श्रम विभाग की बात कहता हूं, चाहे केन्द्र सरकार का मामला हो, चाहे राज्य सरकार का मामला हो, केन्द्र सरकार के श्रम विभाग की बात भी कौन मानता है? हमारे देश में तालाबंदी हो रही है, छंटनी हो रही है, कारखानों की बंदी हो रही है, क्या श्रम विभाग कहीं भी किसी कारखाने को दबाव देकर, अपनी क्षमता का उपयोग करके खुलवा सकता है? मेरी समझ में इस तरह की बात नहीं हो रही है हालत क्या हो रही है कि हमारे देश में कारखानों की बंदी हो रही है, कारखाने बीमार हो रहे हैं, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा है, ग्रैच्युटी नहीं मिल रही है, छंटनी का मुआवजा नहीं मिल रहा है और उसको कोई दिलवाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में कोई रीढ़ ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। हम तसल्ली के लिए कोर्ट में केस करेंगे। यदि कोर्ट का फैसला मजदूरों के पक्ष में हो या उसको कौन लागू करवाएगा? यह प्रश्न पता नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव है कि बहुत से ऐसे एवार्ड्स हैं, ट्रिब्यूनल के एवार्ड्स हैं, लेबर कोर्ट के एवार्ड्स हैं, सैक्शन 33 के एवार्ड्स हुए हैं, पैसा देने के मामले में फैसले हुए हैं और लेबर विभाग उसका पालन कराने में अक्षम साबित हुआ है, असमर्थ साबित रहा है...**(व्यवधान)** इसका नाम है श्रम विभाग, परन्तु यह बेशर्म है। नाम तो आप रखते रहे हैं, कभी बोलो बम बोलते हैं, कभी जय श्रीराम बोलते हैं, नाम बोलने के बारे में तो आप कारीगर हो गये।

सभापति महोदय : आप बिल पर बोलिये।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं पाइंट पर आ रहा हूं। मेरा दूसरा पाइंट है। मैं सिर्फ एक्ट पर बोल रहा हूं, मैं आउटसाइड एक्ट नहीं बोल रहा हूं।

अब रैफरेंस की बात आई, कंसीलिएशन फैल्योर की रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को चली आती है, परन्तु एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को फैल्योर ऑफ कंसीलिएशन की रिपोर्ट को रैफर करेगी कि नहीं करेगी और करेगी तो कितने दिन में करेगी, इसके बारे में क्या एक्ट बोलता है, मेरी समझ में यह एक्ट साइलेंट है। इसलिए इसके बारे में प्रावधान होना चाहिए कि यदि फैल्योर ऑफ कंसीलिएशन की रिपोर्ट होती है तो खास समय के अन्दर, टाइम लिमिट के अन्दर सरकार निर्णय ले और यदि उसे भेजना चाहती हैं, एग्जीक्यूशन का रैफरेंस करना चाहती है तो उसका रैफरेंस करे।

अब मैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रेफर होते हैं, उन पर आना चाहता हूं। उनकी क्या हालत होती है। हमारे देश में ज्यादातर औद्योगिक विवाद के लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं हैं। आप रिटायर्ड आदमियों को प्रिजाइडिंग आफिसर बहाल करते हैं। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की हालत ऐसी है कि वहां न तो बैठने की जगह है, न कागज-पत्र और फाइल रखने की जगह है। लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों यहां जजों के बारे में बहस हुई थी। सारे सदन में समर्थन किया था। यह ठीक है कि लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जज नहीं होते, लेकिन वहां भी रिटायर्ड जज ही आते हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

रिक्तियां काफी समय से पड़ी रहती है, उनको भरा नहीं जाता। तीन-तीन महीने, छः-छः महीने और कभी-कभी तो एक साल तक लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वह रेफर हो जाता है

[अनुवाद]

न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णय के लिए वहां भी वर्षों इंतजार करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भी मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि सरकार कोई कारगर भूमिका निभाए।

वर्क्स कमेटी का प्रावधान है। आमतौर से हम वर्क्स कमेटीज का चुनाव नहीं करते। उसके क्या कार्य हैं, कैसे चुनाव होंगे, यह सब एक्ट और रूल में दिया गया है। लेकिन हमारे देश में वर्क्स कमेटी का चुनाव करीब-करीब बंद हो गया है। जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे स्टील है, भेल है, इंडियन आयल है, फर्टिलाइजर है, जहां तक मेरी जानकारी है इनमें वर्क्स कमेटी का चुनाव नहीं होता। उसी तरह से सेक्शन 9 (सी) में शिकायत समिति की स्थापना की हालत है। ग्रीवांस कमेटी को भी नहीं बनाया गया है। जबकि एक्ट में इन सारी चीजों का प्रावधान है, तो सरकार क्यों नहीं लागू करा पाती?

यह एक्ट बहुत पुराना है। इसमें एक-एक शब्द के ऊपर, जैसा मैंने पहले कहा कि लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो केन्द्रीय संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर, मालिकों को भी बुलाकर सरकार भी उसमें शामिल हो, एक मीटिंग बुलाए और इस देश के औद्योगिक विवाद अधिनियम में मजदूर पक्षीय क्या-क्या संशोधन हो सकते हैं, इस पर विचार करे। क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम हो या देश का कोई भी लेबर लॉ हो, या श्रम विभाग हो, जब तक उसका मुंह मजदूर की ओर नहीं रहेगा, तब तक मजदूरों का कल्याण नहीं होगा। चाहे केन्द्र का श्रम विभाग हो या राज्य का श्रम विभाग हो, ऐसा देखा जा रहा है कि श्रम विभाग का मुंह मालिकों की ओर होता है और पीठ मजदूरों की ओर रहती है। जब पीठ हमारी ओर यानि मजदूरों की ओर रहेगी, तो सभापति महोदय, आप स्वयं समझ सकते हैं मजदूरों को इससे क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार राजनैतिक दलों से मिलकर, सभी ट्रेड यूनियंस से मिलकर एक श्रम सम्बन्धी नीति तैयार करने की घोषणा करे।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आप को अपने पूर्व वक्ता के विचारों से सम्बद्ध करते हुए कुछ बातें अपनी ओर से यहां कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो बिल आया है केवल एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगी, सेक्शन 2ए। में लाया गया है। लेकिन जिस तारीख से यह अध्यादेश ।। अक्तूबर 1995 को जारी हुआ है और यह रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू होगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, यह अध्यादेश अभी तक चार बार लाया जा चुका है और सरकार की ओर से दिसम्बर 1995, जनवरी 1996 तथा मार्च 1996 में भी एक छोटा सा लोक सभा का सत्र हुआ था। मई, जून तथा जुलाई में करीब-करीब 10 महीने तक अध्यादेश के द्वारा जिस तरीके से एक प्रैक्टिस बन गई है, यह स्वागत करने योग्य कदम नहीं है। सरकार को सदन के समक्ष अपनी बात लेकर आना चाहिये और आर्डिनेंस से बचना चाहिए तथा एक्सट्रा आर्डिनरी परिस्थिति हो तब ही आर्डिनेंस का सहारा लेना चाहिए। अब मैं अपने कुछ सुझाव सदन समक्ष रखना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जहां तक अध्ययन करके ज्ञात हुआ है, अनेक बार इसे माननीय सदन में इसको संशोधित किया गया है, 16 मई, 1990 को जो आज के वर्तमान रेल मंत्री हैं, वह उस समय श्रम और कल्याण मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 16 मई 1990 को यह घोषणा की थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को समाप्त करके सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट प्रस्तुत करने जा रही है। लेकिन आज तक उस विधेयक का क्या हुआ, वह पुनः सरकार में हैं और उस समय के कई लोग आज सरकार में हैं। जो यह कहा जाता है कि इतनी बार इस एक्ट को डेफिनिशन्स में संशोधन हुआ है, समय-समय पर प्रथाएं बदली हैं, उनका जूरिस्डिक्शन क्या होगा, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। यानि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सीधा-सीधा संबंध इस देश के लाखों मजदूरों के साथ है। मजदूरों को न्याय मिले, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि 1600 रुपए से बढ़कर मजदूरों की श्रेणी में 5000 तक वेतन होना चाहिए जो मुद्रास्फीति है, उसके दायरे में आना चाहिए। पैनल्टीज के बारे में था कि सैक्शन 29 है, सैक्शन 33 है, सैक्शन 33 सी है जहां रिकवरी होनी है, मजदूर का बकाया है तो

उन्होंने इसमें जहां पीठासीन अधिकारी हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर्स हैं, इनकी ताकत में यह होना चाहिए कि उसका जो परव्यू है, स्कोप है, वह विस्तृत होना चाहिए।

कुल मिलाकर भारत का जो औद्योगिक इतिहास है, यदि देखें तो उसको हम तीन टुकड़ों में बांट सकते हैं। आजादी से पहले का भारत जबकि विदेशी ताकतों के हाथ में यहां के कल-कारखाने थे और हम एक नौकर के रूप में कार्य कर रहे थे और वह मालिक के रूप में हमारा शोषण कर रहे थे। 1947 के अधिनियम के बाद 1990 का जो इतिहास है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम लगाए गए और पब्लिक अंडरटेकिंग्स को चलाया गया और देश के भीतर एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। तीसरी स्थिति 1990 के बाद उभरकर आई है और वह है उदारीकरण की नीति के बाद जितनी मल्टीनेशनल कम्पनीज आई हैं, तब से उद्योगों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है।

कहने का अर्थ यह है कि 1978 में उस समय के जो श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा जी थे, उनके बाद हमारे जो आदरणीय स्पीकर श्री पी. ए. संगमा उस समय श्रम राज्य मंत्री थे तथा उसके बाद श्री राम विलास पासवान जी भी रहे हैं तो सबके समय में यह बात आई है कि एक कौम्प्रीहेंसिव एक्ट बनाया जाना चाहिए चाहे उसमें हम यह कहें कि इंडिस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूप में कोडिफाई किया जाएगा। चाहे वह ट्रेड यूनियन्स हों, फैक्टरी एक्ट हो, सारे के सारे जो आज तक इस जमाने में हैं, उनको कोडिफाई करने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक कौम्प्रीहेंसिव एक्ट लाएं और उसे मजदूर के हित में लेकर आएं तो हमारी पार्टी भी उसका समर्थन करने के लिए तत्पर होगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन 2 "ए" जो है, उसमें जो डेफिनिशन दिया है :

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वे पूर्ववर्ती संशोधनों में विकास नीति लाना चाहते थे। इससे खबरदार रहिये।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' : मैंने इस नीति और अध्यादेश का सहारा लेने की प्रथा की आलोचना की है। सरकार को अध्यादेश असाधारण मामलों में ही जारी करना चाहिये।

[हिन्दी]

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक प्रैक्टिस यह है कि सैक्शन 2 के "ए" मैं जहां उसका प्रावीजो आया है, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो, संस्था हो जो कई इंडस्ट्रीज चला रही हो, कई दूसरे फंक्शन्स कर रही हो, तो उसका कोई यूनिट अलग किया जा सकता है।

उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले के कनौती क्षेत्र से आया हूं तो वहां पर पी.सी.एफ. की एक कॉपरेटिव संस्था है, उसकी कॉपरेटिव ड्रग्ज फैक्टरी लगी हुई है, सोयाबीन फैक्टरी लगी हुई है और उसी की टर्पेटाइन फैक्टरी लगी हुई है। इसके अलावा उसके पास ऑफिसेज हैं, उसके पास लेवी चीनी के खाद्य वितरण का भी काम है।

होता यह है कि फैक्टरी में काम करने वाला जो मजदूर है, जब वह अपनी मांगों के समर्थन में किसी एजीटेशन में जाता है या कोई एजीटेशन खड़ा करता है तो उसको फैक्टरी से निकालकर दफ्तर में ट्रान्सफर कर दिया जाता है, इसमें भी संशोधन किए जाने की जरूरत है। जो फैक्टरी के कर्मचारी हैं, वे फैक्टरी के बैनेफिट्स से गाइड किए जाएं और उसका उनको फायदा मिले।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो बिल आज यह सरकार लेकर आई है, उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मंत्री जी की ओर से आश्वासन आना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि संसद के आगामी सत्र में इस आर्डिनेंस को बार-बार न लाया जाए और सदन में इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति जी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (संशोधन) विधेयक का विरोध करने का मेरा अभिप्राय नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, उसका जो सप्लीमेंट का तरीका है, उसकी जो मशीनरी है, चाहे रीजनल लेबर कमिश्नर हों, उसके बाद ट्राईब्यूनल्स हों, लेबर कोर्ट हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। इसलिए इस सदन में बार-बार मांग आई है और तमाम ट्रेड यूनियन्स की ओर से मांग आई है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, पचास साल पुराने इस कानून को बदला जाए। इसमें बहुत सारे सैक्शन हैं जो रेलेवेंट नहीं है, इनको हम कैसे रेलेवेंट बना सकें और रेलेवेंट करके एक्ट को मजदूर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके एक अच्छा कौम्प्रीहेंसिव एक्ट बना सकें, यही सबकी राय है, हाउस की राय तथा ट्रेड यूनियन्स की भी यही राय है। ड्राफ्ट ठीक नहीं था। ट्रेड यूनियन्स ने समर्थन नहीं दिया। हमने भी समर्थन नहीं दिया। इसमें जिस पॉलिसी को रखा गया है, हमने उसका समर्थन नहीं किया, सी.आई.टी.यू. ने भी समर्थन नहीं दिया। इसीलिए यह मांग हो रही है कि इसमें परिवर्तन लाया जाए। आज जो जरूरत है, जैसे सिम्पल अमेंडमेंट को, जैसे एयर इंडिया हो या इंडियन एयरलाइन्स हो या इंडस्ट्रियल फाइनंस कॉरपोरेशन हो या ओ.एन.जी.सी. जैसे सार्वजनिक संस्थानों को पब्लिक सैक्टर लिमिटेड कम्पनीज में कन्वर्ट किया गया तो हम लोगों ने विरोध किया और एयर इंडिया का जो रिपील बिल आया तो हम लोगो ने सदन में बड़ा जबर्दस्त विरोध किया था कि यह नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

यह सरकारी क्षेत्र रहना चाहिये।

[हिन्दी]

लेकिन उनका भारी बहुमत था। हमारे विरोध के बावजूद भी उन्होंने पारित करा दिया, पास हो गया। हम जानते हैं, आज जो हुआ है वह उदारीकरण की नीति के कारण हुआ है और उसी का परिणाम

हमारे देश में आज हम देख रहे हैं।...**(व्यवधान)** हम कहां साथ थे, आप साथ थे। आप साथ थे, हम नहीं। हम कभी भी नहीं थे।... **(व्यवधान)** उधर जब थे, तब भी हमने विरोध किया और इधर हम हैं, तो भी हम विरोध कर रहे हैं। उदारीकरण का हम समर्थन नहीं करते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आपको पश्चिम बंगाल में बहुत फायदा हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)**

संयुक्त मोर्चे की सरकार के कॉमन-मिनिमम-प्रोग्राम में वर्कर्स के इन्टरैस्ट को प्रोटैक्ट करने की बात है और यूनियन का रिकागनिशन थ्रू-सिक्रेट-बैलेट के लिए हम चाहेंगे कि एक अलग से बिल हो। मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन से संबंधित जब नेशलन फ्रन्ट की सरकार थी, तब एक ड्राफ्ट बना था। उस ड्राफ्ट में वर्कर्स की डैफिनिशन में बहुत सारे लैपसेस थे। वर्कमैन की डैफिनिशन में विरोध था। जब उस बारे में विचार हो ही रहा था कि वह सरकार गिर गई और वह बिल ऐसे ही रह गया। अब हम इसको अच्छा बनाकर कर सकते हैं। हम यूनियन का रिकागनिशन थ्रू सिक्रेट बैलेट कर सकते हैं। डिस्प्युट उस समय होता है, जब मैजोरिटी धीरे-धीरे घट जाती है। दूसरी यूनियन की मैजोरिटी हो गई और एक यूनियन माइनोरिटी में होते हुए भी उसका रिकागनिशन है। यही वजह है कि मैनेजमेंट उसके साथ बातचीत करती है। जैसे बम्बई में टैक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, जो महीने के करीब चली। इसमें रिकागनाइज्ड यूनियन इंटक है, जिसकी मैजोरिटी नहीं है और जो दूसरी यूनियन है, जिसने की स्ट्राइक को आर्गेनाइज किया, उसके साथ बातचीत नहीं की गई। वह स्ट्राइक करीब साल भर चली। हमारे देश में इस स्ट्राइक ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक इतिहास बनाया है। इसलिए थ्रू सिक्रेट बैलेट यूनियन के रिकागनिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बारे में कानून बन जाए, जिससे जो डिस्प्युट पैदा होता है, वह न पैदा हो। वर्कमैन के साथ मैनेजमेंट का डिस्प्यूट रहेगा ही और डिस्प्यूट रहेगा तो इस मशीनरी का भी जरूरत है। देखा जाए तो कन्सिलिएशन में फेल्योर होता है। बहुत से केसेज के बारे में हमारा तजुर्बा है कि कन्सिलिएशन में फेल्योर होता है। फेल्योर होने के बाद सरकार के पास फेल्योर रिपोर्ट भेजी जाती है और लेबर मिनिस्ट्री को केस ट्रिब्युनल में भेजने के लिए महीनों का समय लग जाता है। हमारा तजुर्बा यह है कि ट्रिब्युनल में केस सेप्लमेंट होने में दस-पन्द्रह साल लग जाते हैं। इस समय को कैसे घटाया जा सकता है, इस बारे में हमको सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

हम मामलों के निपटारे में इसे विलम्ब को कम कैसे कर सकते हैं? अब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेजे जाते हैं

सभापति महोदय : क्या आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कल अपना भाषण जारी रखूंगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

चीनी परमाणु परीक्षण और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के सम्बन्ध में भारत की स्थिति

सभापति महोदय : अब सभा चीन द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेगी। माननीय मंत्री को इस विषय पर एक वक्तव्य देना है।

अपराह्न 4.01 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के बारे में 15 जुलाई, 1996 को सभा को सम्बोधित किया था कि जिस में इस मामले के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया था। उसके बाद जो चर्चा हुई वह इस बात का प्रतीक है कि सरकार की नीति राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ नई घटनायें हुई हैं जिनकी माननीय सदस्यों को जानकारी हैं : 29 जुलाई, 1996 को चीन द्वारा किया गया 46वां परीक्षण।

अपने अलग-अलग विचार व्यक्त करते हुए कई देशों ने वक्तव्य जारी किये हैं। कुछ अग्रणी देशों ने चीन के 45वें परमाणु परीक्षण पर खेद व्यक्त करते हुए अथवा निन्दा करते हुए यह कहा था कि चीन परमाणु के विस्फोटक परीक्षण पर रोक लगाने में अन्य परमाणु हथियारों से सम्पन्न देशों की कोटि में आ सकता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें परमाणु हथियारों से लैस देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने पर दुःख हुआ है। हमें विशेष रूप से इसलिए दुःख हुआ है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर बातचीत चल रही हे। हमारा हमेशा यह विश्वास रहा है कि ये परीक्षण विश्व को सार्वभौम परमाणु निस्त्रीकरण के लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। जैसाकि सभा को मालूम है, 1945 से अब तक परमाणु हथियारों से सम्पन्न पांच देशों ने कुल 2047 परीक्षण किये हैं। अमेरिका और रूस ने सब से ज्यादा अर्थात् क्रमशः 1032 और 715 परीक्षण किये हैं। फ्रांस ने 210 परीक्षण किये हैं जबकि चीन और ब्रिटेन ने 45-45 परीक्षण किये हैं। इन परीक्षणों से परमाणु हथियारों की होड़ तेज हुई है और यह स्पष्ट हो गया है कि पक्षपातपूर्ण कदम उठाने से परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर होना कठिन है।

भारत ने निरन्तर एक समान और सिद्धान्त पर आधारित नोति परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में अपनाई है। यही कारण है कि 1954 से, जब प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने का आह्वान किया था हम आग्रह करते आये हैं कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि को परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम समझा जाना चाहिये। अतः भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हो रही बातचीत में जो रूख

अपनाया है उसमें वास्तव में व्यापक सी.टी.बी.टी. की मांग की गई है ताकि भविष्य में परमाणु हथियारों के विकास को रोका जा सके और सी.टी.बी.टी. के आधार पर धीरे-धीरे परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर होकर एक समय-सीमा के अन्दर सभी परमाणु हथियारों को समाप्त किया जा सके। परीक्षण स्थलों पर या प्रयोगशालाओं में जो परमाणु परीक्षण किये जा रहे हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु हथियारों से सम्पन्न देश अपने परमाणु हथियारों पर अपनी निर्भरता से हटने को तैयार नहीं है और सी.टी.बी.टी. को परमाणु प्रसार रोकने का एक उपाय ही समझते हैं।

इन परमाणु कार्यक्रम से भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न उठना अवश्यंभावी है। यद्यपि हमने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के पश्चात नियंत्रण की नीति अपनाई है, हम विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। भारत की सुरक्षा को हर खतरे का सामना करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि मैं पिछले सप्ताह एशियन रीजनल फोरम की बैठक तथा पोस्ट मिनिस्टीरियल सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता गया था। मैंने वहां मौजूद अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। उनमें से कुछ ने विशेष रूप से अमेरिका के विदेश मंत्री श्री वारेन क्रिसटोफर, रूस के विदेश मंत्री प्रिमाकोव, जापान के विदेश मंत्री इडेका, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डाउनर और कनाडा के विदेश मंत्री एक्सवरदी ने मेरे साथ जेनेवा में सी.टी.बी.टी. के बारे में बातचीत की। मैंने भारत के विचारों से उनको स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया। मैंने उनको यह भी बताया कि हमारी नीति निरन्तर एक सी रही है और यह राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है। बहुपक्षीय बातचीत के दौरान भी यह विषय उठा। अन्य देशों के प्रतिनिधि हमारी बहुत सी बातों, से सहमत थे। सभापति, इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री एटासस ने इन बातों को उठाया और उन्होंने दुनिया से परमाणु हथियार खत्म करने के लक्ष्य तथा सी.टी.बी.टी. के आधार पर परमाणु प्रसार को रोकने की आवश्यकता के बारे में भारत के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण की सराहना की।

परसों अर्थात् 29 जुलाई, 1996 से जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सी.टी.बी.टी. पर पुनः चर्चा आरम्भ हो गई है। अनेक देशों ने बातचीत में हमारे दृष्टिकोण की सराहना की है। अनेक गुटनिरपेक्ष दश 'विस्तार' (स्कोप) सम्बन्धी प्रावधानों को सुदृढ़ करने के पक्ष में हैं। वे यह भी चाहते हैं कि संधि के प्रारूप पाठ में परमाणु निरस्त्रीकरण का उल्लेख किया जाय। वे हमारी स्थिति समझते हैं और विशेषरूप से वे यह मानते हैं कि क्लब में प्रवेश का जो अब नियम बनाया गया है वह अभूतपूर्व है। फिर भी ये देश प्रारूप संधि पाठ में संशोधन करने के हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि चन्द देशों ने अडियल रूख अपनाया है। हमने अपने वक्तव्यों में और द्विपक्षीय बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत वर्तमान रूप में सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। हमने यह भी समानरूप से स्पष्ट कर दिया है कि भारत प्रारूप संधि पाठ में ऐसी भाषा को अनुमति नहीं दे सकता जिससे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत पर कोई जिम्मेदारी आ जाय। यदि ऐसे पाठ को आगे बढ़ाने के प्रयास किये गये तो हम ऐसे प्रयासों का विरोध करेंगे। हम जनेवा में बातचीत में इसलिए भाग ले रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र हितों की रक्षा कर सकें।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : महोदय, मैं यहां एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री गुजराल और चीन के विदेश मंत्री के फोटो प्रकाशित हुए हैं। उन्हें गहन चिन्तन करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है...**(व्यवधान)**... मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : महाजन जी, नहीं, यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विदेश मंत्री ने पहले 15 जुलाई को सी.टी.बी.टी. के बारे में स्वेच्छा से एक वक्तव्य दिया था। उस समय हमने इस विषय पर एक चर्चा की मांग की थी। निरस्त्रीकरण सम्मेलन तभी 28 जून को समाप्त हुआ था। यह 29 जुलाई को पुनः आरम्भ होना था। इस बीच एसियन देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें माननीय विदेश मंत्री भाग ले रहे थे और जिसमें इस विषय पर भी चर्चा होनी थी। अब वह बात पुरानी हो गई है। हम किसी कारण पहले इस पर चर्चा नहीं कर सके। अब 29 जुलाई को सम्मेलन शुरू हो गया है। विदेश मंत्री ने कई बातें कहीं है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है।

पहली बात तो यह है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में भारत का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 9 जून, 1988 को पेश हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्य योजना का प्रावधान था कि पहले सभी राष्ट्रों को अधिक से अधिक 2010 तक चरणों में सभी परमाणु हथियार समाप्त करने का पक्का निश्चय करना चाहिये। अब 1996 चल रहा है। यह बात 1988 में कही गई थी।

दूसरी बात यह है कि सभी परमाणु हथियार-सम्पन्न देशों को परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेना चाहिये। अन्य सभी देशों को भी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिये। तीसरे, आस्था प्रदर्शित करने और अपेक्षित विश्वास पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य लक्ष्य के प्रत्येक चरण में उल्लेखनीय प्रगति हो। परमाणु कार्यसूची में ये बातें कहीं दिखाई नहीं देती। पहले परमाणु-प्रसारण निषेध सन्धि की बात हो रही थी और अब सी.टी.बी.टी. की बात हो रही है। हम जिस तरह चाहते हैं उस तरह निरस्त्रीकरण की बात नहीं हो रही है। अमेरिका रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सभापति ने स्पष्ट कहा है कि हमें अगले 50 वर्षों तथा उसके बाद के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन आरम्भ होने से ठीक पूर्व फ्रांस ने निरन्तर परीक्षण किये। चीन ने निरन्तर परीक्षण किये और हम जानते हैं कि हाल में भी चीन ने इस बात की उपेक्षा करके एक परीक्षण किया है क्या चल रहा है या हमें सी.टी.बी.टी. किस दिशा में ले जा रही है। अतः इस आशय के कोई आसार नहीं है कि परमाणु हथियारों से सम्पन्न देशों को निरस्त्रीकरण में कोई आस्था हो। आपभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परमाणु देश में ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं है।

हमने 1974 में एक परीक्षण किया था। चीन ने 1968 में अपना पहला परीक्षण किया था। केवल इस बात का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है कि चीन ने कुल 45 परीक्षण किये हैं, अपितु ध्यान देने की बात यह है कि कितने समय में वे जानबूझ कर परीक्षण करते रहे हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करके तथा उनके प्रतिकूल ऐसे परीक्षण करते रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हमारा पड़ोसी देश चीन इस मामले में बिल्कुल बेकाबू है और इसलिए न केवल हमारे पर्यावरण में परमाणु का प्रसार है बल्कि परमाणु का यह प्रसार ऐसे देश के हाथों से हुआ है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, अन्तर्राष्ट्रीय दिशाओं तथा चल रही बातचीत की कोई परवाह नहीं है। वे इस बातचीत में सक्रिय भाग ले रहे हैं और दूसरी ओर केवल तीन दिन पहले उन्होंने परीक्षण किये हैं।

इन 22 वर्षों में हमने क्या कार्रवाई की है? हमने विस्तार से चर्चा की है। चर्चा किस बारे में हुई। क्या यह हमारे सामर्थ्य के बारे में थी? हम अपने सामर्थ्य का पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या यह हमारे वित्तीय संसाधनों, हमारी अर्थक्षमता या ऐसे परीक्षण करने की वांछनीयता के बारे में थी? इसमें नैतिकता पर बड़ा जोर दिया जाता है और हम औचित्य की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करने की स्थिति में नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा नैतिक आधार बहुत ऊंचा है। क्या बनाना अनैतिक है? जब आपके पड़ोसियों के पास बम है, जब आपके पड़ोसियों के पास, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है बम है तो क्या बम रखना अनैतिक है? क्या भय दिखाने के लिए इसका प्रयोग करना अनैतिक है? हां, इसका पहले प्रयोग करना अनैतिक है, दमन के लिए इसका प्रयोग करना अनैतिक है किन्तु इस समय परमाणु देश यही कर रहे हैं। सी.टी.बी.टी. परमाणु दमन एक रूप है जो वे सम्मेलन में कर रहे हैं इसे अच्छे अच्छे नाम दे रहे हैं, इस पर अच्छे-अच्छे स्थानों पर चर्चा हो रही है परन्तु मूलतः यह परमाणु दमन है।

महोदय, हमारी जिम्मदारी को छोड़ना और परमाणु दमन से निपटने का क्षमता न होना अनैतिक है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान न रखना अनैतिकता है। हम 1974 के बाद काफी पिछड़ गये हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में हमारे देश का नाम पहले पांच देशों में है और फिर भी हमें पीछे धकेल कर एक गैर-परमाणु देश बनाया जा रहा है। हम इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं कि हमने पलायन की और अस्पष्ट परमाणु नीति अपनाई है। पलायन की इन नीति के कारण ही पश्चिमी देश एक रूप में या दूसरे रूप में, परमाणु प्रसार निषेध सन्धि हो या सी.टी.बी.टी. हो हम पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। बाद में वे इसे दूसरा नाम दे सकते हैं और पूरे प्रक्षेपणास्त्र नियन्त्रण प्रौद्योगिकी संधि पुकार सकते है। लेकिन वे मुख्यरूप से हमारी पलायनवादी और ढुलमुल की नीति के कारण ही हम पर इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं।

महोदय, विदेश मंत्री के वक्तव्य से मुझे एक हिमशैल की याद आती है। इसमें कुछ बातें बताई गई लेकिन बहुत सी बातें छिपाई गई। इससे मुझे एक हिमशैल की याद आने का एक और कारण भी है। एक हिमशैल की अपनी कोई गति नहीं होती है। यह पूर्णतया समुद्र की लहरों पर निर्भर है और जब यह गर्म पानी में पहुंचता है तो घुल जाती है। इसकी शक्ल गायब हो जाती है। इसने हमें यही याद दिलायी है।

हम कह सकते हैं कि अभी जो सम्मेलन समाप्त हुआ है उसमें कुछ देश हमारे साथ थे। विदेश मंत्री ने अभी कहा कि कई देशों ने हमारे दृष्टिकोण की सराहना की लेकिन किसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया है। इसमें हमारा कोई मित्र नहीं है। हमारे साथ कोई मत देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कोई दो कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य कारण यह है कि कुछ देश स्वयं सी.टी.बी.टी. के पक्ष में नहीं है और दूसरे चाहते हैं कि हम उनकी इच्छानुसार इस पर हस्ताक्षर करें।

हमारे महान मित्र रूस ने कहा है कि वे हमें इससे पीछे नहीं हटने देंगे। पाकिस्तान का कहना है, कि 'हम इस पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ब्रिटेन के राजदूत का कहना,' भारत एक अड़ियल देश है जो खूंटे से बचने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में इस मामले में सभी देश हमारे से दूर हैं। यह एक गम्भीर बात है हमारा कहना है कि नैतिक दृष्टि से हमारा ऊंचा स्थान है लेकिन इस संधि के मामले में कोई भी हमारे साथ नहीं हैं। वे चाहते हैं कि या तो हम इस पर हस्ताक्षर करें या वे खूंटे से निकलने के लिए हमारा प्रयोग करेंगे और इस सन्धि में बाधा डालने के लिए भारत पर आरोप लगायेंगे। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है। वास्तविक राजनीति के क्षेत्र में सराहना ही पर्याप्त नहीं है। वे लोग कहां हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं?

वास्तव में परमाणु शक्तियां चाहती हैं कि एक ओर परमाणु देशों का परिवार और दूसरी ओर परमाणु विहीन देशों का परिवार बने रहें। वास्तव में सी.टी.बी.टी. परमाणु पार्थक्य की दिशा में एक प्रयास है। क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? अपनी जगह संधि ठीक है लेकिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा? हमारे पर्यावरण में जो परमाणु का प्रसार हो रहा है उसका क्या होगा? इस दृष्टि से हमें एक देश के सामर्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिये न कि इसके घोषित इरादों की ओर ध्यान देना चाहिये। आज उत्तर के हमारे एक पड़ोसी देश कह सकते हैं कि हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा कहा था लेकिन हमें दूसरी ही जानकारी मिली। अतः हमें सामर्थ्य की ओर ध्यान देना होगा और कटु सत्य यह है कि उत्तर में परमाणु शक्ति का प्रसार हो गया। हमारे पश्चिम में भी परमाणु शक्ति का तेजी से प्रसार हो रहा है। अतः हमें इस पर इस दृष्टि से देखना चाहिये कि क्या हम परमाणु दमन सहन कर सकते हैं और क्या हम इस परमाणु दमन का उचित उत्तर दे सकते हैं। केवल कुछ देर पूर्व राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा, "अब बम बनाने की आवश्यकता नहीं है। कल क्या होगा, यह मैं नहीं जानता। इस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? ऐसे कौन से मानदण्ड हैं जिनके आधार पर हमें बम बनाने का निर्णय लेना होगा? हम किन संकटों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या हमारे पर्यावरण का अणवीकरण नहीं हुआ है? क्या पाकिस्तान बड़ी तेजी से प्रगति नहीं कर रहा है? क्या चीन परमाणु शक्ति नहीं है और हमारे लिए एक खतरा नहीं है? जब कभी भारतीय जनता पार्टी यह प्रश्न उठाती है तो हमें बताया जाता है कि यही सही समय नहीं है। इस 'सही समय' की परिभाषा क्या है कोई नहीं। मैं यहां विशेष रूप

से विदेश मंत्री के 15 जुलाई के वक्तव्य का एक अंश पढ़ना चाहता हूं।

> "हमारे अपने विकल्प कायम हैं ताकि हम राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा होने की स्थिति में सभी आवश्यक उपाय कर सकें।...हाल के वक्तव्यों तथा घटनाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कि परमाणु देश अपने आणविक हथियारों का त्याग नहीं करना चाहते। इस आधार पर यह अनिवार्य है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लें।"

पहलू यह है कि देश की सुरक्षा हमारे लिए चिन्ता का विषय हैं। हमें सुरक्षा की चिन्ता क्यों है? हमें अन्य किन सुरक्षा पर्यावरणों की खोज है? अब हम बिल्कुल परस्पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना रहे हैं। एक ओर हम अपने विकल्प कायम रखना चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहते हैं।

यह एक राष्ट्रीय मामला है। कोई दलगत मामला नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय मामला नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। यह बहुत ही दुरगामी प्रभाव वाली राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। इसके बारे में हम आज या कल निर्णय नहीं ले सकते और यह जरूरी नहीं है कि हम इस में सफल हों। मैं महसूस करता हूं और हम काफी समय से यह चर्चा कर रहे हैं कि हमें बम बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि ये सभी समस्यायें, ये सभी नकारात्मक बातें-यह कहना कि परमाणु प्रसार निषेध सन्धि की जरूरत नहीं है, हम सी.टी.वी.टी. पर हस्ताक्षर करेंगे सगंत हो जायेंगी यदि हम कोई योजना बना लेते हैं, यदि हमारा कोई विकल्प होता है, यदि हम यह कह सकते हैं कि हम भी करेंगे।

प्रो. कोहेन लोकि दक्षिण एशिया के मामले में सुरक्षा विशेषज्ञ हैं ने केवल एक वाक्य कहा है, "कोई सार्वभौमिक देश एक संधि के लिए अपने अस्तित्व का समझौता नहीं करेगा।" मैं समझता हूं, यह बहुत सारगर्भित है। हमारे अपने विचारों ने कहा है कि हम कुछ समय के लिए किन्तु किसी तरह पहल नहीं करते। हम पहल नहीं करते और कोई ठोस नीति नही बनाते जिसके आधार पर हम परमाणु के मामले में अपनी बात कह सकें।

... ऐसा कहा गया है कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि ने कहा था कि भारत के साथ गम्भीर रूप से कोई परामर्श नहीं किया गया है। फिर भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की संभावनायें हैं। हमारे पास केवल यह शक्ति है कि हमारे पास कुछ क्षमता है, हमें क्षमता का ज्ञान हो गया है जिससे हम परमाणु हथियार बना सकते हैं और वह कहती हैं कि भारत के साथ गम्भीर रूप से कोई परामर्श नहीं किया गया है। यह उनका अपना निजी वक्तव्य है। क्या हम कोई ऐसी नीति बना सकते हैं जो हमारे सुरक्षा पर्यावरण के आणवीकरण का सामना कर सकें? क्या हम कोई ऐसी नीति बना सकते हैं जिससे हम लक्ष्मण रेखा पार कर सकें और परमाणु की क्षमता रखने वाले देश के स्थान पर परमाणु देश बन सकें।

'बल में प्रवेश' एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला है। इसके बारे में मेरे कुछ विशेष प्रश्न है। पहला, क्या हम इस सन्धि को रोकने का इरादा रखते हैं या क्या हम एक तरफ खड़ा होने और दूसरों को इस पर हस्ताक्षर करने देने का इरादा रखते हैं? यदि हम इसे रोकने का इरादा रखते हैं-क्योंकि यदि हम इसे नहीं रोकते तो इसका कोई अर्थ नहीं है तो हम यह कर सकते हैं? इसमें कहा गया है :

> "भारत को इस पर तीन वर्षों के समय में हस्ताक्षर करने चाहिये और यदि भारत इस दौरान हस्ताक्षर नहीं करना तो बल में प्रवेश तेज कैसे किया जाये, इसके लिए एक और सम्मेलन होगा।"

वास्तव में सभ्य भाषा में इसका अर्थ यह है कि हमारे हितों की रक्षा के लिए दबाव कैसे डाला जाये मान लो कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं तो क्या हम अन्यथा इसे आसानी से पारित होने देंगे? यदि अमेरिका भारत को एक तरफ करने, कतिपय अन्य देशों से इसकी पुष्टि कराने, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेजने और इसे साधारण बहुमत से पारित कराने का निश्चय करता है तो हम इसे कैसे रोकेंगे? वास्तव में हमारी क्या नीति है? हमें कोई खाका तैयार करना होगा ताकि हम अन्ततः इस समस्या का सामना कर सकें। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परमाणु देश इस सन्धि पर भारत के हस्ताक्षर करवाने के लिए पूरा जोर डाल रहे हैं यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं विदेश मंत्री को बधाई देता हूं कि 'एसियन' में उनका दृष्टिकोण स्पष्टवादी रहा है। यह स्पष्ट रहा है और उनके मानदण्डों के अनुरूप रहा है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर लोग हमारी कार्यवाही को रोकने, यदि आवश्यक हो तो हमं एक तरफ करने, उसके बाद इस सन्धि की पुष्टि कराने और अन्तः संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे पारित कराने के उद्देश्य से विचार कर रहे हैं। हम इसे कैसे रोकने जा रहे हैं? हमें इस समस्या पर दीर्घावधि की दृष्टि से विचार करना चाहिये।

आज के समाचार पत्रों से प्रातः ऐसा लगा कि हमारे दृष्टिकोण में नरमी आई है। सी.टी.बी.टी. का आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं चाहे भारत का दृष्टिकोण कुछ भी रहे और कुछ स्थानों पर सी.टी.बी.टी. के बारे में भारत के दृष्टिकोण में नरमी आई है। महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संदेहों के कारण सी.टी.बी.टी. में विलम्ब हो सकता है। सी.टी.बी.टी. को आगे बढ़ाने में पश्चिमी देश भारत की अनदेखी कर सकते हैं। क्या हमारे दृष्टिकोण में कोई नरमी आई है? क्या हमारी मूल स्थिति में कोई लचीलापन आया है? क्या कोई ऐसी बात है जिसमें हम पीछे हट रहे हों? महोदय, यह दूसरा प्रश्न है जिसके बारे में हम स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं।

विपक्ष के नेता ने अभी हाल में बंगलौर में एक मुख्य वक्तव्य दिया है जो हमारे विचाराधीन विषय के खाके का रूप ले सकता है। मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व कुछ अंश पढ़ूंगा :

> "29 जुलाई को जेनेवा में प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत होने पर भारत को इसे सर्वसम्मति से पारित नहीं होने देना चाहिये और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेजने से रोकना चाहिये।"
>
> "...आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जितना खतरा है इतना पहले कभी नहीं रहा। चीन और पाकिस्तान, के

पास, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, परमाणु हथियार हैं। भारत के पास परमाणु हथियार होना नितान्त आवश्यक है। भारत को एक परमाणु देश भी होना चाहिये। परमाणु देश चाहते हैं कि भारत के पास परमाणु शक्ति न आये। भारत ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से सहमत नहीं हो सकता जिसे पार्थक्य कहा जाता है। प्रारूप संधि का परमाणु निरस्त्रीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमारी, यानि भाजपा, की मांग रही है कि सी.टी.बी.टी. को एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विश्व के सभी देशों से परमाणु हथियारों के उन्मूलन से जोड़ा जाना चाहिये।"

महोदय, अन्त में यह कहना चाहता हूं कि हमें अन्य विकल्पों का ढुंढना चाहिए। हमने जानबूझकर, एक पक्षीय ढंग से और अपने आप विकल्प खोये हैं। इस बात की किसी को परवाह नहीं कि हम विस्फोट या परीक्षण करते हैं अथवा नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि चीन ने एक परमाणु विस्फोट किया है और फिर एक पक्षीय ढंग से कहता है कि इसने रोक लगा दी है। सभी लोग रोक की बात से बहुत खुश हैं कोई यह नहीं कहना कि विस्फोट हुआ है, यह ऐसे देश ने किया है जो इस बातचीत में भाग ले रहा है और जो एक सक्रिय परमाणु शक्ति है। इस बात की किसी को परवाह नहीं है।

महोदय, मुझे आशा है कि मैंने जो चिन्ता व्यक्त की है उसका ध्यान रखा जायेगा और ऐसा विकल्प तैयार किया जायेगा जिसकी हम इन दिनों चर्चा करते रहे हैं।

डा. मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने विदेश मंत्री द्वारा दिए गए दो वक्तव्य हैं। एक विदेश मंत्री ने 15 जुलाई को दिया था और दूसरा आज दिया है। जहां तक वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह संतोषजनक हो सकता है लेकिन सी.टी.बी.टी. और विश्व निरस्त्रीकरण को एक निर्धारित समय सीमा में ही जोड़ा जा सकता है। यह एक नया दृष्टिकोण है।

1954 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर स्पष्ट कहा था कि पूर्ण निरस्त्रीकरण केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व की प्रगति और सम्पन्नता के लिए आवश्यक है। तब से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंत्रों पर भारत द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाये जाने के बावजूद सैकड़ों परीक्षण विशेष रूप से परमाणु हथियारों से सम्पन्न देशों अर्थात् अमेरिका और रूस तथा निस्संदेह सीमित नहीं तो व्यापक परीक्षण चीन, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किये गये।

अब राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न उठता है। सी.टी.बी.टी. का उद्देश्य पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निश्चित करना है। मैं नहीं जानता कि हम उद्देश्य में सफल होंगे अथवा नहीं।

मुझे खुशी है कि आज तक सभी सरकारों ने निरस्त्रीकरण का रास्ता अपनाया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो पण्डित जी ने 1954 में पूर्ण निरस्त्रीकरण की घोषणा की थी। पूर्ण निरस्त्रीकरण देश के लिए आत्मघाती है या नहीं, इस विषय पर चर्चा में हमने भाग लिया था। उस समय जो भी परीक्षण हुए या तथाकथित अणु के प्रयोग में जो भी प्रगति हुई, जिसकी डाल्टन ने खोज की थी, और अणु की नाभि से जो भी शक्ति प्राप्त हुई आज अनेकों प्रयोगों के बाद उसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, यह कोई बड़ा काम नहीं है। दो हजार वर्ष पूर्व जब अणु की खोज हुई थी तब यह निष्क्रिय पड़ा था। लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि इससे हमारे लिए संकट पैदा हो गया है।

निस्संदेह, शीत युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी मानवता के विनाश की संभावना बनी हुई है। यदि सभ्यता का विनाश हो जाता है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की क्या मान्यता रह जायेगी और परमाणु हथियारों के उत्पादन की क्या मान्यता रहेगी? इस कारण 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद पिछले 20 से अधिक वर्षों में हमने और कोई परीक्षण नहीं किया है। किन्तु आज अनिवार्य रूप से अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, पांच परमाणु शक्तियों का स्थान सर्वोच्च है। निस्संदेह, ब्रिटेन और फ्रांस अधिक नहीं कहते क्योंकि वे अमेरिका के मित्र हैं। अब वास्तव में तीन परमाणु शक्तियां और वे हैं रूस, अमरीका और चीन।

महोदय, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि के विभिन्न खण्डों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि यह, पूर्ववर्ती आंशिक निषेध संधि का दूसरा रूप है। यह आंशिक निषेध संधि है। यह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि नहीं है। हम उसे व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तभी कह सकते हैं जब इसमें समयबद्ध ढंग विश्व में पूरी तरह निरस्त्रीकरण करने का प्रावधान होगा। तथापि, यह वास्तविकता का एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। उदाहरण के तौर पर सी.टी.बी.टी. का प्रस्ताव मुख्य रूप से अमरीका ने रखा है। अमरीका परमाणु परीक्षण कर सकता है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यह निषेध न केवल प्रयोगशालाओं में परीक्षण पर लगाया जा रहा है, अपितु परमाणु ऊर्जा के प्रसार पर भी लगाया जा रहा है। इस प्रकार इन चीजों को छिपाया जाता है। जो भी हो, इस परमाणु परीक्षण निषेध संधि या परमाणु अप्रसार संधि के बारे में हमारी नीति निरन्तर एक सी रही है। जैसा कि हम जानते हैं, 1968 में, जब परमाणु अप्रसार संधि के प्रारूप पर विचार हो रहा था तो तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस भव्य सभा को बताया था कि परमाणु शक्तियां परमाणु हथियार बनाने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहेंगी। लेकिन भारत समेत अन्य देशों को परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहिये। यह कैसे हो सकता है? हम परमाणु शक्ति के प्रसार का समर्थन कैसे कर सकते हैं? उस समय इस भव्य सभा को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका विरोध करते हुए बताया था कि "हमें सहायता और अन्य प्रकार की मदद के सम्बन्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमें त्याग करना होगा और मुसीबत का सामना करना होगा।" अतः श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अप्रैल, 1968 में इस भव्य सभा में इन शब्दों का प्रयोग किया था।

महोदय, अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर हस्ताक्षर किये जायें अथवा नहीं। इसके बारे में सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक सी.

टी.बी.टी. के समर्थक विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के लिए सहमत नहीं होते तब तक सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। संयुक्त मोर्चा सरकार हो, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तेरह दिन वाली सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, भारत सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है।

फिर, एक प्रश्न यह किया जाता है कि भारत अलग-थलग हो जायेगा, मैं इस सभा से पूछना चाहता हूं कि भारत अलग-थलग कैसे हो जायेगा जहां तब 180 देशों का सम्बन्ध है, वे परमाणु अप्रसार सन्धि पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। परमाणु शस्त्रागार में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इन 6 देशों में से, जिनकी अब बैठक हो रही है, आठ को छोड़कर कितने ऐसे देश हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान, चीन, इजरायल और हमारे देश को परमाणु देशों के कगार पर खड़े देशों की कोटि में गिनती की जाती है।

महोदय, यदि हम पूरे संदर्भ में विचार करें, तो भारत एक भिन्न भौगोलिक स्थिति में है। भारत के अपने शत्रु हैं जिसमें इसके पड़ोसी देश भी आते हैं। क्या अमरीकी प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं? पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष श्री असलम बेग ने घोषणा की थी कि उनके पास बम हैं। क्या अमरीकी प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ ने घोषणा की थी कि उनके पास परमाणु हथियार हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि हैंक ब्राउन के संशोधन को स्वीकार करते समय क्लिंटन प्रशासन को यह मालूम था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? क्या अमरीका प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान भारत के अन्दरूनी मामलों में दबाव दे रहा है? पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान है? आज पाकिस्तान अमरीका का एक पिछलगा देश है।

अतः जब तक भारत हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक पाकिस्तान इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अब किसको इसकी चिन्ता है? प्रश्न इजराइल का है। महोदय, आप जानते हैं कि इस समय अमरीका और इजरायल के बीच कैसे सम्बन्ध हैं। इस समय अमरीका और इजरायल सामरिक उच्च शक्ति लेजरों का विकास कर रहे हैं। जिस समय इजराइल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पेरेज अमरीका गये थे, तो श्री क्लिंटन और श्री पेरेज के बीच 1000 लाख अमरीकी डालर का समझौता हुआ था। इस प्रकार इससे उनको क्या नुकसान होगा। कल इजरायल को किसी चीज की जरूरत होती, तो उसे किसी चीज का निर्माण करने के लिए डिजाइन दिया जा सकता है और आवश्यक हो तो उसे प्रौद्योगिकी भी दी जा सकती है। मैं सरकार को उलझन में नहीं डालना चाहता। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। सभी राजनैतिक दलों का, भाजपा हो, साम्यवादी दल हों या कोई अन्य पार्टी हो, सी.टी.बी.टी. के बारे में एक ही दृष्टिकोण है। महोदय, आप जानते हैं कि कुछ निरीक्षणों का प्रावधान किया गया है। ये निरीक्षण किस प्रकार अस्तित्व में आये? इन निरीक्षणों का समर्थन किसने किया? ये सभी निरीक्षण भारत की ओर संकेत करते हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में जेनेवा समिति द्वारा निरीक्षण का प्रावधान है। प्रौद्योगिकी नियन्त्रण के बारे में वासनेर समझौता भी है। जहां तक परमाणु हथियार सप्लायर ग्रुप का सम्बन्ध है इस पर नियन्त्रण के लिए एक समिति बनाई गई है। जैव हथियारों पर नियन्त्रण के लिए एक आस्ट्रेलियाई ग्रुप बनाया गया है। जहां तक रासायनिक हथियारों का सम्बन्ध है, उन पर नियन्त्रण के लिए भी एक आस्ट्रेलियाई ग्रुप है। जहां तक प्रक्षेपास्त्रों का सम्बन्ध है, इन पर नियन्त्रण के लिए मिसाइल टेक्नालोजी कंट्रोल रिजीम की स्थापना की गई है।

यदि भारत, देश में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करता है। तो अमरीका तथा अन्य सभी देश एम.टी.सी.आर. लागू करना चाहते हैं। यदि चीन एम-11 प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान को देता है और उन प्रक्षेपास्त्रों को तैनात किया जाता है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे देश को खतरा है? चीन पाकिस्तान को रिंग मैगनेट देता है तो किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन अमरीकी प्रशासन का कहना है : पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को तैनात न करें यह कैसे उचित हो सकता है? या तो पाकिस्तान पर भी पूरा नियंत्रण रखा जाये। उनकी अपनी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उनके परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण नहीं करती। अतः हमें सुरक्षा के प्रादेशिक पहलू के बारे में चिन्ता है।

वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि हमारे विकल्प खुले हैं। वक्तव्य में ही नहीं बल्कि हम भी इसका उल्लेख करते रहे हैं। लेकिन विकल्प खुले हैं से क्या अभिप्रेत है? हमने 1974 में एक परीक्षण किया था। हमारे विकल्प खुले हैं से परमाणु विकल्प अभिप्रेत हैं। लेकिन आप देश की सुरक्षा को लें, तो परमाणु हथियारों की आवश्यकता है या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भारत एक शांति प्रिय देश है। आज भारत का यह तर्क है कि सी.टी.बी.टी. में विश्व-निरस्त्रीकरण का प्रावधान किया जाये क्योंकि हम सभी देशों में शान्ति और उनकी सुरक्षा के पक्षधर हैं। जब सभी देशों में शान्ति और सुरक्षा होगी, तो भारत में भी स्वतः शांति और सुरक्षा होगी। मेरा यही दृष्टिकोण है।

अतः, अब परमाणु विकल्प का प्रश्न आता है यह बहस का विषय है। केवल मल्लिकार्जुन ने इस भव्य सभा में यह नहीं कहा है कि "आप परमाणु हथियारों का विकास करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत की विरासत ऐसी है और भारत की पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बहस करें कि हमें परमाणु विकल्प का समर्थन करना चाहिये अथवा नहीं। यह शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। अन्ततः मेरे शब्दों में कुछ का निष्कर्ष यह है कि हमें परमाणु हथियारों का विकास करना चाहिये। यह एक अलग चीज है। लेकिन हम 'विकल्प' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि, हम तब तक 'विकल्प' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक निम्नलिखित चार न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। इन अपेक्षाओं को पूरा करने पर हम कह सकते हैं कि हमारा परमाणु विकल्प है अथवा जो भी हो। वे अपेक्षायें इस प्रकार हैं :

1. परमाणु प्रतिष्ठान द्वारा तैयार किये गये विशेष विवरण के अनुसार परमाणु हथियार का डिजाइन तैयार करने, निर्माण करने और गारंटी देने की क्षमता।

हमने ऐसा किया या नहीं, जहां तक मैं जानता हूं-मैं ऐसा नहीं समझता।

2. हथियार का डिजाइन मापदण्ड ऐसा हो कि उन्हें विमानों, प्रक्षेपास्त्रों समेत चालू और प्रस्तावित सुपुर्दगी वाहनों द्वारा

सुपुर्दगी के लिए जगह दी जा सके और उन्हें रक्षा अनुसंधान विभाग द्वारा इस रूप में स्वीकार किया जाये।

3. हथियार तथा सुपुर्दगी के साधनों, दोनों चालू और प्रस्तावित, की विश्वसनीयता और निष्पादन सशस्त्र बलों की परिचालन सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप हो और उनके लिए विश्वनीय हों।

4. सशस्त्र बलों के लिए ऐसे हथियार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों ताकि उन्हें कारगर बनाया जा सके। इसे हम अर्थक्षम परमाणु विकल्प की संज्ञा देते हैं। अतः केवल एक परीक्षण के पश्चात 'विकल्प' की बात करने का कोई अर्थ नहीं है।

अतः यदि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतर्क होना है, तो हमें इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। अब तक अमरीका और रुस सैकड़ों परमाणु हथियारों का विकास और निर्माण कर चुके हैं। चीन परमाणु और प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के मामले में आपस में सहयोग कर रहे हैं। कल पाकिस्तान भी सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करता है तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अमरीका के पास विकल्प रहेगा। वह विकल्प क्या है? यह प्रौद्योगिकी दे सकता है, वह जिस देश को चाहे तैयार परमाणु बम दे सकता है और एकमात्र बाध्यता यह है कि आप सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करें। यदि हम इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा।

अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, खतरे की संभावना को देखते हुए और पाकिस्तान तथा चीन हमारे शत्रुओं के रूख को ध्यान में रखते हुए हमें सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। क्या पता वे किस समय आक्रमण कर दें। पाकिस्तान के बारे में सभी कुछ जानने के बावजूद ब्राउन संशोधन भी एक चमत्कार था। सैनिक उपकरणों की लदान शुरू हो गई है। शीघ्र ही इसे पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया जायेगा। हम अपने विकल्पों की बात कर रहे हैं लेकिन अन्य चीजों में हमारी तैयारी क्या है? मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता और न ही इस रक्षा तैयारी के ब्यौरे में जाना चाहता हूं। मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। हम एक बात में स्पष्ट हैं और यह सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने के बारे में है।

मैं अध्यक्ष महोदय तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि वे सी. टी.बी.टी. के बारे में भारत के रवैये और भारत के विकल्पों के बारे में संसद के दोनों सदनों में एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करने में सहयोग दें। मैं अनावश्यक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। भारत को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत में उन परिणामों का सामना करने का साहस और शक्ति है और जैसाकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, हमें इसका सामना करना होगा और हमें कल के लिये त्याग करना होगा। हमें इस सी.टी.बी.टी. के फन्दे में नहीं आना चाहिये। हमें इसके बारे में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करना चाहिये। सभी राजनैतिक दलों और भारत के लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिये।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सभा में दो वक्तव्यों तथा दोनों सभाओं में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

अपराह्न 4.57 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि चल रही बातचीत में सरकार द्वारा अपनाया गया दृढ़ रूख राष्ट्रीय सर्वसम्मति की झलक है। देश के राजनैतिक दलों के बीच एक दुर्लभ समझौते के माध्यम से हमने सरकार से यह कहने का निर्णय लिया है कि भारत को ऐसा दृढ़ रूख अपनाना चाहिये। यह एक संगत रूख है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम, भारतीय, जो दशकों से विश्व शांति की वकालत करते रहे हैं, अब भिन्न भाषा में बोल रहे हैं। महोदय, ऐसी बात नहीं है।

आज के भिन्न विश्व में, शीतयुद्ध के उत्तरवर्ती युग में, इस समय कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाया जा रहा रूख भिन्न है। उनके द्वारा ऐसा उनके अपने क्षेत्र में हुई घटनाओं अथवा परमाणु परीक्षणों तथा अन्य चीजों में उनके द्वारा की गई प्रगति के कारण किया जा रहा है। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 1993 तक अमरीका का रुख पूर्णतया भिन्न था। अमरीका विश्व से परमाणु हथियार समाप्त करने के उद्देश्य से लाये जाने वाले विश्व-निरस्त्रीकरण अथवा व्यापक निरस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रस्तावों का विरोध करता रहा है।

मैं इस समय अभी हाल ही में हुई कुछ भूलों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि हम इस मामले में एकजुट रहना चाहते हैं यद्यपि हमारी धारणायें अलग अलग हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

निस्संदेह, 1993 में हमारे रुख में नरमी आई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मसले के बारे में हमारी सरकार द्वारा संयुक्त घोषणा की गई। तब से अमरीका अलग रूख अपना रहा है। कुछ भ्रांति हुई। यह कहना संगत नहीं होगा कि मार्च में भी विदेश मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हमारी परमाणु विकल्प से अलग रखा। मैं इस पर जरूरत से ज्यादा बल नही दे रहा हूं। ऐसी चीजें हुई थीं। अतः हमें खुशी है कि यह संयुक्त मोर्चा सरकार, जो अपने न्यूनतम साझे कार्यक्रम में सी.टी.बी.टी. के बारे में दृढ़ रूख अपनाने के लिए वचनबद्ध है, देश की जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रख रही है।

हर रोज अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और बल प्रयोग हो रहा है। आज मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में ठीक ही कहा गया है कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि में कहीं भी इतना बल प्रयोग नहीं हुआ है जितना कि हमें अनुच्छेद 14 'बल में प्रवेश' में देखने को मिलता है। पहले किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बल प्रयोग जारी है। इस देश में इसे सहन करने का सामर्थ्य है, यह बात हम सबको समझनी चाहिये।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि का वर्तमान प्रारूप भेदभावपूर्ण असमान तथा अपर्याप्त भी है। इससे नियत कार्य पूरा नहीं

होता। यह हमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण निरस्त्रीकरण के हमारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता।

अतः हम हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। परमाणु देशों में भी अपने मतभेद हैं। चीन को गम्भीर आपत्तियां हैं। नवीनतम परमाणु परीक्षण के पश्चात भी अब वे कह रहे हैं कि यह अन्तिम परीक्षण है और अब वे शामिल हो सकते हैं। रूस को अपनी आपत्ति है क्योंकि उनके पास विस्फोट के लिए कम्प्यूटर सिमूलेशन प्रौद्योगिकी नहीं है। केवल वर्टीकल प्रसार नहीं रूकेगा। फ्रांस और अमेरिका एक रूख अपना रहे हैं। रूस का विचार है कि वे पांव खींच सकते हैं। भारत इस संदर्भ में एक विशेष रूख अपना रहा है कि वे उसके पांव खींच सकते हैं। जी-21 के देशों में भी आपस में गम्भीर मतभेद हैं। अतः भारत को संधि में बाधा डालने वाले एक देश के रूप में पेश करने का एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। यही समस्या का मर्म है। इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं कि भारत विश्व शांति का एक पक्षधर और हिमायती होने के कारण एक अलग रूख अपना रहा है। नहीं, इसमें हमारा भी दोष है। हम नई विश्व स्थिति में उपयुक्त नहीं पाये गये हैं। हम कुटनीतिक अभियान नहीं चला पा रहे हैं। हम पूरी दुनिया को यह क्यों नहीं बताते कि सी.टी.बी.टी. में गम्भीर त्रुटियां हैं और इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह चन्द देशों की ओर से अन्य देशों को गुमराह करने का एक संगठित प्रयास है। उनका यह एक बहाना है ताकि उनके अपने अन्तर्विरोध और मतभेद सामने न आयें। हम इस कूटनीतिक अभियान में असफल रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में असफलता के लिए किसी विशेष राज्य, किसी विशेष अधिकारी या किसी विशेष राजनैतिक नेता को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा करने के लिए यह ठीक समय नहीं है। हमें सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेना चाहिये। एक विशेष संदर्भ में हमारे रूख में जो भी नरमी पहले आई है, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। भारत सरकार ने एक विशेष रूख अपनाया है। हमें यह प्रयास करना चाहिये कि हम अलग-थलग न हो जायें।

महोदय, जकार्ता में अपने अनुभव के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये नवीनतम वक्तव्य से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि न केवल इंडोनेशिया अपितु कुछ अन्य देश भी हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। हमारा ध्यान वहां पर बातचीत में हमारे राजदूत द्वारा उठाये जा रहे कदमों की ओर है। वहां पर अब यह रूख अपनाया जा रहा है कि भारत न तो बातचीत से पीछे हट रहा है और न ही सी.टी.बी.टी. के प्रारूप को स्वीकार करने में बाधा डाल रहा है। हमारी केवल यह मांग है कि हमारे दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाये। हम सी.टी.बी.टी. का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें प्रारूप के वर्तमान रूप पर आपत्ति है जिसमें हमारी उपेक्षा की जा रही है और कुछ विशेष हितों का समर्थन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस विशेष दृष्टिकोण को ठीक ढंग से विश्व के समक्ष नहीं रखा जा रहा है।

इस संदर्भ में हमारा संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारा संचार माध्यम हमारे दृष्टिकोण को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करने के लिए अधिक कारगर भूमिका निभाये तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार द्वारा अपनाये गये रूख का समर्थन करता हूं लेकिन में दो चीजों के बारे में इस सरकार को सावधान करता हूं। एक तो यह है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक विशेष स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हों। लेकिन किसी विशेष स्थिति का देश में राजनैतिक लाभ उठाने से राष्ट्र का भला नहीं होगा। पहले ऐसा हुआ है। मैं एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले किसी विशेष दल या किसी विशेष जनसमूह के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे नाजुक राष्ट्रीय मामले से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करना एक खतरनाक खेल है। किसी गंभीर राजनैतिक दल को यह खेल नहीं खेलना चाहिये।

दूसरे, विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रहें हैं। यही कारण है कि हमारी आलोचना होती है। अमरीका ट्रिप्स' के प्रश्न और अन्य चीजों पर दबाव डाल रहा है। कुछ समय पूर्व इस सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि भारत सरकार को अमरीका की सरकार से इस आशय का कोई पत्र अवश्य मिला होगा कि इस समय-सीमा के भीतर विश्व व्यापार संगठन के बारे में इन शर्तों को आप पूरा नहीं करते हैं, तो हमें बाध्य होकर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे।" यह क्या है? यह तो सीधा बल प्रयोग है कि यदि आप इस मामले में क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वे ऐसे कदम उठायेंगे। इन सभी का संबंध सी.टी.बी.टी. से है। सी.टी.बी.टी. और पेटेन्टस के मामले में बल प्रयोग कोई पृथक मामले नहीं हैं। ऐसे दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन यह एक अलग दुनिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ध्रुवीय संसार है। हम यह नहीं सोचते। अमरीका आज जो कुछ वह चाहे नहीं कर सकता। क्यूबा में क्या हुआ? उन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। परसों हमें पता चला कि कई वर्षों तक प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। चीन को इस आशय की कई बार धमकियां दी गई हैं कि हम यह कर देंगे और हम वह कर देंगे। लेकिन 24 घंटे के भीतर चीन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या हुआ? अमरीकी उद्योगपतियों ने अपने हित में क्लिंटन प्रशसन पर यह कहते हुए दबाव डाला कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस नये विश्व दृश्य में भारत जैसा एक विशाल देश संगठित होकर खड़ा होता है तो घबराने की कोई बात नहीं। अतः, यह एक अनूठी बात है कि सभी राजनैतिक दल एक हैं और वे एक आवाज में कह रहे हैं कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न किये जाये। यह एक दुर्लभ राजनैतिक समझौता है जिससे सरकार की स्थिति मजबूत होती है।

मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह समय ब्यौरे में जाने का नहीं है। परमाणु विकल्पों का क्या हुआ, क्या हो सकता है, इसके बारे में और हर रोज प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में बहुत सी चीजें कही जा सकी हैं।

मैं सरकार से इस अपील के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा कि समय कम है और जितना जल्दी तथा जितना कारगर ढंग से संभव हो, राजनयिक अभियान आरम्भ किया जाये। विश्व के सभी लोगों को सी.टी.बी.टी. की त्रुटियों के बारे में बताया जाये और उन्हें भारत सरकार के दृष्टिकोण के औचित्य, ईमानदारी के बारे में आश्वस्त किया जाये। यह संदेश जाना चाहिये कि भारत की संसद ने संयुक्त रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है और यही राष्ट्रीय सहमति है।

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 15 जुलाई को मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को पढ़ा है और अभी दिये गये वक्तव्य को पूरी सावधानी से सुना है। मुझे इन दोनों में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि दूसरे वक्तव्य में उन्होंने कुछ अधिक ब्यौरा उस बारे में दिया है कि विभिन्न देशों ने कितने परीक्षण किये हैं। चीने द्वारा किया गया अन्तिम परीक्षण जो चीन ने और परीक्षण न करने वाले देशों की कोटि में शामिल होने का निर्णय लेने से पूर्व किया।

मैं समझता हूं, यह भारत के लिए बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है लेकिन साथ ही एक तरह से परिष्कार करने की घड़ी है। हमारा देश बहुत बड़ा और व्यापक है। हमारे बीच कई तरह के मतभेद हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो हम सदा एक हो जाते हैं। यह अच्छी बात है कि संसद ने एक आवाज में कहा है कि हम वर्तमान रूप में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तथापि, हमें कुछ शिक्षा, कुछ जानकारी की भी आवश्यकता है। उग्र बातें करना एक चीज है और स्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तथा देश को तैयार करना दूसरी बात है। मेरी कामना थी कि जेनेवा की घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों तथा सचार माध्यम में हमें जो कुछ पढ़ने को मिलता है, विदेश मंत्री उसे स्पष्ट करते। 15 तारीख को अपने वक्तव्य में पृष्ठ 2 पर उन्होंने यह कहा :

> हमने बाद में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम सी.टी.बी.टी. का सत्यापन करने के लिए स्थापित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली में सम्मिलित न होने के लिए बाध्य हो जायेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली इस समय भी है, जब परमाणु परीक्षण किये जा सकते हैं अथवा जमीन के नीचे या ऊपर किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत में भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी केन्द्र है? ऐसे कितने केन्द्र हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम परमाणु देशों की इस असंवेदनशीलता और अन्य देशों द्वारा सी.टी.बी.टी. को परमाणु निरस्त्रीकरण करने से इंकार के विरूद्ध रोष प्रकट करने के लिए पहले कदम के तौर पर इन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रों को हटाने जा रहे हैं?

यदि मैंने मंत्री जी को सही समझा है, तो उन्होंने कहा है :

> "समय सीमा की बात तो दूर रही अभी वे यह आश्वासन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि उनके पास जो परमाणु हथियार हैं, उन्हें वे समाप्त कर देंगे जिसका अर्थ अन्ततः निरस्त्रीकरण होगा।"

वे ऐसा कहते भी नहीं हैं। मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि क्या यही स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे परमाणु अधिपत्य बनाये रखना चाहते हैं जैसा कि अप्रसार संधि के मामले में हुआ जिसमें वे यह सुनिश्चित करने में सफल हो गये कि पांच देश परमाणु हथियार रख सकेंगे और और परमाणु हथियारों की गुणवता में सुधार कर सकेंगें और जिन देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जायेगा वे ऐसे देश होंगे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी आज भी यह स्थिति है।

मंत्री महोदय ने इन हथियारों के वर्टीकल प्रसार की बात भी कही है। इससे मैं यह समझ पाया हूं कि सी.टी.बी.टी. के लागू होने के बाद भी परमाणु हथियारों में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि यह कैसे किया जायेगा। उपाध्यक्ष जी, इससे काफी मदद मिलेगी क्योंकि जब हम किसी चीज का समर्थन करते हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिये ताकि हम अपने देश के लोगों को पूरे विश्वास के साथ बता सकें। ऊंची नैतिकता के नाम पर वही चीज दोहराना अच्छा नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। निस्संदेह हम यह नहीं करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन इस के बारे में मुझे इतनी जानकारी होनी चाहिये कि मैं लोगों को विश्वास के साथ इस बारे में बता सकूं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन के अंतिम अधिवेशन तक संधि का जो प्रारूप था उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। इस महीने की 29 तारीख से यह सम्मेलन पुनः आरंभ हो गया है और एक नई संधि, एक नया पाठ तैयार किया गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अंतिम सम्मेलन में कुछ समय के लिए जो कुछ हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी दें। हमने हर संभव तरीके से अपनी स्थिति दोहराई थी।

अब मंत्री जी का कहना है कि नया पाठ तैयार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सम्मेलन के अंतिम अधिवेशन में तैयार किये गये पाठ और अब विचाराधीन पाठ में कोई अंतर है। उन्होंने कहा है कि हम चर्चा में भाग लेते रहेंगे। उन्होंने यह किस आधार पर कहा है?

मैं कई बार महसूस करता हूं कि इस स्थूल वक्तव्य के बजाय वे हमें साधारण शब्दों में बतायें, चाहे वह वक्तव्य के रूप में ही क्यों न हो, कि सी.टी.बी.टी., होने के बाद भी किन विभिन्न तरीके से वर्टीकल प्रसार हो सकता है। हम हाइड्रो-डाइनेमिक्स की बात सुनते हैं, हम सबक्रिटिकल हाइड्रो टैस्टिंग की बात सुनते हैं, हम कम्प्यूटर सिमूलेशन्स की बात सुनते हैं तथा अन्य कई प्रकार की चीजें सुनते हैं। ये बहुत ऊंची तकनीकी अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें समझना हमारे लिए कठिन है। अच्छा यह होगा कि वह हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक का आयोजन करें जो हमें यह बता सकें कि ये चीजें कैसे होती हैं।

मैं उनसे विशेष रूप से यह अभिव्यक्ति स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं; 'राष्ट्रीय तकनीकी तरीके, जो अमरीकी बहुत चाहते हैं, इस संधि का अंग होने चाहिये। मुझे बताया गया है कि चीन के लोग इस से बहुत दुःखी हैं क्योंकि इससे चीनी जो कुछ करते हैं अमरीकी उस पर नजर रख सकेंगे। जमीन के अंदर और जमीन के बाहर तो आगे कोई विस्फोट नहीं होगा तो फिर अमेरिकी इन विभिन्न तरीकों से भी चीन द्वारा अपने हथियारों के वर्टीकल प्रसार पर निगरानी कैसे कर सकेंगे? मैं चाहता हूं कि यह बात हमें स्पष्ट की जाये।

फिर, हमने इस संधि के 'बल में प्रवेश' सम्बंधी प्रावधानों के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। हमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ के देशों को इस संधि के 'बल में प्रवेश' सम्बन्धी प्रावधानों पर कड़ी आपति है। हमें बताया जाये कि संधि के 'बल में प्रवेश' सम्बन्धी ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिन पर यूरोपीय देशों को आपत्ति है और उसके क्या परिणाम रहे क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार के मतभेदों से

विभिन्न देशों में, जो सी.टी.बी.टी. के बारे में अन्यथा एकमत हैं, अविश्वास की भावना पैदा होती है।

विदेश मंत्री हमें बतायें कि क्या ये देश भारत को एक बाधक के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था जब अमरीका का यह कहना था कि इस संधि की तभी पुष्टि की जायेगी और इसे संयुक्त राष्ट्र महा सभा में पुष्टि और स्वीकृति के लिए तभी ले जाया जायेगा जब परमाणु देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे और परमाणु शक्ति की देहली पर खड़े देश भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। परमाणु हथियारों की संभावना वाले देश पाकिस्तान, भारत और इजराय्ल हैं। उन्होंने यह कहा बताते हैं कि जब तक भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक इंग्लैण्ड इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, रूस इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, चीन इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और सी.टी.बी.टी. लागू नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय यह स्थिति इसलिए थी कि भारत को संधि में एक बाधक के रूप में चित्रित किया जा सके।

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा समय बहुत सीमित है।

हम यह भी सुनते हैं कि भारत हस्ताक्षर न करे तो भी ये देश सी.टी.बी.टी. को पारित करेंगे। नवीनतम स्थिति यह है कि अमरीका इस संधि पर हस्ताक्षर के लिए 100 से अधिक देश एकत्र करेगा। ये 100 देश संयुक्त राष्ट्र महा सभा में इसे पेश कर के इसके समर्थन में मत प्राप्त करेंगे जिससे सी.टी.बी.टी. संयुक्त राष्ट्र का एक दस्तावेज बन जायेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या रूख अपनायेंगे?

डा. मल्लिकार्जुन ने सही कहा है कि यह बम बनाने का समय नहीं है। मैं इस मामले में उनका समर्थन करता हूं। हमारे लिए यह कहना मूर्खता होगी कि हम बम बनायें। कोई आदमी ऐसी घोषणा नहीं करता। यदि हम ऐसी कोई चीज करना चाहते हैं तो करें। हमें दुनिया को बताने के लिए इसका उदघोष नहीं करना होगा। समय आने पर इसका निर्माण करें। बातों के साथ-साथ कुछ कर के भी दिखायें। हम अपने देश की सुरक्षा को खतरा होने के कारण विकल्प खुला रखने की बात कह रहे हैं। आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ करके भी दिखायें। साथ, हम चाहते हैं कि हम इस देश के लोगों को भी परिणामों के लिए तैयार करें। अमरीका इसे आसानी से नहीं कर पायेगा। अमरीकी प्रशासन और राष्ट्रपति क्लिंटन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह राष्ट्रपति क्लिंटन के लिए चुनाव वर्ष है- अप्रसार संधि और सी.टी.बी.टी. पारित हो जायें। अतः हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिये। अब रूस अमरीका का मित्र है और यूरोपीय संघ के साथ भी उनकी मैत्री है। हमें कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहना होगा।

यह 'कठोर कार्यवाही' क्या होगी, यह मैं नहीं जानता। हमने 'परमाणु बधियाकरण' जैसी अभिव्यक्तियां सुनी हैं। हमारी परमाणु तैयारी को आरम्भ में ही निष्क्रिय कर दिया गया। क्या ऐसा संभव है? यह कैसे संभव हो सकता है। हमें कुछ प्रतिबंध लगाने की बात भी सोचनी चाहिये। ऐसा करने से इस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिये। ऐसी कुछ चीजों का मंत्री जी को सामना करना पड़ सकता है। उसी चीज की पुनरावृति करने का कोई लाभ नहीं है। हम इस से सहमत हैं।

हमें यह बात समझ लेनी चाहिये। हमें समझ समझ कर बोलना चाहिये। हमें अपने लोगों को इसका अर्थ बताना चाहिये। हमें उन्हें उस स्थिति के लिए तैयार करना चाहिये।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं बिना किसी भूमिका के पांच छः प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से ये प्रश्न पूछूंगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर देते समय इनका उत्तर देने की भी कृपा करें।

मेरा पहला प्रश्न वही है जो मेरे साथी लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने पूछा है। मंत्री महोदय ने एक ओर कहा है कि देश की रक्षा के लिए परमाणु शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर उनका कहना है कि हम निरस्त्रीकरण सम्मेलन तथा सी.टी.बी.टी. का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसा करना हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उनके इन दोनों वक्तव्यों में क्या संगति है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम इस में अड़चन डाल रहे हैं या नहीं? हम अड़चन डाल रहे हैं तो कैसे?

तीसरे सरकार किस में अड़चन डालना चाहती है? क्या आप परमाणु परीक्षण निषेध संधि में बाधा डाल रहे हैं? क्या आप 'बल में इसके प्रवेश' को रोकना चाहते हैं? इसके बाद मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि हम इसे रोकने में असफल रहते हैं, तो आपने क्या सोचा है आपकी क्या नीति होगी? इससे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यदि वह इसे रोकने में सफल हो जाते हैं, तो क्या यह हमारी नीति का अन्त होगा या आरंभ? कृपया इस मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डालें। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या निरस्त्रीकरण सम्मेलन द्वारा समर्थन न किये जाने पर भी 'बल में प्रवेश करना' इस परीक्षण निषेध संधि के लिए संभव होगा? इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र महा सभा उस प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है जिसे निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने ठुकरा दिया है? ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

अन्तिम स्पष्टीकरण जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह यह है। इस सबसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन ही एक ऐसी जगह है, जहां सरकार को जो भी कार्यवाही करनी है सक्रिय रूप से करनी होगी। क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अब उनका क्या करने का इरादा है यहां केवल परीक्षण निषेध संधि का प्रश्न नहीं है। यह भी बताया जाये कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने का इरादा रखती है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मत-सीधा और स्पष्ट इस मामले के बारे में मत रोका जा सके और यह लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जायेंगे?

महोदय, मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद मेरा इस बहस में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम पुकरा, इसलिए मैंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का नाम सूची में है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री ने लोक सभा में दो अवसरों पर तथा बाहर जकार्ता में एसियन

मंत्र पर बोलते समय भारत की स्थिति को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। उन्होंने सभा में वर्तमान विदेश मंत्री तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपनाया गया सर्वसम्मत दृष्टिकोण स्पष्ट किया है कि भारत सी.टी. बी.टी. पर वर्तमान रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा अर्थात जब तक सी. टी.बी.टी. और पूर्ण परमाणु, निरस्त्रीकरण के बीच विश्वसनीय और निश्चित मेल नहीं होगा, जब तक इसका विस्तार व्यापक और भेदभाव रहित नहीं होता, जब तक गैर विस्फोटक परीक्षण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। इन दोनों मामलों में परमाणु देश नरम नहीं पड़े हैं। विशेष रूप से अमरीका की स्थिति बहुत ही पाखण्डपूर्ण है। अमरीका ने हमेशा परीक्षण निषेध संधि के हर प्रयास का विरोध किया है परन्तु 1990 के दशक में विश्व में परिवर्तित सामरिक वातावरण के कारण अमरीका की नीति पूरी तरह बदल गई है। इस बदलाव का एक कारण यह भी था कि अमरिका ने 1000 से अधिक परमाणु परीक्षणों में काफी आंकड़े एकत्र कर लिये थे, इसने कम्प्यूटर सिमूलेशन में काफी प्रगति कर ली थी और लगभग 10,000 परमाणु हथियार जमा कर लिये थे।

महोदय, जबकि अमरीका की तो जो स्थिति है वह है ही, दो भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। पहली यह कि सी.टी.बी.टी. एक पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण उपाय है। महोदय, ऐसी बात नहीं क्योंकि वर्तमान रूप में इस संधि के अन्तर्गत नई, गुणात्मक खोज की जा सकेगी और पुरानी प्रौद्योगिकी के आधार पर हथियार भी बनाये जा सकेंगे। अतः इससे हम निश्चित रूप से स्वतः परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर होंगे। दूसरे, परमाणु परीक्षण न करने से नये हथियारों का विकास अपने आप नहीं रूक जाता क्योंकि कम खतरनाक परीक्षणों जैसी कि अमरीका की योजना है, और अग्रिम कम्प्यूटर सिमूलेशन प्रौद्योगिकी विशेष रूप से अमरीका और फ्रांस नई प्रौद्योगिकी के आधार पर भी नये हथियारों का विकास कर सकेंगे।

अमरीका द्वारा हमारी यह मांग स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है कि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण और सी.टी.बी.टी. के बीच एक सकारात्मक और पक्का मेल होना चाहिये। अमरीका का अपनी परमाणु क्षमता के त्यागने का कोई इरादा नहीं है। वे यथा स्थिति बनाये रखने में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीका के रक्षा मंत्री ने सीनेट समिति के समक्ष स्पष्ट कहा है कि अमरीका को परमाणु का भय कम से कम पचास या इससे अधिक वर्षों के लिए बनाये रखना होगा। दूसरी चीज परीक्षण न करने, शून्य प्रभाव वाला परीक्षण अर्थात कम्प्यूटर सिमूलेशन परीक्षण न करने के बारे में है जिसके विरूद्ध भारत ने स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है। परमाणु देशों का दृष्टिकोण यह है कि ऐसे परीक्षण का सत्यापन असंभव होगा क्योंकि कम्प्यूटर सिमूलेशन किसी वातावरण, किसी प्रयोगशाला में किया जा सकता है। किसी सत्यापन प्रणाली के अन्तर्गत इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। अतः, संधि में ऐसी चीज को सम्मिलित करना असंभव है।

अतः अधिकतर संभावना इस की बात की है कि हमें अगले चरण में जाना पड़ेगा अर्थात अनिवार्य रूप से प्रवेश क्योंकि हमारे हितों का ध्यान रखे बिना संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे। भारत ने बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है कि यह इसके वर्तमान रूप में इसपर हस्ताक्षर नहीं करेगा और वर्तमान रूप को बदलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अब प्रश्न इसे लागू करने का आता है। संधि कब लागू होती है? इस सम्बन्ध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। ब्रिटेन, रूस, चीन और पाकिस्तान का दृष्टिकोण यह है कि जब तक पांच परमाणु देश तथा तीन परमाणु की संभावना वाले देश संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक यह लागू नहीं होगी। लेकिन अब विशेष रूप से भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कई नये फार्मूले तैयार किये जा रहे हैं । भारत संधि में बाधा डाल सकता है क्योंकि यह परमाणु की संभावना वाला देश है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करता तो तीन या चार प्रमुख देशों के दृष्टिकोण के अनुसार संधि लागू नहीं होगी। लेकिन यदि भारत संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता तो तथाकथित बाजदावा या अन्तरिम ई.आई.एफ. के लागू होने की बात की जा रही है।

सभापति का 20 जून का प्रारूप निश्चित रूप से निरस्त्रीकरण सम्मेलन के सदस्यों तथा देशों की परमाणु क्षमता के संयोजन पर आधारित है। दो अन्य सिद्धांतों की बात भी हो रही है। संधि के बाद तीन वर्ष बाद होने वाला सामान्य सम्मेलन हस्ताक्षर के लिए खुला है। इसकी तत्पश्चात् हर वर्ष पुनरीक्षा होगी। यह सामान्य सम्मेलन उन देशों के समर्थन की प्रगति को बढ़ावा देगा जिन्होंने पहले ही समर्थन कर दिया है और तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक कि सभी अपेक्षित देश संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते या संधि का समर्थन नहीं करते। उसके बाद ही यह लागू होगी।

भारत को बहुत ही सावधान होना पड़ेगा क्योंकि अब बातचीत पूरी तरह बलकृत अपेक्षा पर टिकी हुई है। हमें यह देखना होगा कि हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। हम संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं करें अपितु इसका ध्यान भी रखें क्योंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव किया है कि सुरक्षा परिषद में साधारण बहुमत के आधार पर इसे लागू किया जाना चाहिये जिससे अप्रत्यक्ष रूप यह संकेत मिलता है कि भारत संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता तो सुरक्षा परिषद को भी भारत पर कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने चाहिये। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके विचारों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो यह भूकम्पीय अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली से अपना नाम वापस ले लेगा और हमें इसी दृष्टिकोण पर अडिग रहना होगा।

मैं इस संबंध में दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। संभवतया पहले ही देर हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि वास्तविक बातचीत में भारत सरकार ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के मामले में चीन के दृष्टिकोण का समर्थन क्यों नहीं किया। दुर्भाग्यवश, चीन ने अब शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट को शर्त वापस ले ली है और शून्य प्रभाव वाली सी.टी.बी.टी. को स्वीकार कर लिया है लेकिन चीन चाहता है कि प्रारूप में अप्रसार संधि का उल्लेख हो और इस पर पुनरीक्षा सम्मेलन में विचार किया जाये। संभवतया, यदि भारत ने चीन के दृष्टिकोण का समर्थन किया होता, तो चीन ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की शर्त वापस न ली होती और भारत के पास शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के बहाने परमाणु हथियारों का विकास करने का अधिकार कायम रहता क्योंकि पोखरन में हमने जो परीक्षण किया था, वह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। तथापि, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका भारत ने विरोध किया।

दूसरा खण्ड, जो भारत सम्मिलित करवा सकता था – किसी भी रूप में प्रौद्योगिकी के परमाणु देशों से गैर परमाणु देशों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध के बारे में है चाहे यह उपकरण, मशीनरी हो या हथियार की कोटि की विखण्डन सामग्री हो। भारत को यह समस्या उस समय उठानी चाहिये थी, जब चीन ने पाकिस्तान को परमाणु प्रौद्योगिकी, उपकरणों तथा अपकेन्द्रों का हस्तांतरण किया जिनका प्रयोग हथियारों की कोटि में आने वाली विखण्डन सामग्री का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। लेकिन संभवतया इन नये मसलों को इस समय शामिल करना कठिन होगा, यदि संधि शीघ्र पारित हो जाती है। यदि संधि शीघ्र पारित नहीं होती है, तो इन दो मसलों को उठाया जा सकता है। अन्त में, प्रश्न यह उठता है कि भारत परमाणु विकल्प कायम क्यों रखे। हम परमाणु विकल्प इसलिए रखना चाहते हैं कि हमारे दो निकट पड़ोसियों में से एक पहले ही परमाणु देश है और दूसरा परमाणु देश बनने वाला है क्योंकि इसने घोषणा की है कि इसके पास परमाणु विकल्प रहे। लेकिन वास्तव में एक परमाणु देश बनना, परमाणु हथियारों, डिलिवरी प्रणालियों, चाहे वे प्रक्षेपास्त्रों पर आधारित हो या विमान चालित डिलिवरी प्रणलियां हो, या पनडुब्बी पर आधारित डिलिवरी प्रणालियां हो, का संचय करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो यह वकालत करते हैं कि भारत को जल्दी परमाणु विकल्प अपनाना चाहिये और परमाणु बम बनाने चाहिये। लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा विकल्प है जो काफी महंगा साबित होगा। संभवतया विकास के इस चरण में पूर्णतया परमाणु हथियार बनाना उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पूरी तरह कायम रखे, परमाणु शोध के लिए पूरी धनराशि ही नहीं जुटाये अपितु इसके लिए काफी अधिक धनराशि का प्रावधान करे, विशेष रूप से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कार्यक्रम जैसे नये कार्यक्रम हाथ में ले और कम्प्यूटर सिमूलेशन, हाइड्रो-डाइनैमिक परीक्षण, कम खतरनाक कम प्रभाव वाले परीक्षण के क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करे और तत्पश्चात, जब आवश्यक हो राजनैतिक स्थिति बदलने पर वास्तविक परमाणु शस्त्र कार्यक्रम हाथ में लें।

यदि हम योजना के अनुसार सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो संभव है कि रूस, इंग्लैण्ड, चीन जैसे देश जो संभवतया नहीं चाहते कि सी.टी.बी.टी. अस्तित्व में आये, भारत को दोषी ठहरायेंगे और संधि में बाधा डालने वाले एक देश के रूप में भारत को अलग थलग कर देंगे। हमें राजनयिक अभियान आरंभ करना होगा और पूरे विश्व में, गुट निरपेक्ष, जी-21 देशों और शेष विकासशील देशों का इस भेदभावपूर्ण संधि के बारे में भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि भारत को एक परमाणु क्षमता रखने वाले देश के रूप में नहीं, अपितु परमाणु देश के रूप में क्यों न अलग थलग किया जाये क्योंकि हम पोखरन में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करके अपनी परमाणु क्षमता पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद संभवतया अप्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग किये जाने की संभावना है जैसा कि हमने विश्व व्यापार संगठन में की गई कार्यवाही के मामले में देखा है। सुरक्षा परिषद में मतदान के आधार पर कुछ प्रतिबंध प्रत्यक्ष रूप से भी लगाये जा सकते हैं और तब भारत को अपनी कमर कसनी पड़ेगी कि एक महाद्वीप के आकार के देश को धमकी नहीं दी जा सकती, ऐसे लोगों द्वारा इस पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता जिनकी नीति हमेशा पूर्णतया दम्भपूर्ण रही है।

इस सभा को स्पष्ट संदेश भेजना चाहिये कि सी.टी.बी.टी. के मामले में पूरा देश दलगत भावनाओं से उठकर एक है और भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि भारत वर्तमान रूप में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, चाहे जो भी परिणाम हो।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में चर्चा हो रही है, मैं इसके संबंध में यह कहना चाहूंगा कि इस संधि का जन्मदाता भारतवर्ष है क्योंकि हमने सबसे पहले इस संधि की कल्पना की थी कि किस प्रकार परमाणु आणविक हथियारों का इस्तेमाल न हो, उनको बनाया न जाये और उनके प्रसार पर प्रतिबंध लगे। परन्तु जो हमारी मूल धारणा थी उससे जो यह वर्तमान परीक्षण प्रतिबंध संधि है बिल्कुल अलग है। जो शुद्ध कल्पना थी, वह स्वार्थों से अलग थी परन्तु जो मूल पाठ है, उसके पीछे जो भावना है और जिस प्रकार से दुनिया के पांच आणविक हथियार सम्पन्न देश इस संधि के माध्यम से अपनी आणविक सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं और दुनिया के जो दूसरे देश हैं, गरीब देश हैं या वे देश जो आणविक प्रयोग के हथियारों को दहलीज पर पहुंचे हुये हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। इसलिये भारतवर्ष किसी भी ऐसे दोषपूर्ण सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत नहीं करेगा। अभी हमारे विदेश मंत्री जकार्ता में थे। उन्होंने साफ तौर पर अमरीकी स्टेट ऑफ सैक्रेटरी श्री क्रिस्टोफर से कहा कि हमें इस संधि का वर्तमान स्वरूप स्वीकार नहीं है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि विदेश मंत्री जी ने सारे राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करने के बाद यह रूख रखा है, उसको स्पष्ट किया और इस सदन में उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। सारे लोगों ने भी इसे स्वीकार किया है कि भारत की यह आम राय है कि हम किसी भी कीमत पर इस सी. टी.बी.टी. के इस मूल पाठ पर दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके दो मूल उद्देश्य हैं। हम जब संधि वार्ता के लिये जायेंगे तो प्रसार में हर पहलू से इसे हम रोकेंगे। और उसके साथ ही साथ इसका यह भी मकसद था कि हम दुनिया के स्तर पर निःशस्त्रीकरण करेंगे जिसका समयबद्ध कार्यक्रम होगा, उसके साथ साथ उसकी पारदर्शिता होनी चाहिये। इसका कारण यह है कि जब हमने पहले एन. पी. पास किया, उसके बाद तमाम प्रकार की टैक्नालाजी, तमाम प्रकार के आणविक हथियार चोरी-छिपे दूसरे देशों को ट्रांसफर किये जाते रहे हैं। उसके बाद भी तमाम देशों ने किसी प्रकार से परीक्षण पर रोक नहीं लगाई और अभी चीन ने परीक्षण किया है, उससे भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। इस प्रकार यह संधि दोनों मुद्दों को प्राप्त नहीं करता है। एक तो प्रसार पर रोक नहीं लगाता क्योंकि यह केवल विस्फोटक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता हैं। केवल उसी पर रोक लगाता है, उसी के साथ-साथ जो नई टैक्नालॉजी हुई है या जिस प्रकार प्रयोगशाला के अंदर तमाम प्रकार के परीक्षण हो रहे है वैज्ञानिक और उपकरण अभी तक मौजूद हैं और अभी तक शोध कार्य निरंतर चलते रहे हैं कि नाभिकीय हथियारों में गुणात्मक परिवर्तन किय जाये। इसलिये

जब तक इस पूरी दृष्टि को दिमाग में रखकर ईमानदारी से हम निःशस्त्रीकरण की बात नहीं करते तब तक इस सी.टी.बी.टी. का कोई मतलब नहीं रह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो निहित भाव है, जैसाकि मैंने पहले कहा कि इसमें ईमानदारी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जो एन.पी.टी. हुआ था यह उसका दूसरा चरण है। जो एन.पी.टी. के जरिये प्राप्त नहीं किया जा सका, वह सी.टी.बी.टी. के जरिये प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये आज जो दुनिया की बनावट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट है और इस दुनिया की बनावट में किस प्रकार से जी-7 देश जिनकी दुनिया में 1/10 हिस्सा आबादी है और जो दुनिया के 60 प्रतिशत संसाधनों पर कब्जा जमाये हुये हैं इन्हीं हथियारों के जरिये, इस आणविक सत्ता के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय जमींदारी को चलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। भारत कभी इस सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैदा हुआ है।

भारत ही नहीं, दुनिया के जितने देश हैं और जहां पर लोकतांत्रिक वातावरण है, वे अपने अधिकारों, अपनी आजादी के लिए संघर्षरत हैं। ऐसी अवस्था में इस प्रकार की संधि, जो असमान है, भेदभावपूर्ण है, हम स्वोकार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के नरम रूख के कारण हो सकता है इन पांच देशों में यह भ्रम पैदा हुआ हो और उनमें यह विश्वास या गलतफहमी रही हो कि हमारा जो ड्राफ्ट बन जायेगा तो भारत अंत में जाकर इस ड्राफ्ट पर दस्तखत कर देगा, यह मान लेगा यह भ्रम इसलिये भी पैदा हो सकता है क्योंकि जो नयी आर्थिक नीति थी, जिस कारण भारत की आर्थिक निर्भरता दुनिया के उन सम्पन्न देशों पर बढ़ती जा रही थी, शायद उनको यह अनुमान रहा हो कि इस कारण भी हम दबाव डालकर या प्रभावित करके फुसला सकते हैं, भारत को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये राजी कर लेंगे। यहां पर हाल भी कुछ ऐसा था क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के लिये मंत्रदाता वशिष्ट बन गया था, वैदेशिक नीति का आर्थिक नीति द्वारा संचालन हो रहा था। परन्तु यह अध्याय हमारी सरकार ने और विशेषकर विदेश मंत्री ने खत्म कर दिया। यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसकी सराहना करना चाहता हूं क्योंकि इसमें साफ तौर पर विदेश नीति की स्वायत्तता, राष्ट्रीय आजादी, स्वाभिमान और सुरक्षा की भावना को सर्वोपरि मानकर सी.टी.बी.टी. के वर्तमान स्वरूप को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने से मना कर दिया और यह केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है या केवल सी.टी.बी.टी. के विरोध तक ही सीमित नहीं है। परन्तु हमारे विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की अवधारणा प्रकट की है। और यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो अवधारणा है, उसको परिपुष्ट करने का और सबल आधार देने का हमारे विदेश मंत्री ने काम किया है। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को शंकाएं हों, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन शंकाओं को भी दूर कर लेंगे। इसलिए मेरे तमाम मित्रों ने शंका व्यक्त को है कि सरकार इसको ब्लॉक करेगी या नहीं या भारत इस पर दबाव डालेगा, हमने स्पष्ट तौर पर अपनी नीति में कहा है कि संधि का मौजूदा स्वरूप स्वीकार नहीं है। कहना चाहूंगा कि आपको सफाई देनी होगी। ठीक कहा मेरे मित्र ने कि स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि हम जो संशोधन पेश कर रहे हैं हम जो रूख अख्तियार कर रहे हैं, कहीं उससे यह भ्रम न हो जाए कि हमारी जो मूल भावना है, हम उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, एक जमाना था जब नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर बहस चलती रही। उसको हम समझ सकते थे चूंकि जिनके हाथों में अणु हथियार थे, दूसरे उसको न बनाएं, इसके लिए उनकी तरफ से आया हुआ वह आग्रह था। लेकिन एक कंप्रीहेन्सिव टेस्ट बैन ट्रीटी का अर्थ ही समझ में नहीं आता है। चूंकि इसमें कोई कंप्रीहेन्सिव चीज है ही नहीं। जिनके हाथों में हथियार हैं और उसमें भी सबसे अधिक हथियार जिनके हाथों में हैं, उनको हमेशा के लिए अपने हथियार बनाने का, और बनाने मात्र का नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल का अधिकार बना रहना चाहिए, इस दिशा में यह एक पहल है। कंप्रीहेन्सिव टेस्ट बैन ट्रीटी को हम लोगों ने शुरू किया था, यह कहना बहुत गलत होगा क्योंकि हम लोगों का जो कहना था, वह था कि अणु बम को हमेशा के लिए समाप्त करो, अणु हथियार नाम की चीज इस दुनिया में न रहे तो भारत की भूमिका यह रही। 40 या 50 साल पहले से जब भी हम इस मामले पर विश्व के मंच पर बोले तो यह हमारी भूमिका रही। उस भूमिका और इस समझौते का कोई रिश्ता नहीं है, यह मुझे सबसे पहले कहना है।

इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है, यह भी कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं हो सकती है चूंकि सभी का मालूम है। लेकिन जहां तक अमेरिका की इस मामले पर अपनी एक राय बनी है तो उसके बारे में सदन में स्पष्ट तौर पर मालूमात होना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1994 को राष्ट्रपति क्लिंटन का अमेरिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए दिये हुए अभिभाषण का यह एक हिस्सा है --

[अनुवाद]

> "हम सामरिक परमाणु शक्ति से सम्पन्न किसी भावी शत्रुतापूर्ण विदेशी नेता की भय दिखाकर रोकने के लिए पर्याप्त सामरिक परमाणु शक्ति बनाये रखेंगे ताकि वह हमारे अनिवार्य हितों के प्रतिकूल काम न कर सके और इसे स्वीकार करायेंगे...।

यह है वह नेता

> "...परमाणु सुविधा प्राप्त करना बेकार होगा। अतः हम खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में परमाणु शक्ति और सामर्थ्य बनाये रखेंगे।"

अब धमकी देखिए -

> "...प्रत्येक राजनैतिक और सैनिक नेता के लिए मूल्यवार व्यापक आस्तियां

[हिन्दी]

यानी अगर कल हिन्दुस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए जिससे अमेरिका का कोई वास्ता ही नहीं है, चूंकि हमारो जो तत्काल सुरक्षा के मामले हैं, वह तो हमारे पड़ोसियों के साथ हम किस तरह से हमारे रिश्ते बने रहेंगे और आज क्या रिश्ते हैं इन सब चीजों से जुड़े हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, एक मिनट रूकिये। माननीय सदस्यों इसके लिए दो घंटे अलॉट हुए थे। अभी भी मेरे पास आठ नाम और हैं, क्या दो घंटे बढ़ा दें, उससे पहले खत्म हो जायेगा तो ठीक है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : यह जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक यह बिजनेस चलेगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां जी, आप फरमाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो सुझाव आये हैं। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बोलिये क्या करना है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कल करिये।

अनेक माननीय सदस्य : कृपया कल ही करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब आप कल कंटीन्यू कीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 6.01 बजे

दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा की अवमानना के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है आज पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे अपने आप को हंसादत्त जोशी, पुत्र श्री पर्णानन्द जोशी बताने वाले एक दर्शक ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाने का प्रयास किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे तुरन्त हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। दर्शक ने बयान दिया है और अपने इस कार्य के लिए खेद व्यक्त किया है।

मैं इस मामले को ऐसी कार्यवाही के लिए सभा के ध्यान में लाता हूं जो सभा उचित समझे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको हंसा दत्त जोशी पुत्र श्री पूर्णानन्द जोशी बताने वाला व्यक्ति, जिसने आज पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे नारे लगाने का प्रयास किया तथा जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है तथा वह सभा की अवमानना का दोषी है।
>
> यह सभा यह भी संकल्प करती है कि आज सभा की बैठक समाप्त होने के समय उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको हंसा दत्त जोशी पुत्र श्री पूर्णानन्द जोशी बताने वाला व्यक्ति, जिसने आज पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे नारे लगाने का प्रयास किया तथा जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है तथा वह सभा की अवमानना का दोषी है।
>
> यह सभा यह भी संकल्प करती है कि आज सभा की बैठक समाप्त होने के समय उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : उसे दर्शक का पास कैसे मिला? हम संसदीय कार्य मंत्री से इसके बारे में जानना चाहते हैं।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इतनी सजा काफी है। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होगी, ऐसी हमें आशा करनी चाहिए।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "...कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को हंसा दत्त जोशी पुत्र श्री पूर्णानन्द जोशी बताने वाला व्यक्ति, जिसने आज पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे नारे लगाने का प्रयास किया तथा जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है तथा वह सभा की अवमानना का दोषी है।
>
> यह सभा यह भी संकल्प करती है कि आज सभा की बैठक समाप्त होने के समय उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1 अगस्त, 1996 को पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 1 अगस्त, 1996/10 श्रावण, 1916 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/4/15/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईंट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।